

प्राधिकरण बोर्ड की 173वीं बैठक हेतु विचारणीय विषयों की कार्य-सूची



तिथि :- 09 मई, 2022
समय :- अपराह्न 04.00 बजे
**स्थान :- मसऊद सभागार, द्वितीय तल,
प्राधिकरण भवन, विपिन खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ।**

**लखनऊ विकास प्राधिकरण बोर्ड की 173वीं बैठक दिनांक 09.05.2022
में विचारणीय प्रस्तावों की विषय सूची**


क्र0	विषय	पृष्ठ संख्या
01.	लखनऊ विकास प्राधिकरण बोर्ड की बैठक दिनांक 15.12.2021 के कार्यवृत्त का पुष्टिकरण।	01
02.	लखनऊ विकास प्राधिकरण बोर्ड की बैठक दिनांक 15.12.2021 में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या।	08
03.	वित्तीय वर्ष 2021–22 के वारस्तविक आय–व्ययक तथा वित्तीय वर्ष 2022 –23 का प्रस्तावित आय–व्ययक के स्वीकृति के सम्बन्ध में।	14
04.	प्राधिकरण के वित्त एवं लेखा विभाग में आउटसोर्सिंग सेवाप्रदाता के माध्यम से प्रधान लिपिक/अनुभाग अधिकारी/सहायक लेखाकार को आबद्ध किये जाने के सम्बन्ध में।	15
05.	मा0 अंकुश समिति के समक्ष विचाराधीन प्रकरण बाबत अनार्जित खसरा संख्या—36 क्षेत्रफल 0.190 हेक्टेट ग्राम—औरंगाबाद खालसा, लखनऊ की भूमि के सम्बन्ध में।	16
06.	विधान सभा की मा0 याचिका समिति के समक्ष विचाराधीन प्रकरण गोमती नगर विस्तार योजना, से0–4 के अन्तर्गत समायोजित भूखण्ड संख्या—4/385—एस, सक्षम स्तर से अनुमोदित न होने के कारण समायोजन निरस्त कर जमा धनराशि ब्याज सहित वापस करने का निर्णय तत्कालीन उपाध्यक्ष द्वारा लिया जा चुका है, अतः आवंटी के पक्ष में आवंटन को पुनर्जीवित कर समायोजन को वैध करते हुए निबन्धन की कार्यवाही करने अथवा आवंटी की जमा धनराशि, धनराशि वापसी की तिथि को प्रचलित आर0बी0आई0 के एम0सी0एल0आर0 दर पर ब्याज सहित वापस करने के सम्बन्ध में।	27
07.	बसन्तकुंज योजना, सेक्टर—डी में नियोजित पुलिस थाने के भूखण्ड को नर्सिंग होम क्रिया/प्रयोजन में परिवर्तित किये जाने के संबंध में।	71
08.	रिहाफ—ए—आम योजना स्थित समूह आवास के भूखण्ड में से नर्सिंग होम (क्षेत्रफल 1500.00 वर्गमीटर) के रूप में तलपट मानचित्र में अंकित/परिवर्तित किये जाने के संबंध में।	74
09.	प्राधिकरण द्वारा विकसित भूखण्ड संख्या—सीपी—89 व सीपी—90, विराज खण्ड, गोमती नगर योजना, लखनऊ संलग्न भूखण्डों को एकीकृत करते हुए मानचित्र स्वीकृति किये जाने के सम्बन्ध में।	77
10.	प्राधिकरण द्वारा विकसित भूखण्ड संख्या—केबी—32 एवं केबी—33, सेक्टर—बी, कानपुर रोड योजना, लखनऊ संलग्न भूखण्डों को एकीकृत करते हुए मानचित्र स्वीकृति किये जाने के संबंध में।	79
11.	भूखण्ड संख्या—148ए, इण्डिस्ट्रियल एरिया योजना, तालकटोरा रोड, लखनऊ का भू—उपयोग औद्योगिक से आवासीय भू—उपयोग परिवर्तन करने के सम्बन्ध में।	80
12.	उ0प्र0 शासन की हाई—टेक टाउनशिप नीति के अधीन चयनित मेसर्स अंसल प्रापर्टीज एण्ड इन्क्राउलि द्वारा प्रस्तुत संशोधित डी0पी0आर0 स्वीकृति किये जाने के सम्बन्ध में।	84

13.	उ0प्र0 के नगरीय क्षेत्रों मे निजी पूँजी निवेश के माध्यम से आवासीय योजनाओं के लिए शासन की इंटीग्रेटेड टाउनशिप नीति के अन्तर्गत मेसर्स ओगेकरा लि0 द्वारा प्ररतुत संशोधित तलपट मानचित्र स्वीकृत करने के सम्बन्ध में।	112
14.	उ0प्र0 शासन की हाई-टेक टाउनशिप नीति के अधीन चयनित मेसर्स ओमेक्स गर्व बिल्डटेक प्राउलि0 द्वारा प्रस्तुत संशोधित डी0पी0आर0 एवं तलपट मानचित्र स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।	117
15.	सी0जी0 सिटी (चकगंजरिया) योजना में विभिन्न भू-उपयोग के भूखण्डों की दरों को फ्रीज किये जाने के निर्णय दिनांक 15.12.2021 को समाप्त/निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में।	140
	अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य विषय।	

विषय संख्या : 01

पृष्ठ संख्या : 01

विषय : लखनऊ विकास प्राधिकरण बोर्ड की 172वीं
बैठक दिनांक 15 दिसम्बर, 2021 के कार्यवृत्त
का पुष्टिकरण।



लखनऊ विकास प्राधिकरण बोर्ड की बैठक दिनांक 15.12.2021 का
कार्यवृत्त दिनांक 22.12.2021 को समस्त मा० सदस्यों को
अवलोकनार्थ प्रेषित किया गया। अनुपूरक विषयक संख्या-3 पर
मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक द्वारा आपत्ति/सुझाव उपलब्ध कराये
गये है। शेष अन्य प्रस्तावों पर किसी भी सदस्य द्वारा कोई आपत्ति/
सुझाव उपलब्ध नहीं कराये गये है। अस्तु बैठक दिनांक 15.12.
2021 का कार्यवृत्त पुष्टि हेतु प्रस्तुत है।

लखनऊ विकास प्राधिकरण बोर्ड की 172वीं बैठक दिनांक

15 दिसम्बर, 2021 का कार्यवृत्त

लखनऊ विकास प्राधिकरण बोर्ड की 172वीं बैठक, बोर्ड अध्यक्ष श्री रंजन कुमार, आयुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई, जिसमें निम्न सदस्य उपस्थित हुए:-

उपस्थिति:-

01. श्री अक्षय त्रिपाठी
02. श्री धर्मेन्द्र वर्मा
03. श्री ए०एस० भाटी
04. श्री अभय पाण्डेय
05. श्री पी०के० सिंह
06. श्री ए०के० मिश्रा
07. सुश्री रेखा श्रीवास्तव
08. श्री अनुपम श्रीवास्तव
09. श्री पी०एन० सिंह
10. श्री पुष्कर शुक्ला
11. श्री राम कृष्ण यादव
12. श्री राधवराम तिवारी
13. श्री संजय सिंह राठौर
14. श्री मुसविर अली भंशू

अन्य उपस्थिति:-

15. श्री पवन कुमार गंगवार
16. श्री ज्ञानेन्द्र वर्मा
17. श्री राजीव कुमार सिंह
18. श्री इन्दु शेखर सिंह
19. श्री नितिन मित्तल
20. श्री राम शंकर सिंह
21. श्री शशिभूषण पाठक
22. श्री माधवेश कुमार

सर्वप्रथम् उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ द्वारा अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण बोर्ड/आयुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ का औपचारिक स्वागत किया गया। तदुपरान्त बोर्ड बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। बोर्ड बैठक की विषय सूची में सम्मिलित विभिन्न विषयों/मदों पर निम्नवत् निर्णय लिया गया:-

मद सं०	विषय	निर्णय
172 / 1	लखनऊ विकास प्राधिकरण बोर्ड की बैठक दिनांक 08.06.2021 के कार्यवृत्त का पुष्टिकरण।	प्राधिकरण की उक्त बैठक में प्रतिभाग करने वाले समस्त सदस्यों को कार्यवृत्त प्रेषित किया गया था। किसी भी सदस्य द्वारा कार्यवृत्त के सम्बन्ध में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं करायी गयी है। अतः सर्वसम्मति से कार्यवृत्त की पुष्टि की गई।
172 / 2	लखनऊ विकास प्राधिकरण बोर्ड की बैठक दिनांक 08.06.2021 में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या।	प्रस्तुत की गयी अनुपालन आख्या का अवलोकन किया गया एवं विषय संख्या-5 पर निम्नांकित निर्देश दिये गये:-

		<ul style="list-style-type: none"> प्राधिकरण के रिक्त फ्लैटों को एकमुश्त विक्रय किये जाने के सम्बन्ध में निर्देश दिये गये कि रिक्त फ्लैटों के क्रय/विक्रय/सेल एग्रीमेन्ट पर पुनर्परीक्षण कर अवगत करायें।
172/3	अमर शहीद पथ से चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट को जोड़ने वाले वैकल्पिक मार्ग के सरेखण में एलीवेटेड फ्लाई ओवर के निर्माण के सम्बन्ध में परिचालन के माध्यम से पारित प्रस्ताव का पुष्टिकरण।	परिचालन के माध्यम से अमर शहीद पथ से चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट को जोड़ने वाले वैकल्पिक मार्ग के सरेखण में एलीवेटेड फ्लाई ओवर के निर्माण विषयक पारित प्रस्ताव की पुष्टि की गई।
172/4	नादान महल रोड पर नवभारत पार्क में मल्टीलेविल पार्किंग को नगर निगम, लखनऊ को हस्तांतरित किये जाने के सम्बन्ध में।	सम्यक् विचारोपरान्त बोर्ड द्वारा नादान महल रोड पर नवभारत पार्क रिथित मल्टीलेविल पार्किंग के नगर निगम, लखनऊ को हस्तांतरित किये जाने विषयक प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
172/5	लखनऊ विकास प्राधिकरण की मोहान रोड आवासीय योजना को निजी विकासकर्ता के माध्यम से लाईसेंस के आधार पर विकसित करने के सम्बन्ध में।	सम्यक् विचारोपरान्त लखनऊ विकास प्राधिकरण की मोहान रोड आवासीय योजना को लाईसेंस के आधार पर निजी विकासकर्ता में 0 ओमेक्स लिंग के माध्यम से विकसित किये जाने विषयक प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
172/6	उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा-12-के अन्तर्गत मॉडल उपविधि “विकास प्राधिकरण (मुख्य मार्गों से सटे कतिपय भवनों के अग्रभाग की अनुरक्षण एवं मरम्मत) उपविधि-2021” के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में।	सम्यक् विचारोपरान्त बोर्ड द्वारा उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा-12-के अन्तर्गत मॉडल उपविधि “विकास प्राधिकरण (मुख्य मार्गों से सटे कतिपय भवनों के अग्रभाग की अनुरक्षण एवं मरम्मत) उपविधि-2021” अंगीकृत किये जाने विषयक प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।
172/7	उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा-16 के परन्तुक के अधीन उपविधि बनाये जाने के सम्बन्ध में।	सम्यक् विचारोपरान्त बोर्ड द्वारा उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा-16 के परन्तुक के अधीन उपविधि बनाये जाने के सम्बन्ध में विकास प्राधिकरणों (योजनाओं के उल्लंघन में भूमि एवं भवनों का उपयोग जारी रखने हेतु) मॉडल उपविधि-2021 के क्रियान्वयन से सम्बन्धित अधिसूचना के अंगीकरण का प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
172/8	लखनऊ विकास प्राधिकरण के विभिन्न योजनाओं में रिक्त फ्लैटों के फ्रीज मूल्यों की समयवृद्धि 01 वर्ष बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में।	सम्यक् विचारोपरान्त बोर्ड द्वारा लखनऊ विकास प्राधिकरण के विभिन्न योजनाओं में रिक्त फ्लैटों के फ्रीज मूल्यों की समयवृद्धि पुनः 01 वर्ष बढ़ाये जाने पर बोर्ड द्वारा सहमति प्रदान की गई।
172/9	मूल्यांकन अनुभाग के कार्यों को सम्पादित किये जाने हेतु आउट-सोर्सिंग से वरिष्ठ सहायक कार्स्ट	सम्यक् विचारोपरान्त बोर्ड द्वारा मूल्यांकन अनुभाग के कार्यों को सम्पादित किये जाने हेतु आउट-सोर्सिंग के माध्यम से 01 वरिष्ठ सहायक

6

✓

	एकाउन्टेन्ट की सेवार्ये प्राप्त किये जाने के सम्बन्ध में।	कास्ट एकाउन्टेन्ट की सेवार्ये (एक वर्ष तक) प्राप्त किये जाने विषयक प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।
172 / 10	लखनऊ विकास प्राधिकरण के अकेन्द्रियत सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों एवं पारिवारिक पेंशनरों को पेंशन/पारिवारिक पेंशन प्रतिमाह भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में।	सम्यक् विचारोपरान्त बोर्ड द्वारा लखनऊ विकास प्राधिकरण के अकेन्द्रियत सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों एवं पारिवारिक पेंशनरों को पेंशन/पारिवारिक पेंशन के प्रतिमाह भुगतान किये जाने विषयक प्रस्ताव को इस प्रतिबन्ध के साथ अनुमोदित किया गया कि मात्र आवश्यक धनराशि ही अधिष्ठान मद से प्रत्येक माह अकेन्द्रियत पेंशन फण्ड खाते में हस्तान्तरित की जायेगी।
172 / 11	स्व० श्री श्रीराम कश्यप, बेलदार की सेवाकाल के दौरान चिकित्सा पर व्यय धनराशि इनकी पत्नी को प्रतिपूर्ति किये जाने के सम्बन्ध में।	प्रस्तुत प्रस्ताव सम्बन्धित शासनादेशों/नियमों के आलोक में पुनर्परीक्षण हेतु स्थगित किया गया।
172 / 12	श्री हरि प्रसाद, प्लम्बर की चिकित्सा पर व्यय धनराशि की प्रतिपूर्ति किये जाने के सम्बन्ध में।	प्रस्तुत प्रस्ताव सम्बन्धित शासनादेशों/नियमों के आलोक में पुनर्परीक्षण हेतु स्थगित किया गया।
172 / 13	मा० अंकुश समिति के समक्ष विचाराधीन प्रकरण बाबत अनार्जित खसरा संख्या—36 क्षेत्रफल 0.190 हें० स्थित ग्राम—औरंगाबाद खालसा, लखनऊ की भूमि के सम्बन्ध में।	सम्यक् विचारोपरान्त बोर्ड द्वारा मा० अंकुश समिति के समक्ष विचाराधीन प्रकरण बाबत अनार्जित खसरा संख्या—36 क्षेत्रफल 0.190 हें० स्थित ग्राम—औरंगाबाद खालसा, लखनऊ की भूमि के सम्बन्ध में निर्देश दिये गये कि मा० अंकुश समिति की बैठक दिनांक 09.11.2021 के कार्यवृत्त के आलोक में प्रस्ताव पुनः आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत किया जाय।
172 / 14	विधान सभा की मा० याचिका समिति के समक्ष विचाराधीन गोमती नगर विस्तार योजना, से०-४ के अन्तर्गत समायोजित भूखण्ड संख्या—४/३८५-एस, सक्षम स्तर से अनुमोदित न होने के कारण समायोजन निरस्त कर जमा धनराशि ब्याज सहित वापस करने का निर्णय तत्कालीन उपाध्यक्ष द्वारा लिया जा चुका है, अतः आवंटी के पक्ष में आवंटन को पुनर्जीवित कर समायोजन को वैध करते हुए निबन्धन की कार्यवाही करने अथवा आवंटी की जमा धनराशि, धनराशि वापसी की तिथि को प्रचलित आर०बी०आई० के एम०सी०एल०आर० दर पर ब्याज सहित वापस करने के सम्बन्ध में।	सम्यक् विचारोपरान्त बोर्ड द्वारा निर्देश दिये गये कि विधान सभा की मा० याचिका समिति की बैठक दिनांक 22.11.2021 के कार्यवृत्त के आलोक में प्रस्ताव पुनः आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत किया जाय।

172 / 15	गोमती नगर योजना के विक्रान्त खण्ड स्थित बजट होटल को ई-ऑक्शन के माध्यम से लीज पर दिये जाने की अनुमति के सम्बन्ध में।	सम्यक् विचारोपरान्त बोर्ड द्वारा गोमती नगर योजना के विक्रान्त खण्ड स्थित बजट होटल को ई-ऑक्शन के माध्यम से लीज पर दिये जाने विषयक प्रस्ताव इस शर्त के साथ अनुमोदित किया गया कि इस हेतु कंसलटेन्ट का चयन कर लिया जाय। तत्पश्चात् ई-टेंडर आमंत्रित कर बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त करते हुए लीज पर दिये जाने के सम्बन्ध में अग्रेतर कार्यवाही की जाय।
172 / 16	One Map ग्रेटर नोएडा की तर्ज पर One Map लखनऊ तैयार किये जाने के सम्बन्ध में।	सम्यक् विचारोपरान्त बोर्ड द्वारा One Map ग्रेटर नोएडा की तर्ज पर One Map लखनऊ तैयार किये जाने विषयक प्रस्ताव स्मार्ट सिटी को भेजने के निर्देश दिये गये।

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अनुपूरक विषय

अनु०वि० 172 / 01	सी०जी० सिटी चकगंजरिया परियोजना अन्तर्गत विभिन्न प्रयोजनों हेतु भूखण्डों की दर फ्रीज किये जाने के सम्बन्ध में।	सम्यक् विचारोपरान्त बोर्ड द्वारा सी०जी० सिटी चकगंजरिया परियोजनात्तर्गत विभिन्न प्रयोजनों हेतु भूखण्डों की दर 01 वर्ष तक फ्रीज किये जाने विषयक प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
अनु०वि० 172 / 02	प्रधानमंत्री आवास योजना के निर्माण एवं विकास कार्य हेतु प्राधिकरण स्त्रोतों से भुगतान करने के सम्बन्ध में।	सम्यक् विचारोपरान्त बोर्ड द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के निर्माण एवं विकास कार्य हेतु प्राधिकरण स्त्रोतों से भुगतान करने एवं उसका समायोजन शासन से मिलने वाली धनराशि से करने विषयक प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
अनु०वि० 172 / 03	लखनऊ विकास प्राधिकरण क्षेत्रान्तर्गत नियोजित कालोनियों में भू-उपयोग परिवर्तन/इम्पैक्ट फीस लेते हुए आवासीय भूखण्डों पर अनावासीय क्रियाओं की अनुमन्यता के सम्बन्ध में।	सम्यक् विचारोपरान्त बोर्ड द्वारा विकास प्राधिकरण की योजनाओं एवं प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत की गई योजनाओं में महायोजना-2031 के जोनिंग रेगुलेशन्स के अन्तर्गत सामुदायिक, वाणिज्यिक एवं कार्यालय उपयोग जोनिंग रेगुलेशन की समस्त अपेक्षायें पूरी करते हुए महायोजना में निर्दिष्ट प्रभाव शुल्क का दोगुना तथा अन्य शुल्क लेते हुए निर्धारित शर्तों के साथ प्रस्ताव अनुमोदित किया गया, परन्तु इसमें कुछ क्रियाओं यथा—नीलामी बाजार, कोल्ड स्टोरेज (शीतगृह), होटल, मोटल, रिजार्ट, सिनेमा, मल्टीप्लेक्स (बहुसामुच्च), पेट्रोल/डीजल/सीएनजी फिलिंग स्टेशन, गैस गोदाम, गैस अधिष्ठान, जंकयार्ड/कबाड़खाना, भण्डारण गोदाम, वेयर—हाउसिंग, मोटर वाहनों के स्पेयर पार्ट्स की बिक्री हेतु दुकान, वाहन क्रय—विक्रय /कार्यशाला/सहायक सामग्री केन्द्र, औद्योगिक, धर्मशाला, बोर्डिंग/लॉजिंग हाउस, छात्रावास, सभा भवन, सामुदायिक भवन, बारात घर, बंक्वेट हॉल की अनुमति नहीं दी जायेगी। यह अनुमन्यता

		24मी0 व 24मी0 से अधिक चौड़े मार्गों पर ही होगी। साथ ही केस टू केस समस्त प्रकरण बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किये जाने के भी निर्देश दिये गये।
अनु0वि0 172/04	लखनऊ विकास प्राधिकरण के कर्मचारियों को वर्तमान समय में मिल रहे वर्दी धुलाई भत्ता एवं अधिकारियों/कर्मचारियों को देय चिकित्सा भत्ते की दरों में वृद्धि के सम्बन्ध में।	सम्यक् विचारोपरान्त बोर्ड द्वारा लखनऊ विकास प्राधिकरण के कर्मचारियों को वर्तमान समय में मिल रहा वर्दी धुलाई भत्ता ₹ 50 से बढ़ाकर ₹ 150 एवं अधिकारियों/कर्मचारियों को देय चिकित्सा भत्ता ₹ 300 से बढ़ाकर ₹ 1000 किये जाने की अनुमति प्रदान की गई।

उपाध्यक्ष, ल0वि0प्रा0 द्वारा धन्यवाद ज्ञापन के उपरान्त बैठक समाप्त की गयी।

(पवन कुमार गंगवार)
सचिव, ल0वि0प्रा0,
लखनऊ।

(अक्षय श्रिपाठी)
उपाध्यक्ष, ल0वि0प्रा0,
लखनऊ।

अनुमोदित

(रंजन कुमार)
अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण,
एवं आयुक्त, लखनऊ मण्डल,
लखनऊ।

लखनऊ विकास प्राधिकरण बोर्ड की 172वीं बैठक दिनांक 15.12.2021 में
प्रतिभाग करने वाले सदस्य

क्रमांक	नाम एवं पदनाम	मोबाइल नम्बर	हस्ताक्षर
1.	श्री रंजन कुमार, अध्यक्ष, ल0वि0प्रा0 एवं आयुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।		
2.	श्री अक्षय त्रिपाठी, उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण।	३८९३४६६७७२	
3.	प्रतिनिधि—प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।		
4.	श्री अभिषेक प्रकाश, जिलाधिकारी, लखनऊ।		
5.	श्री अजय कुमार द्विवेदी, नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ। <i>Abhay Pandey</i>	8810721501	
6.	श्री धर्मन्द्र वर्मा, वित्त नियंत्रक, आवास एवं विकास परिषद, प्रतिनिधि—अपर मुख्य सचिव, वित्त, उ0प्र0 शासन।		
7.	श्री डी0के0 श्रीवास्तव, अधीक्षण अभियन्ता, प्रतिनिधि—आवास आयुक्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद। <i>P.D.K. Vaishnav</i>	8795910173	
8.	सुश्री रेखा श्रीवास्तव, सहायक आयुक्त/ प्रतिनिधि—संयुक्त आयुक्त उद्योग, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।	7965752995	
9.	श्री ए0के0 मिश्रा, नगर नियोजक, प्रतिनिधि— मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उ0प्र0।	9452153302	
10.	श्री राजेश अवृष्टी, मुख्य अभियन्ता, <i>RAJESH AVRSHTI</i> लखनऊ क्षेत्र प्रतिनिधि—प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।	9673942562	
11.	श्री अनुपम श्रीवास्तव, क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी, प्रतिनिधि—महानिदेशक पर्यटन, उ0प्र0।	9953122008	
12.	श्री पी0एन0 सिंह, सदस्य, लखनऊ विकास प्राधिकरण।	9415423433	
13.	श्री पुष्कर शुक्ला, सदस्य, लखनऊ विकास प्राधिकरण।	9415464455	
14.	श्री राम कृष्ण यादव, पार्षद / सदस्य, लखनऊ विकास प्राधिकरण।	9415181067	
15.	श्री राघवराम तिवारी, पार्षद / सदस्य, लखनऊ विकास प्राधिकरण।	9453814562	
16.	श्री संजय सिंह राठौर, पार्षद / सदस्य, लखनऊ विकास प्राधिकरण।	9794500000	
17.	श्री मुसाबिर अली “मंशू”, पार्षद / सदस्य, लखनऊ विकास प्राधिकरण।	9838354344	

विषय संख्या : 02

पृष्ठ सं0 : 08

विषय:- लखनऊ विकास प्राधिकरण बोर्ड की 172वीं बैठक दिनांक 15 दिसम्बर, 2021 में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या।

विषय संख्या : 1

लखनऊ विकास प्राधिकरण बोर्ड की बैठक दिनांक 08.06.2021 के कार्यवृत्त का पुष्टिकरण।

निर्णय :

प्राधिकरण की उक्त बैठक में प्रतिभाग करने वाले समस्त सदस्यों को कार्यवृत्त प्रेषित किया गया था। किसी भी सदस्य द्वारा कार्यवृत्त के सम्बन्ध में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं करायी गयी है। अतः सर्वसम्मति से कार्यवृत्त की पुष्टि की गई।

अनुपालन

नोट किया गया।

विषय संख्या : 2

लखनऊ विकास प्राधिकरण बोर्ड की बैठक दिनांक 08.06.2021 में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या।

निर्णय :

प्रस्तुत की गयी अनुपालन आख्या का अवलोकन किया गया एवं विषय संख्या—5 पर निम्नांकित निर्देश दिये गये:—

- प्राधिकरण के रिक्त फ्लैटों को एकमुश्त विक्रय किये जाने के सम्बन्ध में निर्देश दिये गये कि रिक्त फ्लैटों के क्रय/विक्रय/सेल एग्रीमेन्ट पर पुनर्परीक्षण कर अवगत करायें।

अनुपालन :

अनुपालन अप्राप्त।

विषय संख्या : 3

अमर शहीद पथ से चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट को जोड़ने वाले वैकल्पिक मार्ग के संरेखण में एलीवेटेड फ्लाई ओवर के निर्माण के सम्बन्ध में परिचालन के माध्यम से पारित प्रस्ताव का पुष्टिकरण।

निर्णय :

परिचालन के माध्यम से अमर शहीद पथ से चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट को जोड़ने वाले वैकल्पिक मार्ग के संरेखण में एलीवेटेड फ्लाई ओवर के निर्माण विषयक पारित प्रस्ताव की पुष्टि की गई।

अनुपालन :

प्राधिकरण बोर्ड द्वारा लिये गये निर्णय के अनुपालन में विभागीय पत्र संख्या—906/एसी/तह/2021 दिनांक 20.11.2021 के माध्यम से धनराशि रु0 1,50,31,625.00 बैंकर चेक संख्या—321975 दिनांक 20.11.2021 व पत्र संख्या—221/एसी/तह/2022 दिनांक 04.05.2022 के माध्यम से अमर शहीद पथ से चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट को जोड़ने वाले वैकल्पिक मार्ग के संरेखण में एलीवेटेड फ्लाई ओवर के निर्माण से प्रभावित भूमि के अभिनिर्णय दिनांक 18.11.2021 के अनुसार प्रतिकर की वांछित आंगणित धनराशि रु0 34,10,033.00 बैंकर चेक संख्या—320901 दिनांक 18.02.2022 अपर जिलाधिकारी—भूआ० को प्रेषित की जा चुकी है।

विषय संख्या : 4

नादान महल रोड पर नवभारत पार्क में मल्टीलेविल पार्किंग को

नगर निगम, लखनऊ को हस्तांतरित किये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय :

सम्यक् विचारोपरान्त बोर्ड द्वारा नादान महल रोड पर नवभारत पार्क स्थित मल्टीलेविल पार्किंग के नगर निगम, लखनऊ को हस्तांतरित किये जाने विषयक प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

अनुपालन :

प्राधिकरण बोर्ड द्वारा लिये गये निर्णयानुसार नादान महल रोड पर नवभारत पार्क में मल्टीलेविल पार्किंग को नगर निगम, लखनऊ को दिनांक 20.12.2021 को हस्तांतरित की जा चुकी है।

विषय संख्या : ५

लखनऊ विकास प्राधिकरण की मोहान रोड आवासीय योजना को निजी विकासकर्ता के माध्यम से लाईसेंस के आधार पर विकसित करने के सम्बन्ध में।

निर्णय :

सम्यक् विचारोपरान्त लखनऊ विकास प्राधिकरण की मोहान रोड आवासीय योजना को लाईसेंस के आधार पर निजी विकासकर्ता में ० ओमेक्स लि० के माध्यम से विकसित किये जाने विषयक प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

अनुपालन :

प्राधिकरण बोर्ड द्वारा लिये गये निर्णय के अनुपालन में मोहान रोड आवासीय योजना का विकास, निजी विकासकर्ता में० ३० ओमेक्स लि० से लाईसेंस के आधार पर कराये जाने हेतु दिनांक 29.12.2021 को Letter of Award जारी कर दिया गया है।

विषय संख्या : ६

उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा-12-के अन्तर्गत मॉडल उपविधि “विकास प्राधिकरण (मुख्य मार्गों से सटे कतिपय भवनों के अग्रभाग की अनुरक्षण एवं सरम्मत) उपविधि-2021” के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में।

निर्णय :

सम्यक् विचारोपरान्त बोर्ड द्वारा उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा-12 -के अन्तर्गत मॉडल उपविधि “विकास प्राधिकरण (मुख्य मार्गों से सटे कतिपय भवनों के अग्रभाग की अनुरक्षण एवं सरम्मत) उपविधि-2021” अंगीकृत किये जाने विषयक प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

अनुपालन :

प्राधिकरण बोर्ड द्वारा लिये गये निर्णय के अनुपालन में प्राधिकरण के पत्र संख्या-620/अपर सचिव/2021 दिनांक 28.12.2021 के माध्यम से अपर सचिव/मुख्य अभियन्ता/मुख्य नगर नियोजक/समस्त अधीक्षण अभियन्ता/समस्त अधिशासी अभियन्ता को पत्र प्रेषित किया गया है।

विषय संख्या : ७

उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा-16 के परन्तुक के अधीन उपविधि बनाये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय :

सम्यक् विचारोपरान्त बोर्ड द्वारा उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा-16 के परन्तुक के अधीन उपविधि बनाये जाने के सम्बन्ध में विकास प्राधिकरणों (योजनाओं के

उल्लंघन में भूमि एवं भवनों का उपयोग जारी रखने हेतु) मॉडल उपविधि-2021 के क्रियान्वयन से सम्बन्धित अधिसूचना के अंगीकरण का प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

अनुपालन :

प्राधिकरण बोर्ड द्वारा लिये गये निर्णय के अनुपालन में प्राधिकरण के पत्र संख्या-619/अपर सचिव/2021 दिनांक 28.12.2021 के माध्यम से अपर सचिव/मुख्य अभियन्ता/मुख्य नगर नियोजक/समर्त अधीक्षण अभियन्ता/समर्त अधिशासी अभियन्ता को पत्र प्रेषित किया गया है।

विषय संख्या : 8

लखनऊ विकास प्राधिकरण के विभिन्न योजनाओं में रिक्त फ्लैटों के फ्रीज मूल्यों की समयवृद्धि 01 वर्ष बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय :

सम्यक् विचारोपरान्त बोर्ड द्वारा लखनऊ विकास प्राधिकरण के विभिन्न योजनाओं में रिक्त फ्लैटों के फ्रीज मूल्यों की समयवृद्धि पुनः 01 वर्ष बढ़ाये जाने पर बोर्ड द्वारा सहमति प्रदान की गई।

अनुपालन :

बोर्ड द्वारा लिये गये निर्णयानुसार अनुपालन किया जा रहा है।

विषय संख्या : 9

मूल्यांकन अनुभाग के कार्यों को सम्पादित किये जाने हेतु आउट-सोर्सिंग से वरिष्ठ सहायक कार्स्ट एकाउन्टेन्ट की सेवायें प्राप्त किये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय :

सम्यक् विचारोपरान्त बोर्ड द्वारा मूल्यांकन अनुभाग के कार्यों को सम्पादित किये जाने हेतु आउट-सोर्सिंग के माध्यम से 01 वरिष्ठ सहायक कार्स्ट एकाउन्टेन्ट की सेवायें (एक वर्ष तक) प्राप्त किये जाने विषयक प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

अनुपालन :

प्राधिकरण बोर्ड द्वारा लिये गये निर्णय के अनुपालन में कार्स्ट एकाउण्टेट की सेवायें प्राप्त किये जाने के सम्बन्ध में नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है।

विषय संख्या : 10

लखनऊ विकास प्राधिकरण के अकेन्द्रियत सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों एवं पारिवारिक पेंशनरों को पेंशन/पारिवारिक पेंशन प्रतिमाह भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय :

सम्यक् विचारोपरान्त बोर्ड द्वारा लखनऊ विकास प्राधिकरण के अकेन्द्रियत सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों एवं पारिवारिक पेंशनरों को पेंशन/पारिवारिक पेंशन के प्रतिमाह भुगतान किये जाने विषयक प्रस्ताव को इस प्रतिबन्ध के साथ अनुमोदित किया गया कि मात्र आवश्यक धनराशि ही अधिष्ठान मद से प्रत्येक माह अकेन्द्रियत पेंशन फण्ड खाते में हस्तान्तरित की जायेगी।

अनुपालन :

प्राधिकरण बोर्ड के निर्णयानुसार अधिष्ठान मद से प्रत्येक माह आवश्यक धनराशि अकेन्द्रियत पेंशन फण्ड खाते में हस्तान्तरित की जायेगी।

विषय संख्या : 11

स्व0 श्री श्रीराम कश्यप, बेलदार की सेवाकाल के दौरान चिकित्सा

पर व्यय धनराशि इनकी पत्नी को प्रतिपूर्ति किये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय :

प्रस्तुत प्रस्ताव सम्बन्धित शासनादेशों/नियमों के आलोक में पुनर्परीक्षण हेतु स्थगित किया गया।

अनुपालन :

बोर्ड द्वारा लिये गये निर्णयानुसार अनुपालन किया जा चुका है।

विषय संख्या : 12

श्री हरि प्रसाद, प्लम्बर की चिकित्सा पर व्यय धनराशि की प्रतिपूर्ति किये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय :

प्रस्तुत प्रस्ताव सम्बन्धित शासनादेशों/नियमों के आलोक में पुनर्परीक्षण हेतु स्थगित किया गया।

अनुपालन :

बोर्ड द्वारा लिये गये निर्णयानुसार अनुपालन किया जा चुका है।

विषय संख्या : 13

मा० अंकुश समिति के समक्ष विचाराधीन प्रकरण बाबत अनार्जित खसरा संख्या-36 क्षेत्रफल 0.190 हेठो स्थित ग्राम—औरंगाबाद खालसा, लखनऊ की भूमि के सम्बन्ध में।

निर्णय :

सम्यक् विचारोपरान्त बोर्ड द्वारा मा० अंकुश समिति के समक्ष विचाराधीन प्रकरण बाबत अनार्जित खसरा संख्या-36 क्षेत्रफल 0.190 हेठो स्थित ग्राम—औरंगाबाद खालसा, लखनऊ की भूमि के सम्बन्ध में निर्देश दिये गये कि मा० अंकुश समिति की बैठक दिनांक 09.11.2021 के कार्यवृत्त के आलोक में प्रस्ताव पुनः आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत किया जाय।

अनुपालन :

प्राधिकरण बोर्ड द्वारा लिये गये निर्णय के अनुपालन में प्रस्ताव पुनः प्रस्तुत किया जा रहा है।

विषय संख्या : 14

विधान सभा की मा० याचिका समिति के समक्ष विचाराधीन गोमती नगर विस्तार योजना, से०-४ के अन्तर्गत समायोजित भूखण्ड संख्या-४ / ३८५—एस, सक्षम स्तर से अनुमोदित न होने के कारण समायोजन निरस्त कर जमा धनराशि ब्याज सहित वापस करने का निर्णय तत्कालीन उपाध्यक्ष द्वारा लिया जा चुका है, अतः आवंटी के पक्ष में आवंटन को पुनर्जीवित कर समायोजन को वैध करते हुए निबन्धन की कार्यवाही करने अथवा आवंटी की जमा धनराशि, धनराशि वापसी की तिथि को प्रचलित आर०बी०आई० के एम०सी०एल०आर० दर पर ब्याज सहित वापस करने के सम्बन्ध में।

निर्णय :

सम्यक् विचारोपरान्त बोर्ड द्वारा निर्देश दिये गये कि विधान सभा की मा० याचिका समिति की बैठक दिनांक 22.11.2021 के कार्यवृत्त के आलोक में प्रस्ताव पुनः आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत किया जाय।

अनुपालन :

प्राधिकरण बोर्ड द्वारा लिये गये निर्णय के अनुपालन में प्रस्ताव पुनः प्रस्तुत किया जा रहा है।

विषय संख्या : 15

गोमती नगर योजना के विक्रान्त खण्ड स्थित बजट होटल को ई—ऑक्शन के माध्यम से लीज पर दिये जाने की अनुमति के सम्बन्ध में।

निर्णय :

सम्यक् विचारोपरान्त बोर्ड द्वारा गोमती नगर योजना के विक्रान्त खण्ड स्थित बजट होटल को ई—ऑक्शन के माध्यम से लीज पर दिये जाने विषयक प्रस्ताव इस शर्त के साथ अनुमोदित किया गया कि इस हेतु कंसलटेन्ट का चयन कर लिया जाय। तत्पश्चात् ई—टेप्डर आमंत्रित कर बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त करते हुए लीज पर दिये जाने के सम्बन्ध में अग्रेतर कार्यवाही की जाय।

अनुपालन :

बोर्ड द्वारा लिये गये निर्णय के अनुपालन में संदर्भित कार्य हेतु कान्सलटेन्ट में जॉले (M/s Jones Lang Lasalle Property Consultants (India) Pvt.Ltd. (JLL), Kolkata) का चयन किया जा चुका है। कान्सलटेन्ट द्वारा आर०एफ०पी० तैयार किया जा रहा है। आर०एफ०पी० प्रस्तुत होने पर ई—निविदा आमंत्रित कर ऑक्शन किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

विषय संख्या : 16

One Map ग्रेटर नोएडा की तर्ज पर One Map लखनऊ तैयार किये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय :

सम्यक् विचारोपरान्त बोर्ड द्वारा One Map ग्रेटर नोएडा की तर्ज पर One Map लखनऊ तैयार किये जाने विषयक प्रस्ताव स्मार्ट सिटी को भेजने के निर्देश दिये गये।

अनुपालन :

प्राधिकरण बोर्ड द्वारा लिये गये निर्णय के अनुपालन में प्राधिकरण के पत्र संख्या—11/OSD(T)/VC/2021 दिनांक 17.12.2021 के माध्यम से मुख्य कार्यकारी अधिकारी, स्मार्ट सिटी, लखनऊ को प्राथमिकता पर One Map तैयार कराये जाने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही कराने हेतु पत्र प्रेषित किया गया है।

अनु०वि०सं० : 01

सी०जी० सिटी चकगंजरिया परियोजना अन्तर्गत विभिन्न प्रयोजनों हेतु भूखण्डों की दर फ्रीज किये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय :

सम्यक् विचारोपरान्त बोर्ड द्वारा सी०जी० सिटी चकगंजरिया परियोजनान्तर्गत विभिन्न प्रयोजनों हेतु भूखण्डों की दर 01 वर्ष तक फ्रीज किये जाने विषयक प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

अनुपालन :

बोर्ड द्वारा लिये गये निर्णयानुसार अनुपालन किया जा रहा है।

अनु०वि०सं० : 02

प्रधानमंत्री आवास योजना के निर्माण एवं विकास कार्य हेतु प्राधिकरण स्त्रोतों से भुगतान करने के सम्बन्ध में।

निर्णय :

सम्यक् विचारोपरान्त बोर्ड द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के निर्माण एवं विकास कार्य हेतु प्राधिकरण स्त्रोतों से भुगतान करने एवं उसका समायोजन शासन से मिलने वाली धनराशि से करने विषयक प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

अनुपालन :

प्राधिकरण बोर्ड द्वारा लिये गये निर्णयानुसार प्रधानमंत्री आवास योजनान्तर्गत निर्माण एवं विकास कार्य हेतु प्राधिकरण स्रोतों से भुगतान की कार्यवाही की जा रही है।

अनु०वि०सं० : 03

लखनऊ विकास प्राधिकरण क्षेत्रान्तर्गत नियोजित कालोनियों में भू-उपयोग परिवर्तन/इम्पैक्ट फीस लेते हुए आवासीय भूखण्डों पर अनावासीय क्रियाओं की अनुमन्यता के सम्बन्ध में।

निर्णय :

सम्यक् विचारोपरान्त बोर्ड द्वारा विकास प्राधिकरण की योजनाओं एवं प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत की गई योजनाओं में महायोजना-2031 के जोनिंग रेगुलेशन्स के अन्तर्गत सामुदायिक, वाणिज्यिक एवं कार्यालय उपयोग जोनिंग रेगुलेशन की समस्त अपेक्षायें पूरी करते हुए महायोजना में निर्दिष्ट प्रभाव शुल्क का दोगुना तथा अन्य शुल्क लेते हुए निर्धारित शर्तों के साथ प्रस्ताव अनुमोदित किया गया, परन्तु इसमें कुछ क्रियाओं यथा—नीलामी बाजार, कोल्ड स्टोरेज (शीतगृह), होटल, मोटल, रिजार्ट, सिनेमा, मल्टीप्लेक्स (बहुसामुच्च), पेट्रोल/डीजल/सीएनजी फिलिंग स्टेशन, गैस गोदाम, गैस अधिष्ठान, जंकयार्ड/कबाड़खाना, भण्डारण गोदाम, वेयर- हाउसिंग, मोटर वाहनों के स्पेयर पार्ट्स की बिक्री हेतु दुकान, वाहन क्रय-विक्रय /कार्यशाला/सहायक सामग्री केन्द्र, औद्योगिक, धर्मशाला, बोर्डिंग/लॉजिंग हाउस, छात्रावास, सभा भवन, सामुदायिक भवन, बारात घर, बंकवेट हॉल की अनुमति नहीं दी जायेगी। यह अनुमन्यता 24मी० व 24मी० से अधिक चौड़े मार्गों पर ही होगी। साथ ही केस टू केस समस्त प्रकरण बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किये जाने के भी निर्देश दिये गये।

अनुपालन :

प्राधिकरण बोर्ड द्वारा लिये गये निर्णय के अनुपालन में प्राधिकरण के पत्र संख्या-621/सचिव/सी०टी०पी०/2021 दिनांक 29.12.2021 के माध्यम से प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-3, उ०प्र० शासन को पत्र प्रेषित किया गया है।

अनु०वि०सं० : 04

लखनऊ विकास प्राधिकरण के कर्मचारियों को वर्तमान समय में मिल रहे वर्दी धुलाई भत्ता एवं अधिकारियों/कर्मचारियों को देय चिकित्सा भत्ते की दरों में वृद्धि के सम्बन्ध में।

निर्णय :

सम्यक् विचारोपरान्त बोर्ड द्वारा लखनऊ विकास प्राधिकरण के कर्मचारियों को वर्तमान समय में मिल रहा वर्दी धुलाई भत्ता रु 50 से बढ़ाकर रु० 150 एवं अधिकारियों/कर्मचारियों को देय चिकित्सा भत्ता रु० 300 से बढ़ाकर रु० 1000 किये जाने की अनुमति प्रदान की गई।

अनुपालन :

बोर्ड द्वारा लिये गये निर्णयानुसार अनुपालन किया जा चुका है।

प्रस्ताव: वित्तीय वर्ष 2021-22 के वास्तविक आय-व्ययक तथा वित्तीय वर्ष 2022-23 का प्रस्तावित आय-व्ययक के स्वीकृति के सम्बन्ध में।


विषय वस्तु: लखनऊ विकास प्राधिकरण का गठन उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम-1973 के अन्तर्गत एक स्वायत्तशासी निकाय के रूप में की गयी है, जिसका मुख्य क्रिया कलाप शहर का सुनियोजित विकास करना, अवस्थापना सुविधायें अनुमन्य कराया जाना, स्ट्रीट लाइट, जलापूर्ति तथा उच्च वर्ग से निम्न आय वर्ग तक के जनमानस को आवास सुविधायें उपलब्ध कराने के साथ ही साथ शासन द्वारा निर्धारित प्राथमिकता के कार्य यथा-प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी एवं अन्य आवंटित विभिन्न प्रकार के निर्माण/विकास कार्य किया जाना है। उक्त कार्यों को सुगमता एवं गुणवत्तापरक रूप से निष्पादित किये जाने हेतु उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-21 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में राजस्व आय ₹0-148.25 करोड़ तथा पूँजीगत आय ₹0-799.93 करोड़ कुल ₹0-948.18 करोड़ की प्राप्ति हुई है तथा व्यय पक्ष में राजस्व मदों में ₹0-171.55 करोड़ तथा पूँजीगत व्यय ₹0-540.38 करोड़ रहा है कुल ₹0-711.93 करोड़ का व्यय किया गया है। वित्तीय वर्ष 2022-23 का अनुमानित आय-व्ययक जिसमें राजस्व आय ₹0-233.00 करोड़ पूँजीगत आय ₹0-1088.02 करोड़ का प्राविधान रखा गया है। राजस्व आय के अन्तर्गत मुख्य रूप से किराये से प्राप्ति, 2% अतिरिक्त स्टैम्प शुल्क, मानचित्रों की स्वीकृति से प्राप्ति, विभिन्न पुस्तिकाओं/टेप्डर की बिक्री से प्राप्ति आदि मद सम्मिलित हैं। इसी प्रकार पूँजीगत आय के अन्तर्गत सम्पत्तियों के आवंटन, पंजीकरण, फ्लैट्स की विक्री, भूमि/भवन के निस्तारण, बल्कसेल, नीलामी से प्राप्ति तथा शासकीय/डिपाजिट कार्य सम्मिलित है।

वित्तीय वर्ष 2022-23 के व्यय पक्ष में अनुमानित राजस्व व्यय ₹0-226.76 करोड़ तथा पूँजीगत व्यय में ₹0-840.60 करोड़ का प्राविधान रखा गया है। राजस्व व्यय के अन्तर्गत वेतन, विज्ञापन, डीजल, पेट्रोल, कार्यालय अनुरक्षण, स्टोर सामग्री, स्टेशनरी एवं अन्य प्रशासनिक व्यय आदि सम्मिलित है। पूँजीगत व्ययों में भूमि अर्जन, भूमि का क्रय, भूमि का विकास, मशीन संयंत्र का क्रय, विभिन्न प्रकार के पूँजीगत निर्माण एवं विकास तथा शासकीय कार्यों हेतु डिपाजिट के रूप में प्राप्त धनराशि के सापेक्ष किये जाने वाले निर्माण एवं विकास व्यय सम्मिलित है। साथ ही नगरीय अवस्थापना सुविधाओं के अन्तर्गत भी कराये जाने वाले कार्य सम्मिलित हैं। शासकीय/डिपाजिट कार्यों हेतु शासन से धनराशि अवमुक्त होने के पश्चात तदनुसार आय पक्ष में बजट प्राविधान माना जायेगा तथा अवमुक्त धनराशि की सीमा के अन्तर्गत ही व्यय पक्ष में बजट प्राविधान माना जायेगा।

अतः उपरोक्तानुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 का वास्तविक आय-व्ययक एवं वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुमानित प्राप्ति ₹0-1321.02 करोड़ एवं अनुमानित व्यय ₹0-1067.36 करोड़ का आय-व्ययक प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष स्वीकृतार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

वित्तीय वर्ष 2021-22 का वास्तविक आय-व्यय
एवं

वित्तीय वर्ष 2022-23 का प्रस्तावित आय-व्ययक



लखनऊ विकास प्राधिकरण
शहर के सुनियोजित विकास के लिए प्रतिबद्ध
हमारा प्रयास-सबको आवास



लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ

बजट वर्ष 2022-23

1. प्राधिकरण का गठन एवं उद्देश्य:

लखनऊ विकास प्राधिकरण का गठन उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-(4) के अन्तर्गत किया गया है तथा धारा-4 (3) के अन्तर्गत प्राधिकरण बोर्ड का गठन किया गया है। उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-7 के अधीन प्राधिकरण का उद्देश्य योजना के अनुसार विकास क्षेत्र को उन्नत एवं विकास करना तथा इस उद्देश्य से भूमि एवं सम्पत्ति को अर्जित करने, धारण करने, प्रवन्ध करने एवं निस्तारित करने, भवन निर्माण, अभियंत्रण, जल, विद्युत एवं अन्य सुविधायें प्रदान करने की शक्ति है। प्राधिकरण बोर्ड का गठन निम्नवत् है:-

1. आयुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ	अध्यक्ष
2. उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ	उपाध्यक्ष
3. प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन	सदस्य (पदेन)
4. प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन	सदस्य (पदेन)
5. महानिदेशक, पर्यटन, उत्तर प्रदेश	सदस्य (पदेन)
6. आवास आयुक्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद	सदस्य (पदेन)
7. जिलाधिकारी, लखनऊ	सदस्य (पदेन)
8. नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ	सदस्य (पदेन)
9. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उ0प्र0 शासन	सदस्य (पदेन)
10. प्रबन्ध निदेशक, जल निगम, (जिसकी स्थापना जल सम्पूर्ति एवं सीधरेज एकट 1975 के अन्तर्गत हुई)	सदस्य (पदेन)
11. संयुक्त/अपर आयुक्त, उद्योग, लखनऊ मण्डल, लखनऊ	सदस्य (पदेन)
12. नगर निगम द्वारा चार चयनित पार्षद/सदस्य	सदस्य (पदेन)
13. लखनऊ विकास प्राधिकरण लखनऊ के दो चयनित सदस्य	सदस्य (पदेन)

2. प्राधिकरण के कार्य कलाप

उ0प्र0 नगर नियोजन विकास अधिनियम-1973 के धारा-7 के अन्तर्गत वर्णित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए विकास प्राधिकरण को विशेष रूप से निम्नांकित कार्यवाही करनी होती है:-

1. भूमि अर्जन।
 2. भूमि विकास।
 3. आवासीय भवनों/दुकानों तथा व्यावसायिक केन्द्रों का निर्माण।
 4. भूमि विकास एवं निर्माण विनियम का पालन सुनिश्चित करना।
 5. शासन के निर्देशों के अनुसार नजूल भूमि तथा सम्पत्ति का प्रबन्ध।
 6. पार्कों का निर्माण/सौन्दर्यीकरण/रख-रखाव तथा वृक्षारोपण।
 7. अवस्थापना सम्बन्धी सुविधाओं का विकास।
 8. शासन द्वारा निर्देशित अन्य कार्य।
3. उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-21 में प्राधिकरण द्वारा वास्तविक प्राप्ति एवं व्यय को दर्शित करते हुए आगामी वित्तीय वर्ष के सम्बन्ध में आय-व्यय के लेखा प्रस्तुत करने का प्राविधान है, उक्त प्राविधान के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 का अनुमानित आय-व्ययक प्रस्तुत है।

आय-पक्ष
राजस्व एवं पूँजीगत

राजस्व आय:

राजस्व आय पक्ष में प्राधिकरण को फ्री-होल्ड शुल्क, लीज रेण्ट, 2 प्रतिशत अतिरिक्त स्टैम्प इयूटी से प्राप्त, विनियोग से प्राप्त व्याज तथा भवन विभाग (मानचित्र स्वीकृति) की आय तथा विभिन्न प्रकार के प्रपत्रों की विक्री व पार्कों से आय आदि सम्मिलित है।

किराये की मद में लीज किराया, भवनों, दुकानों के किराये शामिल हैं। इस मद के प्राविधान पूर्व वित्तीय वर्ष के वास्तविक प्राप्ति, बंकाया तथा बजट वर्ष की मांग पर आधारित है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में ₹0-12.99 करोड़ की आय प्राप्त हुई है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में इस मद में ₹0-41.00 करोड़ की आय का प्रस्ताव रखा गया है। वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु स्टैम्प इयूटी के मद में ₹0-25.00 करोड़ की आय का प्राविधान किया गया था, जिसके सापेक्ष कोई धनराशि प्राप्त नहीं हुई है। वित्तीय वर्ष 2022-23 वाटर सीवर चार्ज/विनियोजन/अन्य व्याज के मद में भी ₹0-22.00 करोड़ का प्राविधान रखा गया है।

भवन विभाग से मानचित्र शुल्क/शमन शुल्क, लाइसेन्स फीस, विकास शुल्क, वाह्य विकास/नगरीय विकास प्रभार तथा जल, मलवा चार्ज/आदि की मदों से आय प्राप्त होती है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में भवन विभाग से ₹0-96.69 करोड़ की आय प्राप्त हुई है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में भवन विभाग के विभिन्न मदों से आय प्राप्त करने हेतु ₹0-147.00 करोड़ का प्रस्ताव रखा गया है।

विभिन्न प्रपत्रों की विक्री एवं नजूल पार्कों तथा अन्य आय के मद में वित्तीय वर्ष 2021-22 में ₹0-19.09 करोड़ की आय प्राप्त हुई। वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक में ₹0-23.00 करोड़ की आय का प्राविधान किया गया है।

इस प्रकार राजस्व के मद में वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक में ₹0-148.25 करोड़ की आय प्राप्त हुई। इसके दृष्टिगत वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक में ₹0-233.00 करोड़ की आय का प्राविधान रखा गया है।

पूँजीगत आय:

पूँजीगत आय की मद में भूमि, भवन, व्यावसायिक केन्द्र की दुकानों की बिक्री, शासन एवं डिपाजिट कार्यों की प्राप्ति दर्शायी जाती है। वर्तमान वर्ष में देय किश्तों की मांग तथा पूर्व वर्ष की बकाया धनराशि तथा बजट वर्ष में नई मांग को ध्यान में रखकर बजट प्राविधान प्रस्तावित किये गये हैं। वित्तीय वर्ष 2022-23 में कानपुर रोड योजना, गोमती नगर विस्तार, मानसरोवर एवं जानकीपुरम विस्तार, सनराइज, सृष्टि अपार्टमेन्ट, सुलभ आवास, पंचशील अपार्टमेन्ट, परिजात अपार्टमेन्ट, सोपान अपार्टमेन्ट, देवपुर पारा में बहुमंजिलीय आवासीय योजना एवं सरयू अपार्टमेन्ट, जनेश्वर इन्क्लेव, सरगम अपार्टमेन्ट, शारदा नगर में बहुमंजिलीय आवासीय योजना आदि की योजनाओं में आय प्राप्त होना प्रस्तावित है।

आवासीय भूखण्डों की बिक्री/किश्तों से वर्ष 2021-22 में ₹0-124.50 करोड़ की आय प्राप्त हुई है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में उक्त मद से ₹0-300.00 करोड़ की आय का बजट में प्रस्ताव किया गया है।

व्यवसायिक भूखण्डों की किश्तें/बिक्री, बल्क सेल मद में वर्ष 2021-22 में ₹0-188.76 करोड़ की आय प्राप्त हुई है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में इस मद से ₹0-300.00 करोड़ की आय प्राप्त करने का प्रस्ताव रखा गया है।

भवनों की किश्तों/बिक्री से प्राप्त होने वाली आय की मद में वर्ष 2021-22 में ₹0-212.04 करोड़ की आय प्राप्त हुई है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में सनराइज, सृष्टि अपार्टमेन्ट, सुलभ आवास, पंचशील अपार्टमेन्ट, परिजात अपार्टमेन्ट, सोपान अपार्टमेन्ट, कल्पतरु अपार्टमेन्ट, देवपुर पारा में बहुमंजिलीय आवासीय योजना एवं सरयू अपार्टमेन्ट, जनेश्वर इन्क्लेव, सरगम अपार्टमेन्ट आदि से ₹0-250.00 करोड़ की आय प्राप्त करने का प्रस्ताव रखा गया है। व्यवसायिक केन्द्र/दुकानों/होटल से प्राप्ति मद में वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक में ₹0-15.00 करोड़ का प्रस्ताव के साथ ही साथ किराये की सम्पत्ति की बिक्री मद में ₹0-1.00 करोड़ की आय प्राप्ति का अनुमान रखा गया है। इसके अतिरिक्त चक गंजरिया परियोजना में एल0आई0जी0/ई0डब्लू0एस0 भवनों की बिक्री एवं भूमि की बिक्री से क्रमशः ₹0-20.00 करोड़ व ₹0-100.00 करोड़ की आय प्रस्तावित की गयी है। प्रधानमंत्री आवास योजना के फ्लैटों की बिक्री से ₹0-50.00 करोड़ का प्राविधान है।

पूँजीगत लेखे के प्रमुख मद पंजीकरण से प्राप्त होने वाली आय है। वर्ष 2021-22 में ₹0-80.91 करोड़ की आय प्राप्त हुई है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में नई योजनाओं के पंजीकरण खोले जाने हैं जिससे ₹0-100.00 करोड़ की आय प्राप्त करने का प्रस्ताव रखा गया है। शासकीय/डिपाजिट कार्यों धनराशि शासन से अवमुक्त होने के पश्चात तदनुसार आय पक्ष में बजट प्राविधान माना जायेगा तथा अवमुक्त धनराशि की सीमा के अन्तर्गत ही व्यय पक्ष में बजट प्राविधान माना जायेगा।

व्यय-पक्ष
राजस्व एवं पूँजीगत

राजस्व व्यय:

राजस्व व्यय के अन्तर्गत अधिष्ठान के वेतन भत्तों का भुगतान तथा प्रकीर्ण व्यय की मदों पर व्यय हेतु वर्ष 2021-22 में ₹0-145.17 करोड़ का प्रस्ताव रखा गया था जिसके सापेक्ष ₹0-120.67 करोड़ का व्यय हुआ। वित्तीय वर्ष 2022-23 में अधिष्ठान के वेतन भत्तों का भुगतान तथा प्रकीर्ण व्यय की मदों पर ₹0-165.00 करोड़ के व्यय का प्रस्ताव आय-व्ययक में रखा गया है। इसके अतिरिक्त सर्वे कार्य एवं सेन्टेज व अन्य व्ययों में क्रमशः ₹0-0.15 लाख व ₹0-4.50 करोड़ का व्यय प्रस्तावित किया गया है।

पूँजीगत व्यय:

1. भूमि अर्जन:

प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं में जो भूमि अर्जित की जाती है उसका प्रतिकर व भूमि क्रय का भुगतान इस मद से किया जाता है। वर्ष 2021-22 में इस मद हेतु ₹0-75.00 करोड़ का बजट प्राविधान रखा गया था जिसके सापेक्ष ₹0-18.15 करोड़ का व्यय हुआ है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं में किया जाना प्रस्तावित है। भूमि का प्रतिकर एवं भूमि क्रय में क्रमशः ₹0-150.00 करोड़ व ₹0-10.00 करोड़ के व्यय का प्राविधान किया गया है।

2. मशीनरी एवं संयंत्रो/फर्नीचर का क्रय

इस मद में वर्ष 2021-22 में कुल प्राविधान ₹0-2.20 करोड़ प्रस्तावित था इसके सापेक्ष ₹0-0.63 करोड़ का व्यय हुआ है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में उपरोक्त मद में ₹0-1.20 करोड़ के व्यय का प्रस्ताव रखा गया है।

3. विकास तथा अनुरक्षण कार्य

गोमती नगर विस्तार योजना, हरदोई रोड योजना, बसन्त कुञ्ज योजना, मानसरोवर योजना, कानपुर रोड योजना, सीतापुर रोड योजना, जानकीपुरम विस्तार तथा अन्य विभिन्न योजनाओं में चल रहे विकास कार्यों को पूर्ण किया जाना है।

वित्तीय वर्ष 2021-22 में विकास कार्य तथा अनुरक्षण हेतु ₹0-512.58 करोड़ का प्राविधान रखा गया था जिसके सापेक्ष ₹0-158.61 करोड़ का व्यय हुआ है तथा वित्तीय वर्ष 2022-23 में ₹0-233.51 करोड़ विकास कार्यों एवं अनुरक्षण पर व्यय करने का प्रस्ताव रखा गया है।

सामान्य योजनाओं में विकास कार्यों के अतिरिक्त, योजनाओं तथा अन्य स्थानों पर मनोरंजन स्थल, सौन्दर्यीकरण, पार्कों का विकास करने के उद्देश्य से निकटवर्ती ग्रामों के विकास इत्यादि हेतु प्रविधान प्रस्तावित किये गये हैं। नगर के विकास के लिए अवस्थापना निधि से कार्य कराये जाने हेतु विकास कार्यों की मद के अन्तर्गत वर्ष 2022-23 में ₹0-50.00 करोड़ का प्राविधान किया गया है। अवस्थापना निधि के अन्तर्गत अवस्थापना समिति द्वारा लिए गये निर्णायानुसार ही अन्तिम प्राविधान माना जायेगा।

भवन निर्माण

लखनऊ विकास प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं में भूमि की उपलब्धता की कमी को देखते हुए प्राधिकरण बोर्ड द्वारा यह निर्णय लिया गया था कि प्राधिकरण द्वारा बहुमंजिले भवनों का निर्माण किया जाय, तदनुसार प्राधिकरण द्वारा मानसरोवर योजना, सीतापुर रोड तथा हरदोई रोड योजना में उपलब्ध भूखण्डों पर बहुमंजिले भवनों के निर्माण हेतु सुलभ आवास, सनराइज अपार्टमेन्ट, सृष्टि अपार्टमेन्ट तथा कबीर नगर (देवपुर पारा), समाजवादी लोहिया आवास योजना तथा प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत का निर्माण किया जा रहा है। निर्माण कार्यों की उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित कराये जाने हेतु भारत की ख्याति प्राप्त कम्पनियों से निर्माण कार्य कराया जा रहा है। उक्त कम्पनियों से निर्माण कार्य कराये जाने से जनमानस में प्राधिकरण के प्रति अधिक विश्वास बढ़ा है। वर्तमान वर्ष 2022-23 में रिक्त सम्पत्तियों एवं नई योजनाओं का पंजीकरण खोलने का प्रस्ताव है।

प्राधिकरण द्वारा भवनों के निर्माण हेतु वर्ष 2021-22 में ₹0-442.73 करोड़ का प्रस्ताव रखा गया था जिसके सापेक्ष ₹0-74.82 करोड़ व्यय हुआ तथा वित्तीय वर्ष 2022-23 में निर्माण कार्यों हेतु ₹0-125.22 करोड़ का प्राविधान किया गया है।


शासकीय/डिपाजिट कार्य:

प्राधिकरण अपनी योजनाओं के विकास कार्य एवं भवन निर्माण के अतिरिक्त शासन की योजनाओं तथा अन्य संस्थाओं के डिपाजिट कार्यों (निर्माण कार्य) को भी बजट में प्राविधानित किया गया है। वर्ष 2021-22 में इस मद में ₹0-566.57 करोड़ का व्यय प्राविधानित किया गया था जिसके सापेक्ष ₹0-120.80 करोड़ का व्यय हुआ है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में शासकीय/डिपाजिट कार्यों धनराशि शासन से अवमुक्त होने के पश्चात तदनुसार आय पक्ष में बजट प्राविधान माना जायेगा तथा अवमुक्त धनराशि की सीमा के अन्तर्गत ही व्यय पक्ष में बजट प्राविधान माना जायेगा।


वित्तीय वर्ष 2021-22 का वास्तविक
तथा वित्तीय वर्ष 2022-23 का प्रस्ताविक आय-व्ययक

(धनराशि रुपये करोड़ में)

क्रमांक	मद का विवरण	वास्तविक	प्रस्तावित	वास्तविक	प्रस्तावित
		2020-21	2021-22	2021-22	2022-23
1	2	3	4	5	6
1	प्रारम्भिक अवशेष	378.87	173.72	393.96	630.21
2	राजस्व आय	119.97	293.50	148.25	233.00
3	पूँजीगत आय	598.95	1,875.53	799.93	1,088.02
4	कुल आय (2+3)	718.92	2,169.03	948.18	1,321.02
	योग (1+4)	1,097.79	2,342.75	1,342.14	1,951.23
5	राजस्व व्यय	165.73	208.36	171.55	226.76
6	पूँजीगत व्यय	538.10	1,711.08	540.38	840.60
7	कुल व्यय (5+6)	703.83	1,919.44	711.93	1,067.36
8	अन्तिम अवशेष	393.96	423.31	630.21	883.87
	योग (7+8)	1,097.79	2,342.75	1,342.14	1,951.23


(दीपक सिंह)

वित्त नियंत्रक


(पवन कुमार गंगवार)
सचिव

आय पक्ष

राजस्व आय

(धनराशि रूपये करोड़ में)

क्रमांक	मद	मद का विवरण	वास्तविक	प्रस्तावित	वास्तविक	प्रस्तावित
			2020-21	2021-22	2021-22	2022-23
1	2	3	4	5	6	7
	10	किराया				
1	101	लैज रेण्ट/फ्री होल्ड शुल्क	22.69	60.00	7.78	30.00
2	102	भवनों/दुकानों/कार्यालय भवनों का किराया	0.57	2.00	0.87	2.00
3	103	सामुदायिक केन्द्रों का किराया	0.43	2.00	0.80	2.00
4	104	इन्डिरा गाँधी प्रतिष्ठान से आय	2.22	7.00	3.54	7.00
		योग	25.91	71.00	12.99	41.00
5	20	स्टाम्प इयूटी से आय	-	25.00	-	-
6	30	योजनाओं के बाटर/सीवर कनेक्शन चार्ज	0.79	1.50	1.17	2.00
7	40	विनियोगों पर ब्याज तथा अन्य ब्याज	12.57	20.00	18.31	20.00
		योग	13.36	46.50	19.48	22.00
	50	भवन विभाग से आय				
8	501	मानचित्र शुल्क	5.40	8.00	4.68	8.00
9	502	लेवी चार्ज	3.34	6.00	2.18	10.00
10	503	समाधान शुल्क (कम्पाउन्डिंग)	12.02	12.00	22.61	30.00
11	504	लाइसेन्स शुल्क	3.71	1.50	2.98	4.00
12	505	सुपरवीजन चार्ज	3.46	7.00	3.91	5.00
13	506	विकास शुल्क/नगरीय विकास/वाह्य विकास शुल्क/सृदृढ़ीकरण	20.58	60.00	33.85	40.00
14	507	मलवा चार्ज	1.60	3.00	2.29	5.00

15	508	एफ0ए0आर0 की विक्री	4.22	30.00	8.99	15.00
16	509	सब डिबीजन चार्जेज	0.68	2.00	1.01	2.00
17	510	भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क	-	5.00	-	5.00
18	511	वन्धा निर्माण शुल्क	0.10	2.50	8.54	10.00
19	512	अवैध निर्माण/अतिक्रमण/ध्वरतीकरण से आय	-	1.00	-	0.50
20	513	सुदृढ़ीकरण शुल्क	3.27	2.50	5.65	7.50
21	514	सेल्टर फीस	-	-	-	5.00
		योग	58.38	140.50	96.69	147.00
	60	<u>अन्य आय/विभिन्न प्रपत्रों से आय</u>				
21	601	रजिस्ट्रेशन प्रपत्रों/नकशे की विक्री से आय	0.56	4.00	0.43	1.00
22	602	ठेकेदार पंजीकरण शुल्क	0.59	1.50	0.46	1.00
23	603	पार्कों से आय (नजूल पार्क सहित)	0.51	4.00	1.13	2.00
24	604	हस्तान्तरण शुल्क	4.94	6.00	2.04	4.00
25	605	अन्य आय/सेन्टेज चार्ज	15.72	20.00	15.03	15.00
		योग	22.32	35.50	19.09	23.00
		राजस्व आय का महायोग	119.97	293.50	148.25	233.00

पूँजीगत आय

(क) प्राधिकरण स्रोतों से आय

(धनराशि रूपये करोड़ में)

क्रमांक	मद	मद का विवरण	वास्तविक	प्रस्तावित	वास्तविक	प्रस्तावित
			2020-21	2021-22	2021-22	2022-23
1	2	3	4	5	6	7
	70	सम्पत्ति के अर्बन्टन से आय				
1	701	आवासीय भूखण्डों की किश्तें एवं विक्री	22.19	250.00	124.50	200.00
2	702	व्यवसायिक भूखण्डों की विक्री एवं वल्क सेल	141.05	350.00	188.76	300.00
3	703	भवनों/फ्लैट्स की विक्री/किश्त से आय	244.37	175.00	212.04	250.00
4	704	व्यवसायिक केन्द्र/दुकानों की किश्तें/विक्री	0.65	20.00	4.28	15.00
5	705	किराये की सम्पत्ति की विक्री	-	1.00	-	1.00
6	706	चक गंजरिया परियोजना में एल0आई0जी0/ई0डब्ल्यू0एस0 भवनों की विक्री से प्राप्ति।	5.98	20.00	15.18	20.00
7	707	चक गंजरिया परियोजना में भूमि विक्री से प्राप्ति।	-	250.00	95.66	100.00
8	708	प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत फ्लैटों की विक्री से आय।	-	50.00	38.70	50.00
		योग	414.24	1,116.00	679.12	936.00
	80	पंजीकरण से आय				
9	801	भवन/भूखण्ड/दुकान	114.60	250.00	80.91	100.00
		योग	114.60	250.00	80.91	100.00
10	100	विविध आय	5.62	5.00	24.87	10.00
		योग	5.62	5.00	24.87	10.00
	200	भवन/वाहन अग्रिम वापसी				-
11	201	कर्मचारियों से भवन ऋण वापसी	0.78	1.00	1.02	1.00
12	202	कर्मचारियों से वाहन ऋण की वापसी	-	0.30	0.02	0.02
13	203	प्रतिभूति/धरोहर/जमानत धनराशि (ठेकेदारों की)	58.53	70.00	12.13	40.00
14	204	इन्द्रा गांधी प्रतिष्ठान की जमानत धनराशि	0.57	1.50	0.68	1.00
		योग	59.88	72.80	13.85	42.02

(ख) शासन से डिपाजिट कार्य हेतु प्राप्त धनराशि

(धनराशि रूपये करोड़ में)

क्रमांक	मद	मद का विवरण	वास्तविक	प्रस्तावित	वास्तविक	प्रस्तावित
			2020-21	2021-22	2021-22	2022-23
1	2	3	4	5	6	7
	300	शासन से डिपाजिट कार्य हेतु प्राप्त धनराशि				
1	305	गोमती नदी से शहीद पथ के किनारे 4 लेन का कार्य (पिपरा घाट)।	-	4.11	0.18	-
2	306	जनेश्वर मिश्र पार्क में सी.सी.टी.वी. सर्विलांस/सुरक्षा का कार्य।	-	3.96	-	-
3	307	सी.जी.सिटी में सी.एस.आई. टावर का निर्माण।	-	55.90	-	-
4	310	सी.जी. सिटी में संस्कृतिक विद्यालय का निर्माण	-	43.24	-	-
5	311	जय प्रकाश नारायण अन्तर्राष्ट्रीय केन्द्र का निर्माण।	-	43.25	-	-
6	318	जनेश्वर मिश्र लखनऊ पार्क (नवीन कार्य वि0/यां0 कार्य सहित)	-	21.50	-	-
7	319	जनेश्वर मिश्र पार्क के लैण्ड स्कैपिंग का कार्य।	-	1.23	-	-
8	324	दुसैनाबाद (पुराना लखनऊ) क्षेत्र में समेकित विकास कार्य।	-	-	-	-
9	329	प्रधानमंत्री आवास योजना (केन्द्र व राज्य से प्राप्त अनुदान)।	-	46.56	-	-
10	330	नादान महल रोड पर नवभारत पार्क में मर्लीलेविल पार्किंग का कार्य	0.87	2.91	-	-
11	338	अलीगंज योजना स्थित कपूरथला में नगर निगम कार्यालय जोन-3 के पौछे स्थित रिक्त प्रथम तल पर भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्राधिकरणों को क्रियाशील किये जाने का कार्य	-	0.42	-	-
12	340	शारदा नगर योजना के रत्न खण्ड में संत गाडगे जलाशय का निर्माण	-	-	-	-
13	343	यातायात सुधार हेतु लखनऊ उत्तरी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत जानकीपुरम योजना के मुख्य एवं जोनल सड़कों पर सड़क सुरक्षा, डिवाइडर, फुटपाथ एवं सड़क सम्बन्धित कार्य।	-	20.60	-	-
14	344	प्रेरणा स्थल का विकास।		50.00	1.00	-
15	345	जानकीपुरम विस्तार योजना सेक्टर-3 स्थित खरगापुर तालाब का पाइलेट प्रोजेक्ट के रूप में बाथो-इंजीनियरिंग कम्पोनेन्ट्स के माध्यम से सुदृढ़ीकरण एवं सौन्दर्यीकरण का कार्य।	-	4.42	-	-

16	345	शारदा नगर विस्तार योजना में प्रधानमंत्री आवास योजना के पहुचमार्ग हेतु विजनौर रोड से किला मोहम्मदी ड्रेन पर स्थित कलवर्ट तक पहुचमार्ग हेतु नाले का बहाव से सड़क की मिटटी को सुरक्षित करने हेतु सड़क व नाली के मध्य दीवार का निर्माण कार्य।		1.56	1.56	-	-
17	346	विजनौर मार्ग पर शारदानगर विस्तार योजना में प्रधानमंत्री आवास योजना के 2256 आवासों हेतु 2 गुणा 5 एम0वी0ए0 33/11 केवीए उपकेन्द्र का निर्माण कार्य।		-	2.18	-	-
18	347	शारदा नगर योजना में प्रधानमंत्री आवास योजना के पहुचमार्ग हेतु किला मोहम्मदी ड्रेन पर स्थित कलवर्ट से प्रस्तावित स्थल तक नाले का बहाव से सड़क की मिटटी को सुरक्षित करने हेतु सड़क व नाली के मध्य दीवार का निर्माण कार्य करते हुए सड़क सुदृढ़ीकरण का कार्य।		2.06	2.06	-	-
19	349	ज्लाट नं0 17 विभूति खण्ड के समाने बाउण्ड्रीवाल का निर्माण		0.08		-	-
20	350	नीबू वाग पार्क में 132 के0वी0ए0 सब स्टेशन को स्थानान्तरित करने के सम्बन्ध में।		-	3.79	-	-
21	351	यू0पी0 प्रेस वलब हजरतगंज के सम्मुख स्थित लक्ष्मण पार्क का सौन्दर्यीकरण का कार्य।		-	2.06	-	-
22	352	जोनेश्वर मिथ पार्क के ऊपर से गुजरने वाली 132 के0वी0 डबल सर्किट को हटाने का कार्य।		-	5.50	-	-
23	353	गोतमबुद्ध स्थित पुराना आर0टी0ओ0 परिसर में मल्टीलेवल भूमिगत पार्किंग का निर्माण कार्य।		-	-	-	-
24	354	कोनेश्वर चौराहे के पास फायर स्टेशन स्थित नजूल भूमि पर पार्किंग का निर्माण कार्य।		-	-	-	-
25	355	पुराना हैदराबाद स्थित हुनमान सेतु मंदिर के निकट प्रधानमंत्री आवास योजना का कार्य।		-	-	-	-
26	356	ग्री कारिडोर का निर्माण		-	-	-	-
		योग	4.57	315.25	1.18	-	-
		शासकीय आय का कुल योग	4.57	315.25	1.18	-	-

	500	डिपाजिट कार्य				
1	503	मा० मुख्यमंत्री जी तथा शासन के कार्यक्रम से सम्बन्धित व्यय।	-	0.20	-	-
2	504	अन्य डिपाजिट कार्य।	-	1.00	-	-
3	506	प्रधानमंत्री आवास योजना	-	105.28	-	-
4	508	पुराने आर०टी०ओ० आफिस कम्पाउण्ड में भूमिगत पार्किंग का निर्माण कार्य।	-	10.00	-	-
5	509	युवा महोत्सव	0.04	-	-	-
		योग	0.04	116.48	-	-
		महायोग	598.95	1,875.53	799.93	1,088.02

शासकीय/डिपाजिट कार्यों हेतु शासन से धनराशि अवमुक्त होने के पश्चात तदनुसार आय पक्ष में बजट प्राविधान माना जायेगा तथा अवमुक्त धनराशि की सीमा के अन्तर्गत ही व्यय पक्ष में बजट प्राविधान माना जायेगा।

व्यय पक्ष

राजस्व व्यय

(धनराशि रूपये करोड़ में)

क्रमांक	मद	मद का विवरण	वास्तविक	प्रस्तावित	वास्तविक	प्रस्तावित
			2020-21	2021-22	2021-22	2022-23
1	2	3	4	5	6	7
1	1000	अधिष्ठान के वेतन भत्ते	119.43	145.17	120.67	165.00
	1100	प्रकीर्ण व्यय				
1	1101	स्टेशनरी स्टोर/मास्टर प्लान एवं जोनल प्लान की छपाई	0.93	1.00	0.72	1.00
2	1102	विधिक व्यय	1.35	2.00	1.81	2.00
3	1103	वर्द्धी	-	0.05	-	0.05
4	1104	टेलीफोन	0.57	1.00	0.44	0.75
5	1105	विजली	1.30	4.00	1.77	2.50
6	1106	विज्ञापन	2.10	4.00	4.49	5.00
7	1107	कम्प्यूटर आदि का रख-रखाव	0.32	0.50	0.55	0.60
8	1108	कम्प्यूटर संचालन पर व्यय	1.19	1.50	0.88	1.00
9	1109	जलपान व्यय	0.09	0.10	0.25	0.15
10	1111	क्रीड़ा/प्रतियोगिताओं हेतु	0.02	0.02		0.02
11	1112	पुस्तकालय/पत्रिका/समाचार पत्र	-	0.01	-	0.01
12	1113	स्थानीय गृहकर एवं जलकर	6.00	1.00	1.24	1.50
13	1114	सामान्य स्टोर क्रय	0.52	0.50	0.44	0.50
14	1115	विविध व्यय	1.82	6.00	2.97	3.50
15	1116	उपाध्यक्ष विवेकाधीन कोष	-	0.05	-	0.05
16	1117	मानदेय	0.02	0.01	0.01	0.01

17	1118	सुरक्षा	8.62	8.00	7.06	8.00
18	1119	आनलाइन मैप शुल्क की वापसी	0.80	3.00	0.16	0.50
19	1120	अवैध निर्माण तोड़ने एवं मलवा हटाने पर व्यय	-	1.00	-	0.50
20	1121	गाड़ियों के किराये पर व्यय	0.05	1.00	1.15	1.25
1200 मशीनरी/वाहन मरम्मत/डीजल आदि पर व्यय						
1	1201	वाहन/मशीन तथा अन्य मरम्मत	1.78	1.50	0.50	0.75
2	1202	पेट्रोल/ईंधन पर व्यय	1.15	1.50	1.18	1.50
1300 रख-रखाव						
1	1301	कार्यालय भवन का रख-रखाव	1.10	2.00	1.74	2.00
2	1302	सामुदायिक केन्द्र का रख-रखाव	0.43	0.50	-	0.25
3	1303	नजूल पार्कों के रख-रखाव पर व्यय	2.48	2.50	2.05	2.50
4	1304	सीवरेज/जल सम्पूर्ति संचालन एवं रख-रखाव	-	0.25	-	0.10
5	1305	इन्दिरा गांधी प्रतिष्ठान से सम्बन्धित समस्त व्यय	7.48	7.00	3.59	5.00
6	1306	विद्युत अनुरक्षण	1.64	3.00	1.49	2.00
7	1307	एलओडीओ रसेडियम का अनुरक्षण	-	0.10	-	0.10
1400 जमानत धनराशि वापसी						
1	1401	अर्नेस्ट मनी/जमानत (ठेकेदारों की) वापसी	1.92	5.00	10.25	12.00
2	1402	सामुदायिक केन्द्र की जमानत वापसी	0.01	0.50	0.02	0.02
3	1403	इन्दिरा गांधी प्रतिष्ठान की जमानत धनराशि वापसी	0.93	1.50	1.72	2.00
1600 नियोजन						
1	1601	सर्वे कार्य	0.06	0.10	0.11	0.15
2	1602	अन्य व्यय/सेन्टेज से व्यय	1.62	3.00	4.29	4.50
		राजस्व व्यय का कुल योग	165.73	208.36	171.55	223.76

पूँजीगत व्यय

(क) प्राधिकरण स्रोतों से व्यय

(धनराशि रु० करोड़ में)

क्रमांक	मद	मद का विवरण	वास्तविक	प्रस्तावित	वास्तविक	प्रस्तावित
			2020-21	2021-22	2021-22	2022-23
1	2	3	4	5	6	7
		1700 भूमि अर्जन/लैण्ड बैंक का सुजन				
1	1701	भूमि का प्रतिकर	16.29	50.00	18.15	150.00
2	1702	भूमि का क्रय	-	25.00	-	10.00
			योग	16.29	75.00	18.15
2	1800	वाहन/मशीन/संयंत्र क्रय				
1	1801	मशीनरी संयंत्र/हल्के एवं भारी वाहनों का क्रय	0.55	1.50	0.07	0.50
2	1802	कम्प्यूटर/साप्टवेयर/ हार्डवेयर क्रय	0.24	0.50	0.41	0.50
3	1803	फर्नीचर	0.34	0.20	0.15	0.20
			योग	1.13	2.20	0.63
	1900	भूमि विकास कार्य पर व्यय				
1	1901	विकास कार्यों पर व्यय योजनावार (पृष्ठ संख्या-23, 24)	143.44	358.50	103.47	199.54
2	1902	योजनाओं के अनुरक्षण पर व्यय (पृष्ठ संख्या-25, 26)	3.45	54.08	9.34	33.37
3	3600	अवस्थापना निधि से व्यय।	24.75	100.00	45.80	50.00
			योग	171.64	512.58	158.61
	2000	निर्माण पर व्यय				
1	2001	निर्माण कार्य योजनावार (पृष्ठ संख्या-27, 28, एवं 29)	184.98	442.73	74.82	125.22
			योग	184.98	442.73	74.82
						125.22

	2100	पंजीकरण एवं अन्य वापसी				
1	2101	जमा धन/पंजीकरण की वापसी	61.06	100.00	158.15	150.00
2	2102	भवन अग्रिम	0.51	1.00	0.51	3.00
3	2200	अन्य व्यय	2.52	1.00	-	0.50
		योग	64.09	102.00	158.66	153.50
1	2400	आयकर विभाग में जमा।	26.81	10.00	-	-
2	2500	जनेश्वर मिश्र पार्क समिति को ऋण	-	-	-	-
3	2501	ऐशन फण्ड को ऋण।	-	-	8.71	-
		योग	26.81	10.00	8.71	-
		प्राधिकरण स्रोतों से व्यय का योग	464.94	1,144.51	419.58	723.43

(ख) शासन के डिपाजिट कार्य के व्यय

(धनराशि रु० करोड़ में)

क्रमांक	मद	मद का विवरण	वास्तविक	प्रस्तावित	वास्तविक	प्रस्तावित
			2020-21	2021-22	2021-22	2022-23
1	2	3	4	5	6	7
	3000	शासन के डिपाजिट कार्य				
1	3010	लखनऊ नगर का समग्र विकास।	0.57	29.91	0.58	0.50
2	3061	गोमती नदी से शहीद पथ के किनारे 4-लेन का कार्य (पिपरा घाट)।	3.23	5.19	0.18	4.38
3	3062	जनेश्वर मिश्र पार्क में नवीन कार्य।	-	21.50	-	-
4	3063	सी.जी.सिटी में सी.एस.आई.टावर-3 का निर्माण।	-	55.73	-	-
5	3065	सी.जी.सिटी में सांस्कृतिक स्कूल का निर्माण।	-	43.04	-	-
6	3066	जय प्रकाश नारायण अन्तर्राष्ट्रीय केन्द्र।	-	43.25	-	-
7	3071	जनेश्वर मिश्र पार्क में सी.सी.टी.वी./सुरक्षा का कार्य।	-	3.96	-	-
8	3075	गोमती रिवर फ़्लॉट का विकास कार्य	6.56	14.13	2.44	2.50
9	3076	जनेश्वर मिश्र पार्क में लैण्ड स्कैपिंग का कार्य।	-	1.23	-	-
10	3082	पुराने लखनऊ के हुसैनाबाद का समेकित विकास कार्य।	5.74	43.00	1.31	15.00
11	3084	सी.जी. सिटी (चक गंजरिया) विकास पर व्यय।	10.68	108.80	11.55	5.00
12	3085	ज्योतिबाफुले पार्क में भूमिगत पार्किंग का निर्माण।	0.14	-	0.09	1.00
13	3090	विनीत खण्ड भवन संख्या-182 के सामने पार्क का मरम्मत कार्य।	-	-	0.04	-
14	3091	नादान महल रोड पर नवभारत पार्क में मल्टीलेविल पार्किंग का कार्य	9.42	5.01	0.10	4.11
15	3093	विनीत खण्ड एवं विराम खण्ड 5 के मध्य सर्विस रोड का निर्माण कार्य	-	-	0.20	-

16	3096	लखनऊ विकास क्षेत्र तथा उ0प्र0 के समस्त वि0प्रा0 के विकास क्षेत्र तथा नगर क्षेत्र में अवस्थापना सविधाओं के विकास सम्बन्धी कार्य हेतु धनराशि की व्यवस्था (चालू याजनाये)	-	2.00	-	-
17	3097	अलीगंज योजना स्थित कपूरथला में नगर निगम कार्यालय जोन-3 के पीछे स्थित रिक्त प्रथम तल पर भूमि अर्जन पुर्ववासन और पुर्वव्यवस्थापन प्राधिकरणों को क्रियाशील किये जाने का कार्य	-	0.42	-	-
18	3100	कांशीराम निर्बल (बी0एस0यू0पी0) आय आवास योजना हरदोई रोड	2.10	-	-	-
19	3102	प्रधानमंत्री आवास योजना	27.61	81.00	94.84	75.00
20	3103	लखनऊ में जानकीपुरम विस्तार में अटल चौराहे से 60 किटा रोड तक सड़क सुदृढ़ीकरण का कार्य	0.33	-	-	-
21	3104	यातायात सुधार हेतु लखनऊ उत्तरी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत जानकीपुरम योजना के मुख्य एवं जोनल सड़कों पर सड़क सुरक्षा, डिवाइडर, फुटपाथ एवं सड़क सम्बन्धित कार्य।	-	20.60	-	-
22	3105	जानकीपुरम विस्तार योजना सेक्टर-3 स्थित खरगापुर तालाब का पाइलेट प्रोजेक्ट के रूप में बायो-इंजीनियरिंग कम्पोनेन्ट्स के माध्यम से सुदृढ़ीकरण एवं सौन्दर्यकरण का कार्य।		4.42		4.42
23	3107	प्रेरणा स्थल का विकास	-	50.00	-	1.00
24	3108	पुराने आर0टी0ओ0 कम्पाउण्ड में भूमिगत पार्किंग का निर्माण कार्य।	-	10.00	-	-
25	3109	गोमती नगर योनजा के फेस-2 विशूति खण्ड में भूखण्ड संख्या-टी.सी.17वी पर बाउन्ड्रीवाल का निर्माण कार्य।	0.08	0.21		
26	3110	युवा महोत्सव	0.54	-	-	-
27	3111	शहीदपथ से बाधामऊ तक पुल का निर्माण।	3.00	-	4.00	-
28	3113	शारदा नगर विस्तार योजना में प्रधानमंत्री आवास योजना के पहुचमार्ग हेतु बिजनौर रोड से किला मोहम्मदी ड्रेन पर स्थित कलवर्ट तक पहुचमार्ग हेतु नाले का बहाव से सड़क की मिटटी को सुरक्षित करने हेतु सड़क व नाली के मध्य दीवार का निर्माण कार्य।	2.16	3.12	2.25	0.38

29	3114	बिजनौर मार्ग पर शारदानगर विस्तार योजना में प्रधानमंत्री आवास योजना के 2256 आवासों हेतु 2 गुणा 5 एम०वी०ए० 33/11 केवीए उपकेन्द्र का निर्माण कार्य।	-	4.36	0.41	1.76
30	3115	शारदा नगर योजना में प्रधानमंत्री आवास योजना के पहुचमार्ग हेतु किला मोहम्मदी ड्रेन पर स्थित कलवर्ट से प्रस्तावित स्थल तक नाले का बहाव से सड़क की मिटटी को सुरक्षित करने हेतु सड़क व नाली क मध्य दीवार का निर्माण कार्य करते हुए सड़क सुदृढ़ीकरण का कार्य।	0.91	4.12	2.70	2.12
31	3116	डिफेन्स एक्सपो	0.09	-	-	-
32	3117	यू०पी० प्रेस कलब हजरतगंज के समुख स्थित लक्ष्मण पार्क का सौन्दर्यीकरण का कार्य।	-	2.28	-	-
33	3118	नीबू बाग पार्क में 132 के०वी०ए० सब स्टेशन को स्थानान्तरित करने के सम्बन्ध में।	-	3.79	-	-
34	3119	जनेश्वर मिश्र पार्क के ऊपर से गुजरने वाली 132 के०वी० डबल सर्किट को हटाने का कार्य।	-	5.50	-	-
35	3120	गौतमबुद्ध स्थित पुराना आर०टी०ओ० परिसर में मल्टीलेवल भूमिगत पार्किंग का निर्माण कार्य।	-	-	-	-
36	3121	कोनेश्वर चौराहे के पास फायर स्टेशन स्थित नजूल भूमि पर पार्किंग का निर्माण कार्य।	-	-	-	-
37	3122	पुराना हैदराबाद स्थित हुनमान सेतु मंदिर के निकट प्रधानमंत्री आवास योजना का कार्य।	-	-	-	-
38	3123	फ्लाई ओवर हैदरगढ़ से चरक पोल शिपिंग का कार्य।	-	-	0.02	-
39	3124	भूखण्ड संख्या-17 विभूति खण्ड की बाउण्ड्रीवाल का निर्माण कार्य।	-	-	0.09	-
		कुल योग	73.16	566.57	120.80	117.17
		पूँजीगत व्यय का कुल योग	538.10	1,711.08	540.38	840.60

शासकीय/डिपार्जिट कार्यों हेतु शासन से पूर्व में अवमुक्त धनराशि के अवशेष व्यय तथा वर्तमान वित्तीय वर्ष में धनराशि अवमुक्त होने के पश्चात तद्दनुसार आय पक्ष में बजट प्राविधान माना जायेगा तथा अवशेष धनराशि एवं अवमुक्त धनराशि की सीमा के अन्तर्गत ही व्यय पक्ष में बजट प्राविधान माना जायेगा।

वित्तीय वर्ष 2022-23 का प्रस्तावित अधिष्ठान पर व्यय प्रस्ताव

परिशिष्ट-अ

(धनराशि रुपये करोड़ में)

बजट कोड	क्रमांक	विभाग/मद का नाम	कार्यरत् अधिकारी/ कर्मचारी	प्रस्तावित
1001	1	लेखा अनुभाग	35	3.87
1002	2	कैम्प कार्यालय	142	10.59
1003	3	अर्जन अनुभाग	28	2.22
1004	4	बल्क सेल	5	0.66
1005	5	कॉल सेन्टर	1	0.05
1006	6	केन्द्रीय डाक एवं प्रेषण	11	0.82
1007	7	व्यवसायिक सेल	13	1.06
1008	8	गणना अनुभाग	13	1.19
1009	9	अभियंत्रण खण्ड	476	49.44
1010	10	संगणक अनुभाग	20	2.30
1011	11	अधिष्ठान अनुभाग	55	4.55
1012	12	स्टोर	5	0.39
1013	13	आई0जी0आर0एस0 सेल	6	0.55
1014	14	जन सूचना अनुभाग	15	1.45
1015	15	विधि अनुभाग	30	2.57
1016	16	ल0वि0प्रा0/मेट्रो सेल	1	0.06
1017	17	मानवित्र सेल-1	26	3.97
1018	18	नगर महापालिका ट्रिबुनल	5	0.58
1019	19	नजूल अनुभाग	21	1.76
1020	20	पी0बी0एक्स अनुभाग	7	0.56
1021	21	पेन्शन सेल	5	0.43
1022	22	पिंक डेस्क	2	0.14

1023	23	नियोजन अनुभाग	28	3.23
1024	24	सम्पत्ति अनुभाग	61	4.68
1025	25	पुलिस प्रकोष्ठ	8	0.86
1026	26	प्रभारी अधिकारी-रेरा	3	0.28
1027	27	जन सम्पर्क अधिकारी	13	1.01
1028	28	पी0आई0यू०	2	0.05
1029	29	रिकार्ड अनुभाग	23	0.30
1030	30	रजिस्ट्री सेल	6	0.62
1031	31	रेण्ट अनुभाग	49	3.78
1032	32	रेरा जनपथ	1	0.16
1033	33	सचिवालय व अन्य	13	0.90
1034	34	ट्रस्ट अनुभाग	12	1.13
1035	35	उद्यान-जी०	257	17.18
1036	36	अर्बन सीलिंग	1	0.11
1037	37	विहित प्राधिकारी	13	1.00
1038	38	वर्कचार्ज कर्मचारी/दैनिक वेतन भोगी	39	1.88
1039	39	संविदा मृतक आश्रित	11	0.45
1040	40	संविदा चालक	2	0.08
1041	41	चिकित्सक	2	0.05
1042	42	कर्मचारी कल्याण कोष अंशदान	0	0.24
1043	43	यात्रा भत्ता	0	0.30
1044	44	चिकित्सा प्रतिपूर्ति	0	2.00
1045	45	पेन्शन अंशदान	0	35.50
1046	46	भवन अग्रिम	0	3.00
			योग	1466
				168.00

वर्ष 2022-23 में विकास कार्यों पर व्यय प्रस्तावः

कोड संख्या-1901

परिशिष्ट-'क'

(धनराशि रुपये करोड़ में)

क्रमांक	बजट कोड	योजना का नाम	भूमि विकास सङ्क निर्माण	मल, नाली जलोत्सारण सम्प्रवेल	जल सम्पूर्ति	वि०/वाँ० द्वारा जल सम्पूर्ति	पार्क/ पार्किंग	विद्युतीकरण	गाँवों का विकास	विकसित कार्यों के अनुरक्षण पर व्यय	योग
			19010	19020	19030	19040	19050	19060	19070	19080	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	190101	गोमती नगर विस्तार	5.00	2.50	2.50	1.50	1.00	2.50	1.00	1.50	17.50
2	190102	हरदोई रोड योजना बसन्त कुन्ज	35.00	15.00	5.00	3.39	5.00	10.00	0.50	1.00	74.89
3	190103	मानसरोवर योजना	0.50	0.25	0.10	0.80	0.10	0.55	-	5.00	7.30
4	190104	ट्रान्सपोर्ट नगर	2.50	0.25	-	0.30	-	0.50	-	0.15	3.70
5	190105	कानपुर रोड सेक्टर-आई/जे एवं एल।	0.75	-	-	0.50	-	0.50	-	0.25	2.00
6	190106	सीतापुर रोड सेक्टर-एच एवं जे	2.50	-	0.60	-	0.45	-	0.30	1.00	4.85
7	190107	जानकीपुरम् योजना/जानकीपुरम् विस्तार सेक्टर-1 से 11 तक एवं सृष्टि अपार्टमेन्ट।	2.50	1.00	-	-	1.00	1.60	0.25	1.00	7.35
8	190108	कबीर नगर देवपुर पारा	2.00	4.00	1.00	1.00	1.00	4.00	2.00	-	15.00
9	190109	सी०जी० सिटी योजना	5.00	5.00	5.00	-	1.00	1.00	-	2.00	19.00
10	190110	शारदा नगर योजना	0.50	-	-	-	-	-	-	-	0.50
11	190111	अलीगंज एवं सीतापुर रोड योजना सेक्टर ए से ई तक	-	-	-	-	-	0.60	-	0.50	1.10
12	190112	रत्न खण्ड, (शारदा नगर योजना)	0.50	2.00	-	0.50	-	0.50	-	0.50	4.00

13	190113	प्रबन्ध नगर		2.50	0.50	0.50	-	0.50	1.00	0.50	-	5.50
14	190115	विभूति/विकल्प/विजयन्त खण्ड		-	-	-	1.00	-	1.00	-	2.00	4.00
15	190116	प्रियदर्शिनी योजना/अलीगंज/सोपान इन्वलेव		-	-	-	-	-	1.00	-	-	1.00
16	190117	मोहन रोड योजना		5.00	-	-	-	-	-	2.50	-	7.50
17	190118	सिन्डर्स डम्प योजना		0.50	0.05	-	-	-	-	-	-	0.55
18	190119	नेहरु इन्वलेव का विकास कार्य		-	-	-	-	-	-	-	0.50	0.50
19	190120	शारदा नगर विस्तार योजना		1.50	2.00	0.50	0.70	-	2.50	-	0.50	7.70
20	190129	गोमती नगर विस्तार योजना पार्कों, ग्रीन वेल्ट एवं सड़कों से सम्बन्धित औद्यानिक कार्य		-	-	-	-	2.00	-	-	-	2.00
21	190130	गोमती नगर योजना फेज-1 व 2		2.50	1.00	-	1.00	1.00	1.00	-	1.50	8.00
22	190131	जोनल पार्क का विद्युत अनुरक्षण (विद्युत बिल सहित)		-	-	-	-	-	1.00	-	-	1.00
23	190132	जियामऊ में विभिन्न कार्यों के विकास हेतु।		2.00	0.70	0.50	-	0.50	0.50	-	0.50	4.70
24	190133	कानपुर रोड योजना के डी-1 में विकास कार्य।		0.50	0.50	-	-	-	-	-	-	1.00
25	190134	गोमती नगर विस्तार योजना सेक्टर-7 में सी0बी0डी0 का विकास कार्य।		5.00	-	-	-	-	-	-	-	5.00
		योग		76.25	34.75	15.70	10.69	13.55	29.75	7.05	17.90	199.64

वर्ष 2022-23 में विकास कार्यों के अनुरक्षण पर व्यय प्रस्ताव
कोड संख्या-1902

परिशिष्ट-ख
(धनराशि रूपये करोड़ में)

क्रमांक	कोड संख्या	विवरण	प्रस्तावित
			2022-23
1	2	3	4
		पिछले पृष्ठ का योग	199.64
24	190901	महानगर योजना में सीवरेज पम्प संचालन।	1.00
25	190902	गोमती नगर विस्तार योजना के बाढ़ सुरक्षा हेतु बन्धे का निर्माण	1.00
26	190904	योजनाओं का नगर निगम को हस्तान्तरण।	2.50
27	190905	विकास दीप काम्लेक्स का सुधार/निर्माण/(वि०/याँ०)/विद्युत बिल	1.00
28	190906	अहस्तान्तरित योजनाओं में मार्ग प्रकाश के संचालन एवं अनुरक्षण हेतु/विद्युत बिल	0.20
29	190907	अतिक्रमण से मुक्त भूमि का विकास।	1.00
30	190908	अलीगंज स्टेडियम/नेहरू बाल वाटिका का विद्युत/अन्य अनुरक्षण/विद्युत बिल	0.30
31	190910	विभिन्न योजनाओं में कलोरीनेशन।	0.05
32	190911	नजूल पार्कों/जागर्स पार्क/जोनल पार्क का विद्युत/सिविल अनुरक्षण/विद्युत बिल	5.50
33	190912	वृक्षारोपण का कार्य।	1.17
34	190913	डॉ राम मनोहर लोहिया पार्क गोमती नगर का अनुरक्षण/विद्युत कार्य/विद्युत बिल	3.50
35	190915	पुरानी सम्पत्तियों के अनुरक्षण पर व्यय।	0.30
36	190916	कैलास कुन्ज व्यवसायिक केन्द्र का विद्युत/सिविल सुधार कार्य/विद्युत बिल	0.50

37	190917	सेक्टर-एच स्थित बैडमिन्टन हाल/पार्क/बिजली पासी किला के समुख सेक्टर-के में निर्मित पार्क का रख-रखाव/विद्युत बिल	0.05
38	190918	कानपुर रोड योजना स्मृति उपवन/गौतम बुद्ध शान्ति उपवन/वनस्थली पार्क/विद्युत बिल	1.00
39	190919	कानपुर रोड सेक्टर-डी-1/जी के मध्य राष्ट्रीय विधि संस्थान के समुख पार्किंग का रख-रखाव/विद्युत बिल	0.50
40	190920	डा० राम मनोहर लोहिया विधि संस्थान स्थित डा० भीमराव उम्बेडकर आडिटोरियम का रख-रखाव/विद्युत बिल	1.00
41	190921	मल्टीलेबिल पार्किंग/भूमिगत पार्किंग हेतु विद्युत व्यय/अन्य अनुरक्षण/विद्युत बिल	1.00
42	190922	लखनऊ नगर का समग्र विकास।	0.10
43	190923	जलसंस्थान को नलकूप का हस्तान्तरण	1.50
44	190924	शिफटिंग आफ हाइटेंशन लाइन	1.00
45	190925	चकगंजरिया (उधान कार्य)	0.50
46	190927	नजूल सम्पत्तियों को कब्जा लेने पर व्यय	0.25
47	190928	सोलर प्लान्ट, पी०ए० साउण्ड सिस्टम	0.45
48	190929	गोमती नगर विस्तार योजना में पार्कों, ग्रीनबेल्ट एवं सड़कों से सम्बन्धित औद्यानिक कार्य।	1.00
49	190931	रिफाहे आम क्लब की भूमि पर प्रस्तावित आवासीय/व्यवसायिक निर्माण/विकास कार्य।	7.50
		योग	33.87
		महायोग	233.51

वर्ष 2022-23 में निर्माण कार्य एवं अनुरक्षण पर व्यय प्रस्तावः

कोड संख्या-2001

परिशिष्ट-'ग'

(धनराशि रूपये करोड़ में)

क्रमांक	बजट कोड	योजना का नाम	विभिन्न श्रेणी के प्लैट	बहुमंजिले भवन	अर्फोडेबल/ दुर्बल आय भवन	व्यावसायिक केन्द्र	सामुदायिक केन्द्र	अनुरक्षण पर व्यय	योग
				20010	20020	20050	20080	20090	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	200101	गोमती नगर विस्तार योजना	-	-	1.00	1.00	0.75	0.25	3.00
2	200102	हरदोई रोड योजना बसन्त कुन्ज	-	-	2.50	1.00	0.50	2.00	6.00
3	200103	मानसरोवर	-	5.00	-	1.00	1.02	-	7.02
4	200104	कानपुर रोड	-	2.50	-	0.25	1.50	-	4.25
5	200105	ऐशबाग टावर्स एवं ऐशबाग में मिल रोड पर अर्फोडेबल हाउसिंग योजना एवं विकास कार्य।	-	7.50	2.50	-	-	0.10	10.10
6	200106	सृष्टि अपार्टमेन्ट	-	3.00	-	-	-	0.45	3.45
7	200107	शारदा नगर योजना	-	3.00	-	-	1.00	0.50	4.50
8	200108	सीतापुर रोड योजना	-	-	0.50	-	-	-	0.50
9	200109	जानकीपुरम विस्तार/जनेश्वर इनव्हेल	-	1.80	1.00	-	2.50	2.20	7.50
10	200110	प्रियदर्शिनी योजना/अलीगंज/सोपान इन्व्हेल	-	2.00	-	-	-	1.50	3.50
11	200111	रतन खण्ड	-	2.00	-	1.50	-	0.50	4.00
12	200112	ट्रान्सपोर्ट नगर	-	-	1.00	-	-	-	1.00

13	200114	सरयू अपार्टमेन्ट	-	1.50	-	-	-	-	-	1.50
14	200115	ग्रीनवुड/कल्पतरु अपार्टमेन्ट	-	1.00	-	-	-	-	-	1.00
15	200117	रिवर-व्यू अपार्टमेन्ट	-	1.00	-	-	-	-	-	1.00
16	200118	स्मृति अपार्टमेन्ट	-	2.50	-	-	-	-	1.65	4.15
17	200119	सरगम अपार्टमेन्ट	-	0.60	-	-	-	-	0.60	1.20
18	200120	देवपुर पारा कबीर नगर	20.00	-	-	2.65	-	-	-	22.65
19	200121	गोमती नगर योजना/फेस-1 एवं 2 (पंचशील)	3.50	-	1.00	1.00	1.00	-	-	6.50
20	200122	पारिजात अपार्टमेन्ट	-	10.00	-	-	-	-	-	10.00
21	200124	सी.जी. सिटी में ई.डब्लू.एस./एल.आई.जी. भवनों का निर्माण।	-	5.00	2.50	-	-	-	-	7.50
22	200125	सुलभ आवास, ड्रान्सपोर्ट नगर	-	1.00	-	-	-	-	-	1.00
23	200126	पंचशील अफोर्डेबल सीतापुर रोड योजना	-	-	0.50	-	-	-	-	0.50
24	200127	धेनुमति अपार्टमेन्ट, डालीबाग, लखनऊ	-	-	-	-	-	-	0.60	0.60
25	200131	विभूति खण्ड/विकल्प खण्ड के मल्टीस्टोरी भवनों का निर्माण	-	1.00	-	-	-	-	-	1.00
26	200132	सुलभ आवास गोमती नगर	-	-	1.00	-	-	-	-	1.00
27	200133	सुलभ आवास जानकीपुरम् विस्तार योजना सेक्टर-5	-	1.00	-	-	-	-	1.00	2.00
			योग	23.50	51.40	13.50	8.40	8.27	11.35	116.42

वर्ष 2022-23 में निर्माण कार्यों तथा अनुरक्षण पर व्यय प्रस्ताव
कोड संख्या-2001

(धनराशि रूपये करोड़ में)

क्रमांक	कोड संख्या	विवरण	प्रस्तावित
1	2	3	4
		पिछले पृष्ठ का योग	116.42
30	200702	हरदोई रोड योजना में 15 एम०एल०डी० सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट में पम्पिंग स्टेशन एवं डाइजिंग मेल होल का कार्य।	2.50
31	200703	बजट होटल/बस अड्डा।	4.00
32	200704	देवपुर पारा कबीरनगर योजना में 15 एम०एल०डी० सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट	2.30
		योग	8.80
		महायोग	125.22

प्रस्ताव: प्राधिकरण के वित्त एवं लेखा विभाग में आउटसोर्सिंग सेवाप्रदाता के माध्यम से प्रधान लिपिक/अनुभाग अधिकारी/सहायक लेखाकार को आबद्ध किये जाने के सम्बन्ध में।

लखनऊ विकास प्राधिकरण के वित्त एवं लेखा विभाग/पेन्शन सेल में विगत 06 माह में 02 अनुभाग अधिकारी, 01 वरिष्ठ लिपिक सेवा-निवृत्त हो चुके हैं। वित्त एवं लेखा तथा पेन्शन सेल में वेतन निर्धारण, ग्रेच्युटी, पेन्शन आदि के निर्धारण का अनुभव रखने वाले कार्मचारियों के सेवा-निवृत्त होने के फलस्वरूप उक्त कार्य को निष्पादित किये जाने में कार्फी दिक्कतें उत्पन्न हो रही हैं। यह भी अवगत कराना है कि माह जून-2022 में 01 लेखाकार, 01 सहायक लेखाकार तथा 01 दफ्तरी सेवा-निवृत्त हो रहे हैं, साथ ही 01 सहायक लेखाकार माह सितम्बर-2022 में सेवा-निवृत्त हो जायेंगे।

वर्तमान में जिन कार्मिकों की नियुक्ति की गयी है उन्हे वेतन निर्धारण, ग्रेच्युटी, पेन्शन, ए०सी०पी० आदि के कार्यों का पर्याप्त अनुभव नहीं है।

अतः कार्य की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए लेखा विभाग एवं पेन्शन सेल हेतु सेवा प्रदाता के माध्यम से प्रधान लिपिक/अनुभाग अधिकारी/सहायक लेखाकार जिन्हे उक्त कार्य का 10 वर्ष का अनुभव हो, 02 कार्मिक आबद्ध किये जाने हेतु प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष विचारार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

The image shows a handwritten signature in black ink, which appears to be "2022/8", written above a rectangular official stamp. The stamp contains the text "राजस्थान सरकार" (Government of Rajasthan) at the top, followed by "राजस्थान विकास प्राधिकरण" (Rajasthan Development Commission) in the center, and "प्रस्ताव संख्या - ०४" at the bottom.

विषय :—मा० अंकुश समिति के समक्ष विचाराधीन प्रकरण बाबत अनार्जित भूमि खसरा संख्या—36 क्षेत्रफल 0.190 हे० स्थित ग्राम—औरंगाबाद खालसा, लखनऊ की भूमि के सम्बन्ध में।

अनार्जित भूमि खसरा संख्या—36 क्षेत्रफल 0.190 हे० स्थित ग्राम औरंगाबाद खालसा पर अर्जन के समय उक्त भूमि पर आवेदक श्री कुलदीप मेहरा पुत्र श्री सेवाराम मेहरा व अन्य का नाम अंकित था।

प्रश्नगत भूमि खसरा संख्या—36 रकबा 0.190 हे० स्थित ग्राम औरंगाबाद खालसा, लखनऊ की भूमि लखनऊ विकास प्राधिकरण की योजना के अन्तर्गत नियोजन की कार्यवाही किये जाने के कारण उक्त अनार्जित भूमि का आपसी समझौते से क्य करते हुए प्रतिकर भुगतान किये जाने का निर्णय लिया गया था। इसी क्रम में विभागीय पत्र संख्या—554/एसी०/तह०/2015 दिनांक 30.06.2015 के माध्यम से प्रश्नगत अनार्जित भूमि जिलाधिकारी सर्किल रेट के अनुसार प्रतिफल निर्धारित किये जाने का अनुरोध किया गया था, जिसके क्रम में समिति की बैठक दिनांक 05.01.2016 (संलग्नक—1) के अनुसार आबादी से सटी भूमि की दर रु०—3,60,00,000.00 प्रति हेक्टेयर तथा प्रतिफल पर 100 प्रतिशत सोलेशियम सहित कुल रु०—7,20,00,000.00 प्रति हेक्टेयर के आधार पर प्रश्नगत भूमि क्षे०—0.190 हे० का प्रतिफल रु०—1,36,80,000.00 निर्धारित किया गया है।

ग्राम औरंगाबाद खालसा की खसरा संख्या—36 रकबा 0.190 हे० के सम्बन्ध में न्यायालय उपजिलाधिकारी, मण्डल लखनऊ जनपद लखनऊ तहसील सरोजनीनगर वाद संख्या—37/2016, श्रीमती सत्यवती मेहरा आदि बनाम उ०प्र० सरकार अन्तर्गत धारा—80, रा०सं०2006 द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.01.2017 में “खाता संख्या—00202 गाटा संख्या 36 रकबा 0.190 हे० मालगुजारी 60 ख को अकृषिक घोषित किया गया है।”

हितबद्ध कास्तकारों द्वारा शासनादेश संख्या—385/8—3—16—309 विविध/15 दिनांक 21.05.2016 के पैरा—3 (5) के अनुसार दर के सम्बन्ध में आपत्ति किये जाने के फलस्वरूप विभागीय पत्र संख्या—271/एसी०/तह०/2016 दिनांक 07.04.2016 के माध्यम से पुनः प्रतिफल की दर निर्धारण किये जाने का अनुरोध किया गया, जिस पर पुर्नविचार करते हुए जिलाधिकारी द्वारा गठित समिति की बैठक दिनांक 17.01.2017 (संलग्नक—2) में अकृषिक भूमि मानते हुए प्रश्नगत भूमि की दर रु०—20,000.00 प्रतिवर्ग मीटर के अनुसार रु०—3,80,00,000.00 निर्धारित किया गया।

समिति के उक्त निर्णय से लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा पुनः असहमति व्यक्त करते हुए उपाध्यक्ष ल०वि०प्रा० की ओर से पत्र दिनांक 24.06.2017 को समिति के समक्ष पुनः विचार हेतु भेजा गया। इस दौरान उप जिलाधिकारी, सरोजनीनगर द्वारा पूर्व में अकृषिक घोषित की गयी भूमि को तहसीलदार की जांच आख्या के अनुसार प्रश्नगत भूमि को राजस्व संहिता की

धारा-82 के अन्तर्गत पूर्व पारित आदेश दिनांक-06.01.2017 धारा-80 को आदेश दिनांक 16.08.2017 से वापस ले लिया गया।

उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद की विकास प्राधिकरणों, आवास विकास परिषद, जिला पंचायतों एवं नगर निगमों में व्याप्त अनियमितताओं पर अंकुश लगाने/जांच किये जाने के सम्बन्ध में समिति की दिनांक 26 दिसम्बर, 2017 को हुई। मा० समिति की उक्त बैठक का कार्यवृत्त पत्र संख्या-810/वि०प०-समिति-२ विधान परिषद सचिवालय (समिति अनुभाग-२) लखनऊ दिनांक 05.01.2018 (संलग्न-३) के साथ प्राधिकरण को प्राप्त हुआ। कार्यवृत्त के बिन्दु संख्या-१ में यह उल्लेख है कि :—“प्राधिकरण की ओर से मा० सभापति महोदय को अवगत कराया गया है कि मुआवजा देने के लिए तैयार है, किन्तु इतनी बड़ी मात्रा में प्लाट उपलब्ध नहीं है”, जिसपर मा० सभापति महोदय द्वारा निर्देशित किया गया है कि :—“जिलाधिकारी कोई प्रोविजन नहीं कर सकते हैं, यह समिति निर्णय लेगी कि उनको मुआवजे के रूप में धनराशि दी जाये या जमीन दी जाये। यह समस्ता आपकी है कि आप उन्हें जमीन कैसे देंगे। समिति की राय है कि आप उन्हें जमीन के बदले जमीन ही दीजिए। इस प्रकरण को स्थगित किया जाता है।”

प्रश्नगत अनार्जित भूमि खसरा संख्या-३६ क्षेत्रफल ०.१९० हेठले रिथत ग्राम औरंगाबाद खालसा, लखनऊ के सापेक्ष शासनादेश संख्या-४१२८/९-३०-३-२००२-२० एलए/९२ (अ.ब.) दिनांक 22.10.2002 के अनुसार ५० प्रतिशत विकसित भूमि दिये जाने हेतु प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड बैठक दिनांक 07.05.2018 (संलग्नक-४) के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया था, जिस पर प्राधिकरण बोर्ड बैठक द्वारा निम्न निर्णय लिया गया है कि :—

“सम्यक् विचारोंपरान्त मा० विधान परिषद की अंकुश समिति द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुक्रम में अनार्जित भूमि खसरा संख्या-३६ क्षेत्रफल ०.१९० हेठले रिथत ग्राम-औरंगाबाद खालसा, लखनऊ के सापेक्ष भूमि दिये जाने के सम्बन्ध में निर्देश दिये गये कि अनार्जित भूमि के मूल्य के बराबर (डीएम सर्किल रेट) दूसरी भूमि किसी अन्य योजना में प्राधिकरण के नियमों के अन्तर्गत दी जाय।”

प्राधिकरण बोर्ड द्वारा दिनांक 07.05.2018 को लिये गये निर्णय के आलोक में सहमति प्राप्त किये जाने हेतु विभागीय पत्र संख्या-६५४/एसी०/तह०/2018 दिनांक 20.07.2018 के माध्यम से हितबद्ध कास्तकार को पत्र प्रेषित किया गया, परन्तु तत्समय कास्तकार द्वारा सहमति पत्र इस कार्यालय को प्रस्तुत नहीं किया गया।

उप सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-२ उ०प्र० शासन लखनऊ द्वारा पत्र संख्या-३०५५/आठ-२-१९-२०१९-२० बैठक/०७टी०सी० दिनांक 25.09.2019 के साथ संलग्न श्री कुलदीप मेहरा के प्रकरण के सम्बन्ध में मा० अंकुश समिति वि०प०, उ०प्र० में आहूत बैठक दिनांक 13.09.2019 (संलग्नक-५) को निर्गत कार्यवृत्त के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये हैं, जिसमें उल्लिखित है कि :—

“किसी भूमि के अर्जन हेतु अध्यापिति निकाय को प्रस्ताव उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है कि न्याय विभाग द्वारा प्रश्नगत प्रकरण में दिये गये परामर्श के अनुसार भूमि खसरा संख्या-३६ रकबा ०.१९० हेठले रिथत ग्राम औरंगाबाद खालसा लखनऊ का अधिग्रहण

४:

८

✓

शासनादेश दिनांक 21.03.2016 के बजाय भूमि अर्जन पुर्ववासन एवं पुर्वव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के अनुसार किया जाये।”

प्रश्नगत प्रकरण में मा० अंकुश समिति द्वारा दिनांक 13.09.2019 को दिये गये निर्देश के अनुपालन में विभागीय पत्र संख्या—657 / एसी / तह० / 2019 दिनांक 27.09.2019 के माध्यम से खसरा संख्या—36 रक्खा 0.190 है० स्थित ग्राम औरंगाबाद खालसा लखनऊ की भूमि का अर्जन किये जाने हेतु प्रस्ताव जिलाधिकारी लखनऊ को प्रेषित किया गया।

प्रश्नगत प्रकरण में मा० अंकुश समिति की बैठक दिनांक 30.09.2019 (संलग्नक—6) को जारी कार्यवृत्त द्वारा पुनः आदेशित किया गया है कि “उपाध्यक्ष लखनऊ विकास प्राधिकरण को इस आशय का पत्र प्रेषित कर दिया जाये कि श्री कुलदीप मेहरा कृषका प्रो०प्रा०लि० के प्रकरण में जिलाधिकारी अधिग्रहण न करते हुये बाल्कि समझौते के आधार पर शीघ्र ही 15 दिन के अन्दर प्रतिकर पर निर्णय करवाकर एल०डी०ए० वी०सी० को अवगत कराने के साथ ही समिति को भी अवगत करायेंगे। समिति की अगली बैठक में जिलाधिकारी, एल०डी०ए० वी०सी० सहित सभी सम्बन्धित अधिकारियों को साक्ष्य हेतु आमंत्रित कर लिया जाये।”

प्रश्नगत प्रकरण के सम्बन्ध में मा० अंकुश समिति द्वारा दिनांक 09.12.2019 (संलग्नक—7) को बैठक की गयी, जिसमें यह निर्देश दिये गये हैं कि :—

“इस प्रकरण में एस०डी०एम० कोर्ट से 15 दिन के अन्दर निरस्तारण करवाकर रिपोर्ट समिति को प्रस्तुत की जाये। आगे अपनी कमेटी की बैठक करके एल०डी०ए० को सूचित करे।”

पुनः प्रश्नगत प्रकरण के सम्बन्ध में मा० अंकुश समिति द्वारा दिनांक 14.12.2020 (संलग्नक—8) को बैठक की गयी, जिसका कार्यवृत्त दिनांक 14.12.2020 को निर्गत किया गया है, जिसमें उल्लिखित है कि :—

“जिलाधिकारी लखनऊ, एल०डी०ए० उपाध्यक्ष और समिति द्वारा स्थलीय निरीक्षण के आधार पर उस भूमि पर कृषि नहीं हो रही है और वह भूमि कृषि योग्य नहीं है तथा उसमें श्री मेहरा का आवास बना हुआ है, इस भूमि पर प्राधिकरण द्वारा गलती से अपने ले—आउट में पार्क दर्शाया गया है, जबकि सच्चाई यह है कि एलडीए द्वारा उस जमीन को अपने उपयोग में लिया गया है, ऐसे एक नहीं अनेक उदाहरण है जिसमें एलडीए ने भूमि के बदले भूमि दी है, चूंकि प्रार्थी भी भूमि के बदले भूमि चाहता है, इसलिए उसी प्रकार की भूमि एलडीए उसको यथाशीघ्र उपलब्ध कराये, जैसा कि एलडीए उपाध्यक्ष ने आश्वासन दिया है कि हमें 21 दिन का समय दे दिया जाये, हम इस पर निर्णय ले लेंगे, इस विषय को स्थगित किया जाता है।”

मा० अंकुश समिति द्वारा दिनांक 14.12.2020 को दिये गये आदेश के अनुपालन में विभागीय पत्र संख्या—21 / एसी / तह० / 2021 दिनांक 12.01.2021 के माध्यम से शासन को पत्र प्रेषित किया, जिसकी प्रतिलिपि श्री रविकान्त शुक्ला कृषका प्रो०प्रा०लि० को भी प्रेषित की गयी है। विभागीय पत्र दिनांक 12.01.2021 में उल्लिखित है कि :—

‘प्राधिकरण स्तर पर भूमि के बदले अर्जित भूमि दिये जाने का कोई नियम प्राविधानित नहीं है। सहकारी आवास समितियों की अर्जित भूमि के बदले भूमि उपलब्ध कराने हेतु

1
K.

L

V

शासनादेश संख्या—4128/9—आ—3—2002—20एल.ए./92(आ.ब.) दिनांक 22.10.2002 को निर्गत किया गया था, जिसमें अर्जित भूमि के बदले 50 प्रतिशत भूमि की देयता निर्धारित की गयी है तथा वर्तमान समय में निर्गत लैण्ड पूलिंग के शासनादेश संख्या—239/8—3—19—152 विविध/17 दिनांक—20.02.2019 में यह व्यवस्था की गयी है कि किसी काश्तकार से लैण्ड पूलिंग का समझौता किये जाने पर उसकी कुल भूमि के बदले 25 प्रतिशत विकसित भूमि उसे दी जायेगी। सहकारी आवास समितियों को 50 प्रतिशत भूमि दिये जाने एवं लैण्ड पूलिंग के माध्यम से 25 प्रतिशत विकसित भूमि दिये जाने पर प्रतिकर की धनराशि नहीं दी जाती है। ऐसी स्थिति में व्यक्तिगत काश्तकार/भूमिधर की भूमि लिये जाने पर 25 प्रतिशत विकसित भूमि दिये जाने की लैण्ड पूलिंग के शासनादेश में प्राविधानित व्यवस्था ही अपनायी जा सकती है।

उपरोक्त के दृष्टिगत ग्राम औरंगाबाद खालसा, लखनऊ की भूमि खसरा संख्या—36 कुल रकबा 0.190 हेठो अर्थात् 1900 वर्गमीटर के बदले 25 प्रतिशत क्षेत्र—0.0475 हेठो अर्थात् 475 वर्गमीटर कानपुर रोड योजनान्तर्गत स्थित रुचि खण्ड में विकसित भूमि श्री रवीकान्त शुक्ला, कृषका प्रो.प्रा.लि. को लैण्ड पूलिंग के शासनादेश संख्या—239/8—3—19—152 विविध/17 दिनांक 20.02.2019 के आधार पर प्राधिकरण स्तर पर भूमि की उपलब्धता के दृष्टिगत रुचि खण्ड—1 (ग्राम—सालेहनगर) में स्थित प्राधिकरण की अर्जित एवं विकसित भूमि को दिये जाने हेतु प्रस्तावित किया जा रहा है। सहमति की स्थिति में अग्रिम कार्यवाही सम्पादित की जायेगी।"

मा० अंकुश समिति द्वारा दिनांक 15.01.2021 को बैठक की गयी, जिसका कार्यवृत्त दिनांक 15.01.2021 (संलग्नक—9) को निर्गत किया गया है, जिसमें यह निर्देश दिये गये है कि :—

"विकास प्राधिकरण अपनी अनियोजित जमीन 1900 वर्गमीटर कानपुर रोड योजना तथा गोमती नगर योजना या गोमती नगर विस्तार योजना में 15 दिन में रजिस्ट्री करवाकर एवं रजिस्ट्री का खर्चा प्राधिकरण रवयं वहन करेगा। इससे समिति को अवगत कराये।"

मा० अंकुश समिति के उक्त निर्देश के अनुपालन में अर्जन अनुभाग द्वारा प्राधिकरण की योजना के अन्तर्गत अनियोजित/नियोजित भूमि खोजे जाने हेतु स्थल निरीक्षण किया गया। स्थल निरीक्षण में प्राधिकरण की योजना के अन्तर्गत निम्न स्थानों पर अनियोजित/नियोजित रिक्त भूमि पायी गयी है, जिसको 03 बिन्दुओं के रूप में अंकित कर प्रस्ताव आवेदक को प्रेषित किये जाने के सम्बन्ध में उपाध्यक्ष महोदय द्वारा दिनांक 09.03.2021 को स्वीकृति प्रदान की गयी। तत्पश्चात् विभागीय पत्र संख्या—177/एसी/तहो/2021 दिनांक 09.03.2021 (संलग्नक—10) के माध्यम से निम्न 03 बिन्दुओं में से किसी एक प्रस्ताव पर सहमति प्रदान किये जाने हेतु आवेदक को प्रस्ताव प्रेषित किया गया, जो निम्नवत है :—

(1) नियोजित भूमि

वर्तमान समय में व्यक्तिगत अनार्जित भूमि के बदले अर्जित भूमि दिये जाने का कोई प्राविधान/व्यवस्था प्रचलन में नहीं है। प्रस्तुत प्रकरण के निस्तारण के सम्बन्ध में लैण्ड पूलिंग के शासनादेश संख्या—239/8—3—19—152 विविध/17 दिनांक 20.02.19 को

4

V

C

उदाहरण के रूप में स्वीकार करते हुये देयता निर्धारित की जा सकती है। लैण्ड पूलिंग के शासनादेश में दी गयी व्यवस्था के अनुसार अविकसित भूमि के सापेक्ष 25 प्रतिशत विकसित भूमि उपलब्ध करायी जा सकती है। क्योंकि प्रश्नगत प्रकरण में समस्त विकास कार्य लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा किया गया है। सामान्यतः विकास प्राधिकरण द्वारा किसी योजना का विकास किये जाने के पश्चात कुल भूमि का मात्र 45 से 50 प्रतिशत भूमि ही विक्य किये जाने हेतु प्राधिकरण को प्राप्त होती है। शेष भूमि सार्वजनिक सुविधाओं यथा पार्क, रोड आदि में प्रयुक्त हो जाती है। भूमि को विकसित करने में विकास कार्यों व अनुरक्षण में प्राधिकरण की अत्यधिक धनराशि व्यय होती है। अतः विकास कार्य किये जाने के पश्चात 25 प्रतिशत विकसित भूमि दिये जाने की देयता बनती है। 25 प्रतिशत भूमि दिये जाने पर प्रतिकर की धनराशि देय नहीं होगा। लैण्ड पूलिंग के शासनादेश दिनांक 20.02.19 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार ग्राम औरंगाबाद खालसा, लखनऊ की खसरा संख्या—36 रकबा 0.190 हेठा अर्थात् 1900 वर्गमी० अविकसित भूमि के सापेक्ष 25 प्रतिशत विकसित भूमि उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में भूमि खोजी गयी जो स्थल पर रिक्त पड़ी हुई है, जो निम्नवत है :—

कानपुर रोड योजना के अन्तर्गत ग्राम सालेहनगर में अर्जित नियोजित/रिक्त भूमि पड़ी हुई है। उक्त भूमि प्राइमरी पाठशाला व राजकीय अस्पताल, ग्राम सालेहनगर के बगल में स्थित है। स्थल का चयन किये जाने पर 1900 वर्गमी० के सापेक्ष नियमानुसार भूमि की देयता निर्धारित की जायेगी।

1	आवेदक की भूमि	1900 वर्गमी०
2	लैण्ड पूलिंग के शासनादेश दिनांक 20.02.2019 के अनुसार आवेदक को दी जाने वाली 25 प्रतिशत विकसित प्रस्तावित (समान योजना में होने के कारण)	475 वर्गमी०

आवेदक की 1900 वर्गमी० भूमि के सापेक्ष विकसित क्षेत्रफल 475 वर्गमी० भूमि उपलब्धता के आधार पर उपलब्ध कराये जाने हेतु विचार किया जा सकता है।

(2) अनियोजित भूमि

(A) ग्राम हैवतमऊ मवैया की खसरा संख्या—139, जो प्राधिकरण की अर्जित भूमि है। उक्त भूमि उत्तरठिया—आलमनगर, रेलवे लाइन के बगल में स्थित है तथा मौके पर रिक्त पड़ी हुई है, जिस पर प्राधिकरण द्वारा नियोजन की कार्यवाही नहीं की गयी है अर्थात् अनियोजित भूमि है।

1	आवेदक की भूमि	1900 वर्गमी०
2	उक्त 1900 वर्गमी० भूमि व प्रस्तावित भूमि समान योजना में है। प्रस्तावित भूमि अनियोजित भूमि है। इसलिये उक्त भूमि सापेक्ष समान योजना में अनियोजित समतुल्य भूमि क्षेत्रफल	1900 वर्गमी०

उक्त भूमि 1900 वर्गमी० के सापेक्ष समान योजना में अनियोजित प्रस्तावित समतुल्य क्षेत्रफल 1900 वर्गमी० भूमि उपलब्ध कराये जाने हेतु विचार किया जा सकता है।

अथवा

५.

L

C

- (B) मोहान रोड आवासीय योजना के अन्तर्गत प्राधिकरण की अर्जित भूमि उपलब्ध है, जिस पर प्राधिकरण द्वारा नियोजन की कार्यवाही नहीं की गयी है अर्थात् अनियोजित भूमि है। आपकी कुल 1900 वर्गमी0 भूमि के सापेक्ष मोहान रोड योजना में समतुल्य भूमि उपलब्ध करायी जा सकती है।

1	आवेदक की भूमि	1900 वर्गमी0
2	मोहान रोड आवासीय योजना में भूमि प्रस्तावित की गयी है अनियोजित है। 1900 वर्गमी0 भूमि के सापेक्ष मोहान रोड योजना अनियोजित समतुल्य भूमि क्षेत्रफल	1900 वर्गमी0

उक्त भूमि 1900 वर्गमी0 के सापेक्ष मोहान रोड आवासीय योजना में अनियोजित प्रस्तावित समतुल्य क्षेत्रफल 1900 वर्गमी0 भूमि उपलब्ध कराये जाने हेतु विचार किया जा सकता है।

अथवा

- (c) गोमती नगर विस्तार योजना सेक्टर-7 में गोमती नदी बन्धे के बगल में एन0डी0आर0एफ0 से सटी हुई प्राधिकरण की अर्जित भूमि रिक्त पड़ी हुई है। नियोजन अनुभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये गोमती नगर विस्तार योजना सेक्टर-7 के ले—आउट प्लान पर पावर हाउस, 45 मी0 रोड, अर्द्ध निर्मित बन्धा व शहीद पथ के मध्य स्थित भूमि ग्रीन दर्शित है। गोमती नगर विस्तार योजना सेक्टर-7 व्यवसायिक / इन्स्टीट्यूशनल / आफिस आदि है, जो कि प्राधिकरण के लिये एक बहुमूल्य सेक्टर/पाकिट है, जिसका मूल्य लगभग रूपये 56000/- वर्गमी0 है। जिलाधिकारी, महोदय की अध्यक्षता में गठित कमेटी द्वारा दिनांक 05.01.2016 को खसरा संख्या—36 रकमा 0.190 हेठो ग्रम औरंगाबाद खालसा की भूमि का प्रतिफल कुल रु0 1,36,80,000.00 (एक करोड़ छत्तीस लाख अस्सी हजार रूपये मात्र) निर्धारित की गयी थी। गोमती नगर विस्तार योजना सेक्टर-7 का रेट लगभग रूपये 56000/- वर्गमी0 है, के सापेक्ष क्षेत्रफल 1900 वर्गमी0 भूमि की मूल्यांकित धनराशि लगभग रु0 10,64,00,000.00 (दस करोड़ सात लाख रूपये मात्र) आती है।

1	आवेदक की भूमि	1900 वर्गमी0
2	जिलाधिकारी, महोदय की अध्यक्षता में गठित कमेटी दिनांक 05.01.2016 को निर्धारित प्रतिफल धनराशि	1,36,80,000.00
3	प्रस्तावित व्यवसायिक भूमि की मालियत	10,64,00,000.00
4	क्रमांक 1 व क्रमांक 2 में अन्तर	7.77 गुना
5	उक्त मालियत की प्रतिशत दर के सापेक्ष देय औसत भूमि	<u>1900</u> = 244.53 वर्गमी0 7.77

उक्त भूमि 1900 वर्गमी0 के सापेक्ष व्यवसायिक भूमि लगभग क्षेत्रफल 244.53 वर्गमी0 उपलब्धता के आधार पर उपलब्ध कराये जाने हेतु विचार किया जा सकता है।

4.

5.

C

उ0प्र0 विधान परिषद की मा0 अंकुश/जांच समिति द्वारा दिनांक 15.01.2021 को दिये गये निर्देश के अनुपालन में अनुभाग द्वारा प्रेषित प्रस्ताव दिनांक 09.03.2021 पर आवेदक द्वारा तत्समय अपना सहमति पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया।

पुनः उ0प्र0 विधान परिषद की मा0 अंकुश/जांच समिति द्वारा दिनांक 16.03.2021 (संलग्नक-11) को बैठक की गयी, जिसमें यह निर्णय लिया गया है कि :-

श्री अभिषेक प्रकाश

मान्यवर हमने इनको विकल्प दे दिया है, विकल्प की स्वीकृति देने के पश्चात तदानुसार कार्यवाही प्राधिकरण द्वारा की जायेगी। विकल्प की सूचना प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर पंजीकरण की कार्यवाही सुनिश्चित कर दी जायेगी।

श्री सभापति

ठीक है। आप इसमें कार्यवाही करके समिति को लिखित सूचना से अवगत करवा दे। इस विषय को स्थगित रखा जाता है।

मा0 समिति द्वारा दिनांक 16.03.2021 को दिये गये निर्देश के अनुपालन में विभागीय पत्र संख्या-582/एसी/तह0/2021 दिनांक 24.08.2021 (संलग्नक-12) के माध्यम से किसी एक बिन्दु पर सहमति प्रदान किये जाने हेतु आवेदक को पत्र प्रेषित किया गया, परन्तु तत्समय आवेदक द्वारा सहमति पत्र इस कार्यालय को उपलब्ध नहीं कराया गया है।

प्रश्नगत भूमि के सम्बन्ध में कृषिका इफाटेक प्राइवेट लिमिटेड के प्रार्थना पत्र दिनांक 07.10.2021 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि ग्राम औरंगाबाद खालसा की खसरा संख्या-36 रकबा 0.190 है, के सम्बन्ध में उपजिलाधिकारी सरोजनीनगर के आदेश दिनांक 06.10.2021 को आबादी माना गया है, हमारी जमीन की गणना आबादी के अनुसार करके उसी हिसाब से जमीन का मूल्यांकन किये जाने की अपेक्षा की गयी है।

ग्राम औरंगाबाद खालसा की खसरा संख्या-36 रकबा 0.190 है, के सम्बन्ध में न्यायालय उपजिलाधिकारी, मण्डल लखनऊ जनपद लखनऊ तहसील सरोजनीनगर के समक्ष वाद संख्या-RST/6144/2017, कंप्यूटरीकृत वाद संख्या:-T2017104639056144 श्रीमती सत्यवती मेहरा बनाम उ0प्र0 सरकार अन्तर्गत धारा-82, अधिनियम, उ0प्र0 राजस्व संहिता-2006 के अन्तर्गत धारा-80(2) उ0प्र0 संहिता 2006 योजित किया गया, जिसमें मा0 न्यायालय उपजिलाधिकारी, मण्डल लखनऊ जनपद लखनऊ तहसील सरोजनीनगर द्वारा दिनांक 06.10.2021 को आदेश पारित किया गया है, जिसमें उल्लिखित है कि :-

“आदेश दिया जाता है कि भूमि खसरा संख्या-36 रकबा 0.190 हे0 स्थित ग्राम-ओरंगाबाद खालसा, परगना लखनऊ तहसील सरोजनीनगर, जिला लखनऊ के सम्बन्ध में पूर्व पारित आदेश दिनांक 06.01.2017 पुनः बहाल किया जाता है, आदेश की प्रति अमलदरामद हेतु तहसीलदार सरोजनीनगर, को भेजी जाये। पत्रावली वाद आवश्यक कार्यवाही संचित अभिलेखागार हो।”

न्यायालय उपजिलाधिकारी, मण्डल लखनऊ जनपद लखनऊ तहसील सरोजनीनगर द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.10.2021 के क्रम में खतौनी फसली वर्ष 1425-30 में खाता

संख्या—00036 पर दिनांक 18.10.2021 को ग्राम औरंगाबाद खालसा की खसरा संख्या—36 रकबा 0.190 हे. के सम्बन्ध में आदेश अंकित जा चुका है।

अन्य प्रार्थना पत्र दिनांक 18.10.2021 को कृषिका प्रोजेक्ट प्रा०लि० कृते रवि शुक्ला द्वारा व्यक्तिगत रूप से दिनांक 07.10.2021 (संलग्नक—13) की तिथि का उल्लेख करते हुये बिन्दु संख्या—3 के सम्बन्ध में निम्न शर्तों के साथ सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है, जो निम्न है :—

“लखनऊ विकास प्राधिकरण का पत्र मेरे कम्पनी को प्राप्त हुआ जिसमें आपने हमारी जमीन के बदले में तीन जमीनों का अलग—अलग विकल्प दिये गया है। उन जमीनों का मानक कृषि रेट के आधार के अनुपात में दिया गया है परन्तु हमारी जमीन वर्तमान में आवासीय है इसलिये आवासीय रेट के आधार पर अनुपात में भूमि की गणना कर तिसरा विकल्प जो कामरिंगल है उसको लेने के लिये हमारी कम्पनी सहमत है।”

कृषिका प्रोजेक्ट प्रा०लि० द्वारा प्रेषित प्रार्थना पत्र दिनांक—07.10.2021 व 18.10.2021 के पूर्व ही तत्कालीन उपाध्यक्ष महोदय द्वारा पत्र संख्या—11/उपा.का./2021 दिनांक 18.06.2021 (संलग्नक—14) के माध्यम से प्राधिकरण स्तर पर सम्पत्तियों के समायोजन पर विराम लगाये जाने के सम्बन्ध में आदेश जारी किया गया है, जो निम्नवत है :—

“लखनऊ विकास प्राधिकरण के विभिन्न प्रकार की सम्पत्तियों को अन्य सम्पत्तियों पर व अन्य योजनाओं/सेक्टरों में समायोजन के सम्बन्ध में समय—समय पर शिकायतें आती रहती है। अतः प्राधिकरण स्तर पर सम्पत्तियों के समायोजन पर विराम लगाये जाने की आवश्यकता है।

अतः पारदर्शिता एवं सुचिता के दृष्टिगत तत्काल प्रभाव से किसी भी प्रकार की सम्पत्तियों के प्राधिकरण स्तर पर समायोजन पर रोक लगायी जाती है एवं इस सम्बन्ध में उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण की इस शक्ति को एतद्वारा समाप्त किया जाता है। यदि किन्हीं विषय या अपरिहार्य परिस्थितियों यथा—माठ न्यायालय के आदेश या किसी विवाद के समाधान हेतु समायोजन की आवश्यकता अनुभव की जाती है, तो सुर्यष्ट प्रस्ताव गुण—दोष के आधार पर आवास एवं शहरी नियोजन विभाग उ०प्र० शासन को प्रेषित किया जायेगा तथा सम्बन्धित प्रकरण में शासन की अनुमति के पश्चात अग्रेतर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।”

इस प्रकार प्राधिकरण स्तर पर उक्त आदेश से समायोजन की कार्यवाही पर रोक लगा दी गयी। भूमि खसरा संख्या—36 क्षेत्रफल 0.190 हेठो स्थित ग्राम—औरंगाबाद खालसा, लखनऊ राजस्व अभिलेखों में कृषि भूमि दर्ज थी। उप जिलाधिकारी, तहसील—सरोजनी नगर लखनऊ द्वारा अपने आदेश दिनांक 06.01.2017 में उक्त भूमि अकृषक घोषित कर दी गयी। पुनः उप जिलाधिकारी, तहसील—सरोजनी नगर लखनऊ द्वारा अपने आदेश दिनांक 16.08.2017 में उक्त भूमि कृषि घोषित कर दी गयी। पुनः उप जिलाधिकारी, तहसील—सरोजनी नगर लखनऊ द्वारा अपने आदेश दिनांक 06.10.2021 में पूर्व पारित आदेश दिनांक 06.01.2017 को बहाल कर उक्त भूमि अवृष्टक घोषित कर दी गयी।

प्रश्नगत प्रकरण के सम्बन्ध में सचिव महोदय द्वारा दिनांक 25.10.2021 को प्राधिकरण पैनल के अधिवक्ता श्री शोभित मोहन शुक्ला से विधिक अभिमत प्राप्त किये जाने हेतु निर्देशित किया गया। पैनल अधिवक्ता श्री शोभित मोहन शुक्ला द्वारा दिनांक 26.10.2021 (संलग्नक-15) को विधिक अभिमत दिया गया, जिसका अंश निम्नवत हैः—

"But in my opinion, land is lieu of land is not the proper and legal solution in as much as through the Lucknow Development Authority is free to provide the land of the equal valuation to the Mehras and Krishika Project Private Limited but in my opinion such excercise will cause undue benefits to the tenure holder and will also open a flood gate for the persons to seek land in lieu of land."

Aforesaid being the situation, I am of the view that option to provide alternative land is unreasonable and therefore it may not be exercised. Prudent, it would be, to acquire the land as per law.

Needless to say that this opinion by me, an Advocate, is subservient to any judicial order, if any, which may be passed in any proceedings.

Advised accordingly.

पैनल अधिवक्ता श्री शोभित मोहन शुक्ला द्वारा पुनः दिनांक 27.10.2021 (संलग्नक-16) को विधिक अभिमत दिया गया, जो निम्नवत हैः—

'Today I had a brainstorming and meticulous session of conversation with the responsible officers of Lucknow Development Authority.

After our deliberations, I find it appropriate to add that there is one more option of shifting of park. On this option, it can be visualized that shifting of park will not only lead to legal hurdles but it would lead to utter chaos and public unrest also.

Changing the nature of park and open space by shifting the park elsewhere is not legally advisable at all, practically as well.

In respect of absorption/adjustment of K.P.P.L. to any other land it is also hit by the relevant government orders as the said government orders are meant for Co-operative Housing Societies only and not for individuals and companies. Thus my opinion may also be seen in light of above as absorption is also not advisable legally.

I may recollect that for cancelling the said government orders meant for absorption of land of Housing Societies, I had given an opinion to Lucknow Development Authority to the effect that even such government orders are legally vitiated. Thus absorption of K.P.P.L. over other land is not advisable at all.

The only legal, reasonable, practical and pragmatic solution, from the above discussion, is culled out to be, acquisition of land in question.

Opinion dated 26.10.2021 is thus fortified, as above.'

भूमि खसरा संख्या-36 क्षेत्रफल 0.190 हेठो स्थित ग्राम-औरंगाबाद खालसा, लखनऊ की भूमि का प्रतिफल कृषि के अनुसार कुल धनराशि 1,36,80,000.00 रुपये होता है तथा उक्त भूमि का प्रतिफल अकृषक के अनुसार 3,80,00,000.00 रुपये होता है, जिसमें अन्तर धनराशि 2,43,20,000.00 रुपये आती है।

Y..

L

C

प्रश्नगत प्रकरण आगामी बोर्ड बैठक में रखे जाने हेतु मा० अंकुश समिति उत्तर प्रदेश विधान परिषद की बैठक दिनांक 09.11.2021 (संलग्नक-17) को हुई साक्ष्य बैठक की निर्गत कार्यवृत्त के पृष्ठ संख्या-12 में निम्नवत निर्देश दिये गये है :—

श्री सभापति

“ठीक है, यह प्रकरण बोर्ड में जा चुका है, बोर्ड में सारे तथ्य रखे जाने चाहिए, क्योंकि कमीशनर बोर्ड के अध्यक्ष होंगे, शायद उनके संज्ञान में न हों, वी०सी०, एल०डी०ए० तत्कालीन और वर्तमान दोनों के संज्ञान में है। जिलाधिकारी भी वर्तमान में वही हैं। इसलिए इस विषय को वहां रखना चाहिए और जो पक्षकार हैं, उनको भी चाहें तो बोर्ड की बैठक में बुला सकते हैं, उनकों बुला लें, ताकि वह अपनी बात को रख सकेंगे। इसके बाद बोर्ड का क्या आदेश आता है, इससे समिति को अवगत कराएं। आज इस प्रकरण को रथगित किया जाता है।”

प्रस्ताव

अनार्जित खसरा संख्या-36 क्षेत्रफल 0.190 हे० स्थित ग्राम—औरंगाबाद खालसा, लखनऊ की भूमि प्राधिकरण के ले—आउट के अनुसार पार्क के रूप में दर्शित है तथा प्रकरण मा० अंकुश समिति के समक्ष विचाराधीन है। शासनादेश संख्या—4128 / 9—अ०—३—२००२—२० एलए०/९२ (अ.ब.) दिनांक 22.10.2002 के अनुसार 50 प्रतिशत विकसित भूमि दिये जाने हेतु प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड बैठक दिनांक 07.05.2018 के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया था, जिस पर प्राधिकरण बोर्ड बैठक द्वारा निम्न निर्णय लिया गया है कि :

“सम्यक् विचारोंपरान्त मा० विधान परिषद की अंकुश समिति द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुकम में अनार्जित भूमि खसरा संख्या-36 क्षेत्रफल 0.190 हे० स्थित ग्राम—औरंगाबाद खालसा, लखनऊ के सापेक्ष भूमि दिये जाने के सम्बन्ध में निर्देश दिये गये कि अनार्जित भूमि के मूल्य के बराबर (डीएम सर्किल रेट) दूसरी भूमि किसी अन्य योजना में प्राधिकरण के नियमों के अन्तर्गत दी जाय।”

प्रश्नगत भूमि के सम्बन्ध में आवेदक को तीन विकल्प में से किसी एक पर सहमति प्रदान किये जाने हेतु पत्र दिनांक:-09.03.2021 व 24.08.2021 प्रेषित किया गया, परन्तु तत्समय आवेदक द्वारा सहमति प्रदान नहीं की गयी। आवेदक द्वारा भूमि को दिनांक 06.10.2021 को अकृषक कराते हुये आवासीय रेट के आधार पर अनुपात में भूमि की गणना कर तीसरा विकल्प जो कामर्शियल है, उसको लेने के लिये दिनांक 07.10.2021 व 18.10.2021 को सहमति दी गयी है। इसके पूर्व ही तत्कालीन उपाध्यक्ष महोदय द्वारा अपने आदेश दिनांक 18.06.2021 से प्राधिकरण स्तर पर सम्पत्तियों के समायोजन पर रोक लगा दी गयी है। पैनल अधिवक्ता द्वारा दिनांक-26.10.2021 में विधिक अभिमत इस प्रकार दिया है कि “*notwithstanding the fact that the land has been declared as non agricultural for the reason that such declaration has no bearing on the Master Plan 2021 (B) and the aforesaid Act. Another option is available on which the file is being processed but in my opinion, land in lieu of land is not the proper and legal solution in as much*

Y-

n

✓

as though the Lucknow Development Authority is free to provide the land of the equal valuation to the Mehras and Krishika Project Priveat Limited but in my opinion such exercise will cause unure benefits to the tenure holder and will also pain and flood gate for the persons to seek land in lieu of land. व दिनांक 27.10.2021 में विधिक अभिमत इस प्रकार दिया गया है कि "The only legal, reasonable, practical and pragmatic solution, from the above discussion, is culled out to be, acquisition of land in question. Opinion dated 26.10.2021 is thus fortified, as above." उप जिलाधिकारी, तहसील—सरोजनी नगर लखनऊ द्वारा 03 बार भूमि की प्रकृति परिवर्तित (कृषक से अकृषक, अकृषक से कृषक तथा कृषक से अकृषक) की गयी है। भूमि खसरा संख्या—36 क्षेत्रफल 0.190 हेक्टेएक्ट स्थित ग्राम—औरंगाबाद खालसा, लखनऊ की भूमि का प्रतिफल कृषि के अनुसार कुल धनराशि 1,36,80,000.00 होती है तथा उक्त भूमि का प्रतिफल अकृषक के अनुसार 3,80,00,000.00 होती है, जिसमें अन्तर धनराशि 2,43,20,000.00 रूपये आती है। अतः उक्त मूल्यांकन के सापेक्ष प्राधिकरण बोर्ड की बैठक दिनांक 07.05.2018 के अनुसार भूमि आवंटित किये जाने अथवा अधिग्रहण कर मुआवजा दिये जाने के सम्बन्ध में निर्णय लिये जाने हेतु प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

Y
M
✓

विषय:- गोमती नगर विस्तार योजना, सेक्टर-४ के अन्तर्गत समायोजित भूखण्ड संख्या: ४/३८५-एस, सक्षम स्तर से अनुमोदित न होने के कारण समायोजन निरस्त कर जमा धनराशि ब्याज सहित वापस करने का निर्णय तत्कालीन उपाध्यक्ष द्वारा लिया जा चुका है। अतः आवंटी के पक्ष में आवंटन को पुनर्जीवित कर समायोजन को वैध करते हुए निबन्धन की कार्यवाही करने अथवा आवंटी की जमा धनराशि, धनराशि वापसी की तिथि को प्रचलित आर०बी०आई० के एम०सी०एल०आर० दर पर ब्याज सहित वापस करने के सम्बन्ध में।

गोमती नगर विस्तार योजना में भूखण्ड आवंटन हेतु श्री प्रभाकर शुक्ला द्वारा रु० ५०,०००/- दिनांक ०२.०३.२००२ को जमा कर पंजीकरण कराया गया था तथा उक्त पंजीकरण के आधार पर दिनांक २४.०१.२००४ को सम्पन्न लाटरी में आवेदक के पक्ष में भूखण्ड संख्या: ४/५५०, गोमती नगर विस्तार (अनुमानित क्षेत्रफल २०० व०मी० व अनुमानित मूल्य रु० ६,४५,०००/-) आवंटित हुआ था तथा ले-आउट में परिवर्तन के कारण दिनांक २७.०५.२००५ को लाटरी के माध्यम से भूखण्ड संख्या: ४/५५० गो०न०वि० के स्थान पर भूखण्ड संख्या: ४/१२७९ गो०न०वि० समायोजित किया गया।

आवंटन पत्र के अनुसार पंजीकरण धनराशि रु० ५०,०००/- को छोड़कर रु० ६२,४८४/- प्रति त्रैमासिक किश्त के हिसाब से दिनांक ३१.०३.२००४ से ३१.१२.२००६ तक १२ किश्तें (रु० ७,४९,८०८/-) आवंटी को जमा करनी थी, किन्तु निर्धारित समय तक आवंटी द्वारा कोई भी धनराशि न जमा करने के कारण भूखण्ड का निरस्तीकरण उपाध्यक्ष के आदेश दिनांक २२.१२.२००८ द्वारा कर दिया गया।

भूखण्ड के निरस्तीकरण के पश्चात आवंटी द्वारा स्वेच्छा से मात्र रु० ४,००,०००/- दिनांक १०.०२.२००९ को जमा कर भूखण्ड के पुनर्जीवन हेतु अनुरोध किया गया था जिसके क्रम में सचिव के आदेश दिनांक २३.०६.२००९ द्वारा भूखण्ड का पुनर्जीवन कर दिया गया। पुनः तलपट मानचित्र संशोधित होने पर पुनर्जीवित भूखण्ड संख्या: ४/१२७९ गो०न०वि० मिसिंग होने के कारण भूखण्ड संख्या: ४/३८५-एस, गो०न०वि० पर समायोजन का प्रस्ताव उपाध्यक्ष को अग्रसारित किया गया था तथा उपाध्यक्ष द्वारा दिनांक १४.०७.२००९ को वार्ता लिखने के पश्चात उक्त प्रस्ताव को सचिव द्वारा दिनांक २९.०९.२००९ को स्वीकृत कर दिया गया, किन्तु दिनांक १५.०२.२०२० को तत्कालीन उपाध्यक्ष द्वारा प्रश्नगत समायोजन निरस्त कर ब्याज सहित जमा धनराशि वापस करने के आदेश इस आधार पर पारित किये गये कि पुनर्जीवन/समायोजन सक्षम स्तर से अनुमोदित नहीं है।

आवंटी द्वारा मा० याचिका समिति के समक्ष प्रार्थना पत्र द्वारा अवगत कराया गया है कि उपाध्यक्ष की सहमति से सचिव द्वारा भूखण्ड का पुनर्जीवन व समायोजन किया गया है (छाया प्रति संलग्न)। तत्कालीन उपाध्यक्ष के प्रतिनिधायन आदेश संख्या: ५८/उपा०का०/२००८ दिनांक ०६ सितम्बर, २००८ द्वारा २०० व०मी० तक के समस्त भवनों एवं भूखण्डों के आवंटन, समायोजन, मूल्यांकन, निरस्तीकरण एवं पुनर्जीवन आदि के सम्बन्ध में प्रचलित शासनादेशों एवं नियमों के अनुसार अन्तिम निर्णय लेने का अधिकार दिये गये थे।

११.१.२०२२

०५/०५/२०२२

(अनुलूप ज्ञान सिंह)
उप रजिस्टर
लालगढ़ नियोजन प्राधिकारण

०३/०१/२०२२
लालगढ़ नियोजन प्राधिकारण
पुनर्जीवन अनुमति

आवंटी के पक्ष में आवंटन को पुनर्जीवित कर समायोजन को वैध करते हुए निबन्धन की कार्यवाही की जाय अथवा आवंटी की जमा धनराशि, धनराशि वापसी की तिथि को प्रचलित आर0बी0आई0 के एम0सी0एल0आर0 दर पर ब्याज सहित वापस करने के सम्बन्ध में निर्णय हेतु बोर्ड के समक्ष प्रस्ताव दिनांक 15.11.2021 को प्रस्तुत किया गया था जिस पर बोर्ड द्वारा निर्णय लिया गया था कि मा0 याचिका समिति के कार्यवृत्त के आलोक में अगली बोर्ड बैठक में प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाय। मा0 याचिका समिति की बैठक दि0 22.11.2021 का कार्यवृत्त प्राप्त हो गया है जो निम्नवत हैः—

श्री पवन कुमार गंगवार— मान्यवर, श्री प्रभाकर शुक्ला को गोमती नगर विस्तार योजना के अन्तर्गत लाटरी से भूखण्ड आवंटित हुआ था किन्तु ले-आउट में परिवर्तन के कारण इसका समायोजन किया गया। बाद में भूखण्ड को निरस्त कर दिया गया किन्तु आवंटी के अनुरोध पर इसे पुनर्जीवित कर किया गया। कालान्तर में भूखण्ड का समायोजन और निरस्तीकरण हुआ है जिसके विरुद्ध प्रश्नगत अभ्यावेदन दाखिल किया गया है। मान्यवर, यह प्रकरण अभी प्रक्रियाधीन है। हमारे बोर्ड की मीटिंग होने वाली है जिसमें हम इसे ले जायेंगे।

श्री अमिताभ बाजपेई—इसमें कई बार समायोजन और पुनर्जीवन किया गया है जिससे याचिकाकर्ता के हित प्रभावित हो रहे हैं। इस कार्य को कराने का कमिटमेन्ट उपाध्यक्ष महोदय ने समिति के समक्ष किया है, इसलिये इसको आप जरूर करा दीजिये।

श्री पवन कुमार गंगवार— मान्यवर यह कमिटमेण्ट है जिसे हम लोग करायेंगे।

श्री अध्यक्ष— ठीक है। यह लम्बित रहेगा।

प्रस्तावः— गोमती नगर विस्तार योजना, सेक्टर-4 के अन्तर्गत समायोजित भूखण्ड संख्या: 4/385—एस, सक्षम स्तर से अनुमोदित न होने के कारण समायोजन निरस्त कर जमा धनराशि ब्याज सहित वापस करने का निर्णय तत्कालीन उपाध्यक्ष द्वारा लिया जा चुका है। अतः बोर्ड के समक्ष विचारार्थ/निर्णय का बिन्दु यह है कि आवंटी के पक्ष में आवंटन को पुनर्जीवित कर समायोजन को वैध करते हुए निबन्धन की कार्यवाही की जाय अथवा आवंटी की जमा धनराशि, धनराशि वापसी की तिथि को प्रचलित आर0बी0आई0 के एम0सी0एल0आर0 दर पर ब्याज सहित वापस किये जाने के सम्बन्ध में निर्णय लेने हेतु प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष विचारार्थ/अवलोकनार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

05.1.2022

03. 1. 22
 (अमित राठौर
 लखनऊ विभाग प्राधिकरण)

01.1.2022
 (अमित राठौर
 पी.टी.एस.
 विशेष ज्ञानीकारी
 लखनऊ विभाग प्राधिकरण)

प्रेषक,
अजय कुमार सिंह,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,
उपाध्यक्ष,
लखनऊ विकास प्राधिकरण,
लखनऊ।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-३

लखनऊ : दिनांक : 22 दिसम्बर, 2021

वं शहरी नियोजन अनुभाग-3

विषय :- श्री कुलदीप मेहरा पुत्र सेवाराम मेहरा निवासी 15/1 मदन मोहन मालवीय, लखनऊ को विकास प्राधिकरण द्वारा भूमि के एवज में मुआवजा दिलाये जाने विषयक।

महोदय,

महोदय,
उपर्युक्त विषयक उ0प्र0 विधान परिषद की विकास प्राधिकरणों, आवास विकास परिषद, जिला पंचायतों एवं नगर निगमों में व्याप्त अनियमितताओं पर अंकुश लगाने/जाँच किये जाने संबंधी समिति की बैठक दिनांक 09.11.2021 का संदर्भ ग्रहण करते हुए उप सचिव, विधान परिषद, समिति अनुभाग-2, विधान भवन, लखनऊ के पत्र संख्या-2935/वि0प0-समिति-2 दिनांक 06.12.2021 (छायाप्रति संलग्न) का कृपया अवलोकन करने का कष्ट करें। उप सचिव, विधान परिषद के उक्त पत्र के माध्यम से प्रकरण में मा0 समिति की बैठक दिनांक 09.11.2021 की कार्यवाही के उद्धरण उपलब्ध कराये गये हैं।

2— इस संबंध में उप सचिव, विधान परिषद के उक्त पत्र दिनांक 06.12.2021 के साथ संलग्न मा० समिति की उक्त बैठक दिनांक 09.11.2021 की कार्यवाही के उद्धरण प्रकरण में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही एवं कृत कार्यवाही से शासन को अवगत कराने हेतु संलग्नकर प्रेषित करने का मुझे निदेश हुआ है।

संलग्नक—यथोक्त

Sandhu
23/10/20
OSB (A) Lumb

Young - offshoot (mab)

भावदीय,

三

(अजय कुमार सिंह)

उप संचिव ।

उत्तर प्रदेश विधान परिषद् की "उत्तर प्रदेश विधान परिषद् की विकास प्राधिकरण, आवास विकास परिषद्, जिला पंचायतों एवं नगर निगमों में व्याप्त अनियमिताओं पर अंकुश लगाने/ जांच किये जाने के सम्बन्ध में समिति" की दिनांक 09 नवम्बर, 2021 को हुई साक्ष्य बैठक की कार्यवाही का उद्धरण :-

2—श्री कुलदीप मेहरा पुत्र सेवाराम मेहरा निवासी 15/1 मदन मोहन मालवीय, लखनऊ को विकास प्राधिकरण द्वारा भूमि के एवज में मुआवजा दिलाये जाने के सम्बन्ध में।

श्री सभापति

इस प्रकरण में क्या स्थिति है ?

श्री अक्षय त्रिपाठी

मान्यवर, यह प्रकरण श्री कुलदीप मेहरा की 1.9 हेक्टेयर भूमि से सम्बन्धित है, जो हमारी योजना में अर्जन से छूट गयी थी और उसके बाद इनके द्वारा अनुरोध किया गया था कि इस भूमि के बदले में इन्हें उचित प्रतिकर दिला दिया जाए या फिर कहीं और लैण्ड दिला दिया जाए। इसमें वर्ष 2015 में एल0डी0ए0 द्वारा निर्णय हुआ था कि मुचुअल कंसाइज से इसे वापस खरीद लिया जाए, उसके लिए जिलाधिकारी महोदय को पत्र लिखकर समिति की बैठक कराकर इसका रेट निर्धारित हुआ, जिस पर 100 प्रतिशत सॉल्यूशन भी लगाया गया था, जो 7.2 करोड़ रुपये प्रति हेक्टेयर था, उसके अनुसार इनकी भूमि का 1.36 करोड़ रुपये प्रतिकर देने का तय हुआ था। इस पर जमीन के मालिकों ने आपत्तियां दाखिल की, तो उसके बाद फिर से रि-कैल्कुलेशन होने के लिए गया। इसी बीच एस0डी0एम0 द्वारा इस भूमि को अकृषक घोषित कर दिया गया तो दिनांक 17.01.2017 को नयी नुकसान भरपाई घोषित हुई, वह 3.8 करोड़ थी, उसके बाद तत्कालीन वी0सी0 द्वारा इस पर आपत्ति की गयी और रि-कैल्कुलेशन के लिए वापस किया गया और इसी बीच दिनांक 16.08.2017 को एस0डी0एम0 द्वारा कृषक घोषित कर दिया गया, तत्पश्चात् समिति के समक्ष जब यह विषय रखा गया तो यह तय हुआ कि इनको प्रतिकर नहीं, इन्हें जमीन के बदले जमीन उपलब्ध कराएं। उसके बाद मई, 2018 में इस प्रस्ताव को बोर्ड में ले जाया गया, बोर्ड ने यह निर्णय लिया कि इनको जमीन उपलब्ध करायी जाए, परन्तु वह वर्ष 2002 के जी0ओ0 के तहत प्रस्ताव गया था और वर्ष 2002 का जो लिखित जी0ओ0 था, उसमें आवासीय समिति के लिए यह प्राविधान है। उसके बाद 2018 में तहसीलदार द्वारा आपसी सहमति के लिए पत्र भेजा गया, लेकिन उस समय कोई सहमति प्राप्त नहीं हुई, फिर शासन से इस विषय में दिनांक 25.09.2019 को एक पत्र प्राप्त हुआ, उसमें

के बदले जमीन चाहिए आप इनकी 1900 मीटर जमीन ले रहे हैं तो 1900 मीटर जमीन दूसरी जगह दे दें, तो एल0डी0ए० इस पर तैयार हुआ एल0डी0ए०, वी०सी० श्री अभिषेक प्रकाश जी ने यहां पर 02 माह पहले लिखकर भी दिया कि हमने इनको 03 विकल्प दे दिये हैं, इनकी सहमति आ जाएगी तो हम 15 दिन में रजिस्ट्री कर देंगे। इन्होंने अपनी सहमति सचिव, एल0डी0ए० के नाम से 07 अक्टूबर को दे दी, जिसकी रिसीविंग भी है और यहां पर लिखकर आ रहा है कि श्री रविकान्त शुक्ला, कृषका प्रोजेक्ट प्रा० लि० द्वारा प्राधिकरण के प्रस्तावों के सम्बन्ध में सहमति अभी तक उपलब्ध नहीं करायी गयी है, जबकि सहमति पत्र 01 माह पहले ही सचिव, एल0डी0ए० के पास दिया जा चुका है। उन्होंने अपनी सहमति दे दी, 245 मीटर कॉमर्शियल प्लॉट की सहमति दी है, वह कृषि रेट के हिसाब से जो पैसा बनता है, उस हिसाब से 245 मीटर आता है। अब उनका आवासीय रेट पर एस0डी0एम० ने कर दिया है तो उस पर उन्होंने बता भी दिया है कि हमारा आवासीय रेट तय हुआ है, उसी हिसाब से, उसी मानक से हमारा जो 245 मीटर है, उस पर आवासीय रेट के हिसाब से जो पैसा बनता है, वह बढ़ाकर हमको रजिस्ट्री कर दो, यह इनको दिये हुए डेढ़ माह हो गया, इस सम्बन्ध में मैंने सचिव, वी०सी०, और अपर मुख्य सचिव, श्री दीपक कुमार को अवगत कराया, अब डेढ़ माह से यह लोग इसे न तो बोर्ड में ले जा पा रहे हैं और न रजिस्ट्री कर पा रहे हैं, एक एल0डी0ए० वी०सी० आते हैं और कहते हैं कि 15 दिन में हम रजिस्ट्री कर देंगे, बस सहमति दे दें और सहमति दिये हुए सवा महीना हो गया है। अब यह नए वी०सी० महोदय आए है और यह कोई दूसरा फार्मूला बता रहे हैं।

श्री शतरुद्र प्रकाश

यह जो आख्या आयी है, उसमें कहीं नहीं लिखा है कि बोर्ड में ले जाने का निर्णय हुआ है। इसके पहले श्री अभिषेक प्रकाश, जो कि लखनऊ के जिलाधिकारी भी थे और उसके साथ-साथ उपाध्यक्ष का भी काम देख रहे थे, आज उन्होंने यह कहा कि अगर स्वीकृति आ जाएगी तो 15 दिन के अन्दर रजिस्ट्री की कार्यवाही कर दी जाएगी। एक वी०सी० मीटिंग में कहकर जाते हैं कि हमें स्वीकृति मिलने के 15 दिनों के अंदर रजिस्ट्री कर देंगे। 29 अक्टूबर को प्रमुख सचिव, आवास यह लिखकर देते हैं कि उन्होंने अभी तक सहमति उपलब्ध नहीं करायी है, श्री रविकान्त शुक्ला, कृषका प्रोजेक्ट द्वारा प्राधिकरण के प्रस्तावों के सम्बन्ध में सहमति अभी तक उपलब्ध नहीं करायी गयी है। श्री शुक्ला द्वारा सहमति उपलब्ध कराये जाने के उपरान्त प्राधिकरण स्तर से नियमानुसार अग्रेतर कार्यवाही किया जाना सम्भव हो सकेगा। क्या अभी तक विना नियम के चल रहा था, क्या सब नियमानुसार नहीं था, जब एक वी०सी० है।

से 1.36 लाख के हिसाब से 245 मीटर जमीन निकाली कि हम इनको रेट पर 245 मीटर दे सकते हैं।

श्री सभापति

जब यह 06 अक्टूबर की बात कर रहे हैं और इन्होंने अपनी आख्या में यह दिया हुआ है। यह सभी को समझा आ रहा है कि 06 अक्टूबर को उस भूमि की मार्केट वैल्यू है, जो रेट का सिर्टम है, वह बदल गया तो 07 अक्टूबर को उन्होंने अपनी सहमति दे दी, इस प्रकार तो फिर हम लोग आदेश पर आदेश करते जाएंगे, निर्णय कुछ नहीं आएगा।

श्री शतरुद्र प्रकाश

मान्यवर, हुआ यह कि 2-3 वर्ष पहले समिति यहां से मौके पर गयी थी, जब आप इस समिति में नहीं थे। बात यह थी कि इन्होंने कहा था कि यह कृषक भूमि है, जबकि यह कृषक जमीन नहीं थी।

श्री सभापति

कुल मिलाकर इनको यह बताना चाहिए और सम्बन्धित पक्षकार को यहां आना चाहिए, बुला लिया होता और वह बताते।

श्री संतोष यादव 'सनी'

सभापति महोदय, यहां से समिति मौके पर गयी थी, जिलाधिकारी, लखनऊ गए थे, एल0डी0ए0; वी0सी0 गए थे। मेन चीज इसमें यह है कि उसमें जिला प्रशासन उसमें कृषि रेट लगा रहा था और मौके पर एल0डी0ए0 ने वहां 35 वर्षों से 300 300 स्क्वायर फीट के मकान बना रखे हैं, उस बीच में आपका 55 वर्षों से मकान है तो यह झगड़ा चल रहा था कि हम कृषि का रेट क्यों लें?

श्री शतरुद्र प्रकाश

उसका कारण स्पष्ट है कि क्या सम्बन्धित आवेदक, कृषक भूमि का पैसा लेंगे ?

श्री रवि शंकर सिंह 'पप्पू भैया'

वी0सी0 महोदय का कहना है कि यह मामला बोर्ड में जाएगा और बोर्ड निर्णय लेगा, उसके बाद ही यह पैसा देंगे।

श्री अक्षय त्रिपाठी

मान्यवर, एक चीज और बताना चाहूंगा कि गत बैठक और इस बैठक के बीच में लत्कालीन वी0सी0 महोदय ने एक आदेश पारित किया था कि कोई भी समायोजन प्राधिकरण रितर पर नहीं होगा, तो इसलिए बोर्ड में ले जाने की जरूरत है कि समायोजन पर रोक प्राधिकरण रितर पर उनके आदेश से लागू है।

श्री सभापति

किसका आदेश है ?

श्री अक्षय त्रिपाठी

मान्यवर, पिछली बोर्ड की बैठक को 03 माह हा १५.८.०० की बैठक इसी महीने में लग जानी चाहिए, फाइल हमने प्रेषित की हुई है और 30 अक्टूबर वर्गे इसका प्रस्ताव भी बोर्ड के लिए प्रेषित कर दिया गया है।

श्री संतोष यादव 'सनी'

प्रस्ताव आपने क्या बनाया है, क्या इसकी जानकारी देंगे ?

श्री अक्षय त्रिपाठी

मान्यवर, प्रस्ताव में यही सारे फैक्ट्स हमने लाइनअप किए हैं और उसके बाद जो भी बोर्ड उसमें निर्णय लें कि भूमि देनी है, भूमि किस रेट पर देनी है, वह निर्णय होकर आएगा।

श्री संतोष यादव 'सनी'

भूमि ही देनी है, ना ?

श्री अक्षय त्रिपाठी

मान्यवर, इसमें तीनों विकल्प दिए गए थे।

श्री रवि शंकर सिंह 'पप्पू भड़या'

आपने क्या विकल्प दिया है ?

श्री संतोष यादव 'सनी'

आपसे पहले, वी०सी०, एल०डी०ए० श्री अभिषेक प्रकाश जी ने जो तीन विकल्प दिए थे, वही आप बोर्ड में ले जा रहे हैं ?

श्री अक्षय त्रिपाठी

मान्यवर, बोर्ड में वर्ष 2015 से लेकर आज तक की जो कार्यवाही हुई है वह सारी बोर्ड में ले जा रहे हैं।

श्री संतोष यादव 'सनी'

आप बोर्ड में तो प्वाइंट आउट करेंगे ना, कि यह कुलदीप मेहरा का है।

श्री अजय चौहान

मान्यवर, बोर्ड में जो प्रस्तावना जाती है, उसमें बैकग्राउण्ड में तो संलिखा जाता है, लेकिन अनुसोदन हेतु जो बिन्दु सम्भवतः रखे होंगे, वही रखें होंगे।

श्री रवि शंकर सिंह 'पप्पू भड़या'

आपने कौन सा विकल्प चुना है, वह बताएं ?

श्री संतोष यादव 'सनी'

मान्यवर, आप उनके 1900 मीटर के स्थान पर 245 मीटर दे रहे हैं तां उसी पर उन्होंने सहमति दी है और साथ में यह कहा है कि आपने 1.36 लाख का जो कृषि रेट के हिसाब हमें आपने 245 मीटर दिया है। अब वह एस०डी०एम० का हवाला देते हुए आवासीय का रेट जो बढ़ा हो, उसी अनुपार में हमारा 700 मीटर जो भी निकलेगा, आपको वही देना है। अभी आप एवं करोड़ 36 लाख के हिसाब से दे रहे हैं। आपको यह बोर्ड में ले जाना है, बोर्ड में कर्जनके खातान्को शामन को देना है।

“मान्यवर यादव सना”

आप गारंटी लेंगे ?

श्री अजय चौहान

मान्यवर, मैं बोर्ड की गारंटी कैसे ले सकता हूँ।
श्री संतोष यादव ‘सनी’

मैं तो कहता हूँ कि इसे बोर्ड में ले जाने की कोई जरूरत ही नहीं है। जब कुलदीप मेहरा का प्रकरण आप एक बार बोर्ड में ले जा चुके हैं, बोर्ड ने यह तथ्य कर दिया है कि इनको जमीन के बदले आप जमीन दे दीजिए तो आज भी आप जमीन के बदले जमीन दे रहे हैं, जो आप 245 मीटर दे रहे हैं, अब वह आगे के रेट के हिसाब से 600, 700, 800 मीटर हो जायेगा, बस यही फर्क है।

श्री अजय चौहान

मान्यवर, इसमें 06 तारीख को निर्णय हुआ, 06 तारीख से पहले उसके रेट का डिफरेंस देखिए। 06 तारीख के पहले के रेट पर अगर सहमति होती है, फिर तो कोई आपत्ति नहीं है, उस पर सहमत हैं यह लोग।

श्री संतोष यादव ‘सनी’

आप कौन सी तारीख बता रहे हैं, उस रेट पर कोई क्यों लेगा ?
श्री अजय चौहान

मान्यवर, परिस्थिति जब बदल गई है तो उसे बोर्ड के संज्ञान में लानी होगी, चूंकि अब एक नया तथ्य सामने आया है, जो उस समय वी0सी0 श्री अभिषेक प्रकाश के समय नहीं था, तो उस नए तथ्य को बोर्ड के संज्ञान में लाना होगा।

श्री रविशंकर सिंह ‘पप्पू भड़या’

आप यह बताइये कि अभिषेक प्रकाश का 16/3 वाला है, 16/3 को इन्होंने आपसे कहा और सातवें महीने में आप दे रहे हैं और 06 तारीख को
श्री अजय चौहान

मान्यवर, एक अनुरोध है कि कुछ मूल्यांकन का अंतर है तो इसे एक बार बोर्ड में ले जाने के लिए अनुमति दे दी जाये। यह अनुमान नहीं लगाया अवगत कराएंगे।

श्री अशोक धवन

श्री कुलदीप मेहरा की आवासीय जमीन आपने अधिग्रहीत की है, आपने अकृषक हुई तो आपने कोई प्रस्ताव नहीं दिया और जब कृषक से गई तो आपने प्रस्ताव दे दिया, जो बात आप कुलदीप मेहरा के लिए कह रहे हैं, वही बात आप पर भी लागू होती है। अगर कुलदीप मेहरा ने अकृषक होने के बाद सहमति दी तो आपने भी विकल्प नहीं किए होंगे यहाँ बैठे हैं।

स्थिति में जब आपने उसको स्वीकार किया कि भूल हुई है, यह विकास प्राधिकरण ने स्वीकार विज्ञा और इसके बाद बोर्ड में गया, बोर्ड ने यह आर्डर किया कि इनको इसके एवज में उस मालियत के हिसाब से जमीन दी जाये। अब इस पर पुनः वी०सी०, एल०डी०ए० ने विकल्प दिये, इन्होंने विकल्प दिया 07 अक्टूबर को, क्योंकि 06 तारीख को एक नया वैलुएशन से संबंधित एक चीज कृषक से अकृषक उन्होंने कर दिया तो इसलिए आपके मन में या विकास प्राधिकरण के मन में यह है कि यह विषय एक बार बोर्ड को जाना चायोचित होगा, कहीं ऐसा न हो कि आगे कोई दिक्कत हो। चूंकि आप भी उस बोर्ड में सम्मानित सदस्य हैं, डी०ए०म०, लखनऊ भी सम्मानित सदस्य हैं, आपने प्रकरण को ठीक ढंग से समझा है मैं अपनी तरफ से यह कह रहा हूं कि एक बार अवसर निकाल कर बोर्ड की बैठक के पहले, आप स्थलीय निरीक्षण अवश्य कर लें। इससे यह लाभ होगा कि आपका भी माइंड सेट हो जायेगा कि वास्तविकता क्या है। दूसरी चीज यह कि जब बोर्ड में इस विषय पर चर्चा होगी तो आप भी बोर्ड में यह विषय रखेंगे, चूंकि डी०ए०म०, लखनऊ के पास बहुत से ऐसे विषय होंगे और अब यह विषय चूंकि विकास प्राधिकरण, लखनऊ का आपके पास है तो आप इस बात को उसमें रखेंगे, क्योंकि आपके डी०ए०म०, लखनऊ तत्कालीन वी०सी०, एल०डी०ए० द्वारा ही यह विकल्प दिये गये थे। चूंकि इस समय रेट के उतार-चढ़ाव के नाते मैंने इस बात को बोर्ड में रखना उचित समझा था, ऐसी स्थिति में इनके साथ चाय हो और चूंकि वह पहले से आबादी की भूमि है इसलिए इनको आबादी की भूमि ही मिलनी है।

श्री शतरूद्र प्रकाश

सम्भापति महोदय, यह नए वी०सी० आए हैं, थोड़ा तथ्यों के बारे में पृष्ठभूमि पता हो, आप उस जमीन को वापस करना चाहें तो कर दीजिए, लेकिन आप उस जमीन को वापस नहीं कर पायेंगे, क्योंकि आपने जितने भी वहां पर प्लॉट हैं, सबको रजिस्ट्री कर के बेचा है और उसमें आपने उस जमीन को पार्क का हिस्सा दिखाया है, आप जमीन वापस करिये आप पर 420 का मुकदमा चलेगा।

श्री संतोष यादव 'सनी'

वी०सी० महोदय आप बोर्ड में ले जाइये। आपको लग रहा है कि अभी एग्रीकल्वर के 1 करोड़ 36 लाख पर हम इनको 275 मीटर दे सकते हैं अब इनका कोर्ट के निर्णय से आबादी का आ गया उस हिसाब से 3.76 लाख है, तो आप 3.76 लाख पर जमीन का मादक बढ़ जायेगा, वही 700 मीटर हो सकता है आपके मानक के हिसाब से 700-800 मीटर आ जाये, आप उनको 700-800 मीटर की रजिस्ट्री कर दीजिये। आप उनके वैल्यू पर ही उंतनी जमीन दे रहे हैं, तो वैल्यू पर आप बोर्ड में ले जाकर करा दीजिए।

श्री अजय चौहान

मान्यवर, इसमें अगर आप उचित समझें तो तज्ज्वर बोर्ड का निर्णय करें तो

**लखनऊ विकास प्राधिकरण बोर्ड की 172वीं बैठक दिनांक
15 दिसम्बर, 2021 का कार्यवृत्त**

लखनऊ विकास प्राधिकरण बोर्ड की 172वीं बैठक, बोर्ड अध्यक्ष श्री रंजन कुमार, आयुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई, जिसमें निम्न सदस्य उपस्थित हुए:-

उपस्थिति:-

01. श्री अक्षय त्रिपाठी
 02. श्री धर्मेन्द्र वर्मा
 03. श्री ए०एस० भाटी
 04. श्री अभय पाण्डेय
 05. श्री पी०के० सिंह
 06. श्री ए०के० मिश्रा
 07. सुश्री रेखा श्रीवास्तव
 08. श्री अनुपम श्रीवास्तव
 09. श्री पी०एन० सिंह
 10. श्री पुष्कर शुक्ला
 11. श्री राम कृष्ण यादव
 12. श्री राघवराम तिवारी
 13. श्री संजय सिंह राठौर
 14. श्री मुस्तिर अली 'मंशू'
- उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण।
 वित्त नियंत्रक, आवास एवं विकास परिषद, प्रतिनिधि—अपर मुख्य सचिव,
 वित्त विभाग, उ०प्र० शासन।
 महाप्रबन्धक, प्रतिनिधि—प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम।
 अपर नगर आयुक्त प्रतिनिधि—नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ।
 अधीक्षण अभियन्ता, प्रतिनिधि—आवास आयुक्त, उ०प्र० आवास एवं विकास
 परिषद।
 नगर नियोजक प्रतिनिधि—मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उ०प्र० नगर एवं
 ग्राम नियोजन विभाग।
 सहायक आयुक्त, प्रतिनिधि—संयुक्त आयुक्त, उद्योग, लखनऊ मण्डल,
 लखनऊ।
 क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी, प्रतिनिधि—महानिदेशक पर्यटन, उ०प्र०।
 सदस्य, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ।
 सदस्य, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ।
 पार्षद/सदस्य, लखनऊ विकास प्राधिकरण।
 पार्षद/सदस्य, लखनऊ विकास प्राधिकरण।
 पार्षद/सदस्य, लखनऊ विकास प्राधिकरण।
 पार्षद/सदस्य, लखनऊ विकास प्राधिकरण।

अन्य उपस्थिति:-

15. श्री पवन कुमार गंगवार
 16. श्री ज्ञानेन्द्र वर्मा
 17. श्री राजीव कुमार सिंह
 18. श्री इन्दु शेखर सिंह
 19. श्री नितिन मित्तल
 20. श्री राम शंकर सिंह
 21. श्री शशिभूषण पाठक
 22. श्री माधवेश कुमार
- सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण।
 अपर सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण।
 वित्त नियंत्रक, लखनऊ विकास प्राधिकरण।
 मुख्य अभियन्ता, लखनऊ विकास प्राधिकरण।
 मुख्य नगर नियोजक, लखनऊ विकास प्राधिकरण।
 विशेष कार्याधिकारी, लखनऊ विकास प्राधिकरण।
 तहसीलदार, लखनऊ विकास प्राधिकरण।
 उपसचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण।

सर्वप्रथम् उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ द्वारा अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण बोर्ड/आयुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ का औपचारिक स्वागत किया गया। तदुपरान्त बोर्ड बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। बोर्ड बैठक की विषय सूची में सम्मिलित विभिन्न विषयों/मदों पर निम्नवत् निर्णय लिया गया:-

मद सं०	विषय	निर्णय
172/1	लखनऊ विकास प्राधिकरण बोर्ड की बैठक दिनांक 08.06.2021 के कार्यवृत्त का पुष्टिकरण।	प्राधिकरण की उक्त बैठक में प्रतिभाग करने वाले समस्त सदस्यों को कार्यवृत्त प्रेषित किया गया था। किसी भी सदस्य द्वारा कार्यवृत्त के सम्बन्ध में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं करायी गयी है। अतः सर्वसम्मति से कार्यवृत्त की पुष्टि की गई।
172/2	लखनऊ विकास प्राधिकरण बोर्ड की बैठक दिनांक 08.06.2021 में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या।	प्रस्तुत की गयी अनुपालन आख्या का अवलोकन किया गया एवं विषय संख्या-5 पर निम्नांकित निर्देश दिये गये:-

		<ul style="list-style-type: none"> प्राधिकरण के रिक्त फ्लैटों को एकमुश्त विक्रय किये जाने के सम्बन्ध में निर्देश दिये गये कि रिक्त फ्लैटों के क्रय/विक्रय/सेल एग्रीमेन्ट पर पुनर्विकाश कर अवगत करायें।
172/3	अमर शहीद पथ से चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट को जोड़ने वाले वैकल्पिक मार्ग के संरेखण में एलीवेटेड फ्लाई ओवर के निर्माण के सम्बन्ध में परिचालन के माध्यम से पारित प्रस्ताव का पुष्टिकरण।	परिचालन के माध्यम से अमर शहीद पथ से चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट को जोड़ने वाले वैकल्पिक मार्ग के संरेखण में एलीवेटेड फ्लाई ओवर के निर्माण विषयक पारित प्रस्ताव की पुष्टि की गई।
172/4	नादान महल रोड पर नवभारत पार्क में मल्टीलेविल पार्किंग को नगर निगम, लखनऊ को हस्तांतरित किये जाने के सम्बन्ध में।	सम्यक् विचारोपरान्त बोर्ड द्वारा नादान महल रोड पर नवभारत पार्क रिथित मल्टीलेविल पार्किंग के नगर निगम, लखनऊ को हस्तांतरित किये जाने विषयक प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
172/5	लखनऊ विकास प्राधिकरण की मोहान रोड आवासीय योजना को निजी विकासकर्ता के माध्यम से लाईसेंस के आधार पर विकसित करने के सम्बन्ध में।	सम्यक् विचारोपरान्त लखनऊ विकास प्राधिकरण की मोहान रोड आवासीय योजना को लाईसेंस के आधार पर निजी विकासकर्ता में0 ओमेक्स लि0 के माध्यम से विकसित किये जाने विषयक प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
172/6	उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा-12-क के अन्तर्गत मॉडल उपविधि "विकास प्राधिकरण (मुख्य मार्गों से सटे कतिपय भवनों के अग्रभाग की अनुरक्षण एवं मरम्मत) उपविधि-2021" के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में।	सम्यक् विचारोपरान्त बोर्ड द्वारा उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा-12-क के अन्तर्गत मॉडल उपविधि "विकास प्राधिकरण (मुख्य मार्गों से सटे कतिपय भवनों के अग्रभाग की अनुरक्षण एवं मरम्मत) उपविधि-2021" अंगीकृत किये जाने विषयक प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।
172/7	उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा-16 के परन्तुक के अधीन उपविधि बनाये जाने के सम्बन्ध में।	सम्यक् विचारोपरान्त बोर्ड द्वारा उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा-16 के परन्तुक के अधीन उपविधि बनाये जाने के सम्बन्ध में विकास प्राधिकरणों (योजनाओं के उल्लंघन में भूमि एवं भवनों का उपयोग जारी रखने हेतु) मॉडल उपविधि-2021 के क्रियान्वयन से सम्बन्धित अधिसूचना के अंगीकरण का प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
172/8	लखनऊ विकास प्राधिकरण के विभिन्न योजनाओं में रिक्त फ्लैटों के फ्रीज मूल्यों की समयवृद्धि 01 वर्ष बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में।	सम्यक् विचारोपरान्त बोर्ड द्वारा लखनऊ विकास प्राधिकरण के विभिन्न योजनाओं में रिक्त फ्लैटों के फ्रीज मूल्यों की समयवृद्धि पुनः 01 वर्ष बढ़ाये जाने पर बोर्ड द्वारा सहमति प्रदान की गई।
172/9	मूल्यांकन अनुभाग के कार्यों को सम्पादित किये जाने हेतु आउट-सोर्सिंग से वरिष्ठ सहायक कास्ट	सम्यक् विचारोपरान्त बोर्ड द्वारा मूल्यांकन अनुभाग के कार्यों को सम्पादित किये जाने हेतु आउट-सोर्सिंग के माध्यम से 01 वरिष्ठ सहायक

	एकाउन्टेन्ट की सेवायें प्राप्त किये जाने के सम्बन्ध में।	कास्ट एकाउन्टेन्ट की सेवायें (एक वर्ष तक) प्राप्त किये जाने विषयक प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।
172 / 10	लखनऊ विकास प्राधिकरण के अकेन्द्रियत सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारियों/ कर्मचारियों एवं पारिवारिक पेंशनरों को पेंशन/पारिवारिक पेंशन प्रतिमाह भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में।	सम्यक् विचारोपरान्त बोर्ड द्वारा लखनऊ विकास प्राधिकरण के अकेन्द्रियत सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारियों/ कर्मचारियों एवं पारिवारिक पेंशनरों को पेंशन/पारिवारिक पेंशन के प्रतिमाह भुगतान किये जाने विषयक प्रस्ताव को इस प्रतिबन्ध के साथ अनुमोदित किया गया कि मात्र आवश्यक धनराशि ही अधिष्ठान मद से प्रत्येक माह अकेन्द्रियत पेंशन फण्ड खाते में हस्तान्तरित की जायेगी।
172 / 11	स्व0 श्री श्रीराम कश्यप, बेलदार की सेवाकाल के दौरान चिकित्सा पर व्यय धनराशि इनकी पत्नी को प्रतिपूर्ति किये जाने के सम्बन्ध में।	प्रस्तुत प्रस्ताव सम्बन्धित शासनादेशों/नियमों के आलोक में पुनर्परीक्षण हेतु रथगित किया गया।
172 / 12	श्री हरि प्रसाद, प्लम्बर की चिकित्सा पर व्यय धनराशि की प्रतिपूर्ति किये जाने के सम्बन्ध में।	प्रस्तुत प्रस्ताव सम्बन्धित शासनादेशों/नियमों के आलोक में पुनर्परीक्षण हेतु रथगित किया गया।
172 / 13	मा0 अंकुश समिति के समक्ष विचाराधीन प्रकरण बाबत अनार्जित खसरा संख्या—36 क्षेत्रफल 0.190 हेठो स्थित ग्राम—औरंगाबाद खालसा, लखनऊ की भूमि के सम्बन्ध में।	सम्यक् विचारोपरान्त बोर्ड द्वारा मा0 अंकुश समिति के समक्ष विचाराधीन प्रकरण बाबत अनार्जित खसरा संख्या—36 क्षेत्रफल 0.190 हेठो स्थित ग्राम—औरंगाबाद खालसा, लखनऊ की भूमि के सम्बन्ध में निर्देश दिये गये कि मा0 अंकुश समिति की बैठक दिनांक 09.11.2021 के कार्यवृत्त के आलोक में प्रस्ताव पुनः आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत किया जाय।
172 / 14	विधान सभा की मा0 याचिका समिति के समक्ष विचाराधीन गोमती नगर विस्तार योजना, से0-4 के अन्तर्गत समायोजित भूखण्ड संख्या—4/385-एस, सक्षम स्तर से अनुमोदित न होने के कारण समायोजन निरस्त कर जमा धनराशि व्याज सहित वापस करने का निर्णय तत्कालीन उपाध्यक्ष द्वारा लिया जा चुका है, अतः आवंटी के पक्ष में आवंटन को पुनर्जीवित कर समायोजन को वैध करते हुए निबन्धन की कार्यवाही करने अथवा आवंटी की जमा धनराशि, धनराशि वापसी की तिथि को प्रचलित आर0बी0आई0 के एम0सी0एल0आर0 दर पर व्याज सहित वापस करने के सम्बन्ध में।	सम्यक् विचारोपरान्त बोर्ड द्वारा निर्देश दिये गये कि विधान सभा की मा0 याचिका समिति की बैठक दिनांक 22.11.2021 के कार्यवृत्त के आलोक में प्रस्ताव पुनः आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत किया जाय।

172 / 15	गोमती नगर योजना के विक्रान्त खण्ड स्थित बजट होटल को ई-ऑक्शन के माध्यम से लीज पर दिये जाने की अनुमति के सम्बन्ध में।	सम्यक् विचारोपरान्त बोर्ड द्वारा गोमती नगर योजना के विक्रान्त खण्ड स्थित बजट होटल को ई-ऑक्शन के माध्यम से लीज पर दिये जाने विषयक प्रस्ताव इस शर्त के साथ अनुमोदित किया गया कि इस हेतु कंसलटेन्ट का चयन कर लिया जाय। तत्पश्चात् ई-टेप्डर आमंत्रित कर बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त करते हुए लीज पर दिये जाने के सम्बन्ध में अग्रेतर कार्यवाही की जाय।
172 / 16	One Map ग्रेटर नोएडा की तर्ज पर One Map लखनऊ तैयार किये जाने के सम्बन्ध में।	सम्यक् विचारोपरान्त बोर्ड द्वारा One Map ग्रेटर नोएडा की तर्ज पर One Map लखनऊ तैयार किये जाने विषयक प्रस्ताव स्मार्ट सिटी को भेजने के निर्देश दिये गये।

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अनुपूरक विषय

अनु०वि० 172 / 01	सी०जी० सिटी चकगंजरिया परियोजना अन्तर्गत विभिन्न प्रयोजनों हेतु भूखण्डों की दर फ्रीज किये जाने के सम्बन्ध में।	सम्यक् विचारोपरान्त बोर्ड द्वारा सी०जी० सि�टी चकगंजरिया परियोजनान्तर्गत विभिन्न प्रयोजनों हेतु भूखण्डों की दर 01 वर्ष तक फ्रीज किये जाने विषयक प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
अनु०वि० 172 / 02	प्रधानमंत्री आवास योजना के निर्माण एवं विकास कार्य हेतु प्राधिकरण स्त्रोतों से भुगतान करने के सम्बन्ध में।	सम्यक् विचारोपरान्त बोर्ड द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के निर्माण एवं विकास कार्य हेतु प्राधिकरण स्त्रोतों से भुगतान करने एवं उसका समायोजन शासन से मिलने वाली धनराशि से करने विषयक प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
अनु०वि० 172 / 03	लखनऊ विकास प्राधिकरण क्षेत्रान्तर्गत नियोजित कालोनियों में भू-उपयोग परिवर्तन/इम्पैक्ट फीस लेते हुए आवासीय भूखण्डों पर अनावासीय क्रियाओं की अनुमन्यता के सम्बन्ध में।	सम्यक् विचारोपरान्त बोर्ड द्वारा विकास प्राधिकरण की योजनाओं एवं प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत की गई योजनाओं में महायोजना-2031 के जोनिंग रेगुलेशन्स के अन्तर्गत सामुदायिक, वाणिज्यिक एवं कार्यालय उपयोग जोनिंग रेगुलेशन की समस्त अपेक्षायें पूरी करते हुए महायोजना में निर्दिष्ट प्रभाव शुल्क का दोगुना तथा अन्य शुल्क लेते हुए निर्धारित शर्तों के साथ प्रस्ताव अनुमोदित किया गया, परन्तु इसमें कुछ क्रियाओं यथा—नीलामी बाजार, कॉल्ड स्टोरेज (शीतगृह), होटल, मोटल, रिजार्ट, सिनेमा, मल्टीप्लेक्स (बहुसामुच्च), पेट्रोल/डीजल/सीएनजी फिलिंग स्टेशन, गैस गोदाम, गैस अधिष्ठान, जंकयार्ड/कबाड़खाना, भण्डारण गोदाम, वेयर- हाउसिंग, मोटर वाहनों के स्पेयर पार्ट्स की बिक्री हेतु दुकान, वाहन क्रय-विक्रय/कार्यशाला/सहायक सामग्री केन्द्र, औद्योगिक, धर्मशाला, बोर्डिंग/लॉजिंग हाउस, छात्रावास, सभा भवन, सामुदायिक भवन, बारात घर, बंकेट हॉल की अनुमति नहीं दी जायेगी। यह अनुमन्यता

		24मी0 व 24मी0 से अधिक चौड़े मार्गों पर ही होगी। साथ ही केस टू केस समस्त प्रकरण बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किये जाने के भी निर्देश दिये गये।
अनु०वि० 172 / 04	लखनऊ विकास प्राधिकरण के कर्मचारियों को वर्तमान समय में मिल रहे वर्दी धुलाई भत्ता एवं अधिकारियों/ कर्मचारियों को देय चिकित्सा भत्ते की दरों में वृद्धि के सम्बन्ध में।	सम्प्र० विचारोपरान्त बोर्ड द्वारा लखनऊ विकास प्राधिकरण के कर्मचारियों को वर्तमान समय में मिल रहा वर्दी धुलाई भत्ता ₹ 50 से बढ़ाकर ₹ 0 150 एवं अधिकारियों/कर्मचारियों को देय चिकित्सा भत्ता ₹ 0 300 से बढ़ाकर ₹ 0 1000 किये जाने की अनुमति प्रदान की गई।

उपाध्यक्ष, ल०वि०प्रा० द्वारा धन्यवाद ज्ञापन के उपरान्त बैठक समाप्त की गयी।

(पवन कुमार गंगवार)

सचिव, ल०वि०प्रा०,

लखनऊ।

(अक्षय त्रिपाठी)
उपाध्यक्ष, ल०वि०प्रा०,
लखनऊ।

अनुमोदित

(रंजन कुमार)

अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण,
एवं आयुक्त, लखनऊ मण्डल,
लखनऊ।

मा० याचिका समिति की बैठक दिनांक 28.12.2021
 तैयारी बैठक दिनांक 24.12.2021 / ई-मेल
 संख्या-3600 / आठ-३-२०२१

प्रेषक,

०१०
०८६७०

सेवा में,

अजय कुमार सिंह,
 उप सचिव,
 उत्तर प्रदेश शासन।

१. उपाध्यक्ष,
 कानपुर, लखनऊ एवं गोरखपुर,
 विकास प्राधिकरण।

२. सचिव,
 उ०प्र० भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण,
 लखनऊ।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-३

लखनऊ : दिनांक : 22 दिसम्बर, 2021

विषय:-उ०प्र० विधान सभा की मा० याचिका समिति की बैठक दिनांक 28.12.2021 के संबंध में।
 महोदय,

उपर्युक्त विषयक संयुक्त सचिव, समिति (सामान्य) अनुभाग-३ विधान सभा के अर्द्धशा० पत्र संख्या-5453 / 1533 / या०स० / 2020 दिनांक 21.12.2021 एवं संख्या-5287 / 1545 / या०स० / 2020 दिनांक 07.12.2021 (छायाप्रतियों संलग्न) का कृपया अवलोकन करने का कष्ट करें। संयुक्त सचिव, विधान सभा, के उक्त पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि उ०प्र० विधान सभा की मा० याचिका समिति की साक्ष्य बैठक दिनांक 28.12.2021 को अपराह्न 01:30 बजे कक्ष संख्या-44 "ख" विधान भवन, लखनऊ में निर्धारित है। संयुक्त सचिव, विधान सभा के उक्त पत्र के साथ मा० समिति के समक्ष साक्ष्य हेतु सूचीबद्ध प्रकरणों की सूची भी उपलब्ध करायी गयी है। संयुक्त सचिव, विधान सभा समिति (सामान्य) अनुभाग-३ के पत्र दिनांक 07.12.2021 के माध्यम से उ०प्र० विधान सभा की मा० याचिका समिति की बैठक दिनांक 22.11.2021 की कार्यवाही की प्रति उपलब्ध करायी गयी है।

२— मा० समिति की साक्ष्य बैठक से पूर्व दिनांक 24.12.2021 को पूर्वाह्न 11:00 बजे प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ०प्र० शासन की अध्यक्षता में उनके श्री लाल बहादुर शास्त्री भवन, प्रथम तल स्थित कार्यालय कक्ष में तैयारी बैठक आहूत की गयी है।

३— अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निवेश हुआ है कि कृपया प्रश्नगत प्रकरण में मा० याचिका समिति की साक्ष्य बैठक दिनांक 22.11.2021 में दिये गये निर्देशों के क्रम में सूचीबद्ध प्रकरणों की सूची में क्रमांक-१, ५, ६, ७, ११, १२ एवं १३ पर अंकित प्रकरणों के संबंध में अद्यतन आख्या आज ही उपलब्ध कराने तथा उक्त तैयारी बैठक दिनांक 24.12.2021 में प्रतिभाग करने हेतु भिज्ञ चरिष्ठ अधिकारी को निर्देशित करते हुए मा० समिति की साक्ष्य बैठक दिनांक 28.12.2021 में संसमय प्रतिभाग करने का कष्ट करें। लखनऊ मुख्यालय से बाहर स्थित अधिकारियों द्वारा उक्त तैयारी बैठक में ऑन लाईन प्रतिभाग किया जा सकेगा। बैठक हेतु आई०डी० / पासवर्ड यथा समय उपलब्ध करा दिया जायेगा।

संलग्नक: यथोक्त।

भवदीय,

(अजय कुमार सिंह)

उप सचिव।

संख्या-3600(1) / आठ-३-२०२१-तददिनांक।

प्रतिलिपि निन्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

१. अनु सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-२ को सूचनार्थ प्रेषित।
२. निजी सचिव, प्रमुख सचिव / सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग।

आज्ञा से,

(अजय कुमार सिंह)

उप सचिव।

हृ-मेल / विधान सभा की मा० याचिका समिति प्रक्र

साक्ष्य बैठक / दिनांक २८-१२-२०२१

तैयारी बैठक / दिनांक २४-१२-२०२१

संख्या-२५९९ / आठ-२-२०२१-०१ बैठक / ०७टी०सी०

प्रेषक,

धर्मेन्द्र कुमार पाठक,

अनु सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आवास आयुक्त,

उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद
लखनऊ।

आवास एवं शाहरी नियोजन अनुभाग-२

लखनऊ : दिनांक २६ दिसम्बर, २०२१

विषय—उत्तर प्रदेश की मा० याचिका समिति की दिनांक २८-१२-२०२१ को आहूत बैठक के सम्बन्ध में।

यहोदय,

उपर्युक्त विषयक संयुक्त सचिव, विधान सभा सचिवालय, समिति (सामान्य) अनुभाग-३ के अद्वैशा० पत्र संख्या-५४३३/१५३३/या०स०/२०२० दिनांक २१-१२-२०२१ (छायाप्रति संलग्न) का वृप्त्या सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त पत्र के माध्यम से उत्तर प्रदेश विधान सभा की मा० याचिका समिति (२०१९-२०), की दिनांक २८-१२-२०२१ को समय १३:३० बजे विधान भवन स्थिति समिति कक्ष संख्या-४४ ख' में आयोजित साक्ष्य बैठक में उपस्थित होने एवं प्रकरणों की प्रगति आख्या की ३०-३० प्रतियां दिनांक २४-१२-२०२१ तक उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी है।

प्रभुत्व सचिव, आवास एवं शाहरी नियोजन विभाग द्वारा मा० समिति की साक्ष्य बैठक से पूर्व दिनांक २४-१२-२०२१ को पूर्वान्ह ११:०० बजे तैयारी बैठक आहूत किये जाने एवं लखनऊ के बाहर के अधिकारियों को वीडियो कानफेन्सिंग के माध्यम से तैयारी बैठक में प्रतिभाग करने के आदेश दिये गये हैं।

२— इस प्राज्ञान्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वृप्त्या संलग्न सूची में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से सम्बन्धित प्रकरणों के सम्बन्ध में की गयी कार्यवाही की अद्यावधिक स्थिति की आख्या आज ही उपलब्ध कराने का कष्ट करें तथा उक्त निर्धारित तिथि एवं समय पर आयोजित तैयारी बैठक एवं साक्ष्य बैठक में पूर्ण सूचनाओं सहित प्रतिभाग करने का कष्ट करें।

संलग्नक— उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

धर्मेन्द्र कुमार पाठक
अनु सचिव।

२२।१२।२०२१

संख्या—2599 (1)/आठ 2-2021, रावदिनांक।

उक्त की प्रतिलिपि संलग्नक संहित निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

- 1— समस्त अनुभाग, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग को इस आशय से प्रेषित कि कृपया अपने से सम्बन्धित प्रकरण के विषय में की गयी कार्यवाही की अद्यतन स्थिति से समिति अनुभाग-2 को सम्मय अवगत कराते हुए उसकी फैक्ट शीट तैयार कर दिनांक 24-12-2021 तक बैठक में प्रतिभाग करने वाले अधिकारियों के नाम एवं पदनाम सहित आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-2 को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

सूच्य है कि प्रमुख सचिव महोदय द्वारा माठ समिति की साक्ष्य बैठक से पूर्व दिनांक 24-12-2021 को पूर्वान्ह 11:00 बजे तैयारी बैठक आहूत किये जाने एवं लखनऊ के बाहर के अधिकारियों को वीडियो कानफेस्टिव के माध्यम से तैयारी बैठक में प्रतिभाग करने के आदेश दिये गये हैं। अतएव साक्ष्य बैठक में प्रतिभाग किए जाने हेतु सम्बन्धित फील्ड के अधिकारियों को संगत सूचना/अभिलेखों के सहित अपने स्तर से आमंत्रित करते हुए साक्ष्य बैठक/तैयारी में प्रतिभाग करने हेतु सूचित करने का कष्ट करें।

उक्त के साथ ही कृपया संलग्न सूची में अपने अनुभाग से संबंधित प्रकरणों को चिन्हित/पुष्टि कर आज ही आवास अनुभाग-2 को अवगत कराने का कष्ट करें।

- 2— निजी सचिव, प्रमुख सचिव/सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग।
 3— निजी सचिव, समस्त विशेष सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग।
 4— संयुक्त सचिव/समस्त उप सचिव/समस्त अनुसचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग।
 4— स्वागत अधिकारी, प्रवेश पत्र कार्यालय, ऐनेकसी भवन को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त निर्धारित तिथि एवं समय पर (दिनांक 24-12-2021 को पूर्वान्ह 11:00 बजे) प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के कार्यालय कक्ष में आहूत तैयारी बैठक में प्रतिभाग करने वाले अधिकारियों का प्रवेश पत्र निर्गत करने का कष्ट करें।
 5— मुख्य स्वागत अधिकारी, प्रवेश पत्र कार्यालय गेट नं-9 को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त निर्धारित तिथि एवं समय पर (दिनांक 28-12-2021 को समय 13:30 बजे) आहूत साक्ष्य बैठक में प्रतिभाग करने वाले उप्रो 0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ एवं संबंधित विकास प्राधिकरणों के अधिकारियों का प्रवेश पत्र निर्गत करने का कष्ट करें।

संलग्नक—यथोक्त

आज्ञा से,

(धर्मेन्द्र कुमार पाठक)

अनु सचिव।


अजीत कुमार शर्मा

संयुक्त सचिव।

रुपा - २५९९ / उप्र० - २ - २ / ४५

अद्वेशापन से ०-५४५३/१५३३/या०स०/२०२०

समिति (सामान्य) अनुभाग-०-



सा० २८८ (११८८४)

८.१०.०१/४४५/०७.८.२

दिनांक, श्री १०.०१.२०२१

मुझे आपको यह अवगत कराने का निर्देश हुआ है कि उत्तर प्रदेश विधान सभा की याचिका समिति (2019-20) की दिनांक 28 दिसम्बर, 2021 दिन मंगलवार समय 13:30 बजे से आवास एवं शाहरी नियोजन विभाग की साक्ष्य बैठक विधान भवन स्थित काल संख्या 44 "ख" में आयोजित की गई है जिसमें आवास एवं शाहरी नियोजन विभाग से संबंधित याचिकाओं/अध्यावेदनों पर समिति द्वारा आपका साक्ष्य लिया जायेगा।

४
२८८ (११८८४)

दि. २४/१२/०१

१३.३०.०१.२१

मंड़ा. ५५/८५

अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया संलग्न कार्यसूची में उल्लिखित विषयों पर साक्ष्य हेतु निर्धारित तिथि, समय एवं स्थान पर उपस्थित होने का कष्ट करें। आपसे यह भी अनुरोध है कि कार्यसूची के विषयों पर आवास एवं शाहरी नियोजन विभाग की हुई पूर्व बैठक में समिति द्वारा जिन बिन्दुओं पर सूचनाएं उपलब्ध कराये जाने/कार्य कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं, उनके संबंध में तथा बैठक में साक्ष्य के समय जिन मामलों में शासन द्वारा कार्रवाई किए जाने की बात कही गई हो, उन मामलों में कृत कार्रवाई के पूर्ण विवरण सहित आख्या की 30-30 स्वहस्ताक्षरित प्रतियां समिति के विचारार्थ दिनांक 24 दिसम्बर, 2021 तक इस सचिवालय को अवश्य उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

२०८/८८१४१२१ समिति के समक्ष प्रस्तुत की जाने वाली आख्याएं कार्यसूची के क्रमानुसार, अद्यतन तथा जिनमें न्यायालय के आदेशों अथवा किसी अन्य आदेश का संदर्भ अंकित हो, उनकी छायाप्रतियां भी आख्या के साथ संलग्न कराने का कष्ट करें।

८ (८८) ८८१४१२१ कृपया कोविड-19 संक्रमण के दृष्टिगत समिति की बैठक में जिन अधिकारियों का भाग लेना अपरिहार्य हो, उन्हीं अधिकारियों को (अधिकतम् संख्या १० तक) ही साथ लाने की कष्ट करें तथा उनकी सूची अग्रिम रूप से भिजवाने का कष्ट करें ताकि तत्सम्बन्ध में मात्र ११ लोगों की अध्यक्ष महोदय से अनुमति प्राप्त की जा सके।

संलग्नक- यथोक्ता।

21/12/2021

८८१४१२

भवदीय,

(अजीत कुमार शर्मा)

श्री दीपक कुमार,

प्रमुख सचिव,

आवास एवं शाहरी नियोजन विभाग,

उत्तर प्रदेश शासन।

८८१४१२

८८१४१२
२२/१२/२१


अजीत कुमार शर्मा

संयुक्त सचिव।

रु २५९९/३८८-१-१ / ४५

अद्देशापत्र सं०-५४८३/१५३३/वा०८०/२०२०

समिति (सामान्य) अनुभाग-०३



लोडॉफ़ २०२१/११८८/२५,

विधान भवन,
लखनऊ
दिनांक २१/११/२०२१

मुझे आपको यह अवगत कराने का निर्देश हुआ है कि उत्तर प्रदेश विधान सभा की याचिका समिति (2019-20) की दिनांक 28 दिसम्बर, 2021 दिन मंगलवार समय 13:30 बजे से आवास एवं शाहरी नियोजन विभाग की साक्ष्य बैठक विधान भवन स्थित कक्ष संख्या 44 "ख" में आयोजित की गई है जिसमें आवास एवं शाहरी नियोजन विभाग से संबंधित याचिकाओं/अध्यावेदनों पर समिति द्वारा आपका साक्ष्य लिया जायेगा।

५
रुक्ष-बृहु

अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया संलग्न कार्यसूची में उल्लिखित विषयों पर साक्ष्य हेतु निर्धारित तिथि, समय एवं स्थान पर उपस्थित होने का काट करें। आपसे यह भी अनुरोध है कि कार्यसूची के विषयों पर आवास एवं शाहरी नियोजन विभाग की हुई पूर्व बैठक में समिति द्वारा जिन बिन्दुओं पर सूचनाएँ उपलब्ध कराये जाने/कार्य कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं, उनके संबंध में तथा बैठक में साक्ष्य के समय जिन मामलों में शासन द्वारा कार्रवाई किए जाने की बात कही गई हो, उन मामलों में कृत कार्रवाई के पूर्ण विवरण सहित आख्या की 30-30 स्वहस्ताक्षरित प्रतियां समिति के विचारार्थ दिनांक 24 दिसम्बर, 2021 तक इस सचिवालय को अवश्य उपलब्ध कराने का काट करें।

१०५/८१५४१२
समिति के समक्ष प्रस्तुत वो जाने वाली आख्याएँ कार्यसूची के क्रमानुसार, अद्यतन तथा जिनमें न्यायालय के आदेशों अथवा किसी अन्य आदेश का संदर्भ अंकित हो, उनकी छायाप्रतियां भी आख्या के साथ संलग्न कराने का काट करें।

८ (MS) छो-२
कृपया कोविड-19 संक्रमण के दृष्टिगत समिति की बैठक में जिन अधिकारियों का
मार्ग-लेना-अपरिहार्य हो, उन्हीं अधिकारियों को (अधिकतम् संख्या 10 तक) ही साथ लाने की
काट करें तथा उनकी सूची अग्रिम रूप से भिजवाने का काट करें ताकि तत्सम्बन्ध में मात्र
अध्यक्ष महोदय से अनुमति प्राप्त की जा सके।

संलग्नक- यथोक्त।

21/12/2021

२८/१२/

भवदीम,

(अजीत कुमार शर्मा)

श्री दीपक कुमार,

प्रमुख सचिव,

आवास एवं शाहरी नियोजन विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

आवास शासन, ३०१८,

समर्पित अनुबंध,

आवास एवं शाहरी नियोजन विभाग,

कृपया उम्मी प्रमाण अतिलोक्य अपने से
व्यक्तिगत रूप से उपलब्ध कराये जाएं।
ज्ञापन उल्लंघन वाली व्यक्ति को दोषी की जाएगी।
ज्ञापन उल्लंघन वाली को दोषी की जाएगी।

(अशोक कुमार)
सार्वज्ञ अधिकारी

विधान सभा सचिवालय, उत्तर प्रदेश
बैठक कार्यसूची

46

विभाग- आखास एवं शहरी नियोजन विभाग बैठक दिनांक 28.12.2021 समय- 13:30 बजे

संख्या	गांचिका		गांचिका का विवरण	गांचिका दस्तावेज़ कार्य संख्या वार्षिक नाम	अन्य
	पंचाल संख्या	वार्षिक संख्या			
1	261	2018	जनपद कानपुर में नया भूमि अधिग्रहण 2013 के तहत गुरुद्वारे की जमीन को छोड़कर शेष जमीन का मुआवजा देने के बाद अधिग्रहण करने के संबंध में श्री अमरजीत सिंह व अन्य निवासीण जनपद कानपुर का अभ्यावेदन।	अभ्यावेदन।	मा० समिति की बैठक दिनांक 22.11. 2021 में दिए गये निर्देशानुसार आख्या अपेक्षित।
2	1332	2020	जनपद गाजियाबाद के परगना लोनी ग्राम भौपुर के गाटा संख्या 453 एवं 154 की ड०प्र० आवास विकास परिषद से अनापत्ति दिलाये जाने के संबंध में श्री सेवाराम निवासी जनपद गाजियाबाद द्वारा हस्ताक्षरित अभ्यावेदन	अभ्यावेदन	मा० समिति की बैठक दिनांक 22.11. 2021 में दिए गये निर्देशानुसार आख्या अपेक्षित।
3	37	2021	रायबरेली विकास प्राधिकरण द्वारा नियमों के विरुद्ध शहर में बहुउद्देशीय व्यवसायिक/आवासीय भवनों के निर्माण के संबंध में श्री देवेन्द्र सिंह निवासी जनपद रायबरेली की याचिका	श्री मनोज कुमार पाण्डिय, मा० सदस्य विधान सभा	मा० समिति की बैठक दिनांक 22.11. 2021 में दिए गये निर्देशानुसार आख्या अपेक्षित।
4	1238	2021	जनपद लखनऊ के विधान सभा क्षेत्र सरोजनी नगर में सेक्टर-जे स्थित में नर्सरी स्कूल हेतु आरक्षित भूखण्ड का (प्राधिकरण के अनुमोदित ले-आउट प्लान के अनुसार) श्री राम पब्लिक स्कूल के पक्ष में आवंटन सम्बन्धी श्री एस०ड०० द्विवेदी निवासी जनपद लखनऊ की याचिका	श्री शशांक त्रिवेदी, मा० सदस्य विधान सभा	मा० समिति की बैठक दिनांक 22.11. 2021 में दिए गये निर्देशानुसार आख्या अपेक्षित।
5	1613	2021	A-3 एम०जी०एफ एमार लैण्ड लिमिटेड की गोमती ग्रीन्स परियोजना में व्याप्त अनियमितताओं एवं अव्यवस्था का समाधान कराये जाने विषयक श्री ज्ञानेश्वर पाण्डेय निवासी जनपद लखनऊ का अभ्यावेदन	अभ्यावेदन	मा० समिति की बैठक दिनांक 22.11. 2021 में दिए गये निर्देशानुसार आख्या अपेक्षित।
6	1614	2021	A-3 जनपद लखनऊ की तहसील मोहनलालगंज के ग्राम माढरमऊ कला में स्थित भूमि खसरा संख्या 4, 5 तथा 06 को बिना सहमति लाए यैसर्स पिटेल रियलिटी डेवलपर्स प्रा०लि० कंपनी के डॉ०पी०आ०० में शामिल होने को निरस्त किए जाने के संबंध में श्री रामभोग निवासी जनपद गोरखपुर का अभ्यावेदन	अभ्यावेदन	मा० समिति की बैठक दिनांक 22.11. 2021 में दिए गये निर्देशानुसार आख्या अपेक्षित।
7	1619	2021	A-3 जनपद लखनऊ के विराज कन्स्ट्रक्शन प्रा०लि० के सन ब्रीज-1, बी०बी०ड०० ग्रीन सिटी लखनऊ में बुक फलैट के भुगतान के बावजूद कवजा न दिये जाने विषयक श्री मरियम फातिमा नि० बी-1/30 सेक्टर जे, अलीगंज, लखनऊ का अभ्यावेदन।	अभ्यावेदन	मा० समिति की बैठक दिनांक 13.10. 2021 में दिए गये निर्देशानुसार आख्या अपेक्षित।


मामला	फाइल संख्या	वर्ष	याचिका का विवरण		याचिका उपस्थापित करने वाले मा० सदस्य वा नाम	जना
			अंतर्गत	आवंटित भूखण्ड संख्या		
8	1623	2021	जनपद लखनऊ के गोमतीनगर विस्तार योजना के अंतर्गत आवंटित भूखण्ड संख्या 4/385 एस० की रजिस्ट्री कराये जाने के संबंध में श्री प्रभाकर शुक्ला नि० 183/29 एस०एफ०-२ अमोल अपार्टमेंट, टैगोर टाउन जनपद प्रयागराज का अभ्यावेदन	अभ्यावेदन	मा० समिति की बैठक दिनांक 22.11. 2021 में दिए गये निर्देशानुसार आख्या अपेक्षित।	पृष्ठा
9	1627	2021	जनपद कानपुर नगर के जाजमऊ में को०डी०ए० की गलती से फी होल्ड हुए घोटाले की जांच के संबंध में श्री नीरज सिंह निवासी काकादेव, कानपुर का अभ्यावेदन	अभ्यावेदन	मा० समिति की बैठक दिनांक 22.11. 2021 में दिए गये निर्देशानुसार आख्या अपेक्षित।	
10	1629	2021	पर्वटन नीति 2018 के अन्तर्गत यशपाल होटल्स एण्ड रिसोर्ट्स की स्थापना हेतु भू-उपयोग परिवर्तन किए जाने के संबंध में श्री ओमप्रकाश निवासी गोवर्धन, मथुरा का अभ्यावेदन,	अभ्यावेदन	मा० समिति की बैठक दिनांक 22.11. 2021 में दिए गये निर्देशानुसार आख्या अपेक्षित।	
11	1630	2021	A-3 लखनऊ के गोमतीनगर विस्तार सेक्टर-7 में स्थित एमार गोमती ग्रीन परियोजना में प्लाट संख्या जी०-जी६/८ का भुगतान के बाद भी बुकिंग निरस्त किए जाने विषयक श्री कृष्णदत्त पाण्डेय निवासी पी ९०३ शारदा अपार्टमेंट गोमती नगर विस्तार लखनऊ का अभ्यावेदन	अभ्यावेदन	मा० समिति की बैठक दिनांक 22.11. 2021 में दिए गये निर्देशानुसार आख्या अपेक्षित।	
12	2093	2021	A-3 जनपद गोरखपुर में विकास प्राधिकरण द्वारा अधिग्रहीत भूमि के संबंध में मा० उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.01. 2014 के क्रम में याचीगणों को न्याय दिलाये जाने के संबंध में श्री अंजीत चौधरी निवासी गोरखपुर का अभ्यावेदन	अभ्यावेदन	मा० समिति की बैठक दिनांक 22.11. 2021 में दिए गये निर्देशानुसार आख्या अपेक्षित।	
13	2114	2021	A-3 मे० अंसले प्राप्टीज एवं इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड लखनऊ द्वारा धनराशि जमा कराने के बाद भी प्लाट न दिये जाने और न ही धनराशि वापस किए जाने विषयक श्री प्रमोद कुमार निवासी ममाधानपुर, बखरी का तालाब, लखनऊ का अभ्यावेदन	अभ्यावेदन	मा० समिति की बैठक दिनांक 13.10. 2021 में दिए गये निर्देशानुसार आख्या अपेक्षित।	

प्राप्ति	योचिका		योचिका का विवरण	योचिका उपस्थापित करने वाले मा० सदस्य का नाम	जन्य
	फाइल संख्या	वर्ष			
14	2158	2021	यू०पी० स्टेट कन्स्ट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलोपमेन्ट कारपोरेशन ने लि० लखनऊ द्वारा कामनी को एस०एन०० मेडिकल कालेज, आगरा में सेन्ट्रल स्टरलाईलेशन सप्लाई डिपार्टमेन्ट (सी०एस०एस०डी०) की स्थापना, 100 शैय्या एम०सी०एच विंग, कानपुर देहात व गोण्डा तथा मोती लाल नेहरू मेडिकल कालेज प्रयागराज एवं एल०एल०आर०एम० मेडिकल कालेज, मेरठ में सेन्ट्रल मेडिकल गैंस पाइप लाइन सिस्टम और अग्निशमन व्यवस्था कार्य की स्थापना हेतु आवंटित कार्यों के भुगतान व सर्विस टैक्स की प्रतिपूर्ति के संबंध में श्री पी०एस०एल० श्रीवास्तव 'महाप्रबन्धक' आर बन्यूब युप आफ कम्पनीज जनपद लखनऊ का अभ्यावेदन	अभ्यावेदन	48
15	2142	2021	लखनऊ के सेक्टर 07 बृन्दावन योजना रायबरेली रोड से लगे हुए चिरैयाबाग गाँव के बगल की सड़क जो जनता आटा चक्की से 50 मी० आगे हिन्दुस्तान ट्रैक्स तक ग्राम बरौली खलीलाबाद के खसरा संख्या 154/1, 1544 मि० में प्रस्तावित 30 मी चौड़ी सड़क पर अवैध निर्माण के समायोजन कर बनवाये जाने के संबंध में श्री आर०एन०वर्मा निवासी लखनऊ का अभ्यावेदन।	अभ्यावेदन	
16	768	2019	जनपद कानपुर नगर के के०डी०ए० कानपुर नगर इस्पातनगर योजना में कामरिधिल प्लाटों के विकास एवं मानचित्र स्वीकृत किये जाने के संबंध में श्री सी०पी० ओमर व अन्य की योचिका।	श्री अमिताभ बाजपेयी, मा० सदस्य विधान सभा	

सुरक्षित कारबोर्ड ऑफ कम्पनीज़

(CE Certified, ISO 13485 : 2016, OHSAS 18001 : 2007)

Ref. No. RCGC/१८५२१-७९/३०



Date: ८२/१२/२०२१

सेवा से,

माननीय अध्यक्ष महोदय,
विधान सभा, उत्तर प्रदेश,
लखनऊ।

विषय:—उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद् की विद्युत/यांत्रिक इकाई, ग्लोबल कन्स्ट्रक्शन एण्ड कन्स्लटेन्सी सेल (ग्लोबल सेल), इन्दिरा नगर, लखनऊ द्वारा डॉ० श्यामा प्रसाद मुखर्जी (सिविल) चिकित्सालय, लखनऊ में मॉड्यूलर ओ०टी०, एवं मोती पाइप लाइन सिस्टम की स्थापना तथा प्रदेश के जिला चिकित्सालयों/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में अग्निशमन व्यवस्था कार्यों के अवशेष भुगतान अवमुक्त कराने के संबंध में।

आदरणीय महोदय,

विधा० १८५२१ कन्स्लटेन्सी सेल (ग्लोबल सेल), विद्युत/यांत्रिक इकाई, उ०प्र० आवास एवं विकास चिकित्सालय, प्रयागराज में सेन्ट्रल मेडिकल गैस पाइप लाइन सिस्टम, तथा डॉ० श्यामा प्रसाद मुखर्जी (सिविल) चिकित्सालय, लखनऊ में मॉड्यूलर ओ०टी० की स्थापना का कार्य हमारी कम्पनी में आर क्यूब हेल्थकेयर इंडस्ट्रीज प्रा०लि०, लखनऊ को सौंपा गया है।

विधान सभा, स० प्र० इन सम्पादित कार्यों का संक्षिप्त विवरण निम्नवत् है :-

०२०२५ (२५/०) १— मोती लाल नेहरू (काल्विन) जिला चिकित्सालय, प्रयागराज।
मोती लाल नेहरू (काल्विन) जिला चिकित्सालय, प्रयागराज में सेन्ट्रल मेडिकल गैस पाइप लाइन सिस्टम की स्थापना के लिए हेतु ग्लोबल कन्स्ट्रक्शन एण्ड कन्स्लटेन्सी सेल (ग्लोबल सेल), उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद् ने कार्यादेश सं०-४७०/ ए०सी०-३/२१२ दिनांक ०६-०३-२०१९ निर्गत की है, जिसकी लागत रु०४०। २२ लाख है। इस कार्य को कम्पनी द्वारा निर्धारित मानक एवं विशिष्टियों के अनुसार सम्पादित कराते हुए, ग्राहक विभाग को भी दिनांक २१-०४-२०२१ को हस्तान्तरित करा दिया है। ग्राहक विभाग द्वारा इस प्रणाली का निरन्तर प्रयोग किया जा रहा है। हस्तान्तरण से पूर्व उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद् द्वारा इसकी इन्स्टीद्यूट ऑफ

इन्जीनियरिंग एण्ड टेक्नोलॉजी (आई०ई०टी०) द्वारा तृतीय पक्ष सम्परीक्षा भी करायी गयी थी, जिसके अनुसार कार्य संतोषजनक है।

प्रश्नगत कार्य में 02 गैस बैंडेंड पैनल्स का कोई प्रावधान नहीं था, परन्तु चिकित्सालय के प्रमुख अधीक्षक एवं कार्यदायी संस्था के अभियन्ताओं मौखिक निर्देशों अनुपालन तथा कार्य की आवश्यकता की महत्ता के दृष्टिगत कम्पनी ने अपने व्ययों से 112 नग 02 गैस बैंडेंड पैनल्स स्थापित कराया है, जिसके भुगतान के लिए कम्पनी सम्बन्धित अधिकारियों को कई बार पत्राचार किया परन्तु उनके द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गयी है।

2— डॉ० श्यामा प्रसाद मुखर्जी (सिविल) चिकित्सालय, लखनऊ।

डॉ० श्यामा प्रसाद मुखर्जी (सिविल) चिकित्सालय, लखनऊ में 04 नग मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर की स्थापना/उच्चीकरण के कार्य हेतु ग्लोबल सेल, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद् ने कार्यादेश सं०-६६४/ए०सी०/७० दिनांक 23-07-2018 निर्गत किया है, जिसकी लागत रु०२९०.२८ लाख है। इन 04 नग में से 01 नग ओ०टी० को कम्पनी द्वारा पूर्ण कराते हुए, उसे संचालित अवस्था में कर ग्राहक विभाग को हस्तान्तरित किया जा चुका है। इस ओ०टी० में वातानुकूलन सिस्टम की स्थापना का कार्य सम्मिलित नहीं था, परन्तु कार्यदायी संस्था एवं चिकित्सालय प्रशासन के मौखिक निर्देशों तथा रोगियों के हितों को दृष्टिगत रखते हुए, वातानुकूलन सिस्टम (एम०वी०ए०सी०) को कम्पनी ने अपने संसाधनों एवं व्ययों से स्थापित कराया है। इस ओ०टी० का ग्राहक विभाग द्वारा उपयोग किया जा रहा है।

इस अतिरिक्त कार्य के भुगतान हेतु कम्पनी ने कई पत्रों के माध्यम से अनुरोध किया था, परन्तु कोई कार्यवाही नहीं की गयी। कम्पनी ने अपने पत्रों के माध्यम से यह भी अवगत कराया है कि बिना वातानुकूलन सिस्टम के ओ०टी० को संचालित नहीं किया जा सकता है। ओ०टी० में फॉल्स शीलिंग डोजे के उपरान्त उसमें वातानुकूलन एवं विद्युतकरण का कार्य सम्भव नहीं होता, इसीलिए तत्समय कम्पनी ने कार्य की महत्ता को देखते हुए, वातानुकूलन के कार्य का निर्णय लिया, परन्तु उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद् के अधिकारियों द्वारा इस मद में कोई धनराशि का भुगतान अभी तक नहीं हुआ है।

सुलभ संदर्भ हेतु उपरोक्त कार्यों के लाभित भुगतानों का विवरण निम्न तालिका के रूप में प्रस्तुत है :—

क्रमांक	चिकित्सालय का नाम	कार्य का नाम	कार्य की लागत (जी०ए०सी०टी अतिरिक्त)	लम्बित भुगतान	अभ्युक्ति
1—	मोती लाल नेहरू (कालिवन) जिला चिकित्सालय,	सेन्ट्रल मेडिकल गैस पाइप लाइन सिस्टम की स्थापना 112 नग. 02 अतिरिक्त	रु०४०१.२२ लाख	रु०१४७.०२ लाख	हस्तान्तरित किया जा चुका है। 02 गैस बैंड पैनल्स

	प्रयागराज	गैस पैनल्स स्थापना	बैंडेड की	कार्य	112=40.32 लाख	₹030,000/- प्रति नग की दर से।
2—	डॉ० श्यामा प्रसाद मुखर्जी (सिविल) चिकित्सालय, लखनऊ	मॉड्यूलर ओटी० स्थापना	रु0290.28 लाख	रु0144.31 लाख	01 ओटी०	नग ग्राहक विभाग को हस्तान्तरित किया जा चुका है।
		वातानुकूलन सिर्टम (एच०वी०ए०सी०)	अतिरिक्त कार्य	रु024.60 लाख (21.96+ जी०एस०टी०)	रु0356.25 लाख	
		योग—१				

इसके अतिरिक्त ग्लोबल कन्स्ट्रक्शन एण्ड कन्स्लेन्सी सेल (ग्लोबल सेल), उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद् ने हमारी कम्पनी से० आर क्यूब फायर प्रोटेक्शन सर्विसेज प्रा०लि०, लखनऊ को प्रदेश के जनपदों में स्थित जिला चिकित्सालयों एवं सामुदायिक रसायन केन्द्रों में अग्निशमन व्यवस्था के कार्यों का आवंटन किया है। इन कार्यों में से जनपद—आजमगढ़ में 16 नग, गांजियाबाद में 02 नग, चित्रकूट में 06 नग, अयोध्या में 02 नग सामुदायिक रसायन केन्द्रों में अग्निशमन व्यवस्था कार्य पूर्ण कराया जा चुका है। जनपद आजमगढ़ की दिनांक 06—03—2021, 16—07—2021 एवं 20—10—2021 को तथा अन्य जनपदों—गांजियाबाद, चित्रकूट, अयोध्या के पूर्ण कार्यों की इन्वेण्ट्री दिनांक 20—10—2021 को प्रेषित की जा चुकी है। शेष सामुदायिक रसायन केन्द्रों में अग्निशमन व्यवस्था का कार्य समाप्ति के समीप/अन्तिम चरण में है, जिसकी भी इन्वेण्ट्री ग्लोबल सेल, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद् को दिनांक 22—10—2021 को प्रेषित की जा चुकी है। साथ ही उपरोक्त चिकित्सालयों में अग्निशमन व्यवस्था के कारणों को सम्पादित कराया जा रहा है, जो कि प्रगति पर है।

इन समस्त कार्यों को निर्धारित मानक एवं विशिष्टियों के अनुसार पूर्ण करा दिया गया/कराया जा रहा है। उसके उपरान्त उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद् द्वारा अवशेष भुगतान बाधित किया गया है। ग्लोबल सेल, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद् द्वारा भुगतानों को बाधित करने से कम्पनी को आर्थिक विषम परिस्थिति का सामना करना पड़ रहा है, जिसका दुष्प्रभाव कम्पनी के अन्य कार्यों के साथ-साथ कमचारियों के वृत्तन पर भी हो रहा है। इसके अतिरिक्त ग्लोबल सेल, विद्युत/यांत्रिक उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद् ने उक्त कार्यों के ग्राहक से अनुमोदित मानचित्रों की छायाप्रति उपलब्ध नहीं करायी है, जिससे कार्यों को योजनाबद्ध ढंग से कराने में अनेकों कठिनाईयों को सामना पड़ा। अनुमोदित मानचित्रों के अभाव में कम्पनी ने ग्राहक विभाग के पास उपलब्ध मानचित्रों को देख कर तथा कार्यदायी संस्था के अभियन्ताओं की देख-रेख में कार्यों को सम्पादित कराया है।

उपरोक्त प्रकरणों के संबंध में प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन, उ०प्र० शासन तथा आवास आयुक्त, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद् से अनेकों बार पत्राचार किये जा चुके हैं, परन्तु तददिनांक तक कोई भी कार्यवाही नहीं की गयी है।

अजीत कुमार शर्मा
संयुक्त सचिव।

०५३३/०१६-२-२ अद्वितीय पत्र सं०-५२४७/१५४५/या०स०/२०२०

समिति (सामाजिक अनुभाग-०३)



विधान भवन,

लखनऊ

दिनांक ०७.१२.२०२१

१२.१०.०१ ब०५/०७८८.

सं.- २०४

आयुष/प्रगति

उत्तर प्रदेश विधान सभा की याचिका समिति (2019-20) की दिनांक- २२ नवम्बर, २०२१ समय अपराह्न ०४:०० बजे आवास एवं शहरी नियोजन विभाग की सम्पन्न हुई बैठक की कार्यवाही की प्रति संलग्न करते हुए मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उक्त कार्यवाही में आप तथा अन्य विभागीय अधिकारियों द्वारा दिये गये साक्ष्य अंशों की पुष्टि कर कार्यवाही को मूल रूप में एक सप्ताह के भीतर इस सचिवालय को वापस करने का कष्ट करें।

५०६/प्रगति

आपसे यह भी अनुरोध है कि उक्त बैठक में समिति द्वारा जिन बिन्दुओं पर सूचनाएँ उपलब्ध कराये जाने/कार्यवाही करने की अपेक्षा की गई हो, उनके सम्बन्ध में अपेक्षित कार्यवाही पूर्ण कराकर उसकी ०५-०५ स्वहस्ताक्षरित प्रतियां समिति के विचारार्थ यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें। यदि कार्यवाही के साक्ष्य अंशों की पुष्टि संबंधी सूचना एक सप्ताह में प्राप्त नहीं होती है तो भेजी गयी मूल प्रति को एतदर्थ पुष्टि मान लिया जायेगा।

(अजीत कुमार)

एवं शहरी नियोजन विभाग
उत्तर प्रदेश शासन

संलग्नक- बैठक कार्यवाही की प्रति,

पृष्ठ ०१ से १८ तक।

१३१८/५५८८/२१

VS (MCS)

०३.१२.२१

(अजीत कुमार
विधान सचिव
उत्तर प्रदेश शासन
काशी भवन, लखनऊ)

श्री दीपक कुमार,
प्रमुख सचिव,
आवास एवं शहरी नियोजन विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

२०२१/१२/२ (५५८८/२१)

भवदीय,

(अजीत कुमार शर्मा)

आवास अप्रूव्य, ३०५ कालीना परिवर्त्तन,
समृद्धि संबंधी द्वारा अद्वितीय
आवास अप्रूव्य, विधान सचिव।

मैं प्रार्थना करता हूँ कि इस प्रूफ अप्रूव्य
सिद्ध के सम्बन्ध में (संलग्न बैठक के दौरान
कामियां) आण्डे जल्दी बीमारी की
कार्यकारी वर्तते हुए प्रभावी रूप से नियुक्त

मैं भी उपलब्ध वर्ते १५ वर्षों के।

(अशोक कुमार)
विधान सचिव
आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग
काशी भवन।

उत्तर प्रदेश सत्रहवीं विधान सभा की याचिका समिति की बैठक की कार्यवाही

दिनांक : 22 नवम्बर, 2021

समय : 16.00 बजे अपराह्न

स्थान : समिति कक्ष संख्या-44 'ख'

विधान भवन, लखनऊ

(उपस्थिति)

1. श्री हृदय नारायण दीक्षित	माननीय अध्यक्ष,
2. डा० डी०सी० वर्मा	सदस्य,
3. श्री राकेश कुमार गोस्वामी	सदस्य,
4. श्री हरिशंकर माहोर	सदस्य,
5. श्री प्रभु नारायण सिंह यादव	सदस्य,
6. श्री अमिताभ बाजपेई	सदस्य

विधान सभा सचिवालय के अधिकारीगण

1. श्री प्रदीप कुमार दुबे, प्रमुख सचिव,
2. श्री बृजभूषण दुबे, विशेष सचिव,
3. श्री अजीत कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव,
4. श्री उमेश चन्द्र पाण्डेय, अनु सचिव

उत्तर प्रदेश शासन एवं आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के अधिकारीगण

1. श्री अजय चौहान, सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग,
2. श्री राजेश कुमार त्यागी, सचिव, यू०पी० रेरा, लखनऊ,
3. श्री पवन कुमार गंगवार, सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ,
4. श्री नीरज शुक्ला, अपर आवास आयुक्त, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद,
5. श्री जानेन्द्र वर्मा, अपर सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ,
6. श्री गुडाकेश शर्मा, अपर सचिव, कानपुर विकास प्राधिकरण, कानपुर,
7. श्री बद्री प्रसाद मौर्य, अधीक्षण अभियन्ता, रायबरेली विकास प्राधिकरण, रायबरेली,
8. श्री आर.पी. सिंह, अधीक्षण अभियन्ता, मथुरा-वृन्दावन विकास प्राधिकरण, मथुरा

सर्वेश-१

बैठक की कार्यवाही श्री हृदय नारायण दीक्षित, माननीय अध्यक्ष, विधान सभा उत्तर प्रदेश के सभापतित्व में प्रारम्भ हुई।

श्री अध्यक्ष-मैं उत्तर प्रदेश विधान सभा की आचिका समिति की इस बैठक में उपस्थित सदस्यगणों के प्रति आदरभाव और समिति के सहयोग के लिए आये अधिकारीगणों के प्रति सम्मान व्यक्त करता हूँ। पहले हम परिचय की आवश्यक औपचारिकता पूरी करेंगे उसके बाद बैठक हेतु निर्धारित कार्यसूची के अनुसार आचिकाओं पर विचार-विमर्श करेंगे।

(परिचयोपरान्त)

क्रम संख्या-१

आचिका संख्या-261/2018

जनपद कानपुर में नया भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 2013 के तहत गुण्डारे की जमीन को छोड़कर शेष जमीन का मुआवजा देने के बाद अधिग्रहण करने के संबंध में श्री अमरजीत सिंह व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर का अभ्यावेदन

श्री गुण्डाकेश शर्मा-मान्यवर, इस अभ्यावेदन में श्री अमरजीत सिंह द्वारा जनपद कानपुर नगर की तहसील सदर के ग्राम पनकी भौसिंह की गाटा संख्या-131, 132, 133 का मुआवजा नये भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 2013 से दिलाये जाने का अनुरोध किया है। प्रकरण के संबंध में एक बाद माननीय न्यायालय, आयुक्त, कानपुर सण्डल, कानपुर के समक्ष विचाराधीन है जिसमें दिनांक 15.11.2021 को अंतिम बहस हो चुकी है और बहस के उत्तरान्त आदेश सुरक्षित रखा गया है। माननीय न्यायालय आयुक्त, कानपुर सण्डल, कानपुर द्वारा पारित होने वाले आदेश के उपरान्त प्रकरण में अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी।

श्री अमिताभ बाजपेई-यह प्रकरण पिछले दो-तीन साल से चल रहा है, लेकिन हम अभी तक किसी निष्कर्ष तक नहीं पहुँच पाये हैं। आज की बैठक में उपाध्यक्ष, कानपुर विकास प्राधिकरण नहीं आये हैं। पिछली बैठक में कानपुर विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष और सचिव उपस्थित थे। हमने दोनों अधिकारियों के समक्ष सुझाव रखा था कि जिस प्रकार विभाग ने सहारनपुर के मामले में निर्णय लेकर उसका निस्तारण किया है उसी प्रकार से इस प्रकरण में भी निर्णय ले लिया जाय। मेरा कहना है कि यदि यह जमीन आपकी योजना का अभिन्न अंग है और यह आपके लिए अपरिहार्य है तो संबंधित पक्षों के साथ बैठकर आपसी सहमति से इसे

तय कर लीजिये और यदि आपको जमीन की आवश्यकता नहीं है तो फिर आप इसे छोड़ दीजिये। कानपुर विकास प्राधिकरण आयुक्त न्यायालय में टाइमबार्ड के छिलाफ रिवीजन में गया है। जो जमीन है वह दूसरे पक्ष के नाम पर दर्ज है और उन्हीं का इस पर कब्जा है, प्राधिकरण के पास इसमें कुछ नहीं है। प्राधिकरण को चाहिये कि कोर्ट-कचेरी से हटकर मामले को सुलझाने का प्रयास करे। मैंने जो बात पिछली बैठक में उठाई थी उस पर भी विभाग का उत्तर आना चाहिये था।

श्री गुडाकेश शर्मा-मान्यवर, यह अर्जित भूमि है जिसका पजेशन फाइल हो चुका था। वह लोग एक रिट याचिका का उल्लेख करके नामान्तरण में गये हैं और भाग्यक रूप से कह रहे हैं कि ग्राम गुजैनी की लैण्ड का एक्यूजीशन क्वैश हो गया है इसलिये इसमें हमारे नाम चढ़ा दिये जाये।

श्री अमिताभ बाजपेई-आपके उपाध्यक्ष महोदय बैठक में नहीं आये हैं। हर बार बैठक में नये अधिकारी आते हैं और जिस बात पर पहले चर्चा हो चुकी होती है, वही से अपनी बात को शुरू कर देते हैं। पिछली बैठक में भी यही सब बातें कही गई थीं और पर्याप्त चर्चा इस पर हो चुकी थीं। क्या आप पिछली बैठक की कार्यवाही को पढ़कर आये हैं।

श्री गुडाकेश शर्मा-जी, मान्यवर।

श्री अमिताभ बाजपेई-कानपुर विकास प्राधिकरण को संबंधित पक्ष से बार्ता करके मामले के निस्तारण की दिशा में कार्यवाही करनी चाहिये। इस संबंध में आप विचार कर लीजिये। हम लोग अगली बैठक में इसे देख लेंगे।

श्री अध्यक्ष-ठीक है, यह लम्जित रहेगा।

(लम्जित)

क्रम संख्या-2

याचिका संख्या-1332/2020

जनपद गाजियाबाद के परगना लोनी ग्राम भौपुरा के गाटा संख्या-453 एवं 154 की ३०प्र० आवास विकास परिषद से अनापत्ति दिलाये जाने के संबंध में श्री सेवाराम निवासी जनपद गाजियाबाद द्वारा हस्ताक्षरित अभ्यावेदन

श्री नीरज शुक्ला-मान्यवर, प्रश्नगत अभ्यावेदन में ३०प्र० आवास एवं विकास परिषद की अजन्तापुरम् योजना गाजियाबाद के अंतर्गत परगना लोनी, ग्राम भौपुरा के खसरा संख्या-153 एवं 154 को अर्जनमुक्त करने का अनुरोध किया गया है। पिछली बैठक में माननीय समिति ने लीगल सेक्शन से प्रकरण का परीक्षण कराने के निर्देश

दिये थे। हमने जनपद से रिपोर्ट प्राप्त की है जिसमें कहा गया है कि भूमि को अर्जन मुक्त करना उचित नहीं है।

श्री अमिताभ बाजपेहूँ-पिछली बैठक से पहले भी इसमें बैठक हुई थी जिसमें आपने कहा था कि इस गाटा पर हमने डेवलपमेण्ट कर लिया है और सड़क बना ली है जिस पर समिति ने निर्देश दिये थे कि आप इन दोनों गाटा संख्याओं को अलग से दिखावा लीजिये। इस पर आपकी रिपोर्ट आ गई है कि इन दोनों गाटा संख्याओं से से किसी पर भी कोई विकास कार्य नहीं हुआ है और कोई रोड नहीं बनाई गई है। वर्ष 1997 का आपका अधिग्रहण है और वर्ष 2007 में आपने कब्जा लेना बताया है। आपने अपनी आख्या में यह भी स्वीकार किया है कि आपने 16 साल बाद वर्ष 2013 में मुआवजे की धनराशि भेजी है जिसे किसान ने स्वीकार नहीं किया है। वर्ष 1997 की आपकी योजना है जो आज तक अमल में नहीं आई है तो फिर संबंधित भूमि आपकी योजना का अधिन्न अंग कैसे हो सकती है। इसी सबको देखते हुए हमने कहा था कि आप इसको अर्जनमुक्त करने पर विचार कर लीजिये जिस पर आपने कहा था कि हम अपने लीगल सेक्षन से इसे एजामिन करा लेंगे। डेढ़ माह का समय हो गया है लेकिन आपने अभी तक लीगल सेक्षन को पत्रावली नहीं भेजी है।

श्री अजय चौहान-मान्यवर, लीगल सेक्षन हमारा अपना ही है और वहां पर हमारा डिस्क्शन हो चुका है। मानोरीय समिति के सामने कुछ भी कमिटमेण्ट करने से पहले हमको अपने बोर्ड से अप्रूवल लेना होता है। यह बहुत पुरानी योजना है जिसमें करीब 13 सोसाइटी थी। इन सभी सोसाइटीज ने ३०प्र० आवास विकास परिषद से अनुरोध किया था कि हमारे क्षेत्र की लैण्ड का डेवलपमेण्ट कर दीजिये। इन 13 सोसाइटीज की लैण्ड के बीच-बीच में जो लैण्ड भी उसे परिषद ने अधिग्रहित किया है। ०८ सोसाइटीज के लैण्ड का मैटर एज-पर नार्स था, लेकिन ०४ सोसाइटीज के मैटर एज-पर नार्स नहीं थे। इसी कारण पूरी की पूरी योजना प्रभावित हुई और वहां पर प्लान्ड डेवलपमेण्ट नहीं हो सका। यह भी सही है कि वहां पर बहुत काम नहीं हुआ है। हमने हिण्डन जाने वाली मेन रोड बना दी है और कुछ सोसाइटीज की लैण्ड का समायोजन कर दिया है। लैण्ड समायोजन के तहत जो जमीन दी जाती है उसमें इस गाटा को डाला गया है। ऐसी स्थिति में जब यह प्रकरण बोर्ड के समक्ष रखा जायेगा तभी इसके विषय में कुछ कह पाना संभव होगा। हम इसे अपने बोर्ड के समक्ष ले जायेंगे।

श्री अमिताभ बाजपेहूँ-आप वहां पर इसमें सहानुभूतिपूर्वक विचार कर लीजियेगा।

श्री अजय चौहान-ठीक है, मान्यवर।

श्री अध्यक्ष-आप अपने लिखित उत्तर में कह चुके हैं कि परिषद के हित में भूमि को छोड़ा जाना उचित नहीं होगा।

श्री अजय चौहान-मान्यवर, यह हमारा इण्टरनल व्यू है। हम प्रकरण को बोर्ड की बैठक में रखेंगे।

श्री अमिताभ बाजपेहूँ-वर्ष 1997 की योजना जब अब तक कियान्वित नहीं हुई है तो आगे भी इसके कियान्वित होने की कोई संभावना नहीं दिख रही है। इस अधिग्रहण से आवेदक के हित प्रभावित हो रहे हैं। उसको न तो जमीन मिल पा रही है और न ही उसे पैसा मिला है। इसमें दो विकल्प हो सकते हैं या तो उसको आज की डेट में सुआवजा मिल जाये या फिर उसकी जमीन को अधिग्रहण मुक्त कर दिया जाये।

श्री अध्यक्ष-पिछली बैठक में लीगल ओपिनियन के निर्देश दिये गये थे उसके अनुपालन की बया स्थिति है।

श्री अजय चौहान-मान्यवर, हम लोग इण्टरनल रूप से लीगल ओपिनियन ले चुके हैं लेकिन यह ओपिनियन बोर्ड पर बाध्यकारी नहीं होती है। हम बोर्ड में इस प्रकरण को सहानुभूतिपूर्वक विचार करने के लिए ले जायेंगे और वहां से जो निर्णय होगा उसके अनुसार कार्यवाही करेंगे।

श्री अध्यक्ष-ठीक है। यह लम्बित रहेगा।

(लाम्बित)

कम संख्या-3

याचिका संख्या-37/2021

रायबरेली विकास प्राधिकरण द्वारा नियमों के विरुद्ध शहर में बहुउद्देशीय व्यवसायिक/आवासीय भवनों के निर्माण के संबंध में श्री देवेन्द्र सिंह निवासी जनपद रायबरेली को याचिका

श्री अजय चौहान-मान्यवर, प्रश्नगत याचिका रायबरेली विकास प्राधिकरण की सीमान्तर्गत करिपय स्थानों पर मानचित्र के विपरीत कराये जा रहे निर्माण कार्यों पर कार्यवाही करने से संबंधित है। माननीय समिति द्वारा दिए गए निर्देशों के कम में प्रकरण की जांच हेतु अपर आयुक्त (प्रशासन), लखनऊ मण्डल, लखनऊ को जांच अधिकारी नामित किया गया है।

श्री अमिताभ बाजपेई-अब तक यह कार्यवाही पूरी हो जानी चाहिये थी, इसमें विलग्न हुआ है। आप घन्धदिन के अंदर जांच आख्या प्राप्त करके कार्यवाही पूर्ण करा लीजिये।

श्री अजय चौहान-ठीक है, मान्यवर।

श्री अध्यक्ष-ठीक है, यह याचिका लम्बित रहेगी।

(लम्बित)

चौथा संख्या-4

✓ याचिका संख्या-1613/2021

एमओजी0एफ0 एमार लैण्ड लिमिटेड की ग्रोमती ग्रीन्स परियोजना में व्याप्त अनियमितताओं एवं अव्यवस्था का समाधान कराये जाने विषयक श्री ज्ञानेश्वर पाण्डेय निवासी जनपद लखनऊ का अभ्यावेदन

श्री अजय चौहान-मान्यवर, अभ्यावेदन में एम.जी.एफ. एमार लैण्ड लि0 की ग्रोमती ग्रीन्स परियोजना में व्याप्त कतिपय अनियमितताओं पर कार्यवाही करने की मांग की गई है। बैठक में सचिव, यू०पी० रेता उपस्थित हैं और आपकी अनुमति से वह स्थिति स्पष्ट कर देंगे।

श्री अमिताभ बाजपेई-पिछली बैठक में निर्देश दिये गये थे कि इस प्रोजेक्ट की काम्पीटेन्ट अथरिटी लखनऊ विकास प्राधिकरण है इसलिये वह इसको सुपरवाइज़ कर ले। प्राधिकरण ने अपने उत्तर में लिखा है कि योजना के आंतरिक विकास कार्यों को कराये जाने हेतु विकासकर्ता को निर्देशित किया गया है। लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष बैठक में उपस्थित नहीं है। वहां से जो भी अधिकारी आये हैं, वह समिति द्वारा दिए गए आदेशों के अनुपालन की स्थिति से अवगत करा दें। श्री पूर्व कृष्णराम गंगवार-मान्यवर, योजना की सीमा पर विद्यमान 45 मीटर चौड़े मार्ग, नाली और सीचरेज के कार्य कराये जाने हेतु हमने अपने स्तर से निविदायें आमंत्रित की हैं। हमने प्रमोटर को निर्देश दिये हैं कि उन्होंने अपनी योजना में जिन अवस्थापना सुविधाओं का प्राविधान किया था उसको वह समय से पूरा कराये। जहां तक प्रमोटर पर दण्डात्मक कार्यवाही करने का प्रश्न है तो इस संबंध में यू०पी० रेता के स्तर से कार्यवाही होनी है।

श्री अमिताभ बाजपेई-आख्या में लिखा है कि प्रमोटर ने पार्ट कम्प्लीशन सर्टिफिकेट हेतु लखनऊ विकास प्राधिकरण के समक्ष दिनांक 21.03.2021 को आवेदन किया है। आप बता दीजिये कि कम्प्लीशन सर्टिफिकेट की क्या स्थिति है।

श्री पवन कुमार गंगबार-मान्यवर, हमने पार्ट कम्प्लीशन जारी नहीं किया है और न ही पूर्ण कम्प्लीशन जारी किया है।

श्री अमिताभ बाजपेई-प्रोजेक्ट की संजूरी आपने दी है और कम्प्लीशन स्टिफिकेट भी आप ही जारी करते हैं, ऐसी दशा में यदि प्रमोटर अपने बायदे के अनुसार कार्य पूरा नहीं कर रहा है तो उस पर कार्यवाही करने का दायित्व भी आपका ही बनता है।

श्री पवन कुमार गंगबार-मान्यवर, अभ्यावेदन का विषय परियोजना में सुविधायें विकसित न करने से संबंधित है, जिसके काम में रेश को ही कार्यवाही करनी है।

श्री अमिताभ बाजपेई-सक्षम प्राधिकारी होने के नाते लखनऊ विकास प्राधिकरण को प्रोजेक्ट के कार्यों की मानीटरिंग करनी थी लेकिन प्राधिकरण ने अपने दायित्वों का निवर्हन नहीं किया। जब समिति ने प्राधिकरण को उसके कर्तव्य बाद दिलाते हुए कार्यवाही करने को कहा तो भी वह कार्यवाही करने से बच रहा है और कह रहा है कि यू०पी० रेश को कार्यवाही करनी चाहिये।

श्री अजय चौहान-मान्यवर, जब कोई इस तरह की सिटी लांच होती है तो उसमें दो तरह से कार्यवाही की जाती है। जो कंट्रोलिंग लाइसेंसिंग अथारिटी होती है उसके पास पेनाल्टी की कार्यवाही करने की शक्ति होती है और जब प्रमोटर द्वारा कोई प्लाट इंडिजिवल रूप से आवंटियों को बेच दिया जाता है और आवंटी को कोई शिकायत होती है तो ऐसे केसेज में रेश के स्तर से कार्यवाही संभव होती है। हम एक बार इण्टीग्रेटेड पालिसी में देख लेते हैं कि उनके अगेन्स पीनल क्लाइ बन्या हैं। जैसे मान लीजिये कि कल प्रमोटर कहीं चला जाये तो हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि आवंटियों को सुविधायें नहीं दी जायेंगी। हम हाईटेक सिटी में उसकी कुछ चीजें माडगेज रखते हैं जिसके अगेन्स हम लोग उसमें कार्यवाही करा सकते हैं। इसी तरह इण्टीग्रेटेड सिटी में भी कुछ प्राकीजन होंगे जिनको हमें देखना होगा क्योंकि अगर इण्टीग्रेटेड सिटी में कोई अपना काम नहीं कर रहा है तो उसके लिए बीईएल लाइसेंसिंग अथारिटी चाहे वह लखनऊ विकास प्राधिकरण हो अथवा उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद हो, उसकी जिम्मेदारी बनती है कि जो चीजें प्रामिल की गई हैं वह समय से और सही तरीके बनाई जायें। इसके लिए तमाम विधिक प्राविजन रहते हैं और इसमें कार्यवाही करने का अधिकार लाइसेंसिंग अथारिटी के पास रहता है। हम इसको दिखवा लेंगे।

श्री अमिताभ बाजपेई-ठीक है। लाइसेंसिंग अधारिटी के रूप में लखनऊ विकास प्राधिकरण इसमें कार्यवाही करे। जहां तक रेसा के पार्ट पर कार्यवाही की जात है तो उसके संबंध में सचिव, १००पी० रेसा स्थिति स्पष्ट कर दें।

श्री राजेश कुमार त्यागी-मान्यवर, आज पूरी अधारिटी ने प्रमोटर के साथ बैठक की है जिसमें निर्णय लिया गया कि सेक्षन-८ में प्रोजेक्ट को रिहैबिटेशन के लिए दे दिया जाये। हम यह कार्यवाही करायेंगे।

श्री अमिताभ बाजपेई-यह रिहैबिटेशन कौन करेगा।

श्री राजेश कुमार त्यागी-मान्यवर, एलॉटीज एसोसिएशन को इसमें पहला अधिकार मिलता है। उनके लिए रहेगा कि वह प्रोजेक्ट को डेवलप करे और अगर वह चाहते हैं तो अपने साथ प्रमोटर को जोड़ सकते हैं।

श्री अमिताभ बाजपेई-आप इसमें समय से कार्यवाही पूरी कराईये और नियमित रूप से इसकी मानीटरिंग भी करिये। अगली बैठक में इस पर विचार किया जायेगा।

श्री अध्यक्ष-ठीक है। यह याचिका लम्बित रहेगी।

(लम्बित)

क्रम संख्या-५

याचिका संख्या-1614/2021

जनपद लखनऊ की तहसील मोहनलालगंज के ग्राम माढरमऊ कला में स्थित भूमि खसरा संख्या 4,5 तथा 6 को बिना सहमति लिए भेसर्स पिंटेल रियलिटी डेवलपर्स ग्राउंडिंग कंपनी के डी०पी०आर० में शामिल होने को निरस्त किए जाने के संबंध में

श्री रामभोग निवासी जनपद गोरखपूर का अध्यावेदन

श्री पवन कुमार गंगवार-मान्यवर, जनपद लखनऊ की तहसील मोहनलालगंज के ग्राम माढरमऊ कला की भूमि खसरा संख्या-4,5 एवं 6 वहां पर बन रही 200 एकड़ इंटीग्रेटेड टाउनशिप के बीच में आ रही है और भूमि स्वामी का कहना है कि उनकी भूमि को योजना से बाहर किया जाये। इस संबंध में अवगत कराना है कि विकासकर्ता द्वारा समयबद्ध रूप से भूमि जुटाव किया जा रहा है और विकासकर्ता के स्तर से प्रश्नगत गाठा संख्याओं की भूमि नियमानुसार जुटाव की प्रक्रिया में है।

श्री अमिताभ बाजपेई-हमने आपका उत्तर पढ़ लिया है। आप प्रकरण की पूरी तैयारी करके नहीं आये हैं। पिछली बैठक में उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण ने आशवासन दिया था कि हम इस भूमि को प्राधिकरण से अधिग्रहीत करा देंगे। याचिकाकर्ता अनुसूचित जाति का है और वह अपनी जमीन जोत-बो नहीं पा रहा

है, जिल्हर उसको जमीन पर जाने नहीं दे रहा है और न उससे जमीन खरीद रहा है। आप कह रहे हैं कि विकासकर्ता भूमि का जुटाव कर रहे हैं। यदि विकासकर्ता पर भरोसा होता तो याचिकाकर्ता समिति के समक्ष न आता। इण्टीग्रेटेड मालिसी के प्राविधानों के तहत जमीन का अधिग्रहण करने की कार्यवाही की जानी चाहिये और यदि जमीन का अधिग्रहण नहीं किया जाना है तो फिर उसकी जमीन को उसे छापस करा दीजिये। उपाध्यक्ष महोदय ने समिति के समक्ष जो आश्वासन दिया था उसकी पूर्ति के संबंध में क्या कार्यवाही की गई है; आप केवल इतना बता दीजिये।

श्री अजय चौहान-मान्यवर, इस प्रकरण को लम्बित रख दीजिये। हम अगली बैठक में इसमें डिटेल उत्तर प्रस्तुत करेंगे।

श्री अध्यक्ष-ठीक है। यह लम्बित रहेगा।

(लम्बित)

क्रम संख्या-6

याचिका संख्या-1623/2021

जनपद लाखनऊ के गोमतीनगर विस्तार योजना के अंतर्गत आवंटित भूखण्ड संख्या 4/385 एस0 की रजिस्ट्री कराये जाने के संबंध में श्री प्रभाकर शुक्ला निवासी 183/29 एस0एफ0-2 अमोल अपार्टमेण्ट, टैगोर टाउन जनपद प्रथागराज का अभ्यावेदन श्री पवन कुमार गंगवार-मान्यवर, श्री प्रभाकर शुक्ला को गोमती नगर विस्तार योजना के अंतर्गत लाटरी से भूखण्ड आवंटित हुआ था किंतु ले-आउट में परिवर्तन के कारण इसका समायोजन किया गया। बाद में भूखण्ड को निरस्त कर दिया गया किंतु आवंटी के अनुरोध पर इसे पुनर्जीवित किया गया। कालान्तर में भूखण्ड का समायोजन और निरस्तीकरण हुआ है जिसके चिरूद्ध प्रश्नगत अभ्यावेदन दाखिल किया गया है। मान्यवर, यह प्रकरण अभी प्रक्रियाधीन है। हमारे बोर्ड की मीटिंग होने वाली है जिसमें हम इसे ले जायेंगे।

श्री अमिताभ बाजपेई-इसमें कई बार समायोजन और पुनर्जीवन किया गया है जिससे याचिकाकर्ता के हित प्रभावित हो रहे हैं। इस कार्य को कराने का कमिटमेण्ट उपाध्यक्ष महोदय ने समिति के समक्ष किया है, इसलिये इसको आप जरूर करा दीजिये।

श्री पवन कुमार गंगवार-मान्यवर, यह कमिटमेण्ट है जिसे हम लोग करायेंगे।

श्री अध्यक्ष-ठीक है। यह लम्बित रहेगा।

(लम्बित)

क्रम संख्या-७याचिका संख्या-1627/2021

जनपद कानपुर नगर के बाजारल में के०डी०ए० की गलती से फी होल्ड हुए घोटाले की जांच के संबंध में श्री नीरज सिंह निवासी काकादेव, कानपुर का
अध्यावेदन

श्री गुडाकेश शर्मा-मान्यवर, दिनांक 24 एवं 25 नवम्बर, 2021 को महामहिम राष्ट्रपति महोदय का कानपुर नगर में आगमन का कार्यक्रम निर्धारित है जिसमें हमारे सभी अधिकारियों की व्यस्तता है। हम तदोपरान्त इसमें बैठक कर लेंगे।

श्री अमिताभ बाजपेई- इसमें लीज होल्ड की शर्त और बाइफर के आदेश का इण्टरप्रिटेशन करने के निर्देश दिये गये थे जिस पर समिति को जांच करनी है। इसमें केवल दो इशू हैं और आपको मुख्यतः इन्हीं पर केन्द्रित रहना है। आप इसको पन्द्रह दिन में कर लीजिये।

श्री गुडाकेश शर्मा-ठीक है, मान्यवर।

श्री अध्यक्ष-यह लम्बित रहेगा।

(लम्बित)

क्रम संख्या-८याचिका संख्या-1629/2021

यर्टन नीति 2018 के अंतर्गत अशापाली होटल्स एण्ड रिसोर्ट्स की स्थापना हेतु भू-उपयोग परिवर्तन किए जाने के संबंध में श्री ओम प्रकाश निवासी गोवर्धन, मथुरा का अध्यावेदन

श्री आर.पी. सिंह-मान्यवर, हम प्रकरण को बोर्ड की बैठक में ले जा रहे हैं। हमारे बोर्ड की बैठक दिनांक 06 दिसम्बर, 2021 को निर्धारित है।

श्री अमिताभ बाजपेई-आपने पिछली बैठक में इस कार्य को कराने का कमिटमेण्ट किया था, लेकिन अभी तक लम्बित है। आप इसको जल्दी करा दीजिये।

श्री आर.पी. सिंह-ठीक है, मान्यवर।

श्री अध्यक्ष-यह लम्बित रहेगा।

(लम्बित)

-11-

इम संख्या-७याचिका संख्या-१६३०/२०२१

लखनऊ के गोमतीनगर विस्तार सेक्टर-७ में स्थित एम्मार गोमती ग्रीन परियोजना में प्लाट संख्या-जी०-जी ६/३ का भुगतान के बाद भी ब्रूकिंग निरस्त किए जाने विषयक श्री कृष्णदत्त पाण्डेय निवासी घी ९०३ शारदा अपार्टमेण्ट गोमती नगर विस्तार लखनऊ का अध्यावेदन

श्री अमिताभ बाजपेई-याचिका समिति के समक्ष प्रकरण आने के बाद प्रमोटर ने आवंटी का प्लाट कैसिल करके उसकी रजिस्ट्री किसी दूसरे व्यक्ति को कर दी है। हम लोगों ने पिछली बैठक में कहा था कि प्रमोटर द्वारा प्लाट की रजिस्ट्री किसी अन्य व्यक्ति को करने का प्रयास किया जा रहा है जिसे रेता द्वारा संज्ञान में लेकर रुकवाया जाये। आवंटी ने भी रेता के समक्ष प्लाट की अन्य व्यक्ति को की जा रही रजिस्ट्री को रोकने की मांग की थी, लेकिन रेता ने इसको नहीं रोका और कह दिया कि इनको वैकल्पिक प्लाट दे दिया जाये। समिति के समक्ष पिछली तीन-चार बैठकों से रेता के अधिकारी आ रहे हैं और उनके समक्ष इस प्रकरण पर लगतार चर्चा हो रही है, इन सबके बावजूद प्रमोटर ने दूसरे व्यक्ति को प्लाट बेच दिया है। याचिका समिति और रेता के समक्ष प्रकरण विचाराधीन रहते हुए भी यदि बिल्डर द्वारा याची के साथ अन्याय किया गया है तो समझा जा सकता है कि प्रकरण किस तरह गंभीर है।

श्री अमिताभ बाजपेयी- याचिका समिति में प्रकरण आने के बाद उस प्लॉट का विक्रय कैसे हो जाएगा? हमने आपसे पिछली मीटिंग में भी कहा था और अगर आप पिछली मीटिंग के निर्देश पढ़ेंगे तो उस समय मैंने आपको आगाह किया था कि वह व्यक्ति उक्त प्लॉट किसी दूसरे को बेचने जा रहा है और अब उसने बेच भी दिया। ऐसा लगता है कि रेरा, एल०डी०ए० और विधान सभा उसके लिए कुछ है ही नहीं। मेरा कहना है कि सम्बन्धित व्यक्ति को उसका सेम प्लॉट दिया जाना चाहिए, अगर किसी दूसरे ने उक्त प्लॉट विक्रय कर दिया है तो भी आप उसे सेम प्लॉट दिलवाइए। रेरा तथा याचिका समिति में मामला आने के बाद भी हम प्लॉट का विक्रय कैसे स्वीकार कर लेंगे। क्या याचिका समिति और रेरा में मुद्रे के चलते हुए भी वह प्लॉट का विक्रय कर लेगा?

डा० डी०सी० वर्मा- इस प्रकरण के रेरा तथा याचिका समिति में चलते रहने के बाद भी प्लॉट का विक्रय हुआ कैसे?

श्री प्रभु नारायण सिंह आदव- आपको पिछली बार अवगत भी कराया गया कि वह उक्त प्लॉट का विक्रय कर सकता है और आखिरकार उसने प्लॉट बेच भी दिया।

श्री अमिताभ बाजपेयी- इसमें अब होना यह चाहिए कि जब उसने रेरा तथा याचिका समिति में मामला चलने के दौरान प्लॉट का विक्रय किया है तो उक्त विक्रय को निरस्त कर पात्र व्यक्ति को सेम प्लॉट दिया जाए। यदि उसने रेरा तथा याचिका समिति में मामला आने से पहले प्लॉट का विक्रय कर दिया होता तो दूसरी बात थी।

श्री अध्यक्ष- इसका आपके पास क्या स्पष्टीकरण है?

श्री अजय चौहान- मान्यवर, एकचुआली रेरा जुडिशियल ऑर्डर की है और इनके यहाँ आपनी बेन्च भी है।

श्री अमिताभ बाजपेयी- जब इनकी जुडिशियल बेन्च में एक केस चल रहा है तो केस के दौरान ही जो प्लॉट अपडर कन्सीडरेशन है, उसे कोई व्यक्ति किसी दूसरे को कैसे बेच सकता है? मान लें कि एक व्यक्ति ने आपके पास शिकायत की कि मुझे ऐसा प्लॉट नहीं मिल रहा है, आपके यहाँ उसका मामला चलने लगा लेकिन केस चलने के दौरान ही उसका प्लॉट किसी दूसरे को बेच दिया गया। यह कैसे हो गया? श्री अध्यक्ष- क्या आपके यहाँ ऐसे कोई प्राविधान है, जो किसी को ऐसा करने से रोकते हैं?

श्री राजेश कुमार त्यागी- मान्यवर, हमारे यहाँ सिविल कोर्ट वाली पावर्स नहीं हैं। हमारी प्रक्रिया यह है कि यदि कोई किसी आदेश का अनुपालन नहीं करते हैं तो हमारे यहाँ आदेश का अनुपालन न करने पर, नॉन-कम्प्लायंस प्रैगलटी का प्रोविजन है।

प्रमुख सचिव, विधान सभा- आपके यहाँ स्टे का पावर है कि नहीं, मैंन बात यह है। आपके यहाँ स्थगन आदेश करने की शक्ति है अथवा नहीं।

श्री अमिताभ बाजपेयी- इसमें इश्यू स्टे का नहीं है। बात यह है कि मान लीजिए हमारा एक प्लॉट था, उसने हमको प्लॉट नहीं दिया तो मैं उसकी शिकायत करने के लिए रेरा में गया, मैंने वहाँ अपील की। इस दौरान उसने वह प्लॉट किसी दूसरे को बेच दिया, अब आप हमसे कह रहे हैं कि आप अपने प्लॉट की जगह दूसरा वैकल्पिक प्लॉट ले लीजिए। लेकिन हमारा कहना है कि आप हमको हमारा वही प्लॉट दीजिए और जिसने प्लॉट बेचा है, आप उसे वैकल्पिक प्लॉट दीजिए वर्योंकि वह प्लॉट तो अभी वही पर स्टैण्ड कर रहा है, प्लॉट तो कही गया नहीं है तो आप हमको सेम प्लॉट दीजिए, दूसरे को वैकल्पिक प्लॉट दीजिए।

श्री अध्यक्ष- यहाँ समिति में जब यह आशंका व्यक्त की गई थी कि वह व्यक्ति उक्त प्लॉट को किसी दूसरे के हाथ बेच सकता है तो फिर प्लॉट कैसे बिक गया, यह कैसे सम्भव हुआ?

श्री राकेश कुमार गोस्वामी- प्लॉट का विक्रय तो हो गया लेकिन इसके बाद अब आप लोग क्या करेंगे?

श्री अमिताभ बाजपेयी- यह स्पष्ट रूप से समिति की अवमानना है इसलिए उस बिल्डर को जो सबसे कड़ी सजा सम्भव हो सकती है, वही सजा उसको दी जाए।

श्री राजेश कुमार त्यागी- मान्यवर, हमारे हारा प्राधिकरण की पीठ के समक्ष सारी चीजें बताई गई हैं।

श्री अमिताभ बाजपेयी- अब आप आज की बातों को भी उनके समक्ष रखिएगा।

श्री अध्यक्ष- अभी यह लम्बित रहेगा। (लम्बित)

कम संख्या-10

याचिका संख्या-2093/2021

जनपद गोरखपुर में विकास प्राधिकरण द्वारा अधिगृहीत भूमि के सम्बन्ध में मा० उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.01.2014 के कम में याचीगणों को न्याय दिलाए जाने के सम्बन्ध में श्री अजीत चौधरी एवं अन्य निवासीगण गोरखपुर की याचिका।

श्री अमिताभ बाजपेयी- मा० अध्यक्ष जी, यह याचिका लम्बित रखे जाने योग्य है।

श्री अध्यक्ष- अभी यह लम्बित रहेगा। (लम्बित)

कम संख्या-11

याचिका संख्या-518/2018

जनपद कानपुर नगर के फूलबाग भैदान में गांधी प्रतिमा स्थान व स्व० इयाम लाल गुप्ता, पार्श्व प्रतिमा स्थान के सम्बन्ध में श्री नीरज सिंह व अन्य की याचिका।

श्री अभिताभ बाजपेयी- इसमें जब आपका टेण्डर हो जाए तो चूंकि यह हमारा विधान सभा क्षेत्र है तो आप हमको सूचित कर दीजिएगा।

श्री अध्यक्ष- इसको निस्तारित किया जाता है। (निस्तारित)

क्रम संख्या-12

याचिका संख्या-1090/2021

जनपद लखनऊ के नगर क्षेत्र ऐशबाग में स्थित दो ऐतिहासिक झीलों का जीर्णोद्धार कराए जाने के सम्बन्ध में श्री लालू व अन्य निवासीगण ऐशबाग, लखनऊ की याचिका।

श्री पवन कुमार गंगवार- मान्यवर, ऐशबाग क्षेत्र में जमुना झील के सौन्दर्योक्तरण हेतु टेण्डर आमंत्रित कर लिए गए हैं, स्वीकृति उपरान्त कार्य कराया जाना प्रस्तावित है। मोती झील हेतु अभी वित्तीय प्रावधान नहीं हुआ है, झील की भूमि के सीमांकन उपरान्त सौन्दर्योक्तरण हेतु धनराशि उपलब्ध होने पर कार्य कराना जाना प्रस्तावित है।

डा० डी०सी० वर्मा- आप कार्य करा देंगे तो फिर ठीक है, इसे भी निस्तारित होना चाहिए।

श्री अध्यक्ष- इसे निस्तारित किया जाता है। (निस्तारित)

क्रम संख्या-13

याचिका संख्या-1238/2021

जनपद लखनऊ के विधान सभा क्षेत्र सरोजनी नगर में सेक्टर-जे स्थित नर्सरी स्कूल हेतु आरक्षित भूखण्ड का (प्राथिकरण के अनुमोदित ले-आउट प्लान के अनुसार)

श्री राम पब्लिक स्कूल के पक्ष में आवंटन सम्बन्धी श्री एस०डी० द्विवेदी निवासी जनपद लखनऊ की याचिका।

श्री पवन कुमार गंगवार- मान्यवर, इसमें पहले दिनांक 05.10.1999 को 2000 वर्ग मीटर का भूखण्ड आवंटित हुआ था, उसके बाद दिनांक 24.01.2000 को इन्हे अवगत कराया गया था कि मौके पर 2000 वर्ग मीटर का भूखण्ड उपलब्ध नहीं है और 406 वर्ग मीटर का भूखण्ड उपलब्ध है। यदि आप उसके लिए सहमत हों तो फिर हमें अपनी सहमति उपलब्ध कराएँ। उक्त पत्र के क्रम में इनके द्वारा धनराशि जमा की गई है और फिर इनके पक्ष में आवंटन किया गया है। लेकिन अब रजिस्ट्री होने के बाद जिस अतिरिक्त भूखण्ड की मांग की जा रही है, वह मौके पर ले-आउट में पार्क के रूप में है और पार्क की हमारे पास कमी है। इसलिए उस पर आवंटन करना सम्भव नहीं होगा।

श्री अभिताभ बाजपेयी- पहले आपने श्रीराम पब्लिक स्कूल को 2000 वर्ग मीटर जमीन आवण्टित की लेकिन जमीन 406 वर्ग मीटर ही दी। लेकिन आप लोग नर्सरी स्कूल का नक्शा तो 500 वर्ग मीटर में पास करते हैं।

श्री पवन कुमार गंगवार- मान्यवर, हम इनका नक्शा पास करने में विचार कर लेंगे।
श्री अमिताभ बाजपेयी- आपको स्कूल का नक्शा पास करने में बड़ा समय लग गया, 20-22 साल लग गए।

श्री पवन कुमार गंगवार- मान्यवर, ये नक्शा ऑन लाइन सबिमट कर दें तो हम विचार कर लेंगे।

श्री अमिताभ बाजपेयी- अब से पहले उन्होंने कभी नक्शा सबिमट ही नहीं किया?

श्री पवन कुमार गंगवार- मान्यवर, इन्होंने ऐप सबिमट नहीं किया है।

श्री अमिताभ बाजपेयी- आप अन्दाजन लेता रहे हैं या आपने इस चीज को चेक किया है कि इन्होंने आज तक आपके बहाँ स्कूल का नक्शा ही सबिमट नहीं किया। आप किसी मामले के याचिका समिति में आने की गम्भीरता को नहीं समझ रहे हैं। मेरे पास इससे सम्बन्धित आपका वर्ष 2008 का रिवाइज्ड ले-आउट है। इसमें नर्सरी स्कूल की भूमि है, उसके बगल में कब्रिस्तान है, उसी के पास आपकी शॉप्स और कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स हैं जिनको आप बेचने का प्रयास कर रहे हैं, लगातार विज्ञापन भी दे रहे हैं लेकिन कोई उसको ले नहीं रहा क्योंकि उसके बगल में कब्रिस्तान है। हालांकि यह चीज हमारा इश्यू नहीं है। हमारा इश्यू यह है कि आपके ले-आउट में बहाँ मौके पर नर्सरी स्कूल के लिए 1622 वर्ग मीटर जमीन उपलब्ध है, इसी में से 406 वर्ग मीटर जमीन आपने इनको बेची है, जो शेष 1216 वर्ग मीटर जमीन बची है, आपसे उसी जमीन की मांग हो रही है और ये उस जमीन का आपको पैसा भी देंगे लेकिन आपको उस जमीन को देने में आपत्ति है। जहाँ तक पार्क की बात है तो यह जगह इस ले-आउट में पार्क के रूप में मेंशन नहीं है। अगर आपके ले-आउट में यह जगह पार्क के रूप में हो तो आप अगली बार मीटिंग अपना ले-आउट ले आइएगा। लेकिन हमारे पास जो ले-आउट है, उसमें यह जगह नर्सरी स्कूल की दिखाई रही है और मुझे यह ले-आउट याचीकर्ता ने दिया है तो ऐसा भी हो सकता है कि यह गलत हो। यह ले-आउट वर्ष 2008 में रिवाइज्ड हुआ है।

श्री अजय चौहान- मान्यवर, हम इसमें अगली बार के लिए दो चीजें देख लेंगे। पहला, ये लोग आज की तारीख में जो फाइल ले-आउट है, उसको देख लें कि उसमें यह जगह पार्क है या कुछ और। दूसरा, अगर वह उसको आवण्टित 406 वर्ग मीटर की जगह में अपना नक्शा सबिमट करता है तो उसे इग्जामिन कर लिया जाए।

श्री अमिताभ बाजपेयी- प्राधिकरण द्वारा उसको नर्सरी स्कूल की जमीन बताकर उक्त जमीन बेची गई है। अगर 406 वर्ग मीटर जमीन आपके मानक में नहीं है तो फिर आपने उसको स्कूल के नाम से जमीन बेची क्यों?

श्री राकेश कृष्णर गोस्वामी- अगर वहाँ 1216 वर्ग मीटर जमीन उपलब्ध है तो फिर स्कूल हेतु जमीन देने में क्या दिक्कत है? आप उनको पहले पूरी जमीन दीजिए फिर स्कूल का नक्शा पास कीजिए।

श्री अभिताभ बाजपेयी- आप अगली मीटिंग में अपना लेटेस्ट लो-आउट लेकर आइए, तब ही चीजें विलयर हो पाएंगी। इसके अलावा, अभी यह सम्भावना व्यक्त की गई कि हम 406 वर्ग मीटर में स्कूल के नक्शे पर विचार कर लेंगे। अगर ऐसा है तो फिर आप लोग उनको यथासमय सूचित कर दीजिए ताकि वे स्कूल का नक्शा ऑन-लाइन/ऑफ-लाइन जो भी होता हो, उसे समय से सभिष्ठ कर सकें।

श्री अजय चौहान- मान्यवर, हम अगली मीटिंग में अपने लेटेस्ट लो-आउट के साथ समिति के समक्ष उपस्थित होंगे।

श्री अध्यक्ष- अभी यह लम्बित रहेगा। (लम्बित)

क्रम संख्या-14

याचिका संख्या-2144/2021

कानपुर नगर में अम्बेडकरपुरम् योजना संख्या-3 में व्यावसायिक भूखण्ड संख्या-7/1/3 में किश्तों का पुनर्निधारण करने के सम्बन्ध में श्री मनोज मिश्रा, निवासी शारदा नगर, कानपुर नगर का अभ्यावेदन।

श्री अभिताभ बाजपेयी- यह विषय तो आपकी पावर के अन्तर्गत है।

श्री अजय चौहान- मान्यवर, यह विषय मनोज मिश्रा जी का है, इन्होंने अपने भूखण्ड की किश्तों के पुनर्निधारण हेतु अनुरोध किया था। पहले हम लोगों के यहाँ इसकी पावर नहीं थी लेकिन इसी साल बोर्ड की बैठक करके उक्त पावर ले ली गई है। पहले हम लोगों को केवल आवासीय भूखण्ड में पावर थी, अनावासीय भूखण्ड में नहीं थी लेकिन अब अनावासीय में भी पावर लेकर इनका रिशेड्यूल कर दिया गया है, किन्तु रिशेड्यूल के बाद वे फर्दर रिशेड्यूल चाहते हैं।

श्री अभिताभ बाजपेयी- इसमें याचिकाकर्ता का अनुरोध है कि उनके भूखण्ड के विरुद्ध नकाया धनसंशोधन को 06 वर्षों की किश्तों में पुनः निर्धारित कर दिया जाए। आप! यह बताएं कि आपको 06 सालों की पावर है या नहीं।

श्री अजय चौहान- मान्यवर, 05 वर्ष की है।

श्री अभिताभ बाजपेयी- आपकी जो भी ऐक्सिसम पावर है, इनकी उतने वर्षों की किश्तें करवा दीजिए।

श्री अजय चौहान- मान्यवर, वैसे मैंने इनका अभी रिशेड्यूल किया था।

श्री अभिताभ बाजपेयी- अब आपकी पावर बढ़ गई है इसीलिए इन्होंने दोबारा अनुरोध किया है। अगर आपकी पावर न बढ़ती तो यह आपके सामने फिर से न आता।

श्री अजय चौहान- मान्यवर, इसमें हमारा कमलायंस तो मान ही लिया जाए।

श्री अध्यक्ष- ठीक है, इसे निस्तारित किया जाता है। (निस्तारित)

सचिव बहोदय, इसके अलावा हमारा यह मत है कि यहाँ की भिन्न-भिन्न बैठकों में जो आपके सहयोगी अधिकारी आते हैं, जैसा अभी माझे अमिताभ जी ने बैठक की शुरूआत में ही यह प्रश्न उठाया था कि आज की इस बैठक में एल०डी०ए० या जो उसके समकक्ष संस्थाएँ हैं, उनके बी०सी० आज नहीं आए हैं। इसलिए यहाँ की बैठकों में कौन-कौन आएगा, कौन नहीं आएगा, यह तय करने की व्यवस्था कौन देखता है?

प्रमुख सचिव, विधान सभा- श्रीमन्, हम लोग तो सिर्फ अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव को बुलाते हैं और उनके सहयोगी अधिकारी शासन से ही तय होते हैं।

श्री अध्यक्ष- वे लोग अपनी उपयोगिता के अनुसार यह तय करते होंगे कि उन्हें यहाँ पर साक्ष्य हेतु किन-किन अधिकारियों की आवश्यकता होगी?

श्री अमिताभ बाजपेयी- लेकिन इसमें जो नीतिगत बात आई है कि जो अधिकारी मौके पर निर्णय न ले सके अथवा यह कहे कि हम पूछकर बताएँगे तो फिर उनके साथ हम लोगों का समय बरबाद होता है या जो अन्य लोग आते हैं, उनका भी समय बरबाद होता है। जब अधिकारी यह कहे कि हम पूछकर बताएँगे तो ऐसे में वह समय तो बेकार चला गया। इसलिए यहाँ पर साक्ष्य हेतु कम से कम उस स्तर का अधिकारी अवश्यक आए, जो यह कह सके कि हाँ, मैं इस चीज को देख लूँगा, इसे कर दूँगा, यह चीज मुझसे सम्भव है या मुझे इसकी पावर है। अन्यथा जिसके पास पावर ही नहीं है, उसको हम यहाँ पर सुने क्यों?

प्रमुख सचिव, विधान सभा- श्रीमन्, वैसे बी०सी०, एल०डी०ए० तो बराबर आते हैं।

श्री अमिताभ बाजपेयी- आपकी बात बिल्कुल सही है लेकिन जिन अधिकारियों को निर्णय लेने की पावर ही नहीं है, उनको हम क्यों इंटरटेन करें? जिसे पर्याप्त प्रावर हो, हम उसी को इंटरटेन करें। वैसे तो प्रमुख सचिव अकेले ही पर्याप्त है। ऐसे में जिस अधिकारी को पावर ही नहीं है, हम लोग उसको सुनकर क्यों टाइम वेस्ट करें।

श्री अजय चौहान- मान्यवर, वैसे अधिकांश बैठकों में तो बी०सी०, एल०डी०ए० आते हैं, अन्य बी०सी० भी आते हैं। अगर कभी वे नहीं होते हैं तो यूजुअली सचिव रैक के अधिकारी आते हैं।

श्री अध्यक्ष- माझे सदस्य, जब यह बैठक प्रारम्भ हुई तो आपका कहना था कि ये लोग नहीं आए हैं, मतलब आपकी अपेक्षा थी कि वे लोग आते। अब आप कह रहे हैं कि उनके आने की जरूरत क्या है?

प्रमुख सचिव, विधान सभा- आगे से आप इस चीज को देख लीजिएगा।

श्री अजय चौहान- सर, मैं देख लूँगा।

श्री अमिताभ बाजपेयी- अपना नियम तो यही है लेकिन जो अन्य लोग आते हैं, उनकी तो जरूरत नहीं है।

श्री प्रभु नारायण सिंह यादव- लात यह है कि सक्षम अधिकारी के आए बिना किसी चीज का, किसी बिन्दु का निस्तारण नहीं हो सकता।

प्रमुख सचिव, विधान सभा- श्रीमन्, अकेले उनके लिए भी सम्भव नहीं है क्योंकि उनको असिस्ट करने के लिए भी तो लोग चाहिए ही। अब उनका स्तर क्या हो, इसको आप लोग देख लीजिएगा कि वह समिति के अनुरूप हो।

श्री अजय चौहान- सर, मैं देख लूँगा।

श्री अध्यक्ष- हम लोगों की तरफ से कोई आपत्ति नहीं है। चूंकि यह मामला इस समय आया और मेरे पास प्रमुख सचिव जी की चिट्ठी भी रखी है, उन्होंने फोन भी किया था।

प्रमुख सचिव, विधान सभा- वैसे भी चौहान साहब तो बराबर आते ही रहे हैं और वेल प्रिपेयर होकर आते हैं।

श्री अमिताभ बाजपेयी- हमें आपत्ति किसी से नहीं है।

श्री अध्यक्ष- आज की बैठक हेतु आए सभी मार्ग सदस्यों तथा अधिकारियों को बहुत-बहुत धन्यवाद। इस बैठक के बाद समिति की एक बैठक और है इसलिए इस बैठक के विषयों पर कुछ शीघ्रता से विचार-विमर्श किया गया है। अब आज की कार्यसूची में निर्धारित सभी विषयों पर विचारण समाप्त हुआ। इन्हीं शब्दों के साथ आज की इस बैठक की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

श्री अजय चौहान- मैं आवास एवं शहरी नियोजन विभाग की ओर से मार्ग अध्यक्ष महोदय, समिति के सभी मार्ग सदस्यों, मार्ग प्रमुख सचिव, विधान सभा और आपकी सारी टीम को बहुत-बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। हालांकि आज चर्चा ज्यादा हुई, निस्तारण बहुत ज्यादा नहीं हुआ लेकिन मैं आशा करता हूँ कि आगे सकारात्मकता के साथ और ज्यादा निस्तारण हो सकेगा। धन्यवाद।

(तत्पश्चात् बैठक की कार्यवाही स्थगित हुई)

विषय:- बसंतकुंज योजना सेक्टर-डी में नियोजित पुलिस थाने के भूखण्ड को नर्सिंग होम किया/प्रयोजन में परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध में।

आख्या:

पुलिस विभाग की मांग के अनुसार पुलिस थाने हेतु मानकों के अनुसार 3000.00 वर्गमीटर क्षेत्रफल का भूखण्ड उपलब्ध कराया जाना था, जबकि बसंतकुंज योजना सेक्टर-डी में नियोजित पुलिस थाने का भूखण्ड का क्षेत्रफल मानक क्षेत्रफल से कम है। तदकम में पुलिस थाना प्रयोजन के भूखण्ड को सम्मिलित करते हुए सेक्टर-ए बसन्त कुंज योजना के भाग-ए३ का PROPOSED PART LAYOUT PLAN का अनुमोदन उपाध्यक्ष महोदय द्वारा दिनांक 14.12.2021 को प्रदान किया गया (छायाप्रति अनुलग्नक-1 पर संलग्न)।

उपरोक्तानुसार सेक्टर-डी में स्थित पुलिस थाने के भूखण्ड की रिक्तता की दशा में कोविड महामारी के दृष्टिगत नर्सिंग होम किया/प्रयोजन प्रस्तावित किये जाने के कम में उक्त भूखण्ड को नर्सिंग होम किया/प्रयोजन में परिवर्तित किये जाने हेतु शासनादेश सं-2438/9-आ-3/98-60एल.यू.सी./96 दिनांक 13.10.1998 में वार्णित प्राविधिक के अन्तर्गत ले-आउट प्लान संशोधित किये जाने हेतु उठोप्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-13 में निहित प्रक्रिया के अनुसार जनसामान्य से आपत्ति एवं सुझाव प्राप्त करने हेतु उपाध्यक्ष महोदय के अनुमोदन दिनांक 23.12.2021 के कम में प्राधिकरण के पत्र संख्या-613/सी.टी.पी./2021 दिनांक 23.12.2021 के माध्यम से समाचार पत्रों में दिनांक 24.12.2021 को सूचना प्रकाशित करायी गयी। आपत्ति/सुझावों के आमन्त्रण की निर्धारित अवधि में कोई आपत्ति एवं सुझाव प्राप्त नहीं हुए है। तदानुसार उक्त PROPOSED PART LAYOUT PLAN (छायाप्रति अनुलग्नक-2 पर संलग्न) के सैद्धान्तिक अनुमति का प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

प्रस्ताव- उपर्युक्त के परिपेक्ष्य में बसंतकुंज योजना सेक्टर-डी में नियोजित पुलिस थाने के भूखण्ड को नर्सिंग होम किया/प्रयोजन में परिवर्तित किये जाने की सैद्धान्तिक अनुमति के सम्बन्ध में प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

**PROPOSED PART LAYOUT
PLAN OF SECTOR - 'A'
HARDOI ROAD SCHEME,
LUCKNOW.**

DETAIL OF PLOTS:-

S.N.	TYPE	SIZE OF PLOTS	AREA (in SQ.MT.)	NOS.
1.	PLOTS	10.00 M. X 20.00 M.	200.00 SQ.MT.	35
2.	PLOTS	07.50 M. X 15.00 M.	112.50 SQ.MT.	85
3.	PLOTS	06.00 M. X 12.00 M.	072.00 SQ.MT.	192
		TOTAL		313

AREA STATEMENT:-


S.N.	PARTICULARS	AREA (in SQ.MT.)	% AGE
1.	TOTAL AREA OF LAND	55713.12 SQ.MT.	
2.	AREA UNDER M. PLAN COMM.	9753.75 SQ.MT.	
3.	NET AREA OF LAND	75959.37 SQ.MT.	
4.	AREA UNDER PLOTS	31710.15 SQ.MT.	41.75%
5.	AREA UNDER COMM.	04652.09 SQ.MT.	05.12%
6.	AREA UNDER SCHOOL	01496.68 SQ.MT.	01.97%
7.	AREA UNDER NURSING HOME	01497.72 SQ.MT.	01.98%
8.	AREA UNDER POLICE THANA	03016.49 SQ.MT.	03.28%
9.	AREA UNDER PARK	11478.22 SQ.MT.	15.11%
10.	AREA UNDER ROAD	23977.02 SQ.MT.	29.65%

NOTES:- THIS PART LAYOUT PLAN IS PREPARED SURVEY REPORT BY E.E. 3 WIDE LETTER NO. 479/E-2011-7 DATED 05-11-2011 & VERIFIED ON DATE NO 15/3/2011

TENTATIVE

BIG. NO. :-	
DATE :-	10-12-2011
DEALT BY :-	
CHECKED :-	

A.E.
I.E.
T.P.
C.T.P.
V.L.V.-1-A
SECY.




PART LAYOUT PLAN OF
SECTOR - 'D'
HARDOI ROAD SCHEME,
LUCKNOW.

DETAIL OF PLOTS:-

S.N.	PLOTS	AREA (IN SQ.MT.)	PURPOSE	REMARKS
1.	POLICE THANA	1524.54 SQ.MT.	POLICE THANA TO NURSING HOME	

NOTES:-


1. THIS PART LAYOUT PLAN IS PREPARED SITE VERIFICATION ONLY.
2. THIS PART LAYOUT PLAN HAS BEEN PREPARED AFTER SITE VERIFICATION E.E.-7 ON DATED



PREVIOUS PART LAYOUT

TENTATIVE

DRG. NO. :-	/P.L./H.R.S./SEC.-D/2021
DATE :-	21-12-2021
DEALT BY :-	
CHECKED :-	



PROPOSED PART LAYOUT

31/12/2021-2
72
T.P.
E.E.
C.T.P.
V.C.

SECY.

V.C.

संख्या—2438 / ९—आ—३—१९८—६० एल.यू.सी./ ९६

प्रेषक श्री अतुल कुमार गुप्ता,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।
सेवा में
1. उपाध्यक्ष,
समरत विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।
2. आयुक्त,
उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद,
लखनऊ।

आवास अनुभाग—३

विषय : विकास क्षेत्रों एवं उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद की आवासीय कालोनियाँ/ नियंत्रित क्षेत्रों के ले—आउट प्लान संशोधित किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या—४९०० / ९—आ—३—१९८—६० एल.यू.सी./ ९६ दिनांक २६.१२.९६ के अन्तिम प्रस्तर में यह निर्देश दिये गये हैं कि ले—आउट प्लान संशोधित कर भू—उपयोग परिवर्तन के लिए भी सम्पूर्ण प्रक्रिया उ.प्र. नगर योजना एवं विकास अधिनियम, १९७३ की धारा—१३ के अनुसार जनता से आपत्तियाँ एवं सुझाव आमंत्रित करने के उपरान्त शासन द्वारा गजट अधिसूचना जारी की पूर्ण की जाएगी। उल्लेखनीय है कि उ.प्र. नगर योजना एवं विकास अधिनियम १९७३ की धारा—१४ व १५ के अन्तर्गत ले—आउट प्लान रखीकृत करने व संशोधित करने का अधिकार विकासप्राधिकरण स्तर पर ही है। अतः ले—आउट प्लान के संशोधन हेतु शासन स्तर से गजट अधिसूचना जारी करने की आवश्यकता पर पुर्णविचार किया गया।

२. अतएव इस सम्बन्ध में यह कहने का निर्देश हुआ है कि यदि महायोजना अथवा जोनल योजना में विना कोई संशोधन किये हुए विकास प्राधिकरण व उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद की योजना के तलपट मानविक्री में संशोधन कर भवन/भूखण्ड के भू—उपयोग परिवर्तन हेतु कार्यवाही की जानी हो तो तदविषयक कार्यवाही प्राधिकरण व उ.प्र. आवास विकास परिषद के स्तर पर ही सम्पादित की जाए परन्तु इस संशोधन की कार्यवाही उ.प्र. नगर योजना एवं विकास अधिनियम १९७३ की धारा—१३ में निहित प्रक्रिया के समान ही की जाए अर्थात् ऐसे मामलों में आपत्तियाँ एवं सुझाव आमंत्रित करने हेतु कम से कम दो समाचार पत्रों में विज्ञप्ति प्रकाशित की जाए अर्थात् ऐसे मामलों में आपत्तियाँ एवं सुझाव आमंत्रित करने हेतु कम से कम दो समाचार पत्रों में विज्ञप्ति प्रकाशित की जाए तथा आपत्तिकर्ताओं को सुनवाई का अवसर देते हुए प्राप्त आपत्तियों का निरतारण कर बोर्ड बैठक में प्रस्ताव की रवीकृति उपरान्त अन्तिम विज्ञप्ति भी समाचार पत्रों में प्रकाशित की जाए। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि उक्त संशोधन भू—उपयोग परिवर्तन के लिए भू—स्वामियों से भू—उपयोग परिवर्तन शुल्क निर्धारित दरों पर बसूल किया जाए। अन्तिम विज्ञप्ति समाचार पत्रों में प्रकाशित करने के पूर्व विकास प्राधिकरण व उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद में भू—उपयोग परिवर्तन शुल्क जमा कराया जाना सुनिश्चित किया जाएगा। उपरोक्त शासनादेश दिनांक २६.१२.९६ उक्त सीमा तक संशोधित किया जाता है।

भवदीय,
अतुल कुमार गुप्ता
सचिव

संख्या—2438(1) / ९—आ—३—१९८—६० तददिनांक

उपरोक्त की प्रतिलिपि निम्न लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

१. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ
२. आवास विभाग के समरत अनुभाग
३. गार्ड फाइल
४. उ०प्र०, आवास बन्धु

आज्ञा से,
एच. पी. सिंह
अनुसचिव

विषय: रिफाह-ए-आम योजना स्थित समूह आवास के भूखण्ड में से नर्सिंग होम (क्षेत्रफल 1500.00 वर्गमी0) के रूप में तलपट मानचित्र में अंकित/परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध में।

आख्या:

जगत नारायण रोड, मोहल्ला गोलागंज का खसरा संख्या 146 ए 147 (भाग) की नजूल भूमि स्थित रिफाह-ए-आम क्लब योजना में 24.0मी0 चौड़े मार्ग पर स्थित समूह आवास प्रयोजन के भूखण्ड का तलपट मानचित्र दिनांक 04.01.2022 में अनुमोदित है। प्रश्नगत समूह आवास प्रयोजन के भूखण्ड के क्षेत्रफल 3622.00वर्गमी0 में से कोविड महामारी के दृष्टिगत नर्सिंग होम की कमी हो देखते हुए 09.00मी0 चौड़े पाश्व मार्ग एवं 24.00मी0 चौड़े मार्ग के पूर्वोत्तर दिशा में नर्सिंग होम (क्षेत्रफल 1500.00वर्गमी0) प्रस्तावित किया जा रहा है (टेन्टेटिव रिवाईज्ड ले-आउट प्लान की प्रति अनुलग्नक-1 पर संलग्न)। जिसके क्रम में उक्त आवासीय भूखण्ड में से नर्सिंग होम (क्षेत्रफल 1500.00वर्गमी0) के रूप में तलपट मानचित्र में अंकित/परिवर्तित किया जाना है। शासनादेश सं0-2438 / 9-आ-3-98-60 एल0 यू0सी0 / 96, दिनांक 13.10.1998 (छायाप्रति अनुलग्नक-2 पर संलग्न) में उल्लिखित है कि यदि महायोजन अथवा जोनल योजन में बिना संशोधन किये हुए विकास प्राधिकरण व उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद की योजना के तलपट मानचित्रों में संशोधन की कार्यवाही उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा-13 में निहित प्रक्रिया के सामन ही की जाय। तदानुसार उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा-13 में निहित प्रक्रिया के अनुसार जनमानस से लोक महत्व के दो समाचार पत्रों में विज्ञप्ति प्रकाशित करते हुए आपत्ति/सुझाव आमंत्रित किया जायेगा। अतएव प्रश्नगत समूह आवास के भूखण्ड में से क्षेत्रफल 1500.00 वर्गमी को तलपट मानचित्र में नर्सिंग होम के रूप में अंकित/परिवर्तित किये जाने हेतु प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

प्रस्ताव-उपर्युक्त के परिपेक्ष्य में रिफाह-ए-आम य योजना स्थित समूह आवास के भूखण्ड में से नर्सिंग होम (क्षेत्रफल 1500.00 वर्गमी0) के रूप में तलपट मानचित्र में अंकित/परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

संख्या-2438 / 9-आ-3-98-60 एल.यू.सी. / 96

प्रेषक श्री अतुल कुमार गुप्ता,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।
सेवा में
1. उपाध्यक्ष,
समर्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।
2. आयुक्त,
उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद,
लखनऊ।

आवास अनुभाग-3

लखनऊ : दिनांक : 13 अक्टूबर, 1998

विषय : विकास क्षेत्रों एवं उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद की आवासीय कालोनियाँ/ नियंत्रित क्षेत्रों के ले-आउट प्लान संशोधित किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-4900 / 9-आ-3-96-60 एल.यू.सी. / 96 दिनांक 26.12.96 के अन्तिम प्रस्तर में यह निर्देश दिये गये हैं कि ले-आउट प्लान संशोधित कर भू-उपयोग परिवर्तन के लिए भी सम्पूर्ण प्रक्रिया उ.प्र. नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा-13 के अनुसार जनता से आपत्तियाँ एवं सुझाव आमंत्रित करने के उपरान्त शासन द्वारा गजट अधिसूचना जारी की पूर्ण की जाएगी। उल्लेखनीय है कि उ.प्र. नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा-14 व 15 के अन्तर्गत ले-आउट प्लान स्वीकृत करने व संशोधित करने का अधिकार विकासप्राधिकरण रत्तर पर ही है। अतः ले-आउट प्लान के संशोधन हेतु शासन रत्तर से गजट अधिसूचना जारी करने की आवश्यकता पर पुर्णविचार किया गया।

2. अतएव इस सम्बन्ध में यह कहने का निर्देश हुआ है कि यदि महायोजना अथवा जोनल योजना में विना कोई संशोधन किये हुए विकास प्राधिकरण व उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद की योजना के तलपट मानचित्रों में संशोधन कर भवन/भूखण्ड के भू-उपयोग परिवर्तन हेतु कार्यवाही की जानी हो तो तद्विषयक कार्यवाही प्राधिकरण व उ.प्र. आवास विकास परिषद के स्तर पर ही सम्पादित की जाए परन्तु इस संशोधन की कार्यवाही उ.प्र. नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा-13 में निहित प्रक्रिया के समान ही की जाए अर्थात् ऐसे मामलों में आपत्तियाँ एवं सुझाव आमंत्रित करने हेतु कम से कम दो समाचार पत्रों में विज्ञाप्ति प्रकाशित की जाए अर्थात् ऐसे मामलों में आपत्तियाँ एवं सुझाव आमंत्रित करने हेतु कम से कम दो समाचार पत्रों में विज्ञाप्ति प्रकाशित की जाए तथा आपत्तिकर्ताओं को सुनवाई का अवसर देते हुए प्राप्त आपत्तियों का निरतारण कर बोर्ड बैठक में प्रस्ताव की रखीकृति उपरान्त अन्तिम विज्ञाप्ति भी समाचार पत्रों में प्रकाशित की जाए। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि उक्त संशोधन भू-उपर्योग परिवर्तन के लिए भू-स्वामियों से भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क निर्धारित दरों पर वसूल किया जाए। अन्तिम विज्ञाप्ति समाचार पत्रों में प्रकाशित करने के पूर्व विकास प्राधिकरण व उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद में भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क जमा कराया जाना सुनिश्चित किया जाएगा। उपरोक्त शासनादेश दिनांक 26.12.96 उक्त सीमा तक संशोधित किया जाता है।

भवदीय,

अतुल कुमार गुप्ता
सचिव

संख्या-2438(1) / 9-आ-3-98 तददिनांक

उपरोक्त की प्रतिलिपि निम्न लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ
2. आवास विभाग के समरत अनुभाग
3. गार्ड फाइल
4. उ.प्र. आवास बन्धु

आज्ञा से,
एच. पी. सिंह
अनुसंधिव

**विषयः— प्राधिकरण द्वारा विकसित भूखण्ड संख्याः सी.पी.—89 व री.पी.—90
विराज खण्ड गोमती नगर योजना लखनऊ संलग्न भूखण्डों को
एकीकृत करते हुए मानचित्र स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।**

आख्या:


प्राधिकरण द्वारा विकसित योजनाओं के अन्तर्गत व्यवसायिक भूखण्डों में अनेकों बार ऐसा देखने में आया है कि एक ही व्यक्ति/संस्था द्वारा एक से अधिक संलग्न भूखण्ड कर्य कर लिया जाता है। दो या दो से अधिक व्यवसायिक भूखण्डों को मिलाकर निर्धारित भू-आच्छादन, एफ०ए०आर० के अन्तर्गत एक भवन को निर्मित करने में वास्तुकला एवं लैण्ड स्केप सुधार होने के साथ अधिक उपयोगी होने के दृष्टिगत प्राधिकरण में प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा रहा है। संलग्न भूखण्डों को मिला कर निम्न प्रतिबन्धों के अधीन एक ही भवन निर्माण की अनुमति प्रदान करने में कोई तकनीकी आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

1. भवन रेखा में कोई परिवर्तन अनुमन्य नहीं होगा।
2. एकीकृत भूखण्डों के बाहरी सेट बैक में कोई परिवर्तन अनुमन्य नहीं होगा।
3. भूखण्डों की वर्तमान लागत का 2 प्रतिशत अमालगेशन शुल्क के रूप में आवेदक से जना करने की दशा में अनुमति प्रदान की जायेगी।
4. भू-आच्छादन एवं एफ०ए०आर० में कोई परिवर्तन अनुमन्य नहीं होगा।
10. अन्य नियम/उपनियम भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2008 (यथा संशोधित 2011/2016) के अनुसार लागू होंगे।

प्रस्तावः

प्राधिकरण द्वारा विकसित योजनाओं के अन्तर्गत तलपट मानचित्रों में दर्शित संलग्न व्यवसायिक भूखण्डों को उल्लिखित प्रतिबन्धों के अन्तर्गत एकीकृत भवन मानचित्र स्वीकृत करने के सम्बन्ध में प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।





सत्यमव जयते

INDIA NON JUDICIAL



78

Government of Uttar Pradesh

e-Stamp



Certificate No.	: IN-UP27751800127563U
Certificate Issued Date	: 21-Feb-2022 04:54 PM
Account Reference	: NEWIMPACC (SV)/ up14183204/ LUCKNOW SADAR/ UP-LKN
Unique Doc. Reference	: SUBIN-UPUP1418320446258125349108U
Purchased by	: MANOJ AGARWAL
Description of Document	: Article 5 Agreement or Memorandum of an agreement
Property Description	: CP-89 AND CP-90, VIRAJ KHAND, GOMTINAGAR, LUCKNOW U.P
Consideration Price (Rs.)	:
First Party	: MANOJ AGARWAL
Second Party	: HDFC Bank Ltd
Stamp Duty Paid By	: MANOJ AGARWAL
Stamp Duty Amount(Rs.)	: 100 (One Hundred only)



Please write or type below this line

For HDFC BANK LTD.

Authorised Signatory

R.K. MATHUR
Adv. & NOTARY
Lucknow U.P. INDIA
Regd. No. 31.29/2000

Stamp Act

The stamp on this stamp certificate should be verified at www.esbstamps.com or using e-Stamp Mobile App of Stock Holding.
The stamp on this certificate is valid only if it is stamped by the Notary Public or the user of the certificate.

In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.

विषयः— प्राधिकरण द्वारा विकसित भूखण्ड संख्याः केबीसी—३२ व केबीसी—३३ सेक्टर—बी, कानपुर रोड योजना लखनऊ संलग्न भूखण्डों को एकीकृत करते हुए मानचित्र स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।

आख्या:

प्राधिकरण द्वारा विकसित योजनाओं के अन्तर्गत व्यवसायिक भूखण्डों में अनेकों बार ऐसा देखने में आया है कि एक ही व्यक्ति/संस्था द्वारा एक से अधिक संलग्न भूखण्ड क्य कर लिया जाता है। दो या दो से अधिक व्यवसायिक भूखण्डों को मिलाकर निर्धारित भू—आच्छादन, एफ०ए०आर० के अन्तर्गत एक भवन को निर्मित करने में वास्तुकला एवं लैण्ड स्केप सुधार होने के साथ अधिक उपयोगी होने के दृष्टिगत प्राधिकरण में प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा रहा है। संलग्न भूखण्डों को मिला कर निम्न प्रतिबन्धों के अधीन एक ही भवन निर्माण की अनुमति प्रदान करने में कोई तकनीकी आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

1. भवन रेखा में कोई परिवर्तन अनुमन्य नहीं होगा।
2. एकीकृत भूखण्डों के बाहरी सेट बैक में कोई परिवर्तन अनुमन्य नहीं होगा।
3. भूखण्डों की वर्तमान लागत का 2 प्रतिशत अमालगेशन शुल्क के रूप में आवेदक से जमा करने की दशा में अनुमति प्रदान की जायेगी।
4. भू—आच्छादन एवं एफ०ए०आर० में कोई परिवर्तन अनुमन्य नहीं होगा।
7. अन्य नियम/उपनियम भवन निर्माण एवं विकास उपविधि २००८ (यथा संशोधित २०११/२०१६) के अनुसार लागू होंगे।

प्रस्तावः

प्राधिकरण द्वारा विकसित योजनाओं के अन्तर्गत तलपट मानचित्रों में दर्शित संलग्न व्यवसायिक भूखण्डों को उल्लिखित प्रतिबन्धों के अन्तर्गत एकीकृत भवन मानचित्र स्वीकृत करने के सम्बन्ध में प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।



विषय सं०: 11

पृष्ठ सं०— ४०

विषय: भूखण्ड सं०—148ए, इण्डस्ट्रियल एरिया योजना, तालकटोरा रोड, लखनऊ का भू—उपयोग औद्योगिक से आवासीय भू—उपयोग परिवर्तन करने के संबंध में।

आख्या:—

आवेदक मेसर्स दि इण्डस्ट्रियल गैसेज लि० द्वारा मैनेजिंग डायरेक्टर श्री तेजेन्द्र गर्ग के पत्र दि० 30.11.2018 एवं दि० 6.12.2018 द्वारा भूखण्ड सं०—148ए, इण्डस्ट्रियल एरिया योजना, तालकटोरा रोड, लखनऊ का औद्योगिक भू—उपयोग से आवासीय भू—उपयोग में भू—उपयोग परिवर्तन हेतु आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग—3 की अधिसूचना सं०—2281/8—3—194विविध/14 दि० 11.12.2014 के अन्तर्गत प्रारूप—5(1) पर चालान सं०—100117766 के माध्यम से दि० 30.11.2018 मे० जमा धनराशि संलग्न करते हुए भू—उपयोग परिवर्तन हेतु आवेदन किया गया है।

तदक्रम में अवगत कराना है कि कथित भूखण्ड इण्डस्ट्रियल एरिया योजना का भूखण्ड है, जिसकी फी—होल्डडीड औद्योगिक प्रयोजन हेतु प्राधिकरण द्वारा वर्ष—2019 मे० निष्पादित है। प्रभावी लखनऊ महायोजना—2031 के पैरा 9.1.7.3 के अनुसार— यदि अधिनियम के अन्तर्गत किसी परिक्षेत्र (जोन) की परिक्षेत्रीय विकास योजना या किसी स्थल का ले—आउट प्लान सक्षम स्तर से अनुमोदित है तो ऐसी स्थिति में उक्त स्थल/भूखण्ड का अनुमन्य भू—उपयोग परिक्षेत्रीय विकास योजना या विन्यास मानचित्र में निर्दिष्ट उपयोग के अनुसार होगा।

प्रभावी लखनऊ महायोजना—2031 के उपर्युक्त वर्णित पैरा 9.1.7.3 के अनुसार कथित भूखण्ड का आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग—3 की अधिसूचना सं०—2281/8—3—194विविध/14 दि० 11.12.2014 तथा आवास अनुभाग—3 की अधिसूचना सं०—2438/9—आ—3—98—60एल.यू.सी./96 दिनांक 13.10.1998 के अन्तर्गत भू—उपयोग परिवर्तन (योजना के अनुमोदित तलपट मानचित्र में निर्धारित भू—उपयोग का महायोजना में विनिर्दिष्ट भू—उपयोग में परिवर्तन) के संबंध में यथावश्यक अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्राधिकरण के पत्र सं०—1051/सचिव/मु०न०नि० /2020 दिनांक 20.06.2020 एवं 439/सचिव/ मु०न०नि०/2021 दि० 20.10.2021 (छायाप्रति अनुलग्नक—1 पर संलग्न) के माध्यम से आवश्यक दिशा निर्देश के संबंध मे० पत्र शासन को प्रेषित है। तदक्रम में विशेष सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग—8 उ०प्र० शासन के पत्र संख्या 2448/आठ—8—2021—07 एल.यू.सी./2021 दिनांक 31.12.2021 (छायाप्रति अनुलग्नक—2 पर संलग्न) द्वारा प्रश्नगत प्रकरण में औद्योगिक से आवासीय भू—उपयोग में परिवर्तन की अनुमति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की जाती है—

1. शासनादेश संख्या—2438/9—आ—3/98—60एल.यू.सी./96 दिनांक 13.10.1998 के अनुसार भूखण्ड संख्या—148ए, इण्डस्ट्रियल एरिया योजना, तालकटोरा रोड, लखनऊ के ले—आउट में संशोधन कर संदर्भित भूखण्ड का भू—उपयोग औद्योगिक से आवासीय में परिवर्तन हेतु लखनऊ विकास

- प्राधिकरण की आगामी बोर्ड बैठक में प्रकरण को प्रस्तुत कर अपेक्षित निर्णय लिया जाय।
2. शासनादेश दिनांक 13.10.1998 के अनुसार उक्त भूखण्ड का औद्योगिक से आवासीय भू-उपयोग में परिवर्तन हेतु भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क लिया जायेगा।
 3. उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क का निर्धारण, उद्ग्रहण एवं संग्रहण) नियमावली 2014 में निर्धारित भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क जमा कराया जायेगा।

उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही कराते हुए कृत कार्यवाही की पूर्ण सूचना/आख्या संगत अभिलेखों सहित शासन को उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गयी है।

उल्लेखनीय है कि प्रश्नगत भूखण्ड का भू-उपयोग लखनऊ महायोजना-2001 के अन्तर्गत हल्के उद्योग (औद्योगिक) में अंकित था। इसके साथ ही सहयुक्त नियोजक, सम्भागीय नियोजन खण्ड, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ0प्र0 के पत्र सं0-415/ल.महा-2021/भू-उपयोग/ल.ख./2014-15 दि0 28.07.2014 के अनुसार लखनऊ महायोजना-2021 में प्रश्नगत स्थल का भू-उपयोग आवासीय प्रस्तावित था तथा सहयुक्त नियोजक, सम्भागीय नियोजन खण्ड, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ0प्र0 के पत्र सं0-1578/लखनऊ महा.-2031/भू0उप0/ल.ख./2018-19 दि0 04.12.2018 में उक्त स्थल का शासन द्वारा स्वीकृत लखनऊ महायोजना-2031 में आवासीय के अन्तर्गत प्रस्तावित है।

शासन के पत्र संख्या-2448/आठ-8-2021-07 एल.यू.सी./2021 दिनांक 31.12.2021 के अनुसार भूखण्ड सं0-148ए, इण्डिस्ट्रियल एरिया योजना, तालकटोरा रोड, लखनऊ को तलपट मानचित्र में औद्योगिक से आवासीय भू-उपयोग में परिवर्तन/अंकित करने के संबंध में शासनादेश संख्या-2438/9-आ-3/98-60एल.यू.सी./96 दिनांक 13.10.1998 के क्रम में आपत्ति/सुझाव आमंत्रित करते हुए निस्तारण उपरान्त अग्रेतर कार्यवाही की जानी है। तदानुसार शासन के पत्र दिनांक 31.12.2021 के क्रम में भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क लेते हुए उक्त भूखण्ड को तलपट मानचित्र में औद्योगिक से आवासीय भू-उपयोग में परिवर्तन/अंकित किये जाने का प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष निर्णयार्थ/विचारार्थ प्रस्तुत है।

प्रस्ताव— भूखण्ड सं0-148ए, इण्डिस्ट्रियल एरिया योजना, तालकटोरा रोड, लखनऊ को तलपट मानचित्र में औद्योगिक से आवासीय भू-उपयोग में परिवर्तन/अंकित करने के संबंध में शासनादेश संख्या-2438/9-आ-3/98-60एल.यू.सी./96 दिनांक 13.10.1998 के क्रम में आपत्ति/सुझाव आमंत्रित करते हुए निस्तारण उपरान्त अग्रेतर कार्यवाही की जानी है। तदानुसार शासन के पत्र दिनांक 31.12.2021 के क्रम में भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क लेते हुए उक्त भूखण्ड को तलपट मानचित्र में औद्योगिक से आवासीय भू-उपयोग में परिवर्तन/अंकित किये जाने का प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष निर्णयार्थ/विचारार्थ प्रस्तुत है।

लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ

<p>प्रेषक,</p> <p>सचिव</p> <p>लखनऊ विकास प्राधिकरण,</p> <p>नवीन भवन, गोमती नगर</p> <p>लखनऊ।</p> <p>संख्या-४३७/सचिव/मु०न०नि०/२०२१</p> <p>दिनांक-२०/१०/२०२१</p>	<p>सेवा में,</p> <p>उप सचिव,</p> <p>आवास एवं शहरी नियोजन, अनुभाग-८</p> <p>उ०प्र० शासन, लखनऊ।</p>
---	--

विषय:- भूखण्ड सं०-148ए, इण्डस्ट्रियल एरिया योजना, तालकटोरा रोड, लखनऊ का औद्योगिक भू-उपयोग से आवासीय भू-उपयोग में परिवर्तन करने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक स्वकीय पत्र सं०-1695 /आठ-८-२०२१-०७ एल.यू.सी./२०२१ दि० ३१ अगस्त, २०२१ का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके अनुसार प्रश्नगत भूखण्ड का औद्योगिक भू-उपयोग से आवासीय भू-उपयोग में परिवर्तन किये जाने के संबंध में भू-उपयोग परिवर्तन नियमावली-२०१४ के नियम-५ में निहित प्राविधान के अनुसार प्रस्ताव का परीक्षण कर एवं शासनादेश संख्या-१३७४ दि० २९.१२.२०१७ तथा शासन के पत्र सं०-७१२ दि० ०३.०१.२०२० के कम में वांछित अभिलेख/सूचना सुसंगत अभिलेखों सहित उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गयी है।

तदक्रम में अवगत कराना है कि आवेदक के पत्र के अनुसार लखनऊ महायोजना-२०३१ में प्रश्नगत स्थल का भू-उपयोग आवासीय प्रस्तावित है। आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-३ की अधिसूचना सं०-२२८१ /८-३-१९४ विविध/१४ दि० ११.१२.२०१४ के अन्तर्गत प्रारूप-५(१) पर चालान सं०-१००११७७६६ के माध्यम से दि० ३०.११.२०१८ में जमा धनराशि रु०-१०००.०० संलग्न करते हुए औद्योगिक भू-उपयोग से आवासीय भू-उपयोग में परिवर्तन हेतु आवेदन किया गया है।

यहां यह भी अवगत कराना है कि कथित भूखण्ड इण्डस्ट्रियल एरिया योजना का भूखण्ड है, जिसकी फी-होल्डरीड औद्योगिक प्रयोजन हेतु प्राधिकरण द्वारा वर्ष-२०१९ में निर्धारित की गयी। प्रभावी लखनऊ महायोजना-२०३१ के पैरा ९.१.७.३ के अनुसार— यदि अधिनियम के अन्तर्गत किसी परिक्षेत्र (जोन) की परिक्षेत्रीय विकास योजना या किसी स्थल का ले-आउट प्लान सक्षम स्तर से अनुमोदित है तो ऐसी स्थिति में उक्त स्थल/भूखण्ड का अनुमन्य भू-उपयोग परिक्षेत्रीय विकास योजना या विन्यास मानचित्र में निर्दिष्ट उपयोग के अनुसार होगा।

प्रभावी लखनऊ महायोजना-२०३१ के उपर्युक्त वर्णित पैरा ९.१.७.३ के रेखांकित अंश के अनुसार कथित भूखण्ड का आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-३ की अधिसूचना सं०-२२८१ /८-३-१९४ विविध/१४ दि० ११.१२.२०१४ तथा आवास अनुभाग-३ की अधिसूचना सं०-२४३८ /९-आ-३-९८-६० एल.यू.सी./९६ दि० १३.१०.१९९८ के अन्तर्गत भू-उपयोग परिवर्तन (योजना के अनुमोदित तालपट मानचित्र में निर्धारित भू-उपयोग का महायोजना में विनिर्दिष्ट भू-उपयोग में परिवर्तन) के संबंध में यथावश्यक अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्राधिकरण के पत्र सं०-१०५१ /सचिव/मु०न०नि०/२०२० दिनांक २०.०६.२०२० के माध्यम से आवश्यक दिशा निर्देश के संबंध में पत्र प्रेषित है (छायाप्रति संलग्न)।

प्रश्नगत प्रकरण में शासन से दिशा निर्देश प्राप्त होने के उपरान्त शासन के निर्देशों के क्रम में ही आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन प्राधिकरण की बोर्ड बैठक में प्रस्तुत किया जा सकेगा।

संलग्नक—यथोपरि।

भवदीय

८

(पवन कुमार गंगवार)

सचिव

०८/८/२०२१

मा

संख्या-2448 / आठ-८-२०२१-०७ एल.यू.सी. / २०२१

प्रेषक,

डॉ अरविन्द कुमार चौरसिया,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

रोदा में,

उपाध्यक्ष,
लखनऊ विकास प्राधिकरण,
लखनऊ।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-४

लखनऊ :दिनांक. ३। दिसम्बर, २०२१

विषय: भूखण्ड संख्या-१४८ए, इण्डिस्ट्रियल एरिया योजना, तालकटोरा रोड, लखनऊ का
औद्योगिक भू-उपयोग से आवासीय भू-उपयोग में परिवर्तन करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने १०५१/सचिव/मु०न०नि०/२०२० दिनांक २०.०६.२०२० एवं
पत्र संख्या-४३९/सचिव/मु०न०नि०/२०२१ दिनांक २०.१०.२०२१ का संदर्भ ग्रहण करने का
कष्ट करे।

२. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत प्रकरण में शासन
द्वारा राष्ट्रीय विद्वारोपसान्त भूखण्ड संख्या-१४८ए, इण्डिस्ट्रियल एरिया योजना, तालकटोरा
रोड, लखनऊ का “औद्योगिक” से “आवासीय” भू-उपयोग में परिवर्तन की अनुमति
निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की जाती है:-

- (१) शासनादेश संख्या-२४३८/९-आ-३-९८-६०एलयूसी/९६ दिनांक १३.१०.१९९८
के अनुसार भूखण्ड संख्या-१४८ ए, इण्डिस्ट्रियल एरिया योजना, तालकटोरा
रोड, लखनऊ के ले—आउट में संशोधन कर संदर्भित भूखण्ड का भू-उपयोग
“औद्योगिक” से “आवासीय” में परिवर्तन हेतु लखनऊ विकास प्राधिकरण की
आगामी बोर्ड बैठक में प्रकल्प को प्रस्तुत कर अपेक्षित निर्णय लिया जाय।
- (२) शासनादेश दिनांक १३.१०.१९९८ के अनुसार उपर भूखण्ड का “औद्योगिक” से
“आवासीय” भू-उपयोग में परिवर्तन हेतु भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क लिया
जायेगा।
- (३) उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क का
निर्धारण, उद्ग्रहण एवं संग्रहण) नियमावली, २०१४ में निर्धारित भू-उपयोग
परिवर्तन शुल्क जमा कराया जायेगा।

कृपया उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यपाही कराते हुए कृत कार्यवाही की पूर्ण
सूचना / आख्या संगत अभिलेखों सहित शासन को उपलब्ध कराने का काट करें।

भवदीय,

(डॉ अरविन्द कुमार चौरसिया)
विशेष सचिव।

संख्या-२४४८ (१) / आठ-८-२०२१-०७ एल.यू.सी. / २०२१ तददिनांक।

(१) प्रतिलिपि निम्नलिखित की सूचनाथे एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- (१) अध्यक्ष/मण्डलायुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।
- (२) श्री तेजस्व गर्ग, प्रबन्ध निदेशक, दि इण्डिस्ट्रियल गैरेज प्रा०लि०. १५, गणेश चन्द्र
एवन्यू, कोलकाता पिन-७०००१३
- (३) गार्ड फाइल।

आद्वी से
२०२१-११-२१
(मनोज कुमार मौर्य)
मुप साहित।

विषय— उ०प्र० शासन की हाईटेक टाउनशिप नीति के अधीन चयनित मेसर्स अंसल प्रापर्टीज एण्ड इन्फारस्ट्रक्चर लिंग द्वारा प्रस्तुत संशोधित डी०पी०आर० स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में विचार।

आख्या—

उ०प्र० सरकार की हाईटेक टाउनशिप नीति के अधीन मेसर्स अंसल प्रापर्टीज एण्ड इन्फारस्ट्रक्चर लिंग को शासनादेश संख्या— 2712/आठ-१-२००५ दिनांक 21.05.2005 द्वारा लखनऊ सुल्तानपुर रोड पर 1765 एकड़ की हाईटेक टाउनशिप का विकास किये जाने हेतु चयन किया गया था। उक्त 1765 एकड़ हाईटेक टाउनशिप का डी०पी०आर० दिनांक 22.05.2006 को स्वीकृत किया गया था। मेसर्स अंसल प्रापर्टीज एण्ड इन्फारस्ट्रक्चर लिंग को मूल अनुमोदित क्षेत्रफल 1765 एकड़ से 3530 एकड़ प्रथम विस्तार हेतु स्वीकृति दिनांक 03.06.2009 को प्रदान की गयी। 1765 एकड़ प्रथम विस्तार सहित 3530 एकड़ क्षेत्रफल की डी०पी०आर० दिनांक 18.05.2010 को स्वीकृत की गयी थी। मेसर्स अंसल प्रापर्टीज एण्ड इन्फारस्ट्रक्चर लिंग को मूल अनुमोदित + प्रथम विस्तार क्षेत्रफल 3530 एकड़ में 2935 एकड़ द्वितीय विस्तार हेतु स्वीकृति दिनांक 13.12.2013 को प्रदान की गयी। 2935 एकड़ द्वितीय विस्तार सहित 6465 एकड़ क्षेत्रफल की डी०पी०आर० दिनांक 23.05.2015 को स्वीकृत की गयी थी। उक्त स्वीकृति के प्राविधानों के क्रम में ही वर्तमान में डी०ए०-१ से डी०ए०-४ एवं डी०ए०-५ के तलपट मानचित्र स्वीकृत है, जिसके अनुसार योजना अवधि—13.03.2017 तक थी। विकासकर्ता के आवेदन पर नीति अनुसार योजना की समयावधि बढ़ाये जाने हेतु प्रस्ताव उ०प्र० शासन को प्रेषित किया गया था। मेसर्स अंसल प्रापर्टीज एण्ड इन्फारस्ट्रक्चर लिंग द्वारा प्रस्तुत योजना प्रस्ताव पर हाईटेक टाउनशिप निति के अधीन मुख्य सचिव उ०प्र० शासन की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय समिति की दिनांक 02.11.2021 के उ०प्र० शासन आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग ३ के पत्र संख्या—3309/आठ-३-२१-२२७विविध/2011 दिनांक 23.11.2021 (अनुलग्नक-१) एवं पत्र संख्या—3463/आठ-३-२१-२२७विविध/2011 दिनांक 16.12.2021 (अनुलग्नक-२) के माध्यम से कतिपय शर्तों के अधीन स्वीकृति प्रदान की गयी। प्राधिकरण द्वारा योजना के स्वीकृत तलपट मानचित्र एवं प्रस्तावित तलपट मानचित्र पर हुए विचलन के क्रम में जन सामान्य से आपत्ति/सुझाव आमंत्रित किये जाने हेतु दैनिक समाचार पत्र दैनिक जागरण एवं हिन्दुस्तान टाइम्स में दिनांक 05.01.2022 को विज्ञप्ति प्रकाशित की गयी थी। प्राप्त विज्ञप्तियों पर सुनवाई की तिथि 14.03.2022 निर्धारित की गयी थी, जिस पर अपरिहार्य कारणोंवश सुनवाई रथगित होने के कारण पुनः दिनांक 23.03.2022 को लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ के गोमती नगर स्थित कार्यालय के द्वितीय तल स्थित मसजूद हाल में सुनवाई की गयी। शासन द्वारा प्रदत्त अनुमति के क्रम में प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष विचारार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है—

- मेसर्स अंसल प्रापर्टीज एण्ड इन्फारस्ट्रक्चर लिंग की योजनान्तर्गत मा० उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ में वर्ष—2010 एवं 2011 में भूमि अधिग्रहण के विरुद्ध याचिकाएं योजित की गयी हैं। उक्त रिट याचिकाएं लगभग 64.8722 एकड़ भूमि पर हैं। उक्त भूमि पर मा० उच्च न्यायालय द्वारा पारित रथगनादेश वर्तमान तक प्रभावी है एवं उक्त क्षेत्र में



लगभग 78.00 एकड़ पुनर्ग्रहित/अर्जित भूमि का कब्जा प्रक्रियात्मक कार्यवाही/मा10 न्यायालयों के आदेशों से आच्छादित होने/उक्त भूमि पर अवैध कब्जे होने के दृष्टिगत वर्ष 2013–14 से वर्तमान तक हस्तगत नहीं होने के कारण प्रकरण मा10 न्यायालयों के रथगनादेश वर्तमान में प्रभावी होने के दृष्टिगत उक्त भूमि पर मा10 न्यायालयों से निर्णय होने के उपरान्त उक्त क्षेत्र हेतु एक वर्ष जीरो पीरियड माने जाने का प्रस्ताव।

- मेसर्स अंसल प्रापर्टीज एण्ड इन्फ्रा लिलो द्वारा पूर्व स्वीकृति के सापेक्ष योजना क्षेत्रफल में कटौती करते हुए प्रस्तुत किये गये तलपट मानचित्र पर शासनादेश दिनांक 23.11.2021 के क्रम में एवं योजना के वर्तमान में प्रभावी स्वीकृत तलपट मानचित्रों के सापेक्ष जन सामान्य से प्राप्त आपत्ति/सुझावों पर सुनवाई उपरान्त समिति की संस्तुति के अनुसार विकासकर्ता द्वारा तदानुसार संशोधित मानचित्र प्रस्तुत किये जाने पर उक्त के अनुमोदन का प्रस्ताव।

प्रस्ताव:

उ0प्र0 शासन की हाई-टेक टाउनशिप नीति के अधीन चयनित मेसर्स अंसल प्रापर्टीज एण्ड इन्फ्रा लिलो द्वारा प्रस्तुत संशोधित डी0पी0आर0 स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में समिति की संस्तुति एवं जीरो पीरियड अनुमन्य किये जाने का प्रस्ताव विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

\

हाई-टेक टाउनशिप नीति के अधीन मुख्य सचिव, उ.प्र. शासन की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय समिति की दिनांक 02.11.2021 को अपरान्ह 05:00 बजे सम्पन्न बैठक का कार्यवृत्त :—

1— बैठक में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया :—

1. श्री संजीव मित्तल, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त।
2. श्री अरविन्द कुमार, अपर मुख्य सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग।
3. अपर मुख्य सचिव, नगर विकास द्वारा अधिकृत श्री अनिल कुमार, सचिव, नगर विकास विभाग।
4. श्री रंजन कुमार, आयुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।
5. डा० रोशन जैकब, आई०जी०, स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग।
6. अपर मुख्य सचिव, राजस्व विभाग द्वारा अधिकृत श्री रणवीर प्रसाद, सचिव, राजस्व विभाग।
7. मण्डलायुक्त, आगरा, मेरठ तथा प्रयागराज मण्डल, प्रयागराज।
8. प्रमुख सचिव, न्याय द्वारा अधिकृत श्री अतुल सिंह, विशेष सचिव, न्याय विभाग।
9. श्री अभिषेक प्रकाश, जिलाधिकारी, लखनऊ।
10. जिलाधिकारी, गाजियाबाद, मथुरा, आगरा, बुलन्दशहर, प्रयागराज एवं गौतमबुद्ध नगर।
11. प्रमुख सचिव, स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग द्वारा अधिकृत श्री अजय कुमार अवस्थी, विशेष सचिव, स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग।
12. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग द्वारा अधिकृत श्री पंकज सक्सेना, विशेष सचिव, वित्त विभाग।
13. श्री महेन्द्र सिंह, विशेष सचिव, राजस्व विभाग।
14. श्री कृष्णा कर्णेश, उपाध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण।
15. श्री नागेन्द्र प्रताप, उपाध्यक्ष, मथुरा-वृन्दावन विकास प्राधिकरण।
16. सुश्री निशा अनन्त, उपाध्यक्ष, बुलन्दशहर विकास प्राधिकरण।
17. श्री अरविन्द, उपाध्यक्ष, प्रयागराज विकास प्राधिकरण।
18. श्री अक्षय त्रिपाठी, उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण।
19. श्री सुनील कुमार वर्मा, सचिव, वाराणसी विकास प्राधिकरण।
20. श्री पवन कुमार गंगवार, सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण।
21. श्री भीम लाल वर्मा, डिप्टी एल०आर०सी०, उ०प्र० राजस्व परिषद।
22. श्री मंसूर अहमद, ओ०एस०डी०, उ०प्र० राजस्व परिषद।
23. श्री अनूप कुमार श्रीवास्तव, मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उ०प्र०।
24. श्री आर०पी० सिंह, अधीक्षण अभियन्ता, आगरा विकास प्राधिकरण।
25. श्री ज्योति प्रसाद, नगर नियोजक, कानपुर विकास प्राधिकरण।
26. श्री अजय कुमार सिंह, नगर नियोजक, कानपुर विकास प्राधिकरण।
27. श्री रवि जैन, निदेशक, आवास बन्धु, उ०प्र०, लखनऊ।
28. श्री जी०एस० गोयल, आवास बन्धु, उ०प्र०, लखनऊ।

2— उच्च स्तरीय समिति की पूर्व बैठक दिनांक 13.08.2019 के कार्यवृत्त तथा अनुपालन आख्या का अवलोकन किया गया।

3— प्रमुख सचिव आवास द्वारा अवगत कराया गया कि प्रदेश में निजी पूँजी निवेश के माध्यम से हाईटेक टाउनशिप के विकास हेतु निर्गत की गयी हाईटेक टाउनशिप नीति, 2003 (यथा संशोधित—2007) के अन्तर्गत प्रदेश के विभिन्न नगरों में कुल 13 हाईटेक टाउनशिप परियोजनाओं के विकास हेतु विकासकर्ताओं का चयन किया गया था। हाईटेक टाउनशिप नीति के अन्तर्गत गठित उच्च स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 13.08.2019 में निष्क्रय 6 हाईटेक टाउनशिप परियोजनाओं को निरस्त किये जाने का निर्णय लिया गया। वर्तमान में कार्यशील कुल 07 हाईटेक टाउनशिप परियोजनाओं को पूर्ण किये जाने के उद्देश्य से उच्च स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 13.08.2019 में लिये गये निर्णय के अनुपालन में कार्यवाही करते हुए शासनादेश दिनांक 07.04.2021 निर्गत किया गया। उक्त शासनादेश के माध्यम से हाईटेक टाउनशिप हेतु नीति में निर्धारित न्यूनतम सीमा 1500 एकड़ से यथावश्यकता कम किये जाने तथा 10 वर्ष की परियोजना अवधि पूर्ण कर चुकी हाईटेक टाउनशिप परियोजनाओं को अधिकतम 05 वर्ष की समय वृद्धि ₹0 80000/- प्रति एकड़ समय विस्तार शुल्क आरोपित करते हुए प्रदान किये जाने के लिए उच्च स्तरीय समिति को अधिकृत किया गया। इसके अतिरिक्त उक्त शासनादेश दिनांक 07.04.2021 के माध्यम से होम बायर्स/निवेशकर्ताओं के हितों के संरक्षण तथा व्यापक जनहित में कतिपय अन्य बिन्दुओं पर भी नीति निर्धारित करते हुए अग्रेतर कार्यवाही के निर्देश जारी किये गये।

4— अवगत कराया गया कि उक्त शासनादेश दिनांक 07.04.2021 के अनुपालन में कियाशील हाईटेक टाउनशिप विकासकर्ताओं द्वारा अपनी परियोजना की संशोधित/पुनरीक्षित डी०पी०आर० संबंधित प्राधिकरणों के समक्ष प्रस्तुत की गयी। प्रस्तुत की गयी डी०पी०आर० के संबंध में शासनादेश दिनांक 07.04.2021 के बिन्दुओं के आलोक में परीक्षण करते हुए संबंधित विकास प्राधिकरणों द्वारा अपनी आख्या/संस्तुति/प्रस्ताव शासन के समक्ष प्रस्तुत किया गया। प्राधिकरणों से प्राप्त

संस्तुति / सूचनाओं के आधार पर आवास विभाग द्वारा अपनी संस्तुति सहित उच्च स्तरीय समिति के समक्ष प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया।

5— उच्च स्तरीय समिति की बैठक में जनपद लखनऊ स्थित हाईटेक टाउनशिप परियोजनाओं में 0 अंसल प्रापर्टीज एण्ड इन्फा0 तथा में 0 गर्व बिल्डटेक के संबंध में विभाग द्वारा प्रस्तुतीकरण किया गया। उच्च स्तरीय समिति की बैठक में प्रस्तुत प्रस्ताव तथा उन पर हुये विचार—विमर्श के उपरान्त परियोजनावार कार्यवाही का विवरण निम्नवत् हैः—

1. में 0 अंसल प्रापर्टीज एण्ड इन्फा0, लखनऊ।

(1) विभाग द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव :-

लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध कराये गये विवरण के अनुसार परियोजना का कुल अनुमोदित क्षेत्रफल—6465 एकड़ है, जिसमें 1775.21 एकड़ की प्रस्तावित कटौती के उपरान्त परियोजना का पुनर्निर्धारित क्षेत्रफल—4689.79 एकड़ है। उक्त परियोजना में विकासकर्ता के स्वामित्व में 2800.65 एकड़ भूमि है। शासनादेश दिनांक 07.04.2021 के प्राविधानों के अन्तर्गत परियोजना हेतु भूमि—क्रय/अर्जन में व्यवहारिक अङ्गचनों के दृष्टिगत एवं परियोजना को समयबद्ध पूर्ण करने हेतु क्षेत्रफल में कटौती की गई है। पुनर्निर्धारित क्षेत्रफल निरन्तरता में है तथा क्षेत्रफल में की गई कटौती से लखनऊ विकास प्राधिकरण सहमत है। पुनर्निर्धारित क्षेत्रफल हेतु भू—उपयोग के प्रस्ताव हाई—टेक टाउनशिप नीति के मानकों के अनुसार हैं। प्राधिकरण की संस्तुति के क्रम में परियोजना के पूर्व अनुमोदित क्षेत्रफल में कटौती करते हुए में 0 अंसल प्रापर्टीज एण्ड इन्फा0, लखनऊ की हाईटेक टाउनशिप परियोजना के पुनर्निर्धारित क्षेत्रफल (4689.79 एकड़) हेतु उच्च स्तरीय समिति से अनुमोदन प्रदान किए जाने की संस्तुति की गई है।

उक्त प्रस्ताव पर उच्च स्तरीय समिति के निर्णय :-

सम्यक विचारोपरान्त उच्च स्तरीय समिति द्वारा में 0 अंसल प्रापर्टीज एण्ड इन्फा0, लखनऊ की हाईटेक टाउनशिप परियोजना के पुनर्निर्धारित क्षेत्रफल (4689.79 एकड़) पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

(कार्यवाही: उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण)

(2) विभाग द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव :—

शासनादेश दिनांक 07.04.2021 के प्रस्तर-4(2) के प्राविधानों के कम में विकासकर्ता द्वारा परियोजना क्षेत्र से बाहर स्थित अतिरिक्त भूमि 45.36 एकड़ (0.97 प्रतिशत) को परियोजना में सम्मिलित किये जाने का अनुरोध किया गया जिसके अन्तर्गत विकासकर्ता के स्वामित्व में 20.71 एकड़ भूमि है। अवशेष 24.65 एकड़ भूमि को ले—आउट प्रस्तुत करने से पूर्व कथ किये जाने के संबंध में शपथ पत्र प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। शपथ पत्र के आधार पर विचार करते हुए बिना स्वामित्व की 24.65 एकड़ भूमि को परियोजना में सम्मिलित करने हेतु उच्च स्तरीय समिति का अनुमोदन प्राप्त किये जाने की संस्तुति की गई है।

उक्त प्रस्ताव पर उच्च स्तरीय समिति के निर्णय :—

शासनादेश दिनांक 07.04.2021 में विकासकर्ता के स्वामित्व की भूमि को ही पुनरीक्षित डी०पी०आर० में सम्मिलित किये जाने का प्राविधान है। शासनादेश की व्यवस्था के अनुरूप प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित परियोजना के बाहर की 10 प्रतिशत विकासकर्ता के स्वामित्व एवं निरन्तरता में भूमि 20.71 एकड़ को सम्मिलित करते हुए ही डी०पी०आर० स्वीकृत किये जाने के संबंध में कार्यवाही की जाय।

(कार्यवाही: उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण)

(3) विभाग द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव :—

उपलब्ध कराये गये विवरण के अनुसार मे० अंसल प्रापर्टीज एण्ड इन्फा०, लखनऊ की हाईटेक टाउनशिप परियोजना के अब तक 05 विकास अनुबन्ध हुए हैं, जिनका कुल क्षेत्रफल—3530 एकड़ है। प्रथम विकास अनुबन्ध में 2571.15 एकड़ भूमि शामिल है, जिसका मैट्रिक्स के आधार पर प्राप्तांक 73.36 है। द्वितीय विकास अनुबन्ध में 958.85 एकड़ भूमि शामिल है, जिस हेतु मैट्रिक्स के आधार पर प्राप्तांक 7.40 हैं। विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि प्राप्तांकों के आधार पर विकसित क्षेत्र 2571.15 एकड़ है। अविकसित क्षेत्र 2118.64 एकड़ है, जिस पर विस्तार शुल्क लगाया जाएगा। प्राधिकरण द्वारा विकास/निर्माण कार्यों का सौके पर आंशिक सत्यापन किया गया है किन्तु प्राप्तांकों से सहमत हैं। प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध

कराये गये विवरण/आख्या के अनुसार उच्च स्तरीय समिति के अनुमोदन की संस्तुति की गई है।

उक्त प्रस्ताव पर उच्च स्तरीय समिति के निर्णय :-

विकासकर्ता द्वारा हाईटेक टाउनशिप परियोजना के अन्तर्गत किये गये विकास कार्यों का प्राधिकरण द्वारा वरिष्ठ प्रशासनिक एवं तकनीकी अधिकारियों की टीम द्वारा भौतिक सत्यापन कराया जाय और तदनुसार समय विस्तार शुल्क की गणना कर अग्रेतर कार्यवाही की जाय।

(कार्यवाही: उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण)

(4) विभाग द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव :-

परियोजना अवधि में समयवृद्धि हेतु मा० उच्च न्यायालय के स्थगनादेश/शासकीय अभिकरण की कार्यवाही में हुये विलम्ब हेतु जीरो पीरियड के निर्धारण के संबंध में प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध कराये गये विवरण के अनुसार मे० अंसल प्राप्टीज, लखनऊ की हाईटेक टाउनशिप परियोजना के अन्तर्गत मा० न्यायालय में वर्ष 2010 एवं 2011 में भूमि अर्जन के विरुद्ध योजित याचिकाओं पर स्थगनादेश के कारण 64.87 एकड़ भूमि पर स्थगनादेश वर्तमान तक प्रभावी है। मा० न्यायालयों के आदेशों से आच्छादित होने/अवैध कब्जे होने/प्रक्रियात्मक कार्यवाही के कारण 78 एकड़ पुनर्ग्रहीत/अर्जित भूमि का कब्जा वर्ष 2013-14 से अब तक विकासकर्ता को हस्तगत नहीं हुआ है। उपरोक्तानुसार प्रभावित भूमि डी.ए.-1 से डी.ए.-4 के क्षेत्र में स्थित होने के कारण शासनादेश दिनांक 07.04.2021 के प्राविधानों के अन्तर्गत 10 वर्ष की परियोजना अवधि दिनांक 13.3.2017 को पूर्ण होने से पुनरीक्षित डी०पी०आ० के उपरान्त प्रथम तलपट मानचित्र र्खीकृत किये जाने तक की अवधि को जीरो पीरियड अनुमन्य किये जाने का प्रस्ताव किया गया।

मा० न्यायालय द्वारा पारित आदेशों/निर्णयों की प्रतिलिपियाँ बैठक में उपलब्ध नहीं हो सकीं। जिलाधिकारी, लखनऊ द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि भूमि

अधिग्रहण हेतु विकासकर्ता द्वारा समय से आवश्यक धनराशि जमा नहीं की गई है। इसे भी देखा जाना आवश्यक है।

उक्त प्रस्ताव पर उच्च स्तरीय समिति के निर्णय :-

जीरो पीरियड के निर्धारण हेतु मा० न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के क्रम में बाधित क्षेत्र एवं अवधि, नियामक/शासकीय कार्यवाही के फलस्वरूप हुये विलम्ब सहित विभिन्न आवश्यक तथ्यों का सम्यक परीक्षण/पुष्टि हेतु बड़ी संख्या में अभिलेखों के परीक्षण की भी आवश्यकता है। यह उच्च स्तरीय कमेटी स्तर पर किया जाना अत्यन्त समयसाध्य प्रक्रिया है, अतएव सम्यक विचारोपरान्त यह उचित पाया गया कि समस्त अभिलेखों/आदेशों का परीक्षण करते हुए जीरो पीरियड के निर्धारण का निर्णय वर्तमान नीति के अन्तर्गत विकासकर्ता द्वारा आवेदन किये जाने की दिनांक से विलम्बतम 02 माह के भीतर प्राधिकरण बोर्ड के स्तर से लिया जाय और कृत कार्यवाही की सूचना शासन को उपलब्ध करायी जाय।

(कार्यवाही: उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण)

(5) विभाग द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव :-

अविकसित क्षेत्रफल पर रु० 80000 प्रति एकड़ समय विस्तार शुल्क आरोपित करते हुए अधिकतम 05 वर्ष की समयवृद्धि प्रदान किये जाने के संबंध में अवगत कराया गया कि मे० अंसल प्रापर्टीज एण्ड इन्फ्रा०, लखनऊ की पूर्व स्वीकृत परियोजनावधि दिनांक 13.3.2017 तक थी। शासनादेश दिनांक 07.04.2021 में दिये गये ग्रेडिंग सिस्टम के अनुसार डी०ए०-१ से डी०ए०-४ के स्वीकृत तलपट मानचित्र क्षेत्रफल 2571.15 एकड़ के निर्धारण हेतु उपलब्ध कराये गये ग्रेडिंग सिस्टम के आधार पर 73.36 अंक प्राप्त हो रहे हैं। विकास अनुबन्ध डीए०-५ में 958.85 एकड़ भूमि शामिल है, जिस हेतु मैट्रिक्स के आधार पर प्राप्तांक 7.40 हैं। शेष क्षेत्र 1159.79 एकड़ क्षेत्रफल पर न तो कोई विकास अनुबन्ध हुआ है और न ही कोई विकास कार्य हुआ है। अविकसित क्षेत्रफल (958.85+1159.79 एकड़) 2118.64 एकड़ पर रु. 16.95 करोड़ विस्तार शुल्क देय होगा। पुनरीक्षित डी.पी.आर. के अधीन स्वीकृत होने वाले

प्रथम विकास अनुबन्ध की तिथि से परियोजना अवधि में समयवृद्धि 05 वर्ष अनुमत्य किये जाने की संस्तुति की गयी।

उक्त प्रस्ताव पर उच्च स्तरीय समिति के निर्णय :—

शासनादेश दिनांक 07.04.2021 के प्राविधानों के क्रम में परियोजना की अवधि में 05 वर्ष की वृद्धि उच्च स्तरीय समिति के स्तर से निर्णय लिया जाना है। सम्यक विचारोपरान्त में 0 अंसल प्रापर्टीज एण्ड इन्फा0, लखनऊ की हाईटेक टाउनशिप परियोजना को पुनरीक्षित डी.पी.आर. के अधीन स्वीकृत होने वाले प्रथम विकास अनुबन्ध की तिथि अथवा अगले 06 माह की तिथि, जो भी पहले हो, से 05 वर्ष की समयवृद्धि प्रदान किये जाने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया। प्राधिकरण द्वारा समय विस्तार शुल्क की नियमानुसार गणना कराते हुए शुल्क उद्ग्रहीत किये जाने की कार्यवाही की जाय।

(कार्यवाही: उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण)

(6) विभाग द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव :—

शासनादेश दिनांक 07.04.2021 के प्रस्तर-7(8) के अनुसार हाईटेक टाउनशिप परियोजना का प्रत्येक चरण भौतिक एवं सामाजिक अवस्थापना सुविधाओं के प्राविधान के दृष्टि से 'सेल्फ-कन्ट्रोल' होगा। प्राधिकरण द्वारा अवगत कराया गया है में 0 अंसल प्रापर्टीज एण्ड इन्फा0, लखनऊ की हाईटेक टाउनशिप परियोजना के पुनरीक्षित डी.पी.आर. के अनुसार सम्पूर्ण परियोजना भौतिक एवं सामाजिक सुविधाओं की दृष्टि से 'सेल्फ-कन्ट्रोल' है। टाउनशिप के पूर्व अनुमोदित ले-आउट प्लान्स के अनुसार चूंकि विकास/निर्माण हो चुका है, अतः परियोजना का प्रत्येक चरण 'सेल्फ-कन्ट्रोल' नहीं है। विद्युत सब स्टेशन पूरे प्रोजेक्ट के लिये बनाई जानी है। पुनरीक्षित डी.पी.आर. के प्रस्तावों से विभाग सहमत है।

उक्त प्रस्ताव पर उच्च स्तरीय समिति के निर्णय :—

शासनादेश दिनांक 07.04.2021 के प्रस्तर-3(8) में प्राविधान में प्रत्येक चरण Self Contained होना स्पष्ट रूप से उल्लिखित है। तदनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की

जाय। यदि कोई Common बृहद Infrastructure जैसे—विद्युत सब स्टेशन एक से अधिक चरणों के लिए प्राविधानित करना आवश्यक है, तो इसे शासनादेश में रपष्ट कर दिया जाय।

(कार्यवाही: आवास एवं शहरी नियोजन विभाग/उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण)

(7) विभाग द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव :—

शासनादेश दिनांक 07.04.2021 के प्राविधानों के अनुसार परियोजना के अन्य विकास कार्यों की प्रगति के अनुपात में मूलभूत सुविधाओं का विकास/निर्माण किया जाए। प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध कराये गये विवरण के अनुसार परियोजना के पुनरीक्षित डी.पी.आर. के साथ “इम्पलीमेंटेशन—शेड्यूल” प्रस्तुत किया गया है और विकास/निर्माण कार्यों हेतु वर्षवार लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। पुनरीक्षित डी.पी.आर. एवं मानचित्र अनुमोदन तथा परियोजना क्रियान्वयन के समय प्राधिकरण द्वारा अनुपातिक रूप से मूलभूत सुविधाओं का विकास सुनिश्चित कराया जाएगा। प्राधिकरण की उक्त आख्या उच्चस्तरीय समिति के अवलोकनार्थ प्रस्तुत किये जाने का प्रस्ताव किया गया।

उक्त प्रस्ताव पर उच्च स्तरीय समिति के निर्णय :—

अवगत।

(8) विभाग द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव :—

शासनादेश दिनांक 07.04.2021 के प्राविधानों के अनुसार परियोजना से अवमुक्त की जाने वाली भूमि पर अवैध निर्माण के नियन्त्रण हेतु प्राधिकरण द्वारा यह अभिमत दिया गया है कि अवमुक्त होने वाली भूमि पर इन्टीग्रेटेड टाउनशिप के विकास को प्रोत्साहित किया जाएगा। विकास प्राधिकरण द्वारा अपनी योजना प्रस्तावित की जाएगी। अन्य विकासकर्ताओं को योजनाएं विकसित करने हेतु प्रोत्साहित किया जाएगा। प्राधिकरण की उक्त आख्या उच्चस्तरीय समिति के अवलोकनार्थ प्रस्तुत किये जाने का प्रस्ताव किया गया।

उक्त प्रस्ताव पर उच्च स्तरीय समिति के निर्णय :—

अवगत ।

(9) विभाग द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव :—

शासनादेश दिनांक 07.04.2021 के प्राविधानों के अनुसार अवमुक्त भूमि के सापेक्ष विकासकर्ता को प्रदत्त सुविधाओं को वापस लेने अथवा उसके अन्तर्गत निहित धनराशि की वसूली के संबंध में विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि मे0 अंसल प्रापटीज एण्ड इन्फा0, लखनऊ की हाईटेक टाउनशिप परियोजना को रटाम्प/अर्जन शुल्क में तथा यू.पी.जे.ड.ए.एल.आर. अधिनियम के अधीन 12.5 एकड़ से अधिक भूमि संकरण हेतु अथवा अन्य कोई छूट प्रदान नहीं की गई है। परियोजना में कोई भी अर्जित/पुनर्ग्रहीत भूमि शामिल नहीं है तथा एस.सी./एस.टी. भूमि को क्य/पंजीकृत नहीं किया गया है। प्राधिकरण की उक्त आख्या उच्चस्तरीय समिति के अवलोकनार्थ प्रस्तुत किये जाने का प्रस्ताव किया गया।

उक्त प्रस्ताव पर उच्च स्तरीय समिति के निर्णय :—

अवगत ।

2. मे0 गर्व बिल्डटेक प्रा0लि0, लखनऊ |

(1) विभाग द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव :—

लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध कराये गये विवरण के अनुसार परियोजना का कुल अनुमोदित क्षेत्रफल—2700 एकड़ है, जिसमें 2009.44 एकड़ की प्रस्तावित कटौती के उपरान्त परियोजना का पुनर्निर्धारित क्षेत्रफल—690.56 एकड़ है। उक्त परियोजना में विकासकर्ता के स्वामित्व में 382.03 एकड़ भूमि है। शासनादेश दिनांक 07.04.2021 के प्राविधानों के अन्तर्गत भूमि अधिग्रहण के विरुद्ध स्थगनादेश, रिंग रोड एलाइन्मेन्ट में परिवर्तन के कारण अर्जन के माध्यम से भूमि जुटाव में कठिनाई होने के दृष्टिगत क्षेत्रफल में कटौती की गई है। पुनर्निर्धारित क्षेत्रफल निरन्तरता में है तथा क्षेत्रफल में की गई कटौती से विभाग सहमत है। विभाग की संस्तुति के कम में परियोजना के पूर्व अनुमोदित क्षेत्रफल में कटौती करते हुए मे0

गर्व बिल्डटेक प्रा०लि०, लखनऊ की हाईटेक टाउनशिप परियोजना के पुनर्निर्धारित क्षेत्रफल (690.56 एकड़) हेतु उच्च स्तरीय समिति से अनुमोदन प्रदान किए जाने की संस्तुति की गई है।

उक्त प्रस्ताव पर उच्च स्तरीय समिति के निर्णय :—

सम्यक विचारोपरान्त उच्च स्तरीय समिति द्वारा मे० गर्व बिल्डटेक प्रा०लि०, लखनऊ की हाईटेक टाउनशिप परियोजना के पुनर्निर्धारित क्षेत्रफल (690.56 एकड़) पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

(कार्यवाही: उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण)

(2) विभाग द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव :—

शासनादेश दिनांक 07.04.2021 के प्रस्ताव-4(2) के प्राविधानों के क्रम में विकासकर्ता द्वारा परियोजना क्षेत्र से बाहर स्थित अतिरिक्त भूमि 20.51 एकड़ (2.97 प्रतिशत) को परियोजना में सम्मिलित किये जाने का प्रस्ताव किया गया जिसके अन्तर्गत विकासकर्ता के स्वामित्व में—18.26 एकड़ है। अवशेष 2.25 एकड़ भूमि पर विकासकर्ता का ज्वाइंट वेन्चर एग्रीमेन्ट है। शासनादेशों के प्राविधानों के क्रम में योजना क्षेत्र के बाहर स्थित विकासकर्ता के स्वामित्व और ज्वाइंट वेन्चर एग्रीमेन्ट से आच्छादित 20.51 एकड़ भूमि को पुनरीक्षित डी०पी०आर० में सम्मिलित किये जाने हेतु उच्च स्तरीय समिति से अनुमोदन प्रदान किये जाने की संस्तुति की गयी।

उक्त प्रस्ताव पर उच्च स्तरीय समिति के निर्णय :—

शासनादेश दिनांक 07.04.2021 में विकासकर्ता के स्वामित्व की भूमि को ही पुनरीक्षित डी०पी०आर० में सम्मिलित किये जाने का प्राविधान है। तदनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

(कार्यवाही: उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण)

(3) विभाग द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव :—

समय विस्तार शुल्क की गणना हेतु ग्रेडिंग मैट्रिक्स के आधार पर 65 प्रतिशत वेटेज

एवरेज प्राप्त करने वाली परियोजना के कुल क्षेत्रफल में से विकसित क्षेत्र को घटाते हुए अविकसित क्षेत्रफल पर समय विस्तार शुल्क लगाये जाने के संबंध में उपलब्ध कराये गये विवरण के अनुसार में 0 गर्व बिल्डटेक प्रा०लि०, लखनऊ की पूर्व स्वीकृत परियोजनावधि दिनांक 07.08.2021 तक थी। प्रथम विकास अनुबन्ध दिनांक 08.08.2011 को निष्पादित हुआ, जिसका कुल क्षेत्रफल 530.61 एकड़ है। मैट्रिक्स के आधार पर पर परियोजना के प्राप्तांक 42 हैं। प्राधिकरण द्वारा विकास/निर्माण कार्यों का मौके पर सत्यापन नहीं किया गया है परन्तु मैट्रिक्स के आधार पर प्राप्तांकों से सहमति व्यक्त की गयी है। प्राधिकरण के अनुसार परियोजना अवधि में समय विस्तार अपेक्षित नहीं है। अतः विस्तार शुल्क की देयता नहीं है। प्राधिकरण की उपरोक्त आख्या उच्च स्तरीय समिति के अवलोकनार्थ प्रस्तुत की गयी।

उक्त प्रस्ताव पर उच्च स्तरीय समिति के निर्णय :—

उच्च स्तरीय समिति के स्तर पर कोई निर्णय अपेक्षित नहीं है। प्राधिकरण द्वारा वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों से भौतिक सत्यापन कराकर नियमानुसार कार्यवाही की जाय।

(कार्यवाही: उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण)।

(4) विभाग द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव :—

परियोजना अवधि में समयवृद्धि हेतु मा० उच्च न्यायालय के स्थगनादेश/शासकीय अभिकरण की कार्यवाही के फलस्वरूप हुये विलम्ब हेतु जीरो पीरियड के निर्धारण के संबंध में प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध कराये गये विवरण के अनुसार में 0 गर्व बिल्डटेक प्रा०लि० का प्रथम विकास अनुबन्ध दिनांक 08.08.2011 के निष्पादन के उपरान्त जनवरी, 2012 में भूमि अर्जन की प्रक्रिया के विरुद्ध मा. उच्च न्यायालय द्वारा स्थगनादेश पारित किए जाने तथा अक्टूबर, 2014 में भू—अर्जन प्रक्रिया को निरस्त कर दिये जाने के कारण सम्पूर्ण योजना प्रभावित हुई। स्वीकृत योजना में दर्शित आउटर रिंग रोड के एलाइन्मेंट में बार—बार परिवर्तन होने के कारण वर्ष 2016 से 2019 तक योजना की संशोधित डी.पी.आर. दिनांक 5.1.2019 को स्वीकृत

हुई एवं तदोपरान्त ही रथल पर विकास कार्य प्रारम्भ हुआ। वर्ष 2020-21 में कोविड-19 महामारी के कारण योजना प्रभावित रही। उपरोक्तानुसार परियोजना कियान्वयन में समय-समय पर उत्पन्न अवरोधों के दृष्टिगत उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या/संस्तुति के अनुक्रम में विभाग द्वारा 5 वर्ष का जीरो पीरियड अनुमन्य किये जाने की संस्तुति की गयी।

उक्त प्रस्ताव पर उच्च स्तरीय समिति के निर्णय :—

जीरो पीरियड के निर्धारण हेतु मा10 न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के क्रम में बाधित क्षेत्र एवं अवधि, नियामक/शासकीय कार्यवाही के फलस्वरूप हुये विलम्ब सहित विभिन्न आवश्यक तथ्यों का सम्यक परीक्षण/पुष्टि शासन स्तर पर किया जाना अत्यन्त समयसाध्य प्रक्रिया है अतएव सम्यक विचारोपरान्त यह उचित पाया गया कि समस्त अभिलेखों/आदेशों का परीक्षण करते हुए जीरो पीरियड के निर्धारण का निर्णय विकासकर्ता द्वारा आवेदन किये जाने की दिनांक से विलम्बतम 02 माह के भीतर वर्तमान नीति के अन्तर्गत प्राधिकरण बोर्ड के स्तर से लिया जाय और कृत कार्यवाही की सूचना शासन को उपलब्ध करायी जाय।

(कार्यवाही: उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण)

(5) विभाग द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव :—

अविकसित क्षेत्रफल पर ₹0 80000 प्रति एकड़ समय विस्तार शुल्क आरोपित करते हुए अधिकतम 05 वर्ष की समयवृद्धि प्रदान किये जाने के संबंध में अवगत कराया गया कि मे0 गर्व बिल्डटेक प्रा0लि0, लखनऊ की हाईटेक टाउनशिप परियोजना का प्रथम विकास अनुबन्ध दिनांक 08.08.2011 को निष्पादित हुआ, जिसके कारण परियोजना अवधि दिनांक 07.08.2021 तक थी। 05 वर्ष का जीरो पीरियड अनुमन्य होने की दशा में अतिरिक्त समय वृद्धि अपेक्षित नहीं है। विकासकर्ता द्वारा समय वृद्धि बढ़ाये जाने की मांग नहीं किये जाने के कारण समय

विस्तार शुल्क की देयता नहीं बनती है। प्राधिकरण की उपरोक्त आख्या उच्च स्तरीय समिति के अवलोकनार्थ प्रस्तुत की गयी।

उक्त प्रस्ताव पर उच्च स्तरीय समिति के निर्णय :—

उच्च स्तरीय समिति के स्तर पर कोई निर्णय अपेक्षित नहीं है। विभाग द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जाय।

(कार्यवाही: उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण)

(6) विभाग द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव :—

उल्लेखनीय है कि शासनादेश दिनांक 07.04.2021 के प्रस्तर-7(8) के अनुसार हाईटेक टाउनशिप परियोजना का प्रत्येक चरण भौतिक एवं सामाजिक अवस्थापना सुविधाओं के प्राविधान के दृष्टि से 'सेल्फ-कन्ट्रोल' होगा। प्राधिकरण द्वारा अवगत कराया गया है मेरो गर्व बिल्डटेक प्राइली, लखनऊ की हाईटेक टाउनशिप परियोजना पुनरीक्षित डी.पी.आर. के अनुसार सम्पूर्ण परियोजना तथा उसका प्रत्येक चरण भौतिक एवं सामाजिक सुविधाओं की दृष्टि से 'सेल्फ-कन्ट्रोल' है। प्राधिकरण की उपरोक्त आख्या उच्च स्तरीय समिति के अवलोकनार्थ प्रस्तुत की गयी।

उक्त प्रस्ताव पर उच्च स्तरीय समिति के निर्णय :—

उच्च स्तरीय समिति के स्तर पर कोई निर्णय अपेक्षित नहीं है। प्राधिकरण द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जाय।

(कार्यवाही: उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण)

(7) विभाग द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव :—

शासनादेश दिनांक 07.04.2021 के प्राविधानों के अनुसार परियोजना के अन्य विकास कार्यों की प्रगति के अनुपात में मूलभूत सुविधाओं का विकास/निर्माण किया जाए। प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध कराये गये विवरण के अनुसार परियोजना के पुनरीक्षित डी.पी.आर. के साथ "इम्प्लीमेंटेशन-शेड्यूल" प्रस्तुत किया गया है और विकास/निर्माण कार्यों हेतु वर्षावार लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। पुनरीक्षित डी.पी.आर. एवं मानचित्र अनुमोदन तथा परियोजना क्रियान्वयन के समय प्राधिकरण द्वारा

अनुपातिक रूप से मूलभूत सुविधाओं का विकास सुनिश्चित कराया जाएगा। प्राधिकरण की उक्त आख्या उच्चस्तरीय समिति के अवलोकनार्थ प्रस्तुत किये जाने का प्रस्ताव किया गया।

उक्त प्रस्ताव पर उच्च स्तरीय समिति के निर्णय :—

उच्च स्तरीय समिति के स्तर पर कोई निर्णय अपेक्षित नहीं है। प्राधिकरण द्वारा शासनादेश दिनांक 07.04.2021 के अनुसार नियमानुसार कार्यवाही की जाय।

(कार्यवाही: उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण)

(8) विभाग द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव :—

शासनादेश दिनांक 07.04.2021 के प्राविधानों के अनुसार परियोजना से अवमुक्त की जाने वाली भूमि पर अवैध निर्माण के नियन्त्रण हेतु प्राधिकरण द्वारा यह अभिमत दिया गया है कि अवमुक्त होने वाली भूमि पर इन्टीग्रेटेड टाउनशिप के विकास को प्रोत्साहित किया जाएगा। विकास प्राधिकरण द्वारा अपनी योजना प्रस्तावित की जाएगी। अन्य विकासकर्ताओं को योजनाएं विकसित करने हेतु प्रोत्साहित किया जाएगा। प्राधिकरण की उक्त आख्या उच्चस्तरीय समिति के अवलोकनार्थ प्रस्तुत किये जाने का प्रस्ताव किया गया।

उक्त प्रस्ताव पर उच्च स्तरीय समिति के निर्णय :—

उच्च स्तरीय समिति के स्तर पर कोई निर्णय अपेक्षित नहीं है। प्राधिकरण द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जाय।

(कार्यवाही: उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण)

(9) विभाग द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव :—

शासनादेश दिनांक 07.04.2021 के प्राविधानों के अनुसार अवमुक्त भूमि के सापेक्ष विकासकर्ता को प्रदत्त सुविधाओं को वापस लेने अथवा उसके अन्तर्गत निहित धनराशि की वसूली के संबंध में प्राधिकरण द्वारा अवगत कराया गया है कि में ० गर्व बिल्डटेक प्रा०लि०, लखनऊ की हाईटेक टाउनशिप परियोजना को स्टाम्प/अर्जन शुल्क में कोई छूट प्रदान नहीं की गई है। यू.पी.जेड.ए.एल.आर. एक्ट

के अधीन 12.5 एकड़ से अधिक भूमि संकरण हेतु शासनादेश संख्या—1425/एक—1/2010, दिनांक 21.7.2010 के माध्यम से दी गई छूट से आच्छादित लगभग—175 एकड़ भूमि शामिल है। विकासकर्ता के पक्ष में कोई भूमि अधिग्रहीत नहीं हुई है। विकासकर्ता के पक्ष में 119.95 एकड़ भूमि पुनर्ग्रहीत है तथा परियोजना के अन्तर्गत अनु सूचित जाति/जन जाति से क्य की गयी 05 एकड़ भूमि शामिल है। विकासकर्ता को उपरोक्तानुसार प्रदत्त विभिन्न सुविधाओं/छूटों से आच्छादित भूमि के संबंध में राजस्व विभाग/स्टाम्प विभाग से परामर्श प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही किये जाने हेतु उच्च स्तरीय समिति से अनुमोदन प्रदान किये जाने का प्रस्ताव किया गया।

उक्त प्रस्ताव पर उच्च स्तरीय समिति के निर्णय :—

अवमुक्त भूमि के संबंध में राजस्व विभाग तथा स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग से परामर्श प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

(कार्यवाही: आवास एवं शहरी नियोजन विभाग/राजस्व विभाग/स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग)

10— अन्य सभी हाईटेक टाउनशिप परियोजनाओं हेतु जीरो पीरियड के निर्धारण के संबंध में मात्र न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के कम में बाधित क्षेत्र एवं अवधि, नियामक/शासकीय कार्यवाही के फलस्वरूप हुये विलम्ब सहित विभिन्न आवश्यक तथ्यों का सम्यक परीक्षण/पुष्टि शासन स्तर पर किया जाना अत्यन्त समयसाध्य प्रक्रिया है अतएव उच्च स्तरीय समिति द्वारा सम्यक विचारोपरान्त उचित पाया गया कि समस्त अभिलेखों/आदेशों का परीक्षण करते हुए जीरो पीरियड के निर्धारण का निर्णय विकासकर्ता द्वारा आवेदन किये जाने की दिनांक से विलम्बतम 02 माह के भीतर प्राधिकरण बोर्ड के स्तर से लिया जाय और कृत कार्यवाही की सूचना शासन को उपलब्ध करायी जाय।

(कार्यवाही: उपाध्यक्ष, समस्त संबंधित विकास प्राधिकरण)

11— विभाग द्वारा प्रस्ताव किया गया कि हाईटेक टाउनशिप परियोजना की अवधि समाप्त होने के पश्चात नीति के अभाव के कारण परियोजना अवधि न बढ़ाये जा

सकने की दशा में पुनः नीति निर्धारित होने तक की नोशनल (Notional) अवधि को परियोजना हेतु प्रदान की गयी समयवृद्धि में न जोड़ा जाय। उक्त प्रक्रिया/व्यवस्था यथा अपेक्षित सभी हाईटेक टाउनशिप पर प्रभावी की जाय। इस सम्बन्ध में विभाग द्वारा नीतिगत निर्णय सक्षम स्तर से लेकर अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

(कार्यवाही: आवास एवं शहरी नियोजन विभाग / उपाध्यक्ष, समस्त संबंधित विकास प्राधिकरण)

12— हाईटेक टाउनशिप परियोजनाओं की भूमि के संबंध में सक्षम न्यायालयों के आदेशों तथा जीरो पीरियड हेतु उल्लिखित कारणों का गहराई से परीक्षण कर लिया जाय और प्राधिकरण द्वारा यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि स्थगनादेश से आच्छादित भू-खण्ड के कारण अन्य क्षेत्र को विकसित किये जाने में किस प्रकार की बाधा रही है। संबंधित प्राधिकरण द्वारा मैट्रिक्स के आधार पर प्रस्तुत विकसित एरिया का भौतिक सत्यापन विभाग/प्राधिकरण के वरिष्ठ प्रशासनिक/तकनीकी अधिकारियों की टीम गठित कर कराया जाय।

(कार्यवाही: उपाध्यक्ष, समस्त संबंधित विकास प्राधिकरण)

13— निरस्त की गयी परियोजनाओं तथा कियाशील परियोजनाओं से अवमुक्त भूमि के संबंध में यू०पी०जे०ए०ए०ल०आ०० एकट के अन्तर्गत 12.5 एकड़ से अधिक भूमि एकत्र किये जाने हेतु प्रदान की गयी छूट, 10 प्रतिशत अर्जन शुल्क में विकासकर्ता को प्रदत्त छूट की वापसी एवं पुनर्ग्रहीत भूमि के संबंध में अग्रेतर कार्यवाही हेतु अभिमत प्राप्त किये जाने के संबंध में पत्रावली राजस्व विभाग को तत्काल प्रेषित कर दी जाय। राजस्व विभाग द्वारा सुविचारित परामर्श 07 दिन में उपलब्ध कराया जाय।

(कार्यवाही: आवास एवं शहरी नियोजन विभाग / राजस्व विभाग)

14— शेष कियाशील हाईटेक टाउनशिप परियोजनाओं के सुविचारित प्रस्ताव अतिशीघ्र उच्च स्तरीय समिति के निर्णय हेतु प्रस्तुत किये जाय।

(कार्यवाही: आवास एवं शहरी नियोजन विभाग / संबंधित मंडलायूक्त / संबंधित उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण)

उच्च स्तरीय समिति द्वारा उक्त कार्यवाही शीर्ष प्राथमिकता के आधार पर कराये जाने के निर्देश दिये गये।

अन्त में धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक सम्पन्न हुई।

दीपक कुमार
प्रमुख सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग—3

संख्या—3309 /आठ—3—21—227 विविध/2011

लखनऊ : दिनांक : 23 नवम्बर, 2021

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2. अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
3. प्रमुख सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी, उत्तर प्रदेश शासन।
4. अपर मुख्य सचिव, कर एवं निबन्धन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
5. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
6. अपर मुख्य सचिव, राजस्व विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
7. अपर मुख्य सचिव, नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
8. प्रमुख सचिव, स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
9. आवास आयुक्त, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ
10. आयुक्त, लखनऊ, प्रयागराज, मेरठ, एवं आगरा मण्डल।
11. जिलाधिकारी, गाजियाबाद, लखनऊ, मथुरा, बुलन्दशहर, गौतमबुद्ध नगर एवं प्रयागराज।
12. उपाध्यक्ष, गाजियाबाद लखनऊ, मथुरा—वृन्दावन, बुलन्दशहर, वाराणसी, कानपुर, आगरा एवं प्रयागराज विकास प्राधिकरण।
13. सचिव, उ०प्र० भू—सम्पदा विनियामक प्राधिकरण, लखनऊ।
14. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ०प्र० लखनऊ।
15. निदेशक, आवास बन्धु, उ०प्र० लखनऊ।
16. हाईटेक टाउनशिप विकासकर्ता द्वारा संबंधित विकास प्राधिकरण विकासकर्ता।
17. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,



(अजय कुमार सिंह)
उप सचिव।

प्रेषक,

दीपक कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

उपाध्यक्ष,
लखनऊ, गाजियाबाद, बुलन्दशहर, प्रयागराज
तथा मधुरा-वृन्दावन विकास प्राधिकरण।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-3

लखनऊ: दिनांक: 16 दिसंबर, 2021

विषय:- क्रियाशील हाईटेक परियोजनाओं को पूर्ण किये जाने हेतु निर्धारित हाईटेक टाउनशिप नीति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-1128/आठ-3-21-227 विविध/2011 टी.सी., दिनांक 07.04.2021 एवं उच्च स्तरीय समिति की सम्पन्न बैठक के कार्यवृत्त संख्या-3309/आठ-3-21-227 विविध/2011, दिनांक 23.11.2021 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का करूँ करें।

2- उल्लेखनीय है कि प्रदेश में कार्यशील हाईटेक परियोजनाओं के संबंध में हाईटेक टाउनशिप नीति के अधीन मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय समिति की सम्पन्न बैठक दिनांक 02.11.2021 का कार्यवृत्त शासन के उक्त पत्र दिनांक 23.11.2021 के द्वारा निर्गत किया गया है।

3- प्रश्नगत प्रकरण में मुझे कहने का निदेश हुआ है कि दिनांक 02.11.2021 को सम्पन्न उच्च स्तरीय समिति की बैठक में दिये गये निर्देशों, लखनऊ विकास प्राधिकरण तथा गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध कराये गये सुझावों पर सम्मत विचारांपरान्त तथा हाईटेक टाउनशिप परियोजनाओं को पूर्ण किये जाने के उद्देश्य से उक्त शासनादेश दिनांक 07.04.2021 द्वारा निर्धारित की गयी नीति के क्रम में नीति के व्यवहारिक रूप से क्रियान्वयन एवं स्पष्टता हेतु निम्नलिखित बिन्दुओं के अनुसार कार्यवाही किये जाने का निर्णय लिया गया है:-

(1) व्यवहारिक रूप से क्रियान्वयन की वृष्टि से परिमार्जित एवं और अधिक स्पष्ट करते हुये शासनादेश दिनांक 07.04.2021 के प्रस्तर-3(8) के अन्तर्गत उल्लिखित "परियोजना का प्रत्येक चरण भौतिक एवं सामाजिक अवस्थापना सुविधाओं के प्राविधान की वृष्टि से सेल्फ कन्ट्रोल होगा" को "परियोजना का प्रत्येक चरण मौलिक सुविधाओं जैसे- बिजली, जलापूर्ति, सड़क, मार्ग प्रकाश, सीवर लाइन व डेन्जर आदि से परिपूर्ण होगा" पढ़ा जाय और तदनुसार कार्यवाही की जाय।

(2) हाईटेक टाउनशिप परियोजना अवधि समाप्त होने के पश्चात् अग्रेतर समयवृद्धि हेतु नीति में व्यवस्था नहीं होने के कारण परियोजना अवधि न बढ़ाये जा सकने की दशा में पुनः नीति निर्धारित होने तक की नोशनल अवधि को परियोजना हेतु प्रदान की गयी समयवृद्धि में न जोड़ा जाय।

(3) परियोजना के अनुमोदित क्षेत्रफल के बाहर की 10 प्रतिशत भूमि को डी.पी.आर. में सम्मिलित किये जाने की अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान की जाय कि विकासकर्ता द्वारा प्रथम विकास अनुबन्ध होने के समय तक उक्त भूमि का स्वामित्व प्राप्त कर लिया जायेगा। तदनुसार डी.पी.आर. की स्वीकृति के संबंध में नियमानुसार कार्यवाही सम्पादित की जाय।

(4) क्रियाशील हाईटेक टाउनशिप परियोजनाओं के डिटेल्स ले-आउट प्लान स्वीकृत किये जाते समय बिजली घर, एस.टी.पी., ट्यूबवेल/पानी की टंकी के प्रस्ताव विकासकर्ता के स्वामित्व की भूमि पर होना आवश्यक है।

(5) हाईटेक टाउनशिप परियोजनाओं हेतु जीरो पीरियड के निर्धारण के संबंध में मात्र न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के क्रम में बाधित क्षेत्र एवं अवधि, नियामक/शासकीय कार्यवाही के फलस्वरूप हुये विलम्ब सहित विभिन्न आवश्यक तथ्यों का सम्यक परीक्षण/पुष्टि शासन स्तर पर किया जाना अत्यन्त

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadepth.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

समयसाध्य प्रक्रिया है। अतएव समस्त अभिलेखों/आदेशों का परीक्षण करते हुए जीरो पीरियड के निर्धारण का निर्णय विकासकर्ता द्वारा आवेदन किये जाने की दिनांक से विलम्बतम 45 दिन के भीतर प्राधिकरण बोर्ड के स्तर से लिया जाय और कृत कार्यवाही की सूचना शासन को उपलब्ध करायी जाय। (6) हाईटेक टाउनशिप परियोजना के अन्तर्गत अपूर्ण सड़कों/महायोजना मार्गों को पूर्ण कराये जाने हेतु विकासकर्ता द्वारा स्वयं के प्रयासों से भूमि जुटाव न हो पाने की दशा में प्राधिकरण बोर्ड की अनुमति प्राप्त कर विकासकर्ता द्वारा स्वेच्छा से विद्युमान भू-अर्जन अधिनियम के अधीन ऐसी भूमि के अर्जन की नियमानुसार कार्यवाही की जा सकेगी। ऐसी स्थिति में भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही लम्बित होने अथवा अर्जन की कार्यवाही में किसी कारण से विलम्ब होने के आधार पर विकासकर्ता द्वारा परियोजना की समयवृद्धि हेतु मांग नहीं की जायेगी, न ही उन्हें कोई समयवृद्धि या अन्य कोई छूट दी जायेगी। ऐसे विलम्ब के लिये विकासकर्ता स्वयं उत्तरदायी होगा।

कृपया उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें।

भवदीय,
दीपक कुमार
उमुख सचिव।

संख्या-35/2021/3463(1)/आठ-3-21-227 विविध/2011

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. अध्यक्ष/मण्डलायुक्त, सम्बन्धित विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
2. संबंधित जिलाधिकारी।
3. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उपराज्यकालीन विभाग, उत्तर प्रदेश।
4. निदेशक, आवास बन्धु, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. हाईटेक टाउनशिप विकासकर्ता द्वारा संबंधित विकास प्राधिकरण।
6. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
अजय कुमार सिंह
उप सचिव।

http://shasanadessh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadessh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

लखनऊ विकास क्षेत्र के अन्तर्गत मेसर्स अंसर्स प्राप्टर्ज एण्ड इन्फ्राओलोगी की हाईटेक टाउनशिप पर आमंत्रित आपत्ति / सुझाव के संबंध में दिनांक

23.03.2022 को शासन द्वारा गठित समिति द्वारा की गयी सुनवाई का कार्यवृत्त।

समिति द्वारा शासनादेश दिनांक 1128 / आठ-3-21-227विधि / 2011टी.सी. दिनांक 07.04.2021 के क्रम में मेसर्स अंसर्स प्राप्टर्ज एण्ड इन्फ्राओलोगी पर शासन प्रस्ताव पर शासन द्वारा हाईटेक टाउनशिप योजनाओं की दिनांक 02.11.2021 के उपर ३००० शासन आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग 3 के पत्र संख्या-3309 / आठ-3-21-227विधि / 2011 दिनांक 23.11.2021 एवं समय-समय पर शासन द्वारा हाईटेक टाउनशिप योजनाओं के निर्माता सुसंगत शासनादेशों के आलोक में प्राधिकरण द्वारा योजना के रैखीकृत तलापट गानधिक्र एवं प्रतावित तलापट मानचित्र पर दुर्घाव आगंत्रित किये जाने हेतु देनिक समाचार पत्र आगर उजाला एवं हिन्दुस्नान टाइम्स में दिनांक 06.01.2022 को विज्ञाप्ति प्रकाशित की गयी थी, जिस पर अपरिहार्य कारणोंबश सुनवाई स्थित होने के कारण पुनः दिनांक 14.03.2022 तिथि 14.03.2022 निर्धारित की गयी थी, जिस पर सुनवाई पर सुनवाई की गयी। सुनवाई में उपस्थिति संलग्न है (संलग्नक-1)। संलग्न प्राप्त आपत्तियों पर विस्तृत रूप से समिति द्वारा योजना के वर्तमान में प्रभावी खींचूत तलापट मानचित्रों का वर्तमान प्रस्ताव के आलोक में परीक्षण किया गया। परीक्षणप्राप्त विचलन पर समिति का अधित्ति निम्नवत् है:-

क्रम	योजना के स्वीकृत तलापट मानचित्र का विवरण	वर्तमान प्रस्तावना	समिति की अभियुक्ति
1	शहीद पथ के समानन्तर ग्रीन के स्थान पर सड़क मेंदांता	ग्रीन के स्थान पर सड़क	शासनादेश दिनांक 07.04.2021 के क्रम में योजना क्षेत्रफल कम होने किये जाने एवं सम्पूर्ण प्रस्ताव में नीति अनुसार निर्धारित भू-उपयोग वितरण में अनुमत्य प्रतिशत अंश के अन्तर्गत होने एवं तुरीय पक्ष के हित प्रभावित नहीं होने के कारण विचलन पर आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।
2	कामशियल-1	कामशियल-1 के आशिक भाग में पीएसपी	कम संख्या-1 के अनुसार एवं मूल खींचूत उपयोग तथा वर्तमान प्रस्तावित उपयोग विकाय योग्य होने के दृष्टिगत विचलन पर आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।
3	कामशियल-1 के सन्निकट ग्रीन	कामशियल-1 के सन्निकट ग्रीन लोकेशन में परिवर्तन कर सड़क की प्रस्तावना	शासनादेश दिनांक 07.04.2021 के क्रम में योजना क्षेत्रफल कम होने किये जाने एवं सम्पूर्ण प्रस्ताव में नीति अनुसार निर्धारित भू-उपयोग वितरण में अनुमत्य प्रतिशत अंश के अन्तर्गत होने एवं तुरीय पक्ष के हित प्रभावित नहीं होने के कारण विचलन पर आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।
4	शहीदपथ के समानन्तर मेन इन्टर्स में प्रस्तावित ग्रीन-2 खेल	उक्त ग्रीन की लोकेशन परिवर्तित करते हुए ग्रीन में सड़क एवं सड़क में ग्रीन	प्रस्तावित पटटीनुमा ग्रीन भवन उपग्रहित के न्यूनतम प्राविधान के अन्तर्गत अनुमत्य न होने के दृष्टिगत विचलन सड़क में व्यापक जनहित में अनुमत्य नहीं किया जाता है।
5	मेंदांता अस्पताल के निकट ३०मी० मार्ग एवं अवध विहार योजना के मध्य ग्रीन मार्ग पर ग्रीन	उक्त ग्रीन के स्थान पर लागभा ६२ भूखण्ड (आवासीय)	ग्रीन उपयोग में व्यापक जनहित एवं खल की स्थिति के दृष्टिगत तृतीय पक्ष के हित प्रभावित होने के कारण विचलन अनुमत्य नहीं किया जाता है।
6	ग्राम मुजफ्फर नगर धूसवल २४.० मी० नगर धूसवल में ग्रीन	उक्त के आशिक भाग में सवापेस्ट ऑफिस भूखण्ड एवं गरबेज कलेवशन	शासनादेश दिनांक 07.04.2021 के क्रम में योजना क्षेत्रफल कम होने किये जाने एवं सम्पूर्ण प्रस्ताव में नीति अनुसार निर्धारित भू-उपयोग वितरण में अनुमत्य प्रतिशत अंश के अन्तर्गत होने एवं तुरीय पक्ष के हित प्रभावित नहीं होने के कारण विचलन पर आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।
7	सेक्टर-५, पाकेट-१ में ग्राम मुजफ्फर नगर धूसवल में ग्रीन	उक्त ग्रीन के अंश भाग में २ आवासीय भूखण्ड एवं गरबेज कलेवशन	शासनादेश दिनांक 07.04.2021 के क्रम में योजना क्षेत्रफल कम होने किये जाने एवं सम्पूर्ण प्रस्ताव में नीति अनुसार निर्धारित भू-उपयोग वितरण में अनुमत्य प्रतिशत अंश के अन्तर्गत होने एवं तुरीय पक्ष के हित प्रभावित नहीं होने के कारण विचलन पर आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।
8	सेक्टर-५, पाकेट-१, ४५.० मी० मार्ग पर पीएसपी	उक्त के स्थान पर व्यवसायिक	कम संख्या-1 के अनुसार एवं मूल खींचूत उपयोग तथा वर्तमान प्रस्तावित उपयोग विकाय योग्य होने के दृष्टिगत विचलन पर आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।
9	सेक्टर-५, पाकेट-१, ४५.० मी० मार्ग के निकट ग्रीन एवं पीएसपी	ग्रीन के अंश भाग एवं पीएसपी के अंश भाग में सड़क एवं ५ आवासीय भूखण्ड	कम संख्या-1 के अनुसार एवं प्रश्नागत विचलन में तृतीय पक्ष के हित प्रभावित न होने के दृष्टिगत विचलन पर आपत्ति प्रभित नहीं होती है।

105

गोपनीय

10	सीधीड़ी में व्यवसायिक एवं निकट युप हाउसिंग भूखण्ड	उक्त के स्थान पर अंश भाग में दर्शित रिजर्व लैण्ड के संबंध में विकासकर्ता को भूमि का उपयोग स्पष्ट करना होगा।	
11	सीधीड़ी के निकट 45.0मी० मर्ग के दी-जंक्शन पर पीएसपी	उक्त के स्थान पर व्यवसायिक कम संख्या-1 के अनुसार एवं मूल स्थीकृत उपयोग तथा वर्तमान प्रस्तावित उपयोग विकल्प योग्य होने के दृष्टिगत विचलन पर आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।	
12	सीधीड़ी, ग्राम युसायल (महमूदाबाद) 45.0 मर्ग पर Future Expansion आवादी	उक्त के स्थान पर व्यवसायिक New Added Area प्रस्ताव में नीति अनुसार निर्धारित भू-उपयोग वितरण में अनुमत्य प्रतिशत अंश के अन्तर्गत होने एवं त्रुटीय पक्ष के हित प्रभावित नहीं होने के कारण विचलन पर आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।	
13	सेक्टर-ए, पाकेट-३ के सन्निकट 45.0 मी० चौड़े मार्ग के दी-जंक्शन पर पीएसपी	उक्त के स्थान पर 2 युप हाउसिंग भूखण्ड कम संख्या-1 के अनुसार एवं मूल स्थीकृत उपयोग तथा वर्तमान प्रस्तावित उपयोग विकल्प योग्य होने के दृष्टिगत विचलन पर आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।	
14	सेक्टर-ए, पाकेट-३ में योजना की सीमा पर ग्रीन	उक्त के स्थान पर 9 आवासीय भूखण्ड एवं अंश भाग में New Added Area शासनादेश दिनांक 07.04.2021 के कम में योजना क्षेत्रफल कम होने किये जाने एवं सम्पूर्ण प्रस्ताव में नीति अनुसार निर्धारित भू-उपयोग वितरण में अनुमत्य प्रतिशत अंश के अन्तर्गत होने एवं त्रुटीय पक्ष के हित प्रभावित नहीं होने के कारण विचलन पर आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।	
15	सेक्टर-ए, पाकेट-३, युप हाउसिंग भूखण्ड के निकट सीमा पर ग्रीन	उक्त के स्थान पर सीमा में आंशिक संशोधन कर 8 आवासीय भूखण्ड एवं सडक कम संख्या-1 के अनुसार निर्धारित भू-उपयोग वितरण में अनुमत्य प्रतिशत अंश के अन्तर्गत होने एवं त्रुटीय पक्ष के हित प्रभावित नहीं होने के कारण विचलन पर आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।	
16	सेक्टर-आई, युप हाउसिंग भूखण्ड-1, सडक एवं पीएसपी	उक्त के स्थान पर सीमा में आंशिक संशोधन कर आवासीय भूखण्ड सेक्टर-आई, पाकेट-2, ग्रीन, सडक एवं 13 व्यावसायिक भूखण्ड 17 विद्युत सबस्टेशन, युप हाउसिंग	उपरोक्त भूमि के सबध में स्पष्टीकरण प्राप्त की जाय कि उक्त भूमि आवास विकास परियोजना की अथवा योजना का भाग है।
18	ग्रीन एवं विद्युत सबस्टेशन,	युप हाउसिंग, आवास विकास परिषद की भूमि एवं फैसिलिटी भूमि दर्शित है परन्तु स्पष्ट नहीं है उक्त स्थल योजना में सम्मिलित है अथवा नहीं।	उपरोक्त भूमि के सबध में स्पष्टीकरण प्राप्त की जाय कि उक्त भूमि आवास विकास परियोजना की अथवा योजना का भाग है।
19	आवासीय भूखण्डों की पाकेट	सेक्टर-आई, पाकेट-1 का पुनर्नियोजन, सडक ग्रीन की स्थिति में परिवर्तन सेक्टर-आई, पाकेट-3 का पाकेट	शासनादेश दिनांक 07.04.2021 के कम में योजना क्षेत्रफल कम होने किये जाने एवं सम्पूर्ण प्रस्ताव में नीति अनुसार निर्धारित भू-उपयोग वितरण में अनुमत्य प्रतिशत अंश के अन्तर्गत होने एवं त्रुटीय पक्ष के हित प्रभावित नहीं होने के कारण विचलन पर आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।
20	सेक्टर-एम युप हाउसिंग भूखण्ड, गोलक कोर्स का अंश भाग	सेक्टर-एम, सेक्टर-एच पाकेट-2	स्थल से निरीक्षण से स्पष्ट हुआ है कि स्थल पर गोलक कोर्स विकसित नहीं है। विकासकर्ता द्वारा प्रस्तावित/विकसित गोलक कोर्स के मानकों के संबंध में गोलक कोर्स मानक निर्धारण हेतु सक्षम संस्था से प्राप्त पत्र प्रस्तुत करना होगा।
21	ग्राम निजामार मडिङावा (तंता) की ग्रामीण आवादी का Future Expansion पर युप हाउसिंग भूखण्ड अंश भाग	ग्राम हाउसिंग भूखण्ड एवं सेक्टर-एम पाकेट-1-वी में 26 आवासीय भूखण्डों की	कम संख्या-1 के अनुसार एवं मूल स्थीकृत उपयोग तथा वर्तमान प्रस्तावित उपयोग विकल्प योग्य होने के दृष्टिगत विचलन पर आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

22	गुप्त हाउसिंग अंश भाग	उक्त क्षेत्र में आवासीय श्रेणी के 3 भूखण्डों का क्षेत्रफल विचार	कम संख्या-1 के अनुसार एवं मूल स्वीकृत उपयोग तथा वर्तमान प्रस्तावित उपयोग विकाय योग्य होने के दृष्टिगत विचलन पर आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।
23	गोल्फ कोर्स	2 आवासीय भूखण्डों का सूजन	स्थल से निरीक्षण से स्पष्ट हुआ है कि स्थल पर गोल्फ कोर्स विकासित नहीं है यदि विकासित गोल्फ कोर्स विकासकर्ता द्वारा जनता से किये गये मानकों की पूर्ति करता है तो विचलन पत्र आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।
24	गोल्फ कोर्स	17 आवासीय भूखण्डों का सूजन	प्रश्नगत परिवर्तन स्थल पर गोल्फ कोर्स की निरन्तरता प्रभावित होने एवं तृतीय पक्ष के हित प्रभावित होने के दृष्टिगत अनुमत्य नहीं है।
25	गुप्त हाउसिंग भूखण्ड संख्या-3	सेवटर-एच, पाकेट-3, 137 आवासीय भूखण्डों की पाकेट का सूजन	कम संख्या-1 के अनुसार एवं मूल स्वीकृत उपयोग तथा वर्तमान प्रस्तावित उपयोग विकाय योग्य होने के दृष्टिगत विचलन पर आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।
26	गोल्फ कोर्स, सेक्टर-बी, पाकेट-3	24.0 एकड़, ग्रीन गोल्फकोर्स कम करते हुए 23 आवासीय भूखण्डों का सूजन	प्रश्नगत परिवर्तन स्थल पर विद्यमान सड़क, पार्क एवं गोल्फ कोर्स में प्रस्तावित होने एवं तृतीय पक्ष के हित प्रभावित होने के दृष्टिगत अनुमत्य नहीं है।
27	ग्रीन सेक्टर-बी, पाकेट-3	2 फैसिलिटी भूखण्डों का सूजन	प्रश्नगत परिवर्तन स्थल पर विद्यमान सड़क एवं पार्क में प्रस्तावित होने एवं तृतीय पक्ष के हित प्रभावित होने के दृष्टिगत अनुमत्य नहीं है।
28	गोल्फ कोर्स	22 आवासीय भूखण्डों का सूजन	प्रश्नगत परिवर्तन स्थल पर विद्यमान गोल्फ कोर्स में प्रस्तावित होने एवं तृतीय पक्ष के हित प्रभावित होने के दृष्टिगत अनुमत्य नहीं है।
29	गोल्फ कोर्स के निकट पीएसपी	पाकेट-2ए, 18 आवासीय भूखण्डों की पाकेट का सूजन	कम संख्या-1 के अनुसार एवं मूल स्वीकृत उपयोग तथा वर्तमान प्रस्तावित उपयोग विकाय योग्य होने के दृष्टिगत विचलन पर आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।
30	गोल्फ कोर्स	12 आवासीय भूखण्डों का सूजन	स्थल से निरीक्षण से स्पष्ट हुआ है कि स्थल पर गोल्फ कोर्स विकासित नहीं है यदि विकासित गोल्फ कोर्स विकासकर्ता द्वारा जनता से किये गये मानकों की पूर्ति करता है तो विचलन पत्र आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।
31	गोल्फ कोर्स	6 आवासीय भूखण्डों का सूजन	शास्त्रादेश दिनांक 07.04.2021 के कम में योजना क्षेत्रफल कम होने किये जाने एवं सम्पूर्ण प्रस्ताव में नीति अनुसार निर्धारित भू-उपयोग वितरण में अनुमत्य प्रतिशत अंश के अत्यागत होने के कारण विचलन पर आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।
32	सेक्टर-एम, गुप्त हाउसिंग-3	सेवटर-एम, पाकेट-2, 165 आवासीय भूखण्डों की पाकेट का सूजन	कम संख्या-1 के अनुसार एवं मूल स्वीकृत उपयोग तथा वर्तमान प्रस्तावित उपयोग विकाय योग्य होने के दृष्टिगत विचलन पर आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।
33	ग्राम-निजामपुर महिला के विचार हेतु क्षेत्र व अपरिभावित क्षेत्र, मानचित्र में तालाब दर्शित	सेवटर-के, पाकेट-1ए, 62 आवासीय भूखण्डों की पाकेट का सूजन New Added Area	शास्त्रादेश दिनांक 07.04.2021 के कम में योजना क्षेत्रफल कम होने किये जाने एवं सम्पूर्ण प्रस्ताव में नीति अनुसार निर्धारित भू-उपयोग वितरण में अनुमत्य प्रतिशत अंश के अत्यागत होने एवं तृतीय पक्ष के हित प्रभावित नहीं होने के कारण विचलन पर आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।
34	ग्रीन	पीएसपी-विद्युत सबस्टेशन	कम संख्या-1 के अनुसार एवं प्रश्नगत विचलन में तृतीय पक्ष के हित प्रभावित न होने के दृष्टिगत विचलन पर आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।
35	सेवटर-के, पाकेट-3, पीएसपी भूखण्ड	4 व्यवसायिक भूखण्ड	कम संख्या-1 के अनुसार एवं मूल स्वीकृत उपयोग तथा वर्तमान प्रस्तावित उपयोग विकाय योग्य होने के दृष्टिगत विचलन पर आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।
36	ग्राम पहाड़ नगर विकारिया, Future Expansion	पीएसपी भूखण्ड का सूजन New Added Area	कम संख्या-1 के अनुसार एवं प्रश्नगत विचलन में तृतीय पक्ष के हित प्रभावित न होने के दृष्टिगत विचलन पर आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।
37	सेवटर-के, पाकेट-3, ग्रीन	सेवटर-के, पाकेट-3, 77 आवासीय भूखण्डों की पाकेट का सूजन	कम संख्या-1 के अनुसार एवं प्रश्नगत विचलन में तृतीय पक्ष के हित प्रभावित न होने के दृष्टिगत विचलन पर आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

107

38	पीएसपी	22 आवासीय भूखण्डों का सूजन	कम संख्या-1 के अनुसार एवं मूल स्थीकृत उपयोग तथा वर्तमान प्रस्तावित उपयोग विकाय योग्य होने के दृष्टिगत विचलन पर आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।
39	सेक्टर-जी, पाकेट-8 का पार्क	8 आवासीय भूखण्डों का सूजन	प्रश्नगत परिवर्तन रूप स्थान पर विचलन स्थङ्क एवं पार्क में प्रस्तावित होने एवं तृतीय पक्ष के हित प्रभावित होने के दृष्टिगत अनुभव नहीं है।
40	ग्रीन	2 आवासीय भूखण्डों का सूजन	कम संख्या-1 के अनुसार एवं प्रश्नगत विचलन में तृतीय पक्ष के हित प्रभावित न होने के दृष्टिगत विचलन पर आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।
41	सेक्टर-जी, पाकेट-7 का पार्क	19 आवासीय भूखण्डों का सूजन	ग्रीन उपयोग में व्यापक जनहित एवं स्थल की स्थिति के दृष्टिगत तृतीय पक्ष के हित प्रभावित होने के कारण विचलन अनुमत्य नहीं किया जाता है।
42	सेक्टर-जी, पाकेट-1 पीएसपी	14 आवासीय भूखण्डों का सूजन	कम संख्या-1 के अनुसार एवं मूल स्थीकृत उपयोग तथा वर्तमान प्रस्तावित उपयोग विकाय योग्य होने के दृष्टिगत विचलन पर आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।
43	पीएसपी	व्यवसायिक भूखण्ड	कम संख्या-1 के अनुसार एवं मूल स्थीकृत उपयोग तथा वर्तमान प्रस्तावित उपयोग विकाय योग्य होने के दृष्टिगत विचलन पर आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।
44	सेक्टर-जी, पाकेट-1, ग्रीन, पीएसपी	108 आवासीय भूखण्ड एवं पुलिस स्टेशन व चौकी	कम संख्या-1 के अनुसार एवं प्रश्नगत विचलन में तृतीय पक्ष के हित प्रभावित न होने के दृष्टिगत विचलन पर आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।
45	व्यवसायिक	पीएसपी	कम संख्या-1 के अनुसार एवं मूल स्थीकृत उपयोग तथा वर्तमान प्रस्तावित उपयोग विकाय होने के दृष्टिगत विचलन पर आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।
46	सेक्टर-जी, युप हाउसिंग-1, 30.0मी० मार्ग	30.0मी० मार्ग के संरेखण को बदलकर सेवटर-एम, पाकेट-1-सी में 72 आवासीय भूखण्डों का सूजन एवं 3 युप हाउसिंग भूखण्ड	कम संख्या-1 के अनुसार एवं मूल स्थीकृत उपयोग तथा वर्तमान प्रस्तावित उपयोग विकाय योग्य होने के दृष्टिगत विचलन पर आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।
47	युप हाउसिंग भूखण्ड	46 आवासीय भूखण्डों का सूजन एवं शेष भाग Future Expansion स्पष्ट करना होगा	• कम संख्या-1 के अनुपालन पर आपत्ति प्रतीत नहीं होती है। • Future Expansion का उपयोग स्पष्ट किया जाय।
48	30.0मी० मार्ग	45.0मी० मार्ग	महायोजना-2031 के प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने के दृष्टिगत विचलन पर आपत्ति नहीं है।
49	PSP Telephone Exchange	व्यवसायिक भूखण्ड	कम संख्या-1 के अनुसार एवं मूल स्थीकृत उपयोग तथा वर्तमान प्रस्तावित उपयोग विकाय होने के दृष्टिगत विचलन पर आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।
50	युप हाउसिंग भूखण्ड	अंश भाग में 34 आवासीय भूखण्डों का सूजन New Added Area Added Area	कम संख्या-1 के अनुसार एवं मूल स्थीकृत उपयोग तथा वर्तमान प्रस्तावित उपयोग विकाय होने के दृष्टिगत विचलन पर आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।
51	ग्राम हसनपुर खेवली (धैयन पुरवा) ग्रीन	7 आवासीय भूखण्डों का सूजन New Added Area	कम संख्या-1 के अनुसार एवं प्रश्नगत विचलन में तृतीय पक्ष के हित प्रभावित न होने के दृष्टिगत विचलन पर आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।
52	सेक्टर-जी, पाकेट-4, ग्रीन	05 आवासीय भूखण्डों का सूजन	ग्रीन उपयोग में व्यापक जनहित एवं स्थल की स्थिति के दृष्टिगत तृतीय पक्ष के हित प्रभावित होने के कारण विचलन अनुमत्य नहीं किया जाता है।
53	CERAMATION GROUND	बाउल्सी में परिवर्तन का योजना से बाहर किया	कम संख्या-1 के अनुसार एवं प्रश्नगत विचलन में तृतीय पक्ष के हित प्रभावित न होने के दृष्टिगत विचलन पर आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।
54	पार्क पब्लिक गूटिलिटी खाट ग्रीन वर्कर	21 आवासीय भूखण्डों का सूजन	कम संख्या-1 के अनुसार एवं प्रश्नगत विचलन में तृतीय पक्ष के हित प्रभावित न होने के दृष्टिगत विचलन पर आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

108
Omam

11/14

			दृष्टिगत विचलन पर आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।
55	पुलिस स्टेशन पार्क व आवासीय भूखण्ड	ग्रीन के स्थान में परिवर्तन कर उक्त पर 76 आवासीय भूखण्ड व पुलिस स्टेशन भूखण्ड का सूजन	यदि सम्पूर्ण सेक्टर को एक ऐरिया माना जाय तथा उसमें ग्रीन का ऐरिया बढ़ रहा है, तो विचलन पर आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।
56	ग्रीन/पार्क	अंश भाग में 09 आवासीय भूखण्डों का सूजन	कम संख्या-1 के अनुसार एवं प्रश्नगत विचलन में तृतीय पक्ष के हित प्रभावित न होने के दृष्टिगत विचलन पर आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।
57	PSP	व्यवसायिक	कम संख्या-1 के अनुसार एवं मूल स्वीकृत उपयोग तथा वर्तमान प्रस्तावित उपयोग विकाय योग्य होने के दृष्टिगत विचलन पर आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।
58	ग्रीन	अंश भाग में 10 आवासीय भूखण्डों का सूजन	ग्रीन उपयोग में व्यापक जनहित एवं खल की स्थिति के दृष्टिगत तृतीय पक्ष के हित प्रभावित होने के कारण विचलन अनुमत्य नहीं किया जाता है।
59	PSP	अंश भाग में व्यवसायिक	कम संख्या-1 के अनुसार एवं मूल स्वीकृत उपयोग तथा वर्तमान प्रस्तावित उपयोग विकाय योग्य होने के दृष्टिगत विचलन पर आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।
60	ग्रीन	अंश भाग में 04 आवासीय भूखण्डों का सूजन एवं सड़क	ग्रीन उपयोग में व्यापक जनहित एवं खल की स्थिति के दृष्टिगत तृतीय पक्ष के हित प्रभावित होने के कारण विचलन अनुमत्य नहीं किया जाता है।
61	ग्राम यूसुफनगर, विस्तार	बरियामऊ, ग्राम विस्तार	कम संख्या-1 के अनुसार एवं प्रश्नगत विचलन में तृतीय पक्ष के हित प्रभावित न होने के दृष्टिगत विचलन पर आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।
62	ग्राम यूसुफनगर,	बरियामऊ, ग्राम विस्तार	कम संख्या-1 के अनुसार एवं प्रश्नगत विचलन में तृतीय पक्ष के हित प्रभावित न होने के दृष्टिगत विचलन पर आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।
63	ग्राम यूसुफनगर,	बरियामऊ, ग्राम विस्तार	कम संख्या-1 के अनुसार एवं प्रश्नगत विचलन में तृतीय पक्ष के हित प्रभावित न होने के दृष्टिगत विचलन पर आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।
64	PSP	03 आवासीय भूखण्ड	कम संख्या-1 के अनुसार एवं मूल स्वीकृत उपयोग तथा वर्तमान प्रस्तावित उपयोग विकाय योग्य होने के दृष्टिगत विचलन पर आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।
65	ग्रीन	03 आवासीय भूखण्ड	ग्रीन उपयोग में व्यापक जनहित एवं खल की स्थिति के दृष्टिगत तृतीय पक्ष के हित प्रभावित होने के कारण विचलन अनुमत्य नहीं किया जाता है।
66	PSP, पार्क, सड़क	पार्क को छोटा कर PSP व सड़क के भाग में 07 आवासीय भूखण्डों का सूजन	शासनादेश दिनांक 07.04.2021 के क्रम में योजना क्षेत्रफल कम होने किये जाने एवं सम्पूर्ण प्रस्ताव में नीति अनुसार नियमित भू-उपयोग वितरण में अनुमत्य प्रतिशत अंश के अन्तर्गत होने एवं तृतीय पक्ष के हित प्रभावित नहीं होने के कारण विचलन पर आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।
67	व्यवसायिक	फैक्षिल्टी भूखण्ड	प्रस्तावित विचलन पर भू-स्वामित्व का परीक्षण किया जाय।
68	युप हाउसिंग भूखण्ड	सेक्टर-एन, पाकेट-1ए में 160 आवासीय भूखण्डों की पाकेट का सूजन	कम संख्या-1 के अनुसार एवं मूल स्वीकृत उपयोग तथा वर्तमान प्रस्तावित उपयोग विकाय योग्य होने के दृष्टिगत विचलन पर आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।
69	ग्रीन	अंश भाग में PSP-विद्युत सावर्स्टेशन के भूखण्ड का सूजन	कम संख्या-1 के अनुसार एवं प्रश्नगत विचलन में तृतीय पक्ष के हित प्रभावित न होने के दृष्टिगत विचलन पर आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।
70	ग्रीन	व्यासायिक भूखण्ड	स्वीकृत ग्रीन के सामने स्थित आवासीय भूखण्डों का आवंटन/विकाय किया गया है, तो अनुमत्य न किया जाय।

709

71	ग्रीन / PSP	अंश भाग में लोकेशन बदल कर PSP का सूजन	कम संख्या-1 के अनुसार एवं प्रश्नगत विचलन में तृतीय पक्ष के हित प्रभावित न होने के दृष्टिगत।
72	युप हाउसिंग भूखण्ड	पाकेट-4ए में 202 आवासीय भूखण्डों की पाकेट का सूजन	कम संख्या-1 के अनुसार एवं मूल स्थीकृत उपयोग तथा वर्तमान प्रस्तावित उपयोग विकल्प योग्य होने के दृष्टिगत विचलन पर आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।
73	ग्राम बरोना (बानीखेड़ा) आवादी	उक्त के अंश भाग में 01 व्यवसायिक भूखण्ड NEW ADDED AREA	कम संख्या-1 के अनुसार एवं प्रश्नगत विचलन में तृतीय पक्ष के हित प्रभावित न होने के दृष्टिगत विचलन पर आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।
74	सेक्टर-ओ, पाकेट-1, युप हाउसिंग भूखण्ड संख्या-1, अंश व्यवसायिक भूखण्ड	सेक्टर-ओ, पाकेट-1ए में 384 आवासीय भूखण्डों की पाकेट का सूजन एवं अंश भग में PSP भूखण्ड का विस्तार	कम संख्या-1 के अनुसार एवं मूल स्थीकृत उपयोग तथा वर्तमान प्रस्तावित उपयोग विकल्प योग्य होने के दृष्टिगत विचलन पर आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।
75	ग्राम बरोना (बरोना का पुरवा) ग्रामीण आवादी, व्यवसायिक भूखण्ड	PSP के 4 भूखण्डों का सूजन, NEW ADDED AREA	ले-आउट स्थीकृति से पूर्व भू-स्वामित्व का परीक्षण किया जाय।
76	व्यवसायिक	PSP, सड़क व ग्रीन	कम संख्या-1 के अनुसार एवं प्रश्नगत विचलन में तृतीय पक्ष के हित प्रभावित न होने के दृष्टिगत विचलन पर आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।
77	युप हाउसिंग भूखण्ड, तालाब	दर्शित तालाबों को छोटा करके पाकेट-1धी 472 आवासीय भूखण्डों की पाकेट का सूजन	ले-आउट स्थीकृति से पूर्व भू-स्वामित्व का परीक्षण किया जाय।
78	एस0टी०पी० / एस0डब्ल्यू०एम०	PSP विद्युत सबस्टेशन	कम संख्या-1 के अनुसार एवं प्रश्नगत विचलन में तृतीय पक्ष के हित प्रभावित न होने के दृष्टिगत विचलन पर आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।
79	ग्राम बरोना की ग्रामीण आवादी विस्तार	12 आवासीय व 02 PSP भूखण्ड NEW ADDED AREA	कम संख्या-1 के अनुसार एवं प्रश्नगत विचलन में तृतीय पक्ष के हित प्रभावित न होने के दृष्टिगत विचलन पर आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।
80	ग्रीन	16 आवासीय भूखण्डों का सूजन	कम संख्या-1 के अनुसार एवं प्रश्नगत विचलन में तृतीय पक्ष के हित प्रभावित न होने के दृष्टिगत विचलन पर आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।
81	आवासीय भूखण्ड	PSP भूखण्ड	कम संख्या-1 के अनुसार एवं मूल स्थीकृत उपयोग तथा वर्तमान प्रस्तावित उपयोग विकल्प योग्य होने के दृष्टिगत विचलन पर आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।
82	PSP	18 आवासीय भूखण्डों का सूजन	यदि प्रकारण के संबंध में आपत्ति प्राप्त हुयी है अथवा नहीं का परीक्षण किया जाय।
83	सेक्टर-ओ, पाकेट-2, फ्रीन/पार्क, बाग	लगभग 36 आवासीय भूखण्डों का सूजन, अंश NEW ADDED AREA	कम संख्या-1 के अनुसार एवं प्रश्नगत विचलन में तृतीय पक्ष के हित प्रभावित न होने के दृष्टिगत विचलन पर आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।
84	PSP	व्यवसायिक	कम संख्या-1 के अनुसार एवं मूल स्थीकृत उपयोग तथा वर्तमान प्रस्तावित उपयोग विकल्प योग्य होने के दृष्टिगत विचलन पर आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।
85	PSP / युप हाउसिंग	व्यवसायिक	कम संख्या-1 के अनुसार एवं मूल स्थीकृत उपयोग तथा वर्तमान प्रस्तावित उपयोग विकल्प योग्य होने के दृष्टिगत विचलन पर आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।
86	PSP	लोकेशन परिवर्तन करते हुए अपरिस्थिति क्षेत्र/व्यवसायिक / PSP	कम संख्या-1 के अनुसार एवं मूल स्थीकृत उपयोग तथा वर्तमान प्रस्तावित उपयोग विकल्प योग्य होने के दृष्टिगत विचलन पर आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।
87	ग्राम-बरोना (राजा खेड़ा) आवादी विस्तार	02 PSP भूखण्ड NEW ADDED AREA	कम संख्या-1 के अनुसार एवं प्रश्नगत विचलन में तृतीय पक्ष के हित प्रभावित न होने के दृष्टिगत विचलन पर आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।
88	युप हाउसिंग- इ०डब्ल्यू०एस० / एल०आई०जी०	पाकेट-48 में 110 आवासीय भूखण्डों की पाकेट सूजन	कम संख्या-1 के अनुसार एवं मूल स्थीकृत उपयोग तथा वर्तमान प्रस्तावित उपयोग विकल्प योग्य होने के दृष्टिगत विचलन पर आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।
89	तालाब / ग्रीन	तालाब हटा कर अंश भाग में PSP	ले-आउट स्थीकृति से पूर्व भू-स्वामित्व का परीक्षण किया जाय।
90	सेक्टर-पी, पाकेट-4 बाग	लगभग 22 आवासीय भूखण्डों का सूजन NEW ADDED AREA	कम संख्या-1 के अनुसार एवं प्रश्नगत विचलन में तृतीय पक्ष के हित प्रभावित न होने के दृष्टिगत विचलन पर आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

110

Commissioner of Survey and Settlement
Government of Haryana

91	ग्राम—बरोना ग्रामीण आबादी विस्तार	PSP भूखण्ड – NEW ADDED AREA	कम संख्या-1 के अनुसार एवं प्रश्नगत विचलन में तृतीय पक्ष के हित प्रभावित न होने के दृष्टिगत विचलन पर आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।
92	पार्क / ग्रीन	अंश भाग में PSP – गेस गोदाम भूखण्ड	कम संख्या-1 के अनुसार एवं प्रश्नगत विचलन में तृतीय पक्ष के हित प्रभावित न होने के दृष्टिगत विचलन पर आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।
93	व्यावसायिक भूखण्ड	बड़े भूखण्ड को 06 भाग में व्यावसायिक हेतु विभाजित किया गया	कम संख्या-1 के अनुसार एवं प्रश्नगत विचलन में तृतीय पक्ष के हित प्रभावित न होने के दृष्टिगत विचलन पर आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

उपरोक्त संशोधनों के अतिरिक्त विकासकर्ता में 06 अंसल प्रापर्टीज इफ्फा० लिंग द्वारा जिन सम्पत्तियों के विकाय-विलेख निषादित किये जा चुके हैं। उक्त सम्पत्ति की श्रेणी/उपयोग में परिवर्तन न होगे-

- स्थीरकृत योजना के सापेक्ष मेसर्स अंसल प्रापर्टीज एण्ड इफ्फा० लिंग द्वारा जिन सम्पत्तियों के विकाय-विलेख निषादित किये जा चुके हैं। उक्त सम्पत्ति की श्रेणी/उपयोग में परिवर्तन न किया जाय एवं उक्त का विस्तृत विवरण प्राधिकरण को प्राप्त हुआ जाय।
- स्थीरकृत योजना के सापेक्ष उपरोक्त चिह्नित रथ्ताओं के अतिरिक्त विकासकर्ता द्वारा विकासकर्ता भूमि अंसल प्रापर्टीज एण्ड इफ्फा० लिंग का स्वर्य का है। इस संबंध में विकासकर्ता श्रेणी के भूखण्ड, तड़क आदि प्रस्तावित किये गये हैं, तो उनको हटाये जाने का दायित्व विकासकर्ता मेसर्स अंसल प्रापर्टीज एण्ड इफ्फा० लिंग द्वारा संशोधन कर इस आश्य का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उक्त के अतिरिक्त वर्तमान प्रस्तावना में कोई विचलन नहीं है।
- स्थीरकृत योजना के सापेक्ष वर्तमान में प्रस्तुत प्रस्ताव में अनेक छान पर भू-उपयोग वर्णित है। परन्तु हाईटेक टाउनशिप नीति एवं भवन निर्माण एवं विकास उपयोगिता के अनुसार उक्त में विभिन्न अनुमति भूखण्डों में विभिन्न अनुमति दिया जाय और उक्त भूखण्डों में विभिन्न अनुमति को अभिमत है कि उक्त भूखण्डों के विभिन्न अनुमति द्वारा विभिन्न अनुमति को अभिमत है। उक्त को स्थीरकृत योजना के सापेक्ष वर्तमान में प्रस्तुत प्रस्ताव में हाईटेक टाउनशिप नीति के अनुसार विभिन्न भू-उपयोगों में लिहित भूखण्डों का क्षेत्रफल सहित विवरण उपलब्ध नहीं है। उक्त को समाहित करना होगा।
- सुनवाई के समय कलिपय आपत्ति-कर्ताओं द्वारा सम्पत्ति का आवंटन होने के पश्चात भी उनके न लिलने के संबंध में अवातर कराया गया। इस प्रकार की आपत्ति का समिति से कोई समाहित करना होगा।
- परन्तु व्यापक जनहित में उचित होगा कि प्राधिकरण द्वारा विकासकर्ता मेसर्स अंसल प्रापर्टीज एण्ड इफ्फा० लिंग से उक्त श्रेणी के अवाटियों के समायोजना की संबंध नहीं है। परन्तु व्यापक जनहित में उचित होगा कि प्राधिकरण हेतु सक्षम संस्था से प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- प्राप्त कर ली जाय।
- विकासकर्ता द्वारा प्रस्तावित / विकसित गोल्फ कोर्स के मानकों के संबंध में गोल्फ कोर्स में गोल्फ कोर्स भानक निर्धारण हेतु सक्षम संस्था से प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। आठ-3-21-227विविध/2011 दिनांक 16.12.2021 के प्रस्तर 3-(1) में स्थीरकृत योजना के सापेक्ष वर्तमान में प्रस्तुत प्रस्ताव में आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग 3 के पत्र संख्या-3463 / आठ-3-21-227विविध/2011 दिनांक 07.04.2021 के प्रस्तर-3(8) के अन्तर्गत उल्लिखित वर्णित प्राविधिन “व्यावहारिक रूप से परिमार्जित एवं और अधिक स्पष्ट करते हुए शासनादेश दिनांक 07.04.2021 के प्रस्तर-3(8) के अन्तर्गत उल्लिखित वर्णित परियोजना का प्रत्येक वर्ण भौतिक एवं सामाजिक अवस्थाएँ सुनिश्चाओं के प्राविधिन की दृष्टि से सेटप कर्नेट होगा”, को परियोजना का प्रत्येक वर्ण भौतिक एवं सामाजिक अवस्थाएँ सुनिश्चाओं के प्राविधिन की दृष्टि से परिपूर्ण होगा, पढ़ा जाय और उक्त वर्णन किये जाने का उल्लेख नहीं है।
- विजली, जलापूर्ति, सड़क, मार्ग, प्रकाश, सीधेर लाइन व ड्रेनेज आदि से परिपूर्ण होगा, पढ़ा जाय और उक्त वर्णन को समझ विचारण बोर्ड के समझ विचारण/अवलोकनार्थ प्रस्तुत किये जाने की समिति अनुशासा करती है।

संलग्नक—उपरोक्तानुसार

२२

(लाखनऊ विकास प्राधिकरण
प्रतिनिधि—नगर आयुक्त, नगर निगम
प्रतिनिधि—नगर आयुक्त, नगर निगम
प्रतिनिधि—नगर आयुक्त, नगर निगम
(अध्ययन विपाठी)
उपायकार्यकाल
लाखनऊ विकास प्राधिकरण

२३

(पद्मनाभ कुमार गंगावार)
मुख्य नगर एवं शाम नियोजक
नगर एवं ग्राम नियोजक विभाग उ०५०
(लाखनऊ विकास प्राधिकरण
प्रतिनिधि—आयुक्त, लाखनऊ मण्डल लाखनऊ

२४

(लाखनऊ विकास प्राधिकरण
प्रतिनिधि—आयुक्त, लाखनऊ मण्डल लाखनऊ
महेन्द्र कुमार मिश्र)
अपायकार्यकाल
लाखनऊ विकास प्राधिकरण

विषय— उम्रो के नगरीय क्षेत्रों में निजी पैजी निवेश के माध्यम से आवासीय योजनाओं के लिए शासन की इंटीग्रेटेड टाउनशिप नीति के अन्तर्गत मेसर्स ओमेक्स लिंग द्वारा प्रस्तुत संशोधित तलपट मानचित्र स्वीकृत करने के सम्बन्ध में।

आख्या—

मेसर्स ओमेक्स लिंग के पक्ष में ग्राम सरसवां लखनऊ में इंटीग्रेटेड टाउनशिप विकसित किये जाने हेतु प्राधिकरण द्वारा लाइसेन्स संख्या—८/२०११ दिनांक 23.08.2011 को निर्गत किया गया था। योजना का अन्तिम तलपट मानचित्र परमिट संख्या—४११३४ दिनांक 16.02.2017 कुल योजना क्षेत्रफल 103.62 एकड़ क्षेत्रफल पर स्वीकृत है। वर्तमान में विकासकर्ता द्वारा पूर्व स्वीकृत योजना में स्थल पर भूमि न मिलने के कारण पूर्व स्वीकृति के सापेक्ष सीमा में विचलन करते हुए संशोधित विन्यास मानचित्र कुल योजना क्षेत्रफल 103.283 एकड़ पर प्रस्तुत किया है।

इंटीग्रेटेड टाउनशिप नीति के अन्तर्गत प्राप्त प्रस्ताव पर शासन द्वारा गठित समिति की संस्तुति दिनांक 14.12.2021 (अनुलग्नक-१) के क्रम में जन सामान्य से आपत्ति/सुझाव आमंत्रित किये जाने हेतु दैनिक समाचार पत्र दैनिक जागरण एवं टाइम्स ऑफ इण्डिया में दिनांक 06.01.2022 को विज्ञप्ति प्रकाशित की गयी थी। प्राप्त विज्ञप्तियों पर सुनवाई की तिथि 14.03.2022 निर्धारित की गयी थी, जिस पर अपरिहार्य कारणोंवश सुनवाई स्थगित होने के कारण पुनः दिनांक 23.03.2022 को लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ के गोमती नगर स्थित कार्यालय के द्वितीय तल स्थित मसजद हाल में सुनवाई की गयी। शासन द्वारा गठित समिति की संस्तुति के क्रम में योजना के संशोधित तलपट मानचित्र के स्वीकृति का प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष विचारार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

प्रस्ताव—

में ओमेक्स लिंग द्वारा ग्राम—सरसवां जनपद लखनऊ में स्थित इंटीग्रेटेड टाउनशिप के संशोधित तलपट मानचित्र पर शासन द्वारा गठित समिति की बैठक दिनांक 14.12.2021 की संस्तुति के क्रम में स्वीकृति हेतु प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

उ0प्र0 के नगरीय क्षेत्रों में निजी पैंजी निवेश के माध्यम से आवासीय योजनाओं के लिए शासन की इंटीग्रेटेड टाउनशिप नीति के अन्तर्गत विभिन्न निजी विकासकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर समिति की बैठक दिनांक 14.12.2021 का कार्यवृत्त:-

उपस्थिति:-

- | | | |
|---|-------------------------|--|
| १ | श्री अक्षय त्रिपाठी | उपाध्यक्ष, ल०वि०प्रा० |
| २ | श्री पवन कुमार गंगवार | सचिव, ल०वि०प्रा० |
| ३ | श्री ए०के० मिश्र | नगर नियोजक, प्रतिनिधि मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उ०प्रा०। |
| ४ | श्री राजीव कुमार सिंह | वित्त नियंत्रक, ल०वि०प्रा० |
| ५ | श्री धर्मेन्द्र सिंह | अपर जिलाधिकारी—१, भू—अर्जन |
| ६ | श्री इन्दुशेखर सिंह | मुख्य अभियन्ता, ल०वि०प्रा० |
| ७ | श्री नितिन मित्तल | मुख्य नगर नियोजक, ल०वि०प्रा० |
| ८ | श्री भूपेन्द्र वीर सिंह | अधिशासी अभियन्ता (हा० / इंटी० सेल), ल०वि०प्रा० |

(अ) मेरी पिन्टेल रियलिटी डेवलपर्स प्राइलो द्वारा प्रस्तुत संशोधित तलपट मानचित्र के सम्बन्ध में।

के सम्बन्ध में।
मेसर्स अरिन्दम शेखर गारमेन्ट्स मार्केटिंग प्रा०लि० के पक्ष में ग्राम-माड़रमऊ कला, बककास व मस्तेमऊ, तहसील-मोहनलालगंज, लखनऊ में कुल 200.00 एकड़ भूमि पर इंटीग्रेटेड टाउनशिप विकसित किये जाने हेतु प्राधिकरण द्वारा लाइसेन्स संख्या-137/वी.सी./ई.ई./एच.टी.आई.जी./2015 दिनांक 02.11.2015 को निर्गत किया गया था। उपाध्यक्ष /ई.ई./ द्वारा लाइसेन्स संख्या-137/वी.सी./ई.ई./एच.टी.आई.जी./2015 दिनांक 02.11.2015 को निर्गत किया गया था। उपाध्यक्ष महोदय के आदेश दिनांक 24.08.2016 के कम में गेसर्स अरिन्दम शेखर गारमेन्ट्स मार्केटिंग प्रा०लि० का नाम परिवर्तित करते हुए M/S Pintail Realty Developers Private Limited (Formerly Known as Arindam Sekhar Garments Marketing Private Ltd.) कर दिया गया है। प्राधिकरण बोर्ड के अनुमोदन दिनांक 06.11.2015 एवं उपाध्यक्ष महोदय द्वारा दिनांक 26.11.2016 व 18.04.2017 को प्रदत्त स्वीकृति के कम में उक्त डी०पी०आर० अनुमोदित क्षेत्रफल 200 एकड़ के सापेक्ष 192.72 एकड़ क्षेत्रफल पर निर्गत की गयी। तत्कम में योजना के प्रथम एवं द्वितीय चरण के विन्यास मानचित्र स्वीकृत है। वर्तमान में विकासकर्ता द्वारा मूल लाइसेन्स क्षेत्रफल 200 एकड़ से पृथक की गयी भूमि के स्थान पर अन्य दिशा में अतिरिक्त भूमि सम्मिलित करते हुए आंशिक परिवर्तन सहित कुल 200 एकड़ क्षेत्रफल पर संशोधित भूमि सम्मिलित करते हुए आंशिक परिवर्तन सहित कुल 200 एकड़ क्षेत्रफल पर संशोधित भूमि का मानचित्र प्रस्तुत किया गया है। विकासकर्ता द्वारा 130.00 एकड़ (65.00 प्रतिशत) भूमि का स्वामित्व अपने पक्ष में होने सम्बन्धी विवरण प्रस्तुत किया है।

उपरोक्त के दृष्टिगत समिति द्वारा सम्यक विचारोपरान्त निम्न शर्तों के अधीन (114)

संशोधित तलपट मानचित्र स्वीकृति की संस्तुति की जाती है:-



1. योजना के कम हुये क्षेत्रफल के सापेक्ष जमा लाइसेन्स फीस वापस नहीं की जायेगी।
2. वर्तमान प्रस्ताव में सम्मिलित नवीन भूमि पर वर्तमान दर से लाइसेन्स शुल्क आरोपित किया जायेगा।
3. पूर्व निर्गत लाइसेन्स, डी०पी०आर० एवं स्वीकृत तलपट मानचित्र की समस्त शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा एवं देय समस्त शुल्कों का भुगतान करना होगा।
4. प्रश्नगत योजना के 02 चरण के डेवलपमेन्ट एग्रीमेन्ट निष्पादित है। तदानुसार स्थल पर विकासकर्ता द्वारा विकास कर विभिन्न श्रेणी के भूखण्डों को विक्रय किया गया है। वर्तमान प्रस्तावना से पूर्व स्वीकृत योजना के प्रस्तावित भूखण्डों के परिवर्तन से तृतीय पक्ष के हित प्रभावित हो रहे हैं। अतः उक्त विचलन पर उ०प्र० उ०प्र० नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 यथासंशोधित की धारा-13 में निर्धारित प्रक्रिया पूर्ण किया जाना उचित होगा।

(ब) मे० ओमेक्स लि० प्रस्तुत संशोधित तलपट मानचित्र के सम्बन्ध में।


मेसर्स ओमेक्स लि० के पक्ष में ग्राम-सरसवां, लखनऊ में कुल 121.76 एकड़ भूमि पर इंटीग्रेटेड टाउनशिप विकसित किये जाने हेतु प्राधिकरण द्वारा लाइसेन्स संख्या-782/8-2011 दिनांक 23.08.2011 को निर्गत किया गया था। योजना का अन्तिम तलपट मानचित्र परमिट दिनांक 16.02.2017 कुल योजना क्षेत्रफल 103.62 एकड़ क्षेत्रफल पर स्वीकृत है संख्या-41134 दिनांक 26.02.2021 के पक्ष में विकासकर्ता द्वारा पूर्व स्वीकृत योजना में स्थल पर भूमि न मिलने के तक थी। वर्तमान में विकासकर्ता द्वारा पूर्व स्वीकृत योजना में स्थल पर भूमि न मिलने के कारण पूर्व स्वीकृति के सापेक्ष सीमा में विचलन करते हुए समय विस्तार आवेदन सहित संशोधित विन्यास मानचित्र कुल योजना क्षेत्रफल 103.283 एकड़ पर प्रस्तुत किया गया है। विकासकर्ता द्वारा प्रस्तावित योजना 103.283 एकड़ के सापेक्ष 81.258 एकड़ (78.67 प्रतिशत) भूमि का स्वामित्व अपने पक्ष में होने सम्बन्धी विवरण प्रस्तुत किया है।


उपरोक्त के दृष्टिगत समिति द्वारा सम्यक विचारोपरान्त निम्न शर्तों के अधीन संशोधित तलपट मानचित्र स्वीकृति एवं प्रभावी इंटीग्रेटेड टाउनशिप नीति के अनुसार समय विस्तार प्रदान किये जाने की संस्तुति की जाती है:-


1. योजना के कम हुये क्षेत्रफल के सापेक्ष जमा लाइसेन्स फीस वापस नहीं की जायेगी।



2. वर्तमान प्रस्ताव में सम्मिलित नवीन भूमि पर वर्तमान दर से लाइसेन्स शुल्क आरोपित किया जायेगा।
3. पूर्व निर्गत लाइसेन्स, डी०पी०आर० एवं स्वीकृत तलपट मानचित्र की समस्त शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा एवं देय समस्त शुल्कों का भुगतान करना होगा।
4. प्रश्नगत योजना का डेवलपमेन्ट एग्रीमेन्ट निष्पादित है। तदानुसार स्थल पर विकासकर्ता द्वारा विकास कर विभिन्न श्रेणी के भूखण्डों को विक्रय किया गया है। वर्तमान प्रस्तावना से पूर्व स्वीकृत योजना के प्रस्तावित भूखण्डों के परिवर्तन से तृतीय पक्ष के हित प्रभावित हो रहे हैं। अतः उक्त विचलन पर उ०प्र० उ०प्र० नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 यथासंशोधित की धारा—13 में निर्धारित प्रक्रिया पूर्ण किया जाना चाहित होगा।


 (नितिन मित्तल)
 मुख्य नगर नियोजक,
 ल०वि०प्रा०


 (इन्द्रशेखर सिंह)
 मुख्य अधियन्ता
 ल०वि०प्रा०


 (पवन कुमार गंगवार)
 सचिव
 ल०वि०प्रा०

अनुमोदित,


 (अक्षय चिपाठी)
 उपाध्यक्ष
 ल०वि०प्रा०

पत्रांक :

दिनांक :

प्रतिलिपि:

1. उपाध्यक्ष महोदय को सादर अवलोकनार्थ।
2. सचिव महोदय को सादर अवलोकनार्थ।
3. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उ०प्र० / अपर जिलाधिकारी—भू—अर्जन—1 / मुख्य अभियन्ता / वित्त नियंत्रक, ल०वि०प्रा० को सूचनार्थ।
4. अधिशासी अभियन्ता (हा० / इंटी० सेल) को अग्रिम कार्यवाही हेतु।


 मुख्य नगर नियोजक,
 ल०वि०प्रा०


लखनऊ विकास क्षेत्र के अन्तर्गत मेसर्स ओमेक्स लिमिटेड की इंटीग्रेटेड टाउनशिप पर आमंत्रित आपत्ति/सुझाव के संबंध में दिनांक 23.03.2022

को शासन द्वारा गठित समिति द्वारा की गयी सुनवाई का कार्यवृत्त।


समिति द्वारा इंटीग्रेटेड टाउनशिप नीति के अन्तर्गत मेसर्स ओमेक्स लिमिटेड के पक्ष में स्वीकृत इंटीग्रेटेड टाउनशिप के विचलन करते हुए योजना का संशोधित मानचित्र प्रस्तुत किया गया था। जिस पर स्वीकृति हेतु शासन द्वारा गठित समिति की संस्थानी दिनांक 14.12.2021 के क्रम में प्राधिकरण द्वारा योजना के रूपीकृत तलपट मानचित्र एवं प्रस्तावित तलपट मानचित्र पर हुए विचलन के क्रम में जन सामाजिक आपत्ति/सुझाव आमंत्रित किये जाने हेतु दैनिक समाचार पत्र दैनिक जागरण एवं टाइम्स ऑफ इंडिया में दिनांक 06.01.2022 वो विज्ञापन प्रकाशित की गयी थी। प्राप्त विज्ञापनियों पर सुनवाई की तिथि 14.03.2022 निर्धारित की गयी थी, जिस पर अपरिहार्य कारणोंवश सुनवाई स्थगित होने के कारण पुनः दिनांक 23.03.2022 को प्रकाशित की गयी। प्राप्त आपत्तियों पर समिति का अभियोग निम्नवत् है:-


आपत्ति/सुझाव का विवरण				
क्रम	नाम	दिनांक	पता	समिति की अधियोगिता
1	श्री मनीष कुमार गुरु	15.01.22	उमरपुर व्यापारी कल्याण बोई, उमरपुर सरकार 8वाँ तल, जबाहर भवन, अशोक नगर, लखनऊ।	कृपया दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित तख्तनक विकास प्राधिकरण के विज्ञापन के मान्यम से इंटीग्रेटेड टाउनशिप नीति के अन्तर्गत सेसर्स ऑमेक्स लिंग द्वारा स्वीकृत इन्टीग्रेटेड योजना में आशिक परिवर्तन करते हुए संशोधित मानचित्र जारी करने का अग्रह किया है। उक्त पर जन सामाजिक आपत्ति व सुझाव आमंत्रित किये गये हैं। उपरोक्त प्रकरण से संशोधित विस्तृत जानकारी व इंटीग्रेटेड टाउनशिप योजना के संबंध में जनहित में परिचर्चा हेतु विभाग के संवित अधिकारी गणा-अधिकारी अधीक्षण अभियन्ता तथा सीटीटी०० को दिनांक 10.01.2021 को व्यापारी कल्याण बोई के कार्यालय में भेजने हेतु निर्वाचित करने का कारण कहते हैं।

उपरोक्तानुसार प्रस्तुत तलपट मानचित्र उ०३० शासन की इंटीग्रेटेड टाउनशिप नीति के अधीन निर्धारित प्रक्रिया पूर्ण करते हुए स्वीकृत किये जाने की समिति अनुशस्त्र करती है।


 (प्रतिनिधि—नगर अयुद्ध, लखनऊ विकास प्राधिकरण)
 (ज्ञानेन्द्र कुमार श्रीवास्तव)
 मुख्य नगर अयुद्ध भाग नियोजक
 नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग उ०३०
 (पवन कुमार गवार)
 सचिव
 लखनऊ विकास प्राधिकरण


 (अशोक चौहान)
 नगर निगम
 प्रतिनिधि—नगर अयुद्ध, लखनऊ विकास प्राधिकरण


 (ज्ञानेन्द्र कुमार मिश्र)
 अपर आयुद्ध
 प्रतिनिधि—आयुद्ध, लखनऊ मण्डल वाखनार


 (पवन कुमार गवार)
 सचिव
 लखनऊ विकास प्राधिकरण

विषय— उ०प्र० शासन की हाई—टेक टाउनशिप नीति के अधीन चयनित मेसर्स ओमेक्स गर्व बिल्डटेक प्रा० लि० द्वारा प्रस्तुत संशोधित डी०पी०आर० एवं तलपट मानचित्र स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में विचार।

आख्या—

हाई—टेक टाउनशिप नीति—2007 के अधीन लखनऊ में हाई—टेक टाउनशिप विकसित करने के लिए मे० गर्व बिल्डटेक प्रा०लि० की डी०पी०आर० दिनांक 22.05.2010 को प्राधिकरण बोर्ड द्वारा अनुमोदित की गयी थी। विकासकर्ता द्वारा स्वीकृत डी०पी०आर० के क्षेत्रफल अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा निर्भित किये जाने वाले मार्ग किसान पथ का संरेखण शासन द्वारा अनुमोदित किये जाने, योजनान्तर्गत ग्रामीण आबादी का स्वीकृति के सापेक्ष विस्तार होने एवं लखनऊ महायोजना—2031 के प्रभावी होने के दृष्टिगत उक्त को समाहित करते हुए संशोधित कन्सेप्चुअल डी०पी०आर० एवं प्रथम चरण का तलपट मानचित्र प्राधिकरण बोर्ड बैठक दिनांक 05.01.2019 में स्वीकृत किया गया। उ०प्र० शासन, आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग—३ के पत्र संख्या—1128/आठ—३—२१—२२७विविध/2011टी.सी.दिनांक 07.04.2021 निर्गत किया गया, जिसके अनुपालन में विकासकर्ता द्वारा अपने पत्रांक दिनांक 09.06.2021 के माध्यम से पुनरीक्षित विस्तृत परियोजना रिपोर्ट एवं तलपट मानचित्र अपने योजना क्षेत्रफल में कटौती करते हुए प्रस्तुत की गयी। मेसर्स ओमेक्स गर्व बिल्डटेक प्रा०लि० द्वारा प्रस्तुत योजना प्रस्ताव पर हाईटेक टाउनशिप निति के अधीन मुख्य सचिव उ०प्र० शासन की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय समिति की दिनांक 02.11.2021 के उ०प्र० शासन आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग ३ के पत्र संख्या—3309/आठ—३—२१—२२७विविध/2011 दिनांक 23.11.2021 (अनुलग्नक—१) एवं पत्र संख्या—3463/आठ—३—२१—२२७ विविध/2011 दिनांक 16.12.2021 (अनुलग्नक—२) के माध्यम से कतिपय शर्तों के अधीन स्वीकृति प्रदान की गयी। प्राधिकरण द्वारा योजना के स्वीकृत तलपट मानचित्र एवं प्रस्तावित तलपट मानचित्र पर हुए विचलन के क्रम में जन सामाज्य से आपत्ति/सुझाव आमंत्रित किये जाने हेतु दैनिक समाचार पत्र दैनिक जागरण एवं हिन्दुस्तान टाइम्स में दिनांक 05.01.2022 को विज्ञाप्ति प्रकाशित की गयी थी। प्राप्त विज्ञाप्तियों पर सुनवाई की तिथि 14.03.2022 निर्धारित की गयी थी, जिस पर अपरिहार्य कारणोंवश सुनवाई रथगित होने के कारण पुनः दिनांक 23.03.2022 को लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ के गोमती नगर स्थित कार्यालय के द्वितीय तल स्थित मसऊद हाल में सुनवाई की गयी। शासन द्वारा प्रदत्त अनुमति के क्रम में प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष विचारार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है—

- मेसर्स गर्व बिल्डटेक प्रा० लि० की योजना का प्रथम विकास अनुबन्ध हस्ताक्षरित होने के मात्र पांच माह बाद ही मा० उच्च न्यायालय द्वारा योजित रिट याचिकाओं में 'स्टेट्स को'



का स्थगत आदेश दिनांक 30.01.2012 को पारित किया गया, जो दिनांक 13.10.2014 तक प्रभावी रहा, परन्तु याचिकाएं निर्णीत होने के बाद भी स्थिति और भी भयावह हो गयी क्योंकि भू-अधिग्रहण प्रक्रिया को निरस्त कर दिया गया, जिसके कारण कम्पनी की पूरी योजना प्रभावित हो गयी। वर्ष-2016 से वर्ष-2021 तक की अवधि में कम्पनी की योजना टाउनशिप के क्षेत्र में रिंग रोड के लाइनमेंट में बार-बार परिवर्तन होने एवं वर्ष-2020 एवं वर्ष-2021 में कोविड-19 महामारी के संक्रमण से उत्पन्न स्थिति के कारण योजना से प्रभावित होने से डी.पी.आर. समिति द्वारा पांच वर्ष के अवधि को जीरो पीरियड माने जाने की संस्तुति की गयी।

- मेसर्स ओमेक्स गर्व बिल्डटेक प्रा० द्वारा पूर्व स्वीकृति के सापेक्ष योजना क्षेत्रफल में कटौती करते हुए प्रस्तुत किये गये तलपट मानचित्र पर शासनादेश दिनांक 23.11.2021 के क्रम में एवं योजना के वर्तमान में प्रभावी स्वीकृत तलपट मानचित्रों के सापेक्ष जन सामान्य से प्राप्त आपत्ति/सुझावों पर सुनवाई उपरान्त समिति की संस्तुति के अनुसार संशोधित मानचित्र के अनुमोदन का प्रस्ताव।

प्रस्ताव:

उ०प्र० शासन की हाई-टेक टाउनशिप नीति के अधीन चयनित मेसर्स ओमेक्स गर्व बिल्डटेक प्रा० द्वारा प्रस्तुत संशोधित डी०पी०आर० एवं तलपट मानचित्र स्वीकृत किये जाने एवं जीरो पीरियड अनुमन्य किये जाने का प्रस्ताव विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।



हाई-टेक टाउनशिप नीति के अधीन मुख्य सचिव, उ.प्र. शासन की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय समिति की दिनांक 02.11.2021 को अपराह्न 05:00 बजे सम्पन्न बैठक का कार्यवृत्त :—

1— बैठक में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया:—

1. श्री संजीव भित्तल, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त।
2. श्री अरविन्द कुमार, अपर मुख्य सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग।
3. अपर मुख्य सचिव, नगर विकास द्वारा अधिकृत श्री अनिल कुमार, सचिव, नगर विकास विभाग।
4. श्री रंजन कुमार, आयुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।
5. डा० रोशन जैकब, आई०जी०, स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग।
6. अपर मुख्य सचिव, राजस्व विभाग द्वारा अधिकृत श्री रणवीर प्रसाद, सचिव, राजस्व विभाग।
7. मण्डलायुक्त, आगरा, मेरठ तथा प्रयागराज मण्डल, प्रयागराज।
8. प्रमुख सचिव, न्याय द्वारा अधिकृत श्री अतुल सिंह, विशेष सचिव, न्याय विभाग।
9. श्री अभिषेक प्रकाश, जिलाधिकारी, लखनऊ।
10. जिलाधिकारी, गाजियाबाद, मथुरा, आगरा, बुलन्दशहर, प्रयागराज एवं गौतमबुद्ध नगर।
11. प्रमुख सचिव, स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग द्वारा अधिकृत श्री अजय कुमार अवस्थी, विशेष सचिव, स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग।
12. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग द्वारा अधिकृत श्री पंकज सक्सेना, विशेष सचिव, वित्त विभाग।
13. श्री महेन्द्र सिंह, विशेष सचिव, राजस्व विभाग।
14. श्री कृष्णा कर्लणेश, उपाध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण।
15. श्री नागेन्द्र प्रताप, उपाध्यक्ष, मथुरा-वृन्दावन विकास प्राधिकरण।
16. सुश्री निशा अनन्त, उपाध्यक्ष, बुलन्दशहर विकास प्राधिकरण।
17. श्री अरविन्द, उपाध्यक्ष, प्रयागराज विकास प्राधिकरण।
18. श्री अक्षय त्रिपाठी, उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण।
19. श्री सुनील कुमार वर्मा, सचिव, वाराणसी विकास प्राधिकरण।
20. श्री पवन कुमार गंगवार, सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण।
21. श्री भीम लाल वर्मा, डिप्टी एल०आर०सी०, उ०प्र० राजस्व परिषद।
22. श्री मंसूर अहमद, ओ०एस०डी०, उ०प्र० राजस्व परिषद।
23. श्री अनूप कुमार श्रीवारत्न, मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उ०प्र०।
24. श्री आर०पी० सिंह, अधीक्षण अभियन्ता, आगरा विकास प्राधिकरण।
25. श्री ज्योति प्रसाद, नगर नियोजक, कानपुर विकास प्राधिकरण।
26. श्री अजय कुमार सिंह, नगर नियोजक, कानपुर विकास प्राधिकरण।
27. श्री रवि जैन, निदेशक, आवास बन्धु, उ०प्र०, लखनऊ।
28. श्री जी०एस० गोयल, आवास बन्धु, उ०प्र०, लखनऊ।

2— उच्च स्तरीय समिति की पूर्व बैठक दिनांक 13.08.2019 के कार्यवृत्त तथा अनुपालन आख्या का अवलोकन किया गया।

3— प्रमुख सचिव आवास द्वारा अवगत कराया गया कि प्रदेश में निजी पूंजी निवेश के माध्यम से हाईटेक टाउनशिप के विकास हेतु निर्गत की गयी हाईटेक टाउनशिप नीति, 2003 (यथा संशोधित—2007) के अन्तर्गत प्रदेश के विभिन्न नगरों में कुल 13 हाईटेक टाउनशिप परियोजनाओं के विकास हेतु विकासकर्ताओं का चयन किया गया था। हाईटेक टाउनशिप नीति के अन्तर्गत गठित उच्च स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 13.08.2019 में निष्क्रय 6 हाईटेक टाउनशिप परियोजनाओं को निरस्त किये जाने का निर्णय लिया गया। वर्तमान में कार्यशील कुल 07 हाईटेक टाउनशिप परियोजनाओं को पूर्ण किये जाने के उद्देश्य से उच्च स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 13.08.2019 में लिये गये निर्णय के अनुपालन में कार्यवाही करते हुए शासनादेश दिनांक 07.04.2021 निर्गत किया गया। उक्त शासनादेश के माध्यम से हाईटेक टाउनशिप हेतु नीति में निर्धारित न्यूनतम सीमा 1500 एकड़ से यथावश्यकता कम किये जाने तथा 10 वर्ष की परियोजना अवधि पूर्ण कर चुकी हाईटेक टाउनशिप परियोजनाओं को अधिकतम 05 वर्ष की समय वृद्धि रु0 80000/- प्रति एकड़ समय विस्तार शुल्क आरोपित करते हुए प्रदान किये जाने के लिए उच्च स्तरीय समिति को अधिकृत किया गया। इसके अतिरिक्त उक्त शासनादेश दिनांक 07.04.2021 के माध्यम से होम बायर्स/निवेशकर्ताओं के हितों के संरक्षण तथा व्यापक जनहित में कतिपय अन्य बिन्दुओं पर भी नीति निर्धारित करते हुए अग्रेतर कार्यवाही के निर्देश जारी किये गये।

4— अवगत कराया गया कि उक्त शासनादेश दिनांक 07.04.2021 के अनुपालन में कियाशील हाईटेक टाउनशिप विकासकर्ताओं द्वारा अपनी परियोजना की संशोधित/पुनरीक्षित डी०पी०आर० संबंधित प्राधिकरणों के समक्ष प्रस्तुत की गयी। प्रस्तुत की गयी डी०पी०आर० के संबंध में शासनादेश दिनांक 07.04.2021 के बिन्दुओं के आलोक में परीक्षण करते हुए संबंधित विकास प्राधिकरणों द्वारा अपनी आख्या/संस्तुति/प्रस्ताव शासन के समक्ष प्रस्तुत किया गया। प्राधिकरणों से प्राप्त

संस्तुति/सूचनाओं के आधार पर आवास विभाग द्वारा अपनी संस्तुति सहित उच्च स्तरीय समिति के समक्ष प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया।

5— उच्च स्तरीय समिति की बैठक में जनपद लखनऊ स्थित हाईटेक टाउनशिप परियोजनाओं में 0 अंसल प्रापर्टीज एण्ड इन्फा0 तथा में 0 गर्व बिल्डटेक के संबंध में विभाग द्वारा प्रस्तुतीकरण किया गया। उच्च स्तरीय समिति की बैठक में प्रस्तुत प्रस्ताव तथा उन पर हुये विचार-विमर्श के उपरान्त परियोजनावार कार्यवाही का विवरण निम्नवत् हैः—

1. में 0 अंसल प्रापर्टीज एण्ड इन्फा0, लखनऊ।

(1) विभाग द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव :-

लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध कराये गये विवरण के अनुसार परियोजना का कुल अनुमोदित क्षेत्रफल—6465 एकड़ है, जिसमें 1775.21 एकड़ की प्रस्तावित कटौती के उपरान्त परियोजना का पुनर्निर्धारित क्षेत्रफल—4689.79 एकड़ है। उक्त परियोजना में विकासकर्ता के स्वामित्व में 2800.65 एकड़ भूमि है। शासनादेश दिनांक 07.04.2021 के प्राविधानों के अन्तर्गत परियोजना हेतु भूमि-क्रय/अर्जन में व्यवहारिक अङ्गचनों के दृष्टिगत एवं परियोजना को समयबद्ध पूर्ण करने हेतु क्षेत्रफल में कटौती की गई है। पुनर्निर्धारित क्षेत्रफल निरन्तरता में है तथा क्षेत्रफल में की गई कटौती से लखनऊ विकास प्राधिकरण सहमत है। पुनर्निर्धारित क्षेत्रफल हेतु भू-उपयोग के प्रस्ताव हाई-टेक टाउनशिप नीति के मानकों के अनुसार हैं। प्राधिकरण की संस्तुति के कम में परियोजना के पूर्व अनुमोदित क्षेत्रफल में कटौती करते हुए में 0 अंसल प्रापर्टीज एण्ड इन्फा0, लखनऊ की हाईटेक टाउनशिप परियोजना के पुनर्निर्धारित क्षेत्रफल (4689.79 एकड़) हेतु उच्च स्तरीय समिति से अनुमोदन प्रदान किए जाने की संस्तुति की गई है।

उक्त प्रस्ताव पर उच्च स्तरीय समिति के निर्णय :-

सम्यक विचारोपरान्त उच्च स्तरीय समिति द्वारा में 0 अंसल प्रापर्टीज एण्ड इन्फा0, लखनऊ की हाईटेक टाउनशिप परियोजना के पुनर्निर्धारित क्षेत्रफल (4689.79 एकड़) पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

(कार्यवाही: उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण)

(2) विभाग द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव :—

शासनादेश दिनांक 07.04.2021 के प्रस्तर-4(2) के प्राविधानों के क्रम में विकासकर्ता द्वारा परियोजना क्षेत्र से बाहर स्थित अतिरिक्त भूमि 45.36 एकड़ (0.97 प्रतिशत) को परियोजना में सम्मिलित किये जाने का अनुरोध किया गया जिसके अन्तर्गत विकासकर्ता के स्वामित्व में 20.71 एकड़ भूमि है। अवशेष 24.65 एकड़ भूमि को ले-आउट प्रस्तुत करने से पूर्व कय किये जाने के संबंध में शपथ पत्र प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। शपथ पत्र के आधार पर विचार करते हुए बिना स्वामित्व की 24.65 एकड़ भूमि को परियोजना में सम्मिलित करने हेतु उच्च स्तरीय समिति का अनुमोदन प्राप्त किये जाने की संस्तुति की गई है।

उक्त प्रस्ताव पर उच्च स्तरीय समिति के निर्णय :—

शासनादेश दिनांक 07.04.2021 में विकासकर्ता के स्वामित्व की भूमि को ही पुनरीक्षित डी०पी०आर० में सम्मिलित किये जाने का प्राविधान है। शासनादेश की व्यवस्था के अनुरूप प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित परियोजना के बाहर की 10 प्रतिशत विकासकर्ता के स्वामित्व एवं निरन्तरता में भूमि 20.71 एकड़ को सम्मिलित करते हुए ही डी०पी०आर० स्वीकृत किये जाने के संबंध में कार्यवाही की जाय।

(कार्यवाही: उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण)

(3) विभाग द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव :—

उपलब्ध कराये गये विवरण के अनुसार में० अंसल प्रापर्टीज एण्ड इन्फा०, लखनऊ की हाईटेक टाउनशिप परियोजना के अब तक 05 विकास अनुबन्ध हुए हैं, जिनका कुल क्षेत्रफल—3530 एकड़ है। प्रथम विकास अनुबन्ध में 2571.15 एकड़ भूमि शामिल है, जिसका मैट्रिक्स के आधार पर प्राप्तांक 73.36 है। द्वितीय विकास अनुबन्ध में 958.85 एकड़ भूमि शामिल है, जिस हेतु मैट्रिक्स के आधार पर प्राप्तांक 7.40 हैं। विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि प्राप्तांकों के आधार पर विकसित क्षेत्र 2571.15 एकड़ है। अविकसित क्षेत्र 2118.64 एकड़ है, जिस पर विस्तार शुल्क लगाया जाएगा। प्राधिकरण द्वारा विकास/निर्माण कार्यों का मौके पर आंशिक सत्यापन किया गया है किन्तु प्राप्तांकों से सहमत हैं। प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध

कराये गये विवरण/आख्या के अनुसार उच्च स्तरीय समिति के अनुमोदन की संस्तुति की गई है।

उक्त प्रस्ताव पर उच्च स्तरीय समिति के निर्णय :-

विकासकर्ता द्वारा हाईटेक टाउनशिप परियोजना के अन्तर्गत किये गये विकास कार्यों का प्राधिकरण द्वारा वरिष्ठ प्रशासनिक एवं तकनीकी अधिकारियों की टीम द्वारा भौतिक सत्यापन कराया जाय और तदनुसार सभय विस्तार शुल्क की गणना कर अग्रेतर कार्यवाही की जाय।

(कार्यवाही: उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण)

(4) विभाग द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव :-

परियोजना अवधि में समयवृद्धि हेतु मा० उच्च न्यायालय के स्थगनादेश/शासकीय अभिकरण की कार्यवाही में हुये विलम्ब हेतु जीरो पीरियड के निर्धारण के संबंध में प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध कराये गये विवरण के अनुसार मे० अंसल प्रापर्टीज, लखनऊ की हाईटेक टाउनशिप परियोजना के अन्तर्गत मा० न्यायालय में वर्ष 2010 एवं 2011 में भूमि अर्जन के विरुद्ध योजित याचिकाओं पर स्थगनादेश के कारण 64.87 एकड़ भूमि पर स्थगनादेश वर्तमान तक प्रभावी है। मा. न्यायालयों के आदेशों से आच्छादित होने/अवैध कब्जे होने/प्रक्रियात्मक कार्यवाही के कारण 78 एकड़ पुनर्ग्रहीत/अर्जित भूमि का कब्जा वर्ष 2013–14 से अब तक विकासकर्ता को हस्तगत नहीं हुआ है। उपरोक्तानुसार प्रभावित भूमि डी.ए.-1 से डी.ए.-4 के क्षेत्र में स्थित होने के कारण शासनादेश दिनांक 07.04.2021 के प्राविधानों के अन्तर्गत 10 वर्ष की परियोजना अवधि दिनांक 13.3.2017 को पूर्ण होने से पुनरीक्षित डी०पी०आर० के उपरान्त प्रथम तलपट मानचित्र रखीकृत किये जाने तक की अवधि को जीरो पीरियड अनुमन्य किये जाने का प्रस्ताव किया गया।

मा० न्यायालय द्वारा पारित आदेशों/निर्णयों की प्रतिलिपियाँ बैठक में उपलब्ध नहीं हो सकीं। जिलाधिकारी, लखनऊ द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि भूमि

अधिग्रहण हेतु विकासकर्ता द्वारा समय से आवश्यक धनराशि जमा नहीं की गई है। इसे भी देखा जाना आवश्यक है।

उक्त प्रस्ताव पर उच्च स्तरीय समिति के निर्णय :—

जीरो पीरियड के निर्धारण हेतु मा० न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के कम में बाधित क्षेत्र एवं अवधि, नियामक/शासकीय कार्यवाही के फलस्वरूप हुये विलम्ब सहित विभिन्न आवश्यक तथ्यों का सम्यक परीक्षण/पुष्टि हेतु बड़ी संख्या में अभिलेखों के परीक्षण की भी आवश्यकता है। यह उच्च स्तरीय कमेटी स्तर पर किया जाना अत्यन्त समयसाध्य प्रक्रिया है, अतएव सम्यक विचारोपरान्त यह उचित पाया गया कि समस्त अभिलेखों/आदेशों का परीक्षण करते हुए जीरो पीरियड के निर्धारण का निर्णय वर्तमान नीति के अन्तर्गत विकासकर्ता द्वारा आवेदन किये जाने की दिनांक से विलम्बतम 02 माह के भीतर प्राधिकरण बोर्ड के स्तर से लिया जाय और कृत कार्यवाही की सूचना शासन को उपलब्ध करायी जाय।

(कार्यवाही: उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण)

(5) विभाग द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव :—

अविकसित क्षेत्रफल पर ₹0 80000 प्रति एकड़ समय विस्तार शुल्क आरोपित करते हुए अधिकतम 05 वर्ष की समयवृद्धि प्रदान किये जाने के संबंध में अवगत कराया गया कि मे० अंसल प्रापर्टीज एण्ड इन्फा०, लखनऊ की पूर्व स्वीकृत परियोजनावधि दिनांक 13.3.2017 तक थी। शासनादेश दिनांक 07.04.2021 में दिये गये ग्रेडिंग सिस्टम के अनुसार डी०ए०-१ से डी०ए०-४ के स्वीकृत तलपट मानचित्र क्षेत्रफल 2571.15 एकड़ के निर्धारण हेतु उपलब्ध कराये गये ग्रेडिंग सिस्टम के आधार पर 73.36 अंक प्राप्त हो रहे हैं। विकास अनुबन्ध डीए०-५ में 958.85 एकड़ भूमि शामिल है, जिस हेतु मैट्रिक्स के आधार पर प्राप्तांक 7.40 हैं। शेष क्षेत्र 1159.79 एकड़ क्षेत्रफल पर न तो कोई विकास अनुबन्ध हुआ है और न ही कोई विकास कार्य हुआ है। अविकसित क्षेत्रफल (958.85+1159.79 एकड़) 2118.64 एकड़ पर ₹. 16.95 करोड़ विस्तार शुल्क देय होगा। पुनरीक्षित डी.पी.आर. के अधीन स्वीकृत होने वाले

प्रथम विकास अनुबन्ध की तिथि से परियोजना अवधि में समयवृद्धि 05 वर्ष अनुमत्य किये जाने की संस्तुति की गयी।

उक्त प्रस्ताव पर उच्च स्तरीय समिति के निर्णय :—

शासनादेश दिनांक 07.04.2021 के प्राविधानों के क्रम में परियोजना की अवधि में 05 वर्ष की वृद्धि उच्च स्तरीय समिति के स्तर से निर्णय लिया जाना है। सम्यक विचारोपरान्त में 0 अंसल प्रापर्टीज एण्ड इन्फा०, लखनऊ की हाईटेक टाउनशिप परियोजना को पुनरीक्षित डी.पी.आर. के अधीन स्वीकृत होने वाले प्रथम विकास अनुबन्ध की तिथि अथवा अगले 06 माह की तिथि, जो भी पहले हो, से 05 वर्ष की समयवृद्धि प्रदान किये जाने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया। प्राधिकरण द्वारा समय विस्तार शुल्क की नियमानुसार गणना कराते हुए शुल्क उद्ग्रहीत किये जाने की कार्यवाही की जाय।

(कार्यवाही: उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण)

(6) विभाग द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव :—

शासनादेश दिनांक 07.04.2021 के प्रस्तर-7(8) के अनुसार हाईटेक टाउनशिप परियोजना का प्रत्येक चरण भौतिक एवं सामाजिक अवस्थापना सुविधाओं के प्राविधान के दृष्टि से 'सेल्फ-कन्ट्रोल' होगा। प्राधिकरण द्वारा अवगत कराया गया है में 0 अंसल प्रापर्टीज एण्ड इन्फा०, लखनऊ की हाईटेक टाउनशिप परियोजना के पुनरीक्षित डी.पी.आर. के अनुसार सम्पूर्ण परियोजना भौतिक एवं सामाजिक सुविधाओं की दृष्टि से 'सेल्फ-कन्ट्रोल' है। टाउनशिप के पूर्व अनुमोदित ले-आउट प्लान्स के अनुसार चूंकि विकास/निर्माण हो चुका है, अतः परियोजना का प्रत्येक चरण 'सेल्फ-कन्ट्रोल' नहीं है। विद्युत सब स्टेशन पूरे प्रोजेक्ट के लिये बनाई जानी है। पुनरीक्षित डी.पी.आर. के प्रस्तावों से विभाग सहमत है।

उक्त प्रस्ताव पर उच्च स्तरीय समिति के निर्णय :—

शासनादेश दिनांक 07.04.2021 के प्रस्तर-3(8) में प्राविधान में प्रत्येक चरण Self Contained होना स्पष्ट रूप से उल्लिखित है। तदनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की

जाय। यदि कोई Common बृहद् Infrastructure जैसे—विद्युत सब स्टेशन एक से अधिक चरणों के लिए प्राविधानित करना आवश्यक है, तो इसे शासनादेश में स्पष्ट कर दिया जाय।

(कार्यवाही: आवास एवं शहरी नियोजन विभाग/उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण)

(7) विभाग द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव :—

शासनादेश दिनांक 07.04.2021 के प्राविधानों के अनुसार परियोजना के अन्य विकास कार्यों की प्रगति के अनुपात में मूलभूत सुविधाओं का विकास/निर्माण किया जाए। प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध कराये गये विवरण के अनुसार परियोजना के पुनरीक्षित डी.पी.आर. के साथ “इम्प्लीमेंटेशन—शैड्यूल” प्रस्तुत किया गया है और विकास/निर्माण कार्यों हेतु वर्षवार लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। पुनरीक्षित डी.पी.आर. एवं मानचित्र अनुमोदन तथा परियोजना कियान्वयन के समय प्राधिकरण द्वारा अनुपातिक रूप से मूलभूत सुविधाओं का विकास सुनिश्चित कराया जाएगा। प्राधिकरण की उक्त आख्या उच्चस्तरीय समिति के अवलोकनार्थ प्रस्तुत किये जाने का प्रस्ताव किया गया।

उक्त प्रस्ताव पर उच्च स्तरीय समिति के निर्णय :—

अवगत।

(8) विभाग द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव :—

शासनादेश दिनांक 07.04.2021 के प्राविधानों के अनुसार परियोजना से अवमुक्त की जाने वाली भूमि पर अवैध निर्माण के नियन्त्रण हेतु प्राधिकरण द्वारा यह अभिमत दिया गया है कि अवमुक्त होने वाली भूमि पर इन्टीग्रेटेड टाउनशिप के विकास को प्रोत्साहित किया जाएगा। विकास प्राधिकरण द्वारा अपनी योजना प्रस्तावित की जाएगी। अन्य विकासकर्ताओं को योजनाएं विकसित करने हेतु प्रोत्साहित किया जाएगा। प्राधिकरण की उक्त आख्या उच्चस्तरीय समिति के अवलोकनार्थ प्रस्तुत किये जाने का प्रस्ताव किया गया।

उक्त प्रस्ताव पर उच्च स्तरीय समिति के निर्णय :-

अवगत ।

(9) विभाग द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव :-

शासनादेश दिनांक 07.04.2021 के प्राविधानों के अनुसार अवमुक्त भूमि के सापेक्ष विकासकर्ता को प्रदत्त सुविधाओं को वापस लेने अथवा उसके अन्तर्गत निहित धनराशि की वसूली के संबंध में विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि मे0 अंसल प्रापर्टीज एण्ड इन्फ्रा0, लखनऊ की हाईटेक टाउनशिप परियोजना को स्टाम्प/अर्जन शुल्क में तथा यू.पी.जे.ड.ए.एल.आर. अधिनियम के अधीन 12.5 एकड़ से अधिक भूमि संकरण हेतु अथवा अन्य कोई छूट प्रदान नहीं की गई है। परियोजना में कोई भी अर्जित/पुनर्ग्रहीत भूमि शामिल नहीं है तथा एस.सी./एस.टी. भूमि को क्य/पंजीकृत नहीं किया गया है। प्राधिकरण की उक्त आख्या उच्चस्तरीय समिति के अवलोकनार्थ प्रस्तुत किये जाने का प्रस्ताव किया गया।

उक्त प्रस्ताव पर उच्च स्तरीय समिति के निर्णय :-

अवगत ।

2. मे0 गर्व बिल्डटेक प्रार्टिली0, लखनऊ ।

(1) विभाग द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव :-

लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध कराये गये विवरण के अनुसार परियोजना का कुल अनुमोदित क्षेत्रफल—2700 एकड़ है, जिसमें 2009.44 एकड़ की प्रस्तावित कटौती के उपरान्त परियोजना का पुनर्निर्धारित क्षेत्रफल—690.56 एकड़ है। उक्त परियोजना में विकासकर्ता के स्वामित्व में 382.03 एकड़ भूमि है। शासनादेश दिनांक 07.04.2021 के प्राविधानों के अन्तर्गत भूमि अधिग्रहण के विरुद्ध स्थगनादेश, रिंग रोड एलाइन्मेन्ट में परिवर्तन के कारण अर्जन के माध्यम से भूमि जुटाव में कठिनाई होने के दृष्टिगत क्षेत्रफल में कटौती की गई है। पुनर्निर्धारित क्षेत्रफल निरन्तरता में है तथा क्षेत्रफल में की गई कटौती से विभाग सहमत है। विभाग की संस्तुति के क्रम में परियोजना के पूर्व अनुमोदित क्षेत्रफल में कटौती करते हुए मे0

गर्व बिल्डटेक प्रा०लि०, लखनऊ की हाईटेक टाउनशिप परियोजना के पुनर्निर्धारित क्षेत्रफल (690.56 एकड़) हेतु उच्च स्तरीय समिति से अनुमोदन प्रदान किए जाने की संस्तुति की गई है।

उक्त प्रस्ताव पर उच्च स्तरीय समिति के निर्णय :-

सम्यक विचारोपरान्त उच्च स्तरीय समिति द्वारा मे० गर्व बिल्डटेक प्रा०लि०, लखनऊ की हाईटेक टाउनशिप परियोजना के पुनर्निर्धारित क्षेत्रफल (690.56 एकड़) पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

(कार्यवाही: उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण)

(2) विभाग द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव :-

शासनादेश दिनांक 07.04.2021 के प्रस्तर-4(2) के प्राविधानों के कम में विकासकर्ता द्वारा परियोजना क्षेत्र से बाहर स्थित अतिरिक्त भूमि 20.51 एकड़ (2.97 प्रतिशत) को परियोजना में सम्मिलित किये जाने का प्रस्ताव किया गया जिसके अन्तर्गत विकासकर्ता के स्वामित्व में—18.26 एकड़ है। अवशेष 2.25 एकड़ भूमि पर विकासकर्ता का ज्वाइंट वेन्चर एग्रीमेन्ट है। शासनादेशों के प्राविधानों के कम में योजना क्षेत्र के बाहर स्थित विकासकर्ता के स्वामित्व और ज्वाइंट वेन्चर एग्रीमेन्ट से आच्छादित 20.51 एकड़ भूमि को पुनरीक्षित डी०पी०आर० में सम्मिलित किये जाने हेतु उच्च स्तरीय समिति से अनुमोदन प्रदान किये जाने की संस्तुति की गयी।

उक्त प्रस्ताव पर उच्च स्तरीय समिति के निर्णय :-

शासनादेश दिनांक 07.04.2021 में विकासकर्ता के स्वामित्व की भूमि को ही पुनरीक्षित डी०पी०आर० में सम्मिलित किये जाने का प्राविधान है। तदनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

(कार्यवाही: उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण)

(3) विभाग द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव :-

समय विस्तार शुल्क की गणना हेतु ग्रेडिंग मैट्रिक्स के आधार पर 65 प्रतिशत वेटेज

एवरेज प्राप्त करने वाली परियोजना के कुल क्षेत्रफल में से विकसित क्षेत्र को घटाते हुए अविकसित क्षेत्रफल पर समय विस्तार शुल्क लगाये जाने के संबंध में उपलब्ध कराये गये विवरण के अनुसार में 0 गर्व बिल्डटेक प्रा०लि०, लखनऊ की पूर्व स्वीकृत परियोजनावधि दिनांक 07.08.2021 तक थी। प्रथम विकास अनुबन्ध दिनांक 08.08.2011 को निष्पादित हुआ, जिसका कुल क्षेत्रफल 530.61 एकड़ है। मैट्रिक्स के आधार पर पर परियोजना के प्राप्तांक 42 हैं। प्राधिकरण द्वारा विकास/निर्माण कार्यों का भौके पर सत्यापन नहीं किया गया है परन्तु मैट्रिक्स के आधार पर प्राप्तांकों से सहमति व्यक्त की गयी है। प्राधिकरण के अनुसार परियोजना अवधि में समय विस्तार अपेक्षित नहीं है। अतः विस्तार शुल्क की देयता नहीं है। प्राधिकरण की उपरोक्त आख्या उच्च स्तरीय समिति के अवलोकनार्थ प्रस्तुत की गयी।

उक्त प्रस्ताव पर उच्च स्तरीय समिति के निर्णय :—

उच्च स्तरीय समिति के स्तर पर कोई निर्णय अपेक्षित नहीं है। प्राधिकरण द्वारा वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों से भौतिक सत्यापन कराकर नियमानुसार कार्यवाही की जाय।

(कार्यवाही: उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण)।

(4) विभाग द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव :—

परियोजना अवधि में समयवृद्धि हेतु मा० उच्च न्यायालय के स्थगनादेश/शासकीय अभिकरण की कार्यवाही के फलस्वरूप हुये विलम्ब हेतु जीरो पीरियड के निर्धारण के संबंध में प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध कराये गये विवरण के अनुसार में 0 गर्व बिल्डटेक प्रा०लि० का प्रथम विकास अनुबन्ध दिनांक 08.08.2011 के निष्पादन के उपरान्त जनवरी, 2012 में भूमि अर्जन की प्रक्रिया के विरुद्ध मा. उच्च न्यायालय द्वारा स्थगनादेश पारित किए जाने तथा अक्टूबर, 2014 में भू—अर्जन प्रक्रिया को निरस्त कर दिये जाने के कारण सम्पूर्ण योजना प्रभावित हुई। स्वीकृत योजना में दर्शित आउटर रिंग रोड के एलाइन्मेंट में बार—बार परिवर्तन होने के कारण वर्ष 2016 से 2019 तक योजना की संशोधित डी.पी.आर. दिनांक 5.1.2019 को स्वीकृत

हुई एवं तदोपरान्त ही स्थल पर विकास कार्य प्रारम्भ हुआ। वर्ष 2020-21 में कोविड-19 महामारी के कारण योजना प्रभावित रही। उपरोक्तानुसार परियोजना क्रियान्वयन में समय-समय पर उत्पन्न अवरोधों के दृष्टिगत उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या/संस्तुति के अनुक्रम में विभाग द्वारा 5 वर्ष का जीरो पीरियड अनुमन्य किये जाने की संस्तुति की गयी।

उक्त प्रस्ताव पर उच्च स्तरीय समिति के निर्णय :-

जीरो पीरियड के निर्धारण हेतु मा० न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के क्रम में बाधित क्षेत्र एवं अवधि, नियामक/शासकीय कार्यवाही के फलस्वरूप हुये विलम्ब सहित विभिन्न आवश्यक तथ्यों का सम्यक परीक्षण/पुष्टि शासन स्तर पर किया जाना अत्यन्त समयसाध्य प्रक्रिया है अतएव सम्यक विचारोपरान्त यह उचित पाया गया कि समस्त अभिलेखों/आदेशों का परीक्षण करते हुए जीरो पीरियड के निर्धारण का निर्णय विकासकर्ता द्वारा आवेदन किये जाने की दिनांक से विलम्बतम 02 माह के भीतर वर्तमान नीति के अन्तर्गत प्राधिकरण बोर्ड के स्तर से लिया जाय और कृत कार्यवाही की सूचना शासन को उपलब्ध करायी जाय।

(कार्यवाही: उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण)

(5) विभाग द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव :-

अविकसित क्षेत्रफल पर रु० 80000 प्रति एकड़ समय विस्तार शुल्क आरोपित करते हुए अधिकतम 05 वर्ष की समयवृद्धि प्रदान किये जाने के संबंध में अवगत कराया गया कि मे० गर्व बिल्डटेक प्रा०लि०, लखनऊ की हाईटेक टाउनशिप परियोजना का प्रथम विकास अनुबन्ध दिनांक 08.08.2011 को निष्पादित हुआ, जिसके कारण परियोजना अवधि दिनांक 07.08.2021 तक थी। 05 वर्ष का जीरो पीरियड अनुमन्य होने की दशा में अतिरिक्त समय वृद्धि अपेक्षित नहीं है। विकासकर्ता द्वारा समय वृद्धि बढाये जाने की मांग नहीं किये जाने के कारण समय

विस्तार शुल्क की देयता नहीं बनती है। प्राधिकरण की उपरोक्त आख्या उच्च स्तरीय समिति के अवलोकनार्थ प्रस्तुत की गयी।

उक्त प्रस्ताव पर उच्च स्तरीय समिति के निर्णय :—

उच्च स्तरीय समिति के स्तर पर कोई निर्णय अपेक्षित नहीं है। विभाग द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जाय।

(कार्यवाही: उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण)

(6) विभाग द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव :—

उल्लेखनीय है कि शासनादेश दिनांक 07.04.2021 के प्रस्तर—7(8) के अनुसार हाईटेक टाउनशिप परियोजना का प्रत्येक चरण भौतिक एवं सामाजिक अवरथापना सुविधाओं के प्राविधान के दृष्टि से 'सेल्फ-कन्ट्रोल' होगा। प्राधिकरण द्वारा अवगत कराया गया है मे0 गर्व बिल्डटेक प्रा0लि0, लखनऊ की हाईटेक टाउनशिप परियोजना पुनरीक्षित डी.पी.आर. के अनुसार सम्पूर्ण परियोजना तथा उसका प्रत्येक चरण भौतिक एवं सामाजिक सुविधाओं की दृष्टि से 'सेल्फ-कन्ट्रोल' है। प्राधिकरण की उपरोक्त आख्या उच्च स्तरीय समिति के अवलोकनार्थ प्रस्तुत की गयी।

उक्त प्रस्ताव पर उच्च स्तरीय समिति के निर्णय :—

उच्च स्तरीय समिति के स्तर पर कोई निर्णय अपेक्षित नहीं है। प्राधिकरण द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जाय।

(कार्यवाही: उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण)

(7) विभाग द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव :—

शासनादेश दिनांक 07.04.2021 के प्राविधानों के अनुसार परियोजना के अन्य विकास कार्यों की प्रगति के अनुपात में मूलभूत सुविधाओं का विकास/निर्माण किया जाए। प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध कराये गये विवरण के अनुसार परियोजना के पुनरीक्षित डी.पी.आर. के साथ "इम्पलीमेंटेशन—शेड्यूल" प्रस्तुत किया गया है और विकास/निर्माण कार्यों हेतु वर्षावार लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। पुनरीक्षित डी.पी.आर. एवं मानचित्र अनुसोदन तथा परियोजना क्रियान्वयन के समय प्राधिकरण द्वारा

अनुपातिक रूप से मूलभूत सुविधाओं का विकास सुनिश्चित कराया जाएगा। प्राधिकरण की उक्त आख्या उच्चस्तरीय समिति के अवलोकनार्थ प्रस्तुत किये जाने का प्रस्ताव किया गया।

उक्त प्रस्ताव पर उच्च स्तरीय समिति के निर्णय :—

उच्च स्तरीय समिति के स्तर पर कोई निर्णय अपेक्षित नहीं है। प्राधिकरण द्वारा शासनादेश दिनांक 07.04.2021 के अनुसार नियमानुसार कार्यवाही की जाय।

(कार्यवाही: उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण)

(8) विभाग द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव :—

शासनादेश दिनांक 07.04.2021 के प्राविधानों के अनुसार परियोजना से अवमुक्त की जाने वाली भूमि पर अवैध निर्माण के नियन्त्रण हेतु प्राधिकरण द्वारा यह अभिमत दिया गया है कि अवमुक्त होने वाली भूमि पर इन्टीग्रेटेड टाउनशिप के विकास को प्रोत्साहित किया जाएगा। विकास प्राधिकरण द्वारा अपनी योजना प्रस्तावित की जाएगी। अन्य विकासकर्ताओं को योजनाएं विकसित करने हेतु प्रोत्साहित किया जाएगा। प्राधिकरण की उक्त आख्या उच्चस्तरीय समिति के अवलोकनार्थ प्रस्तुत किये जाने का प्रस्ताव किया गया।

उक्त प्रस्ताव पर उच्च स्तरीय समिति के निर्णय :—

उच्च स्तरीय समिति के स्तर पर कोई निर्णय अपेक्षित नहीं है। प्राधिकरण द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जाय।

(कार्यवाही: उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण)

(9) विभाग द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव :—

शासनादेश दिनांक 07.04.2021 के प्राविधानों के अनुसार अवमुक्त भूमि के सापेक्ष विकासकर्ता को प्रदत्त सुविधाओं को वापस लेने अथवा उसके अन्तर्गत निहित धनराशि की वसूली के संबंध में प्राधिकरण द्वारा अवगत कराया गया है कि मे0 गर्व बिल्डटेक प्रा0लि0, लखनऊ की हाईटेक टाउनशिप परियोजना को रसाय्य/अर्जन शुल्क में कोई छूट प्रदान नहीं की गई है। यू.पी.जे.ड.ए.एल.आर. एक्ट

के अधीन 12.5 एकड़ से अधिक भूमि संकरण हेतु शासनादेश संख्या—1425/एक—1/2010, दिनांक 21.7.2010 के माध्यम से दी गई छूट से आच्छादित लगभग—175 एकड़ भूमि शामिल है। विकासकर्ता के पक्ष में कोई भूमि अधिग्रहीत नहीं हुई है। विकासकर्ता के पक्ष में 119.95 एकड़ भूमि पुनर्ग्रहीत है तथा परियोजना के अन्तर्गत अनु सूचित जाति/जन जाति से क्य की गयी 05 एकड़ भूमि शामिल है। विकासकर्ता को उपरोक्तानुसार प्रदत्त विभिन्न सुविधाओं/छूटों से आच्छादित भूमि के संबंध में राजस्व विभाग/स्टाम्प विभाग से परामर्श प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही किये जाने हेतु उच्च स्तरीय समिति से अनुमोदन प्रदान किये जाने का प्रस्ताव किया गया।

उक्त प्रस्ताव पर उच्च स्तरीय समिति के निर्णय :—

अवमुक्त भूमि के संबंध में राजस्व विभाग तथा स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग से परामर्श प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

(कार्यवाही: आवास एवं शहरी नियोजन विभाग/राजस्व विभाग/स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग)

10— अन्य सभी हाईटेक टाउनशिप परियोजनाओं हेतु जीरो पीरियड के निर्धारण के संबंध में मा० न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के कम में बाधित क्षेत्र एवं अवधि, नियामक/शासकीय कार्यवाही के फलस्वरूप हुये विलम्ब सहित विभिन्न आवश्यक तथ्यों का सम्यक परीक्षण/पुष्टि शासन स्तर पर किया जाना अत्यन्त समयसाध्य प्रक्रिया है अतएव उच्च स्तरीय समिति द्वारा सम्यक विचारोपरान्त उचित पाया गया कि समस्त अभिलेखों/आदेशों का परीक्षण करते हुए जीरो पीरियड के निर्धारण का निर्णय विकासकर्ता द्वारा आवेदन किये जाने की दिनांक से विलम्बतम 02 माह के भीतर प्राधिकरण बोर्ड के स्तर से लिया जाय और कृत कार्यवाही की सूचना शासन को उपलब्ध करायी जाय।

(कार्यवाही: उपाध्यक्ष, समस्त संबंधित विकास प्राधिकरण)

11— विभाग द्वारा प्रस्ताव किया गया कि हाईटेक टाउनशिप परियोजना की अवधि समाप्त होने के पश्चात नीति के अभाव के कारण परियोजना अवधि न बढ़ाये जा

सकने की दशा में पुनः नीति निर्धारित होने तक की नोशनल (Notional) अवधि को परियोजना हेतु प्रदान की गयी समयवृद्धि में न जोड़ा जाय। उक्त प्रक्रिया/व्यवस्था यथा अपेक्षित सभी हाईटेक टाउनशिप पर प्रभावी की जाय। इस सम्बन्ध में विभाग द्वारा नीतिगत निर्णय सक्षम स्तर से लेकर अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

(कार्यवाची: आतंस एवं शाहरी नियोजन विभाग / उपाध्यक्ष, समस्त संबंधित विकास प्राधिकरण)

12— हाईटेक टाउनशिप परियोजनाओं की भूमि के संबंध में सक्षम न्यायालयों के आदेशों तथा जीरो पीरियड हेतु उल्लिखित कारणों का गहराई से परीक्षण कर लिया जाय और प्राधिकरण द्वारा यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि स्थगनादेश से आच्छादित भू-खण्ड के कारण अन्य क्षेत्र को विकसित किये जाने में किस प्रकार की बाधा रही है। संबंधित प्राधिकरण द्वारा मैट्रिक्स के आधार पर प्रस्तुत विकसित एरिया का भौतिक सत्यापन विभाग/प्राधिकरण के वरिष्ठ प्रशासनिक/तकनीकी अधिकारियों की टीम गठित कर कराया जाय।

(कार्यवाही: उपाध्यक्ष, समस्त संबंधित विकास प्राधिकरण)

13— निररत की गयी परियोजनाओं तथा क्रियाशील परियोजनाओं से अवमुक्त भूमि के संबंध में यू०पी०जे०ड०ए०आर० एकट के अन्तर्गत 12.5 एकड़ से अधिक भूमि एकत्र किये जाने हेतु प्रदान की गयी छूट, 10 प्रतिशत अर्जन शुल्क में विकासकर्ता को प्रदत्त छूट की वापसी एवं पुनर्ग्रहीत भूमि के संबंध में अग्रेतर कार्यवाही हेतु अभिमत प्राप्त किये जाने के संबंध में पत्रावली राजस्व विभाग को तत्काल प्रेषित कर दी जाय। राजस्व विभाग द्वारा सुविचारित परामर्श 07 दिन में उपलब्ध कराया जाय।

(कार्यवाही: आवास एवं शहरी नियोजन विभाग / राजस्व विभाग)

14— शेष क्रियाशील हाईटेक टाउनशिप परियोजनाओं के सुविचारित प्रस्ताव अतिशीघ्र उच्च स्तरीय समिति के निर्णय हेतु प्रस्तुत किये जाय।

(कार्यवाही: आवास एवं शहरी नियोजन विभाग / संबंधित भंडलायुक्त / संबंधित उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण)

उच्च स्तरीय समिति द्वारा उक्त कार्यवाही शीर्ष प्राथमिकता के आधार पर कराये जाने के निर्देश दिये गये।

अन्त में धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक सम्पन्न हुई।

दीपक कुमार
प्रमुख सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग—3
संख्या—3309 /आठ—3—21—227 विविध /2011

लखनऊ : दिनांक : 23 नवम्बर, 2021

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2. अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
3. प्रमुख सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी, उत्तर प्रदेश शासन।
4. अपर मुख्य सचिव, कर एवं निबन्धन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
5. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
6. अपर मुख्य सचिव, राजस्व विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
7. अपर मुख्य सचिव, नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
8. प्रमुख सचिव, रस्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
9. आवास आयुक्त, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ
10. आयुक्त, लखनऊ, प्रयागराज, मेरठ, एवं आगरा मण्डल।
11. जिलाधिकारी, गाजियाबाद, लखनऊ, मथुरा, बुलन्दशहर, गौतमबुद्ध नगर एवं प्रयागराज।
12. उपाध्यक्ष, गाजियाबाद लखनऊ, मथुरा—वृन्दावन, बुलन्दशहर, वाराणसी, कानपुर, आगरा एवं प्रयागराज विकास प्राधिकरण।
13. सचिव, उ०प्र० भू—सम्पदा विनियामक प्राधिकरण, लखनऊ।
14. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ०प्र० लखनऊ।
15. निदेशक, आवास बन्धु, उ०प्र० लखनऊ।
16. हाईटेक टाउनशिप विकासकर्ता द्वारा संबंधित विकास प्राधिकरण विकासकर्ता।
17. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,


(अजय कुमार सिंह)
उप सचिव।

प्रेषक,

दीपक कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

उपाध्यक्ष,
लखनऊ, गाजियाबाद, बुलन्दशहर, प्रयागराज
तथा मधुरा-वृन्दावन विकास प्राधिकरण।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-3

लखनऊ: दिनांक: 16 दिसंबर, 2021

विषय:- क्रियाशील हाईटेक परियोजनाओं को पूर्ण किये जाने हेतु निर्धारित हाईटेक टाउनशिप नीति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-1128/आठ-3-21-227 विविध/2011 टी.सी., दिनांक 07.04.2021 एवं उच्च स्तरीय समिति की सम्पन्न बैठक के कार्यक्रम संख्या-3309/आठ-3-21-227 विविध/2011, दिनांक 23.11.2021 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उल्लेखनीय है कि प्रदेश में कार्यशील हाईटेक परियोजनाएँ के संबंध में हाईटेक टाउनशिप नीति के अधीन मुख्य सचिव, उपर्युक्त शासन की अध्यक्षता में आठित उच्च स्तरीय समिति की सम्पन्न बैठक दिनांक 02.11.2021 का कार्यवृत्त शासन के उक्त पत्र दिनांक 23.11.2021 के द्वारा निर्गत किया गया है।

3- प्रश्नगत प्रकरण में मुझे कहने का निर्देश हुआ है कि दिनांक 02.11.2021 को सम्पन्न उच्च स्तरीय समिति की बैठक में दिये गये निर्देशों, लखनऊ विकास प्राधिकरण तथा गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध कराये गये सुझावों पर सम्मानित विचारांपरान्त तथा हाईटेक टाउनशिप परियोजनाओं को पूर्ण किये जाने के उद्देश्य से उक्त शासनादेश दिनांक 07.04.2021 द्वारा निर्धारित की गयी नीति के क्रम में नीति के व्यवहारिक रूप से क्रियान्वयन एवं स्पष्टता हेतु निम्नलिखित बिन्दुओं के अनुसार कार्यवाही किये जाने का निर्णय लिया गया है:-

(1) व्यवहारिक रूप से क्रियान्वयन की वृष्टि से परिमार्जित एवं और अधिक स्पष्ट करते हुये शासनादेश दिनांक 07.04.2021 के प्रस्तर-3(8) के अन्तर्गत उल्लिखित "परियोजना का प्रत्येक चरण भौतिक एवं सामाजिक अवस्थापना सुविधाओं के प्राविधान की वृष्टि से सेल्फ कन्ट्रोल होगा" को 'परियोजना का प्रत्येक चरण भौतिक सुविधाओं जैसे- बिजली, जलापूर्ति, सड़क, मार्ग प्रकाश, सीवर लाइन व डेनज आदि से परिपूर्ण होगा' पढ़ा जाय और तदनुसार कार्यवाही की जाय।

(2) हाईटेक टाउनशिप परियोजना अवधि समाप्त होने के पश्चात् अत्र तर समयबद्धि हेतु नीति में व्यवस्था नहीं होने के कारण परियोजना अवधि न बढ़ाये जा सकने की दशा में पुनः नीति निर्धारित होने तक की नोशनल अवधि को परियोजना हेतु प्रदान की गयी समयबद्धि में न जोड़ा जाय।

(3) परियोजना के अनुसोदित क्षेत्रफल के बाहर की 10 प्रतिशत भूमि को डी.पी.आर. में सम्मिलित किये जाने की अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान की जाय कि विकासकर्ता द्वारा प्रथम विकास अनुबन्ध होने के समय तक उक्त भूमि का स्वामित्व प्राप्त कर लिया जायेगा। तदनुसार डी.पी.आर. की स्वीकृति के संबंध में नियमानुसार कार्यवाही सम्पादित की जाय।

(4) क्रियाशील हाईटेक टाउनशिप परियोजनाओं के डिटेल्ड ले-आउट प्लान स्वीकृत किये जाते समय विजली घर, एस.टी.पी., ट्यूबवेल/पानी की टंकी के प्रस्ताव विकासकर्ता के स्वामित्व की भूमि पर होना आवश्यक है।

(5) हाईटेक टाउनशिप परियोजनाओं हेतु जीरो पीरियड के निर्धारण के संबंध में मात्र न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के क्रम में बाधित क्षेत्र एवं अवधि, नियामक/शासकीय कार्यवाही के फलस्वरूप हुये विलम्ब सहित विभिन्न आवश्यक तथ्यों का सम्यक परीक्षण/पुष्टि शासन स्तर पर किया जाना अत्यन्त

1- यह शासनादेश उल्लेखनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

समयसाध्य प्रक्रिया है। अतएव समस्त अभिलेखों/आदेशों का परीक्षण करते हुए जीरो पीरियड के निर्धारण का निर्णय विकासकर्ता द्वारा आवेदन किये जाने की दिनांक से विलम्बतम 45 दिन के भीतर प्राधिकरण बोर्ड के स्तर से लिया जाय और कृत कार्यवाही की सूचना शासन को उपलब्ध करायी जाय। प्राधिकरण बोर्ड के स्तर से लिया जाय और कृत कार्यवाही की सूचना शासन को उपलब्ध करायी जाय।

(6) हाइटेक टाउनशिप परियोजना के अन्तर्गत अपूर्ण सङ्कोचों/महायोजना मार्गों को पूर्ण कराये जाने हेतु विकासकर्ता द्वारा स्वयं के प्रयासों से भूमि जुटाव न हो पाने की दशा में प्राधिकरण बोर्ड की अनुमति प्राप्त कर विकासकर्ता द्वारा स्वेच्छा से विद्यमान भू-अर्जन अधिनियम के अधीन ऐसी भूमि के अर्जन की नियमानुसार कार्यवाही की जा सकेगी। ऐसी स्थिति में भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही लम्बित होने अथवा अर्जन की कार्यवाही में किसी कारण से विलम्ब होने के आधार पर विकासकर्ता द्वारा परियोजना की समयवृद्धि हेतु मांग नहीं की जायेगी, न ही उन्हें कोई समयवृद्धि या अन्य कोई छूट दी जायेगी। ऐसे विलम्ब के लिये विकासकर्ता स्वयं उत्तरदायी होगा।

कृपया उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें।

भवदीय,
दीपक कुमार
प्रमुख सचिव।

संखा-35/2021/3463(1)/आठ-3-21-227 विविध/2011
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. अध्यक्ष/मण्डलायुक्त, सम्बन्धित विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
2. संबंधित जिलाधिकारी।
3. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4. निदेशक, आवास बन्धु, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. हाइटेक टाउनशिप विकासकर्ता द्वारा संबंधित विकास प्राधिकरण।
6. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
अजय कुमार सिंह
उप सचिव।

हाथनकु विकास क्षेत्र के अन्तर्गत मेसर्स्मी औमेक्सा गर्व बिल्डटेक प्राइलो की हाईटेक टाउनशिप पर आमंत्रित आपत्ति / सुझाव के संबंध में दिनांक

23.03.2022 को शासन द्वारा गठित समिति द्वारा की गयी सुनवाई का कायदृत।

समिति द्वारा शासनादेश दिनांक 1128 /आठ-३-२१-२२७विधि /२०११टी.सी. दिनांक 07.04.2021 के क्रम में मेसर्स औमेक्स गर्व बिल्डटेक प्राइलि० द्वारा प्रस्तुत योजना प्रस्ताव पर हाईटेक टाउनशिप निति के अधीन मुख्य संचिव ००५० शासन की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय समिति की दिनांक 02.11.2021 के उपर ००५० शासन आवास एवं शहरी नियोजन अनुग्रह ३ के पत्र संख्या-३३०९ /आठ-३-२१-२२७विधि /२०११ दिनांक 23.11.2021 एवं समय-समय पर शासन द्वारा हाईटेक टाउनशिप योजनाओं के निर्णत सुमंगल शासनादेशों के आलोक में प्राधिकरण द्वारा योजना के स्वीकृत तालपट मानचित्र पर हुए विचलन के क्रम में जन सामाज्य से आमन्ति / सुझाव आमन्त्रित किये जाने हेतु दैनिक समाचार पत्र दैनिक जाराण एवं विन्दुस्तान टाइप्स में दिनांक 05.01.2022 को तिथि 14.03.2022 निर्धारित की गयी थी, जिस पर अपरिहार्य कारणोंबाला सुनवाई एवं समिति होने के कारण पुनः दिनांक 23.03.2022 को लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ के गोमती नगर स्थित कार्यालय के हितिय तल स्थित मसजद हाल में सुनवाई की गयी। सुनवाई में उपस्थिति संतुलन है (संतुलनक-१)। प्राप्त आपत्तियों पर समिति का अभियान निम्नवर्त है :-

समिति की अधिकृति						
आपत्ति / सुझाव का विवरण						
<p>पता</p> <p>नाम शिवसागर प्रधान दिनांक 1.2.22 मारी, सरोजनी नार, लखनऊ।</p> <p>पता</p> <p>नाम शिवसागर प्रधान दिनांक 1.2.22 मारी, सरोजनी नार, लखनऊ।</p>	<p>ग्राम—कल्ली परिचम भारी आदि लखनऊ सरोजनी नगर जिला लखनऊ की भूमि पर गर्व विलेटक प्राठील० द्वारा प्रस्तुत संशोधित डी.पी.आर./विचास मानचित्र पर आपत्ति प्रस्तुत किये जाने के संबंध में।</p> <p>उपरोक्त परिचम लखनऊ—यशवर्णी शेड पर ग्राम कल्ली परिचम, भारी आदि लखनऊ सरोजनी नगर जिला लखनऊ की भूमि पर पूर्व में स्थीकृत डी.पी.आर./विचास मानचित्र में विकास करता द्वारा कल्पित संशोधन आपत्तिया बलहीन पाये जाने के कारण निषेपित की प्रस्तुत किया गया है। महोदय में विद्युतवार आपका ध्यान आकर्षण करना चाहूँगा।</p>					
<p>ग्राम—कल्ली परिचम भारी आदि लखनऊ सरोजनी नगर जिला लखनऊ की भूमि पर गर्व विलेटक प्राठील० द्वारा प्रस्तुत संशोधित डी.पी.आर./विचास मानचित्र पर आपत्ति प्रस्तुत किये जाने के संबंध में।</p> <p>विन्दु संख्या—1 लग्नियां० द्वारा पूर्व में 2700 एकड़ भूमि पर खंडकृति डी.पी.आर./विचास मानचित्र में 60मी०, 45मी०, 30मी० चौड़े नारों की प्रस्तुत की गयी थी। उक्त नारों को महायोजना-2031 में भी दर्ज कर दिया जा चुका है। यहाँ विकासकर्ता द्वारा उपनी सुविधावासर मार्ग की प्रस्तुतवाना की गई है। अतः उक्त महायोजना नारों का विकासकर्ता द्वारा किया जाए। अन्यथा नारों को जन सामाज्य के हितों को देखते हुए पुनः नियोजन कर सके। विकासकर्ता या तो विकासकर्ता द्वारा नियोजन कर सके।</p> <p>ग्रामवासी अपनी भूमिका सही पूर्व उल्लंघन विकास कर सके।</p> <p>विन्दु संख्या—2 ग्राम भारी को सीआरपीएफ द्वारा हाथ से जोड़ने वाली कुछ मार्ग की पूर्ण स्थीकृति डी.पी.आर. में दर्शाया नहीं गया है। जो कि वर्तमान में आपामन हूँसुख मार्ग है। उसके द्वारा नारों के नियोजन कर सके। अतः उक्त नारों को विकासकर्ता के द्वारा प्रस्तुत विन्दुओं के द्वारा प्रस्तुत नियोजन से बाहर हो गई है अब पहुँच मार्ग किस तरह संशोधित होगा। या प्रश्न विचारणीय है।</p> <p>विन्दु संख्या—3 ग्राम भारी की समस्त ग्राम समाज की जमीन चक नारी व तरी गर्व विलेटक को लीज डी.डी.एम से हरकानांतरित की जा चुकी है। उक्त ग्राम समाज की जमीन का विकासकर्ता से मुक्त करए जाने हेतु किस तरह और कव कार्यवाही की जाएगी। अतः महोदय आपसे विन्दु नियोजन है कि कृपया उपरोक्त विन्दुओं को निरकरण किया दिए जाने के पश्चात ही संशोधित डी.पी.आर./विचास मानचित्र खंडकृति किया जाए।</p>	<p>वर्तमान में प्रस्तुत मानचित्र प्रामाणी महायोजना-2031 के प्राचिनाने एवं हाइटेक लाइनशिप हेतु शासन द्वारा निर्धारित भानकों के अनुसार होने के द्विटांत समस्त योजना समाज/सरकारी भूमि के संबंध में यास निर्णय लिया जायेगा। उक्त का पालन किया जाना आपत्तियां बलहीन पाये जाने के कारण निषेपित की जाती है।</p> <p>ग्राम—मारी कल्ली परिचम भारी आदि लखनऊ सरोजनी नगर जिला लखनऊ की भूमि पर पूर्व विलेटक (आगेकर, प्राठील०) द्वारा प्रस्तुत संशोधित डी.पी.आर. मानचित्र पर आपत्ति प्रस्तुत किये जाने के संबंध में।</p>					
<p>पता</p> <p>नाम शिवसागर प्रधान दिनांक 1.2.22 मारी, सरोजनी नार, लखनऊ।</p> <p>पता</p> <p>नाम शिवसागर प्रधान दिनांक 1.2.22 मारी, सरोजनी नार, लखनऊ।</p>	<p>ग्राम—मारी कल्ली परिचम भारी आदि लखनऊ सरोजनी नगर जिला लखनऊ की भूमि पर गर्व विलेटक लखनऊ संख्या—रायबरेली रोड पर ग्राम कल्ली परिचम, ग्राम सभा वा मारी सभा की भूमि पर पूर्व विलेटक महोदय।</p> <p>उपरोक्त विन्दु परिचम भारी आदि लखनऊ सरोजनी नगर जिला लखनऊ संशोधित विचास मानचित्र पर आपत्ति प्रस्तुत किया गया है।</p> <p>विन्दु संख्या—2700 एकड़ भूमि को समाप्त करके 690.56 एकड़ भूमि का मानचित्र प्रस्तुत किया गया है। महोदय में आपका बिन्दुवार आपका आनन्दकरण करना चाहता है।</p> <p>लग्नियां० द्वारा पहले 2700 एकड़ भूमि पर विकासकर्ता द्वारा 60मी०, 45मी०, 30मी० चौड़े मार्गों को प्रस्तुत किया गया था। उक्त नारों के महायोजना-2031 में स्थीकृत किया गया था।</p> <p>लेकिन विकासकर्ता 2700 एकड़ से नियोजन है कि उक्त मार्गों को विकासकर्ता द्वारा निर्माण कराया जाय। अतः श्रीमान जी से नियोजित विकासकर्ता द्वारा जाय।</p>					

2.	विकासकर्ता द्वारा पहुंच में स्वीकृत डी.पी.आर. में सीआरपीएफ चौराहे से मोहनलालगंज मार्ग दर्शाया नहीं गया है। जो कि कई गांवों को तुम्हारा मार्ग है। उसके खान पर अन्य महारेजना मार्ग को विकासकर्ता द्वारा डीपीआर में प्रस्तुत किया गया है। जो कि अब डीपीआर संशोधित हो जाने के पश्चात इन मार्गों का कोई औद्योगिक नहीं रह जाता है।	वासियों का अब पहुंच मार्ग विक्रम तरह सुनिश्चित होगा। यह एक सोलन निवेदन है कि ग्राम वासियों व उवत मार्ग से गुजरने वाले अन्य ग्राम अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि ग्राम वासियों व उवत मार्ग से गुजरने वाले अन्य ग्राम वासियों का अब पहुंच मार्ग भवित्व संभाजी नगर की समस्त ग्राम समाज चक्रवार्ता व नाली की पूनि गर्व बिल्डेटक प्रौद्योगिक को लोअर ईड के माध्यम से दी गयी है। विकासकर्ता द्वारा नवे डीपीआर में माली के विकास की योजना नहीं।		
3.	विकासकर्ता द्वारा ग्राम माली तहसील सभाजी नगर की समस्त ग्राम समाज चक्रवार्ता व नाली की पूनि गर्व बिल्डेटक प्रौद्योगिक को लोअर ईड के माध्यम से दी गयी है। विकासकर्ता द्वारा नवे अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि उवत भूमि को विकासकर्ता से मुक्त करने का काढ़ करें।	अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि उवत भूमि को विकासकर्ता से मुक्त करने का काढ़ करें।		

उपरोक्तानुसार प्रस्तुत तलापट मानचित्र उल्पान शासन की हाईटेक टाउनशिप नीति के अधीन निर्धारित प्रक्रिया पूर्ण करते हुए स्वीकृत किये जाने की समिति अनुशासा करती है।

संलग्नक—उपरोक्तानुसार।

(नितिन मित्तल)	मुख्य नगर नियोजक लालनऊ विकास प्राधिकरण	(दाओ महेन्द्र कुमार मिश्र) अपर आयुक्त
(अनुप कुमार श्रीवारसव)	मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक नगर एवं ग्राम विकास प्राधिकरण	(पवन कुमार गंगवार) सचिव
(कड़.डी. चौहान)	प्रतिनिधि—नगर आयुक्त, नगर नियम	प्रतिनिधि—नगर आयुक्त, नगर नियम मानचित्र स्वीकृत करते समय समाहित किया जाता है। अपर आयुक्त तलापट मानचित्र से संरक्षित नहीं होने के कारण आपत्ति निर्देशित की जाती है। शेष उम्मीदों को विकासकर्ता द्वारा अपनी योजना के मानचित्र स्वीकृत करते समय समाहित किया जाता है। जोन-4 से जोन-5 के मध्य पहुंच गया है।

१३

प्रस्ताव :- सी0जी0 सिटी (चकनगरिया) योजना में विभिन्न भू-उपयोग के भूखण्डों की दरों को फ्रीज किये जाने के निर्णय दिनांक-15.12.2021 को समाप्त/निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में।

विषय वस्तु :- सी0जी0 सिटी योजना के विभिन्न भू-उपयोग के भूखण्डों का ई-आक्षण के माध्यम से विक्रय किये जाने हेतु वर्ष 2016 से 2021 तक 11 बार विज्ञापन प्रकाशित किया गया किन्तु मात्र 2 भूखण्ड का ही निस्तारण हो सका उक्त के दृष्टिगत भूखण्डों की मॉग न होने के कारण लखनऊ विकास प्राधिकरण की 172 वीं बोर्ड बैठक दिनांक-15.01.2021 को अनुपूरक विषय के बिन्दु संख्या-172/01 पर सी0जी0 सिटी के भूखण्डों की दरों को फ्रीज किये जाने का निर्णय लिया गया है जिनका विवरण निम्नलिखित है-

क्रमांक	भू-उपयोग	आरक्षित दर वर्गमीटर में
1.	व्यवसायिक हेतु	40700.00
2.	ग्रुप हाउसिंग हेतु	30525.00
3.	कार्यालय/संरक्षण हेतु	30525.00
4.	होटल हेतु	30525.00
5.	मिश्रित भू-उपयोग	35613.00

वर्तमान मे पुनः ई-आक्षण कर भूखण्डों के विक्रय का प्रयास किया जा रहा है। बड़े भूखण्ड का ई-आक्षण में विक्रय/निस्तारण होने की सम्भावना है, इसलिये दिनांक-15.12.2021 को सी0जी0 सिटी की दरों को फ्रीज किये जाने के निर्णय को समाप्त/निरस्त कर दिया जाय, जिससे भूखण्डों का आक्षण के माध्यम से निस्तारण किया जा सकें।

अतः तदनुसार प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष विचारार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

(गोपनीय)
गोपनीय
21/01/2022

**लखनऊ विकास प्राधिकरण बोर्ड की 173वीं बैठक दिनांक 09.05.2022
में विचारणीय अनुपूरक विषय सूची**

क्र0	विषय	पृ०सं०
01.	स्व0 श्री श्रीराम कश्यप, बेलदार की सेवाकाल के दौरान चिकित्सा पर व्यय धनराशि को इनकी पत्नी को प्रतिपूर्ति किये जाने के सम्बन्ध में।	01
02.	श्री हरि प्रसाद, प्लम्बर की चिकित्सा पर व्यय धनराशि की प्रतिपूर्ति किये जोन के सम्बन्ध में।	28
03.	मा0 राष्ट्रीय हरित अभिकरण (एनजीटी) नई दिल्ली में विचाराधीन ३००ए० संख्या—११६/२०१४ एवं ६३७/२०१८ से आच्छादित नमामि गंग योजना में डीपीआर पल्युशन अबेटमेंट ऑफ रिवर गोमती लखनऊ (फेज-३) विचरण हेतु लखनऊ नगर में नये विकसित नालों के डायवर्जन हेतु एसपीएस के लिए भूमि उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।	55
04.	कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर में प्रभावित आवंटियों को माह अप्रैल 2021 से मई 2021 तक के समय अवधि को शून्य मानकार गणना किये जाने के सम्बन्ध में।	58

विषय: स्व० श्री श्रीराम कश्यप, बेलदार की सेवाकाल के दौरान चिकित्सा पर व्यय धनराशि इनकी पत्नी को प्रतिपूर्ति किये जाने के सम्बन्ध में।

श्रीमती सुधा कश्यप पत्नी स्व० श्री श्रीराम कश्यप द्वारा अपने पति की कोरोना (कोविड-19) की चिकित्सा पर व्यय की गई धनराशि से सम्बन्धित बिल रु०-7,76,416.00 की प्रतिपूर्ति विभाग द्वारा किये जाने का प्रस्ताव प्राधिकरण की बोर्ड बैठक दिनांक 15.12.2021 में प्रस्तुत किया गया था, जिसके सम्बन्ध में प्राधिकरण बोर्ड द्वारा पुनर्परीक्षण हेतु प्रस्ताव स्थगित किया गया था। लखनऊ विकास प्राधिकरण बोर्ड की 160वीं बोर्ड बैठक दिनांक 26.12.2016 के विषय संख्या: 11 पर सम्यक विचारोपन्त उ०प्र०सरकारी सेवक (चिकित्सा परिचयी) नियमावली-2011 को अंगीकृत किया जा चुका है। 'पताका-क'

अवगत कराना है कि श्री श्रीराम कश्यप पुत्र श्री राम भरोसे, लखनऊ विकास प्राधिकरण में बेलदार के पद पर कार्यरत हैं और इनका आकस्मिक निधन दिनांक 05.05.2021 को कोरोना (कोविड-19) से हो चुका है। इनकी पत्नी श्रीमती सुधा कश्यप द्वारा अपने पति की कोरोना (कोविड-19) की चिकित्सा पर व्यय की गई धनराशि से सम्बन्धित बिल रु०-7,76,416.00 विभाग को उपलब्ध कराये गये हैं जिसे परीक्षण/प्रतिहस्ताक्षरित हेतु मुख्य चिकित्साधिकारी, लखनऊ को कार्यालय पत्र संख्या:-409 / सा०प्र० / 2021 दिनांक 09.07.2021 द्वारा प्रेषित किया गया था। मुख्य चिकित्साधिकारी, लखनऊ द्वारा पत्र संख्या:-मु०चि०अ० / चि०प्र०पूर्ति० / 2021 / 12914 दिनांक 27.07.2021 द्वारा बिलों के परीक्षण उपरान्त रु०-6,81,831.00 (रु०-छ: लाख इक्यासी हजार आठ सौ इक्तीस मात्र) की भुगतान करने की संस्तुति की गई है।

यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि कार्यालय आदेश पत्र संख्या: 60 / उपा०का० / 09-10 दिनांक 13.01.2010 के बिन्दु 4ए में दी गयी चिकित्सा प्रतिपूर्ति हेतु व्यवस्था रु०-200001 से ऊपर "विशेष परिस्थितियों में मुख्य चिकित्सा अधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक द्वारा प्रमाणीकरण के उपरान्त उपाध्यक्ष महोदय की स्वीकृति से कर दिये जायेगे, परन्तु इसे औपचारिक अनुमोदन हेतु प्राधिकरण बोर्ड की बैठक में प्रस्तुत करना होगा। 'पताका-ख' लखनऊ विकास प्राधिकरण बोर्ड की 155वीं बैठक दिनांक 06 नवम्बर, 2015 के द्वारा विषय संख्या-17 पर यह निर्णय लिया गया कि रु० 5 लाख तक के चिकित्सा प्रतिपूर्ति की स्वीकृति हेतु उपाध्यक्ष, ल०चि०प्र० को अधिकृत किया गया एवं इससे ऊपर के प्रकरणों को बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया। 'पताका-ग'

अतः स्व० श्री श्रीराम कश्यप, बेलदार कोरोना (कोविड-19) गम्भीर बीमारी से पीड़ित थे, और इनका आकस्मिक निधन दिनांक 05.05.2021 को हो चुका है, के दृष्टिगत श्रीमती सुधा कश्यप पत्नी स्व० श्री श्रीराम कश्यप द्वारा अपने पति की चिकित्सा पर व्यय रु०-6,81,831.00 (रु०-छ: लाख इक्यासी हजार आठ सौ इक्तीस मात्र) के भुगतान किये जाने हेतु प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष पुनः प्रस्ताव विचारार्थ प्रस्तुत।

(प्रभाल श्रीराम)
लखनऊ विकास प्राधिकरण
लखनऊ

लखनऊ विकास प्राधिकरण बोर्ड की १६०वीं बैठक दिनांक
26 दिसंबर, २०१८ का कार्यवृत्त

उपस्थिति:-

०१. श्री सदाकाल

०२. श्री सत्येन्द्र सिंह

०३. श्री आर०पी० सिंह

०४. श्री उदय राज सिंह

०५. श्री शिव जनम चौधरी

०६. श्री अजय कुमार मिश्र

०७. श्री आर०पी० यादव

०८. श्री एस० सोनी

०९. श्री विजय सिंह यादव

१०. श्री इसहाक गुरुडू

११. श्री रमेश कपूर 'बाबा'

१२. श्री सौरभ सिंह 'मोनू'

१३. श्री सुरेन्द्र सिंह 'राजू गांधी'

अन्य उपस्थिति:-

१४. श्री अर्जुन कुमार

१५. श्री जे०एन० रेड्डी

अध्यक्ष, ल०वि०प्रा० एवं प्रमुख सचिव, आवास
एवं शहरी नियोजन विभाग, उ०प्र०।

उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण एवं
जिलाधिकारी, लखनऊ।

आवास आयुक्त, उ०प्र० आवास एवं विकास
परिषद।

नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ।

विशेष सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन।

मुख्य नगर एवं ग्राम्य नियोजक, उत्तर प्रदेश।

शेत्रीय पर्यटन अधिकारी,

प्रतिनिधि—महानिदेशक, पर्यटन, उ०प्र०।

प्रतिनिधि—अपर आयुक्त उद्योग, लखनऊ
मण्डल, लखनऊ।

सदस्य, ल०वि०प्रा०

सदस्य, ल०वि०प्रा०

मा० पार्षद / सदस्य, ल०वि०प्रा०

मा० पार्षद / सदस्य, ल०वि०प्रा०

मा० पार्षद / सदस्य, ल०वि०प्रा०

सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण

मुख्य नगर नियोजक, ल०वि०प्रा०

विषय संख्या : 11

निर्णय :

विषय संख्या : 12

निर्णय :

विषय संख्या : 13

निर्णय :

विषय संख्या : 14

निर्णय :

विषय संख्या : 15

निर्णय :

उ0प्र0 सरकारी सेवक (चिकित्सा परिचार्या) नियमावली-2011 में उल्लिखित प्राविधिकानुसार लखनऊ विकास प्राधिकरण के कार्यालय एवं सेवानिवृत्त कर्मियों को चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति किये जाने के सम्बन्ध में।

सम्यक् विचारोपरान्त उ0प्र0 सरकारी सेवक (चिकित्सा परिचार्या) नियमावली-2011 को अंगीकृत किया गया।

लखनऊ विकास प्राधिकरण के अधिकारियों/कर्मचारियों को वर्तमान समय में मिल रहे चिकित्सा भत्ते की दरों में वृद्धि के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव वापस लिया गया।

उ0प्र0 नगर योजना और विकास (भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क का निर्धारण उद्ग्रहण एवं संग्रहण) नियमावली-2014 में प्रस्तावित संशोधन को अंगीकरण के सम्बन्ध में।

उ0प्र0 नगर योजना और विकास (भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क का निर्धारण उद्ग्रहण एवं संग्रहण) नियमावली-2014 में प्रस्तावित संशोधनों को अंगीकृत किया गया।

गोमती नगर विस्तार योजना के सेक्टर-4 तथा सेक्टर-6 के ललपट मानचित्र में प्रस्तावित आंशिक संशोधन करने के सम्बन्ध में।

सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

खसरा संख्या-1040, 1041, 1044, 1045 एवं 1046 ग्राम-औरंगाबाद जागीर, तहसील-सरोजनी नगर, जिला-लखनऊ का भू-उपयोग ग्रीन (पी) से व्यावसायिक (पेट्रोल पम्प) में परिवर्तन किये जाने के सम्बन्ध में।

सम्यक् विचारोपरान्त खसरा संख्या-1040, 1041, 1044, 1045 एवं 1046 में से 600 वर्गमीटर भूमि/भूखण्ड, ग्राम-औरंगाबाद जागीर, तहसील-सरोजनी नगर, जिला-लखनऊ की भूमि महायोजना-2021 के अन्तर्गत दर्शित ग्रीन (पी) से व्यावसायिक (पेट्रोल पम्प) में नागरिक उड़डयन से अनापत्ति प्राप्त कर परिवर्तन शुल्क लिये जाने की शर्तों के अन्तर्गत प्रसन्नुत भू-उपयोग विषयक प्रस्ताव अनुमोदित करते हुए उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा-13 के अन्तर्गत अप्रैतर कार्यवाही हेतु शासन को संदर्भित किये जाने का निर्णय

जाने के संबंध में मा० अंध्यक्ष महोदय, लखनऊ विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता में आज दिनांक 26.12.2016 को पूर्वान्ह 11.30 बजे निदेशक मण्डल की बैठक पुनः सम्पन्न हुई। नए उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण, श्री सत्येन्द्र सिंह ने पदभार ग्रहण कर लिया गया है तथा सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण, श्री अरुण कुमार तथा अन्य सदस्यों की उारिथिति में दिनांक 21.12.2016 की बैठक के बारे में चर्चा हुई और उपरोक्त वरतुरिथिति की जानकारी सचिव/उपाध्यक्ष द्वारा मा० अंध्यक्ष महोदय तथा मा० सदस्यों को दी गयी। सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि दिनांक 21.12.2016 की निदेशक मण्डल की बैठक में एजेण्डावार लिये गये निर्णयों की पुष्टि की जाती है, उस पर सभी सदस्य सहमत हैं और कार्यवृत्त की भी पुष्टि की जाती है।

उपाध्यक्ष, ल०वि०प्रा० द्वारा धन्यवाद ज्ञापन के उपरान्त बैठक समाप्त हुई।

(अरुण
कुमार)
सचिव

(सत्येन्द्र
सिंह)
उपाध्यक्ष

अनुमोदित

(सदाकान्त) 26/12/16
अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण,
एवं प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग,
ल०प्रा० शासन, लखनऊ।

कार्यालयः लखनऊ विकास प्राधि

सेवकः-

संयुक्त सचिव—अधिकारी
लखनऊ विकास प्राधिकरण
प्राधिकरण भवन, विपिन खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ
पत्रांकः १९७/सा०प्र०/२०१८
दिनांकः १५/०५/२०१४

रोता मे

विशेष सचिव,
आवास एवं शहरी नियोजन
अनुग्रह-५, उ०प्र० शासन,
लखनऊ

नाथीः

विषयः-

प्राधिकरण सेवा के कार्यकों के लिए उ०प्र० सरकारी सेवक (चिकित्सा परिचर्या) नियमावली 2011 अंगीकृत किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक शासकीय पत्र संख्या 3229/आठ-५-१०वि०/१२ दिनांक 10 नवम्बर, 2015 का रान्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा उ०प्र० सरकारी सेवक (चिकित्सा परिचर्या) नियमावली 2011 को अंगीकृत किए जाने की स्थिति में आने वाले व्यय भार को वहन किये जाने के सम्बन्ध में सहमति मौगी गयी थी। उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि कार्यालय के पत्रांक 87/सा०प्र०/२०१७ दिनांक 18.01.2017 द्वारा लखनऊ विकास प्राधिकरण बोर्ड की बैठक दिनांक 26.12.2016 में विषय संख्या 11 पर उ०प्र० सरकारी सेवक (चिकित्सा परिचर्या) नियमावली 2011 को अंगीकृत करने की स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है। पत्र के साथ प्राधिकरण बोर्ड बैठक दिनांक 26.12.2016 का कार्यवत्त्त संलग्न किया गया था।

पुनः सुलभ सन्दर्भ हेतु, पत्र की छाया प्रति संलग्नक सहित प्रेषित की जा रही है। लखनऊ विकास प्राधिकरण उ०प्र० सरकारी सेवक (चिकित्सा परिचर्या) नियमावली 2011 को अंगीकृत किए जाने की स्थिति में आने वाले व्यय भार को वहन किये जाने हेतु सक्षम है।

कृपया उपरोक्तानुसार चर्तुरिथिति से अवगत होने का कष्ट करें।
संलग्नकः— यथोपरि।

भवदीय,

 (डा० महेन्द्र कुमार मिश्र)
 संयुक्त सचिव



भारत प्रदेश सरकार
चिकित्सा अनुसंधान व
प्रशिक्षण एवं विद्यालय (सीएचपीएल)

वार्षिकों : विज्ञान : २० फ़िसल्या, २०११

श्रीधिकृतज्ञ
प्रक्षीर्ण

मंविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक हारा प्रदत्त शब्दित का प्रयोग करके और इस विषय पर विद्यामन समस्त नियमों और आदेशों का अधिकारण करके राज्यपाल निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :

उत्तर प्रदेश सरकारी रोपक(चिकित्सा परिचयी) नियमावली, 2011

शाग-एक
सामान्य

संक्षिप्त नाम और ग्राम्य

- (1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश सरकारी रोपक(चिकित्सा परिचयी) नियमावली, 2011 कही जाएगी।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

प्रयोज्यता

- यह नियमावली निम्नलिखित पर लागू होगी:-
(अ) सभी सरकारी रोपक, जबकि वे कार्य पर हैं, या अकारण पर हीं या निलंबन के अधीन हों और उनके परिचय।
(ख) रोपानिवृत्त सरकारी रोपक और उनके परिवार और गृह सरकारी रोपकों के मामले में उनके परिचय के ऐसे रासायनिक परिवारिक पेशन के लिए पात्र हों।

परिभाषाएँ

- जब तक कि सर्वो में अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली में:-
(क) "प्राधिवृत्त चिकित्सा परिचारक" का लातार्य शिक्षी सरकारी चिकित्सालय के ऐसे विकित्ता अधिकारियों या विशेषज्ञों से या संवर्भक्ति रखताओं के ऐसे प्रयत्नाओं, उपचारों, आवारों या अन्य निशेषज्ञों से है जो निती लाभार्थी को चिकित्सा परिचयी और उपचार उपलब्ध कराने के लिए सरकार के सामान्य या निशेष आदेश द्वारा प्रतिनियुक्त हो,

- (ए) "जागार्थी" का तात्पर्य सरकारीरोपक ३०८ और उनके परिवार, रोगानिवृत्ति सरकारी रैमब्ल और उनके परिवार और गृह सरकारी सेवकों के गांगलो में उनके परिवार के ऐसी राबस्यों से है जो पारिवारिक पेशान के लिए पात्र हों,
- (ग) "परिषष" का तात्पर्य मध्याविहित कृत्यों के निर्वहन हेतु सरकार द्वारा जिला, पृष्ठल और राज्य स्तर पर गठित चिकित्सा परिषद से है,
- (घ) "चिकित्सा" का तात्पर्य निवेशक, (चिकित्सा परिचर्या) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य रोगा सिद्धेशालय उत्तर प्रदेश से है,
- (ङ) "महानिवेशक" का तात्पर्य महानिवेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य संचारे उत्तर प्रदेश से है,
- (च) "परिवार का तात्पर्य":-
- (एक) सौवा के सरस्यः का, यथास्थिति, पति या पत्नी, और
- (दो) मातृभिती, बच्चे, सौतेली बच्चे, अविवाहित/तलाकशुदा/परिव्यवत् पुन्नी, अविवाहित/तलाकशुदा/परिव्यवत् बहने, अवयस्क शाई सौतेली माता,
- (छ) "सरकार का तात्पर्य" उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार से है,
- (ज) "राज्यपाल" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से है,
- (झ) "सरकारी चिकित्सालय" का तात्पर्य या तो राज्य सरकार या एक सरकार द्वारा खलाये जा रहे, या किसी चिकित्सा गहाविद्यालय से सहबद्ध चिकित्सालय से है,
- (ञ) "सरकारी सेवक" का तात्पर्य फाइनेन्शियल हैण्ड बुक में यथापरिभासित ऐसी पूर्णकालिक सरकारी सेवकों, जिसमें अधिक भारतीय रोगा के सवरय भी हैं, से है जिनका वेतन राज्य के राजस्व रो घहन किया जाता है, किन्तु इसमें अशकालिक कर्मचारी, गोसाई/सविधागत कर्मजार या दैनिक गजबूरी पर लगे कर्मकार राजिलित भी हैं,

- (ट) “चिकित्सालय” का तात्पर्य ऐलोचिथिक या छोट्योगीशी चिकित्सालय या भारतीय चिकित्सा पद्धति की डिरेक्टरी या स्वास्थ्य जाति और चिकित्सीय अधिकारण हेतु प्रयोगशाला एवं कैन्द्र से है;
- (ल) “चिकित्सा परिषद्यां” का तात्पर्य रोग नियन और उपचार के प्रयोजनाएँ ऐसे चिकित्सीय प्रापार्श और परीक्षण एवं आवैधण की विधियाँ से हैं जो उपचारी चिकित्सक द्वारा आवश्यक समझी जाएँ;
- (ब) “महाविद्यालय” का तात्पर्य सरकार के प्रशासकीय नियन एवं आधीन विद्यो चिकित्सा पद्धति के चिकित्सा महाविद्यालय से हैं;
- (ठ) “सेवक सरकारी सेवक” का तात्पर्य किसी सरकारी सेवक से है जो रोग से मिलते हो गया हो और सरकार से पेशन आहरित कर रहा हो। तथापि, व्यापार में सरकारी सेवक सम्मिलित नहीं हैं जो राज्य सरकार की सेवा छोड़ने के पश्चात् किसी स्वशासी संस्था/उपकम/निगम आदि में आमेलित हो गये हों;
- (ए) “संवर्भित करने वाली संस्था” का तात्पर्य सभी राजकीय चिकित्सालय, महाविद्यालय, छत्रपति शाहजी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय (सी०एस०एम०एम०य०), लखनऊ, संजय गांधी ज्ञानकोशल आयुर्विज्ञान एवं अंतुसंधान संस्थान (एस०जी०प०जी०आ०इ०एम०एस०), लखनऊ, डॉ राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान लखनऊ, ग्रामीण आयुर्विज्ञान एवं अंतुसंधान संस्थान, सैफई, इटावा ईरटीट्रिप्यूट ऑफ गोडार्ला साइंस, वाराणसी (बमारस हिन्दू विश्वविद्यालय), जवाहर, लाल नैहर चिकित्सा महाविद्यालय, (अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय), अलीगढ़ और सरकार द्वारा हस्त खप में आधिसूचित किसी अन्य संस्था से है,
- (त) “राज्य” का तात्पर्य उत्तर प्रदेश राज्य से है,
- (थ) “उपचारी चिकित्सक” का तात्पर्य आयुर्विज्ञान की किसी पद्धति के यथाविधित आहंतायुक्त चिकित्सक से है, जो लाभार्थी का धाराव में उपचार करता है,

- (v) "उपचार" का तारार्य राष्ट्रीय उपचारीय वन्नज्यूमेबल एवं उपचारीय पश्चात् त्याण्य छिकित्सालय, चिकित्सालय एवं शाल्य सुविधालयों के उपचारीय और परीक्षण की विधियों और विवाद के प्रयोगशाली अन्वेषण से है और इसमें डॉग्रं प्रत्यारोपण, औषधियाँ, सौरा, वैकरीण, अन्य वैराण्यातिक रामणियों की जागृति, विवित जीवन रक्तक प्रक्रियाएँ या चिकित्सालय में भर्ती होना और देखरेख भी सम्पादित है।

गोपनीय

विकित्सालयों और चिकित्सा महाविद्यालयों/संघर्ष गैंधी लालकोट्टर आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय/उपचार शाहूजी महाराज विकित्सा विश्वविद्यालय में उपचार

हृष्णराम

4. समस्त लाभार्थी किसी सरकारी चिकित्सालय या चिकित्सालय महाविद्यालय में निःशुल्क चिकित्सा परिचर्या और उपचार पाने के हक्कार होंगे। सामान्यतया यह सुविधा लाभार्थी के निवास या तैनाती के स्थान पर उपलब्ध कराई जाएगी। चिकित्सा परिचर्या और उपचार के लिए पंजीकरण फीस और अन्य विवित फीस सरकार द्वारा पूर्णतया प्रतिपूरित की जायेगी। अपार्टमेंट में, यदि परिस्थितियों की अपेक्षा हो तो, एचुलैन्स भी निःशुल्क उपलब्ध कराई जायेगी।
5. किसी सरकारी चिकित्सालय या चिकित्सा महाविद्यालय में चिकित्सा परिचर्या और उपचार के लिए प्राधिकृत चिकित्सा परिचारक से किसी संदर्भ की आवश्यकता न होगी।
6. (क) किसी लाभार्थी को निःशुल्क चिकित्सा उपचार तभी उपलब्ध होगा जब उसके द्वारा परिशिष्ट-क में दिये गये ग्राहण पर कार्यालयाध्यक्ष के हस्ताक्षर एवं मुहर से निर्गत एवं संखाकित स्थान्य-पत्र के माध्यम से अपनी पहचान का प्रमाण प्रस्तुत किया जायेगा। इस पत्र पर लगे फोटो पर कार्यालय की मुहर इस प्रकार लगायी जायेगी कि फोटो और पत्र दोनों पर मुहर आंशिक रूप से लगी हो।

परन्तु, किसी पैशानशोणी व्यवित के लिए उसका पद नाम, सिनाती का स्थान, घूल वेसन और वेतमान, उसकी

सेवानिवृत्ति/मृत्यु से पूर्व उसकी अंतिम तैनाती के अनुसार हो, किन्तु स्वास्थ्य कार्ड उसके द्वारा पैशान आहरित किये जाने के स्थान पर इथत उसके सेवा के विभाग के कार्यालयाध्यक्ष द्वारा निर्गत किया जायेगा।

(ख) स्वास्थ्य पत्र में अपेक्षित किसी विवरण का न होना उसे आविधिमान्य बना देगा। तथापि, यदि परिवार के किन्हीं सदस्यों के बारे में कोई विवरण छूटा हो तो केवल वही स्वास्थ्य अपावृण्ण होगे और वह पत्र शेष लाभार्थियों के लिए विधिमान्य होगा।

7. (क) किसी सरकारी चिकित्सालय या चिकित्सा महाविद्यालय में अंतरंग उपचार के मामले में सभी लाभार्थियों को निम्नलिखित वास सुविधा निःशुल्क उपलब्ध कराई जायेगी:-

क्रमांक	मूल वेतन + ग्रेड वेतन	वार्ड जिनके लिये लाभार्थी हकदार होगा
1.	₹19000/- या अधिक	निजी या विशेष वार्ड
2.	₹13000/- से अधिक और ₹19000/- से कम	सशुल्क वार्ड
3.	₹13000/- या कम	सामान्य वार्ड

परन्तु किसी पेशनभोगी द्वारा आहरित अंतिम मूल वेतन को हकदारी के अवधारण के लिए मूल वेतन माना जायेगा। तथापि कोई पेशनभोगी ऐसी सेवाओं से अनिन्नतर सेवाओं के लिए हकदार होगा जो कि वह अपनी सेवानिवृत्ति से ठीक पूर्व पाता रहा है:

परन्तु अग्रतर यह भी कि किसी लाभार्थी के अनुरोध पर उसकी वास्तविक हकदारी से बैहतर वास सुविधाएँ उपलब्ध कराये जाने की दशा में उसको अतिरिक्त व्यय स्वयं वहन करना होगा।

(ख) चिकित्सा जीवधि से रोगी को आहर शुल्क अनुमन्य होगा किन्तु, यह सम्बन्धित सरकारी चिकित्सालय में तत्समय प्रयोज्य शुल्क से अंधिक नहीं होगा।

अन्य स्रोतों से औषधियों आदि की आवृत्ति

8. विसी लाजार्थी के उपचार के लिए औषधियाँ, यथा सोरा, वैष्णवीन, रक्त, लाल्हा वैराघ्याटिक साधगियों वा आपूर्ति या चिकित्सालय जान्वरण थथा सोनेगापती, कम्बूदराहण्ड एकित्सयल दीमोगापती लौनिंग, एम्बीसोली, ऐभियोगापती, रेडियोलोजिकल, पीथोलोजिकल और वैवर्षीयपीलाजिकल जाँच या कोई अन्य जाँच, जो आवश्यक समझी जाय, अन्य सरकारी या निजी स्रोतों से उपलब्ध कराइ जायेगी, यदि उपचारी चिकित्सक मारा लिखित में यह प्राप्तिशीलता करते हुए किंवद्दन ऐसी औषधियों या सुर्वधारे सरकारी चिकित्सालय या चिकित्सा महाविद्यालय में उपलब्ध नहीं है, ऐसा अवधारित और यिहित किया जाय। किसी भूमिह राज्य के मानसि में, जिसे एक दिन में एक से अधिक बार छुड़ालना यिहित किया गया हो, झायनोसिस किट(भवान यंत्र) की सामग्री, अधिकृत चिकित्सा परिचारक की सलाह पर अनुमति हीमी।

प्रतिबन्ध यह है कि प्राधिकृत चिकित्सा परिचारक या उपचारी चिकित्सक द्वारा ऐसी खर्चीली व्याहार्याँ, जिनके लिए कम सामग्री की किस्तु सामान वैराघ्याटिक महत्व की औषधियाँ उपलब्ध हों या ऐसी व्याहार्याँ जो खाद्य वस्तुओं, टानिक, प्रसाधन के रूप में प्रयुक्त हों या एंटीसेप्टिक या निजी/रक्त बैंक से रक्त के लिए सामान्य रूप से परामर्शित नहीं किया जायेगा।

कृत्रिम ऊंचाई

9. (क) उपचारी चिकित्सक की सर्वतुल्य पर और चिकित्सालय के चिकित्सा अधिकारी के अनुमति से, चाहे जिस भी पदनाम से वह जाता जाय, निक्षलियत कृत्रिम ऊंचाई और साधारण अनुमत्य किये जा सकते हैं-
1. आधिकारिक ग्रोसरीसिस हिप
 2. प्रोस्टीसिस फार गी ब्यांट
 3. सरयोदकला कॉलेस्टरल
 4. कार्डियाटिक प्रेस मेकर
 5. कार्डिमाटिक वाल्व
 6. आर्टिकुलेशन वैवाहल बावर
 7. हिपोरिंग एड/कॉमिटिपर इम्प्लान्ट
 8. इन्ट्राऑक्यूलर लैन्स रीब्लेन्स

9. थेराप्यूटिक काम्पेन्ट लोन्स
 10. कम्प्लीट आर्टिषियर (सम्पूर्ण कृतिम वंतावली)
 11. स्पेनर्सकर्स (ब्रेस्ट) (तीन वर्षों में एक बार से अनधिक)
 12. लिप्साल्स की उपयोग की लिए अधिक ऊंचे शामिल करने
- हुए साँधें
13. सरकार द्वारा आमुनोपेता कोई अन्य शापित्र।

(ख) उपर्युक्त कृतियाँ और साधित्रों की आपूर्ति विशिष्टियों या निर्माण, भाग इत्यादि इमित वारते हुए उपचारी नियंत्रण की विधियाँ देखाएँ पर धी जायेगी।

10. कीई लाभार्थी शास्त्रान् करने पर, संजय गाँधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लालबाजार, और छन्दपति शाहजी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लालबाजार में बिना संदर्भ के उपचार प्राप्त कर सकता है। चिकित्सा परिचर्या या उपचार पर किया गया व्यय विहित रीति में बांबे के ग्रस्तुतीकरण पर पूर्णतया प्रतिपूरणीय होगा।

भाग-हीन

भाग-हीन पर आपातकालीन स्थिति में उपचार और विशिष्ट उपचार

11. किसी लाभार्थी को राज्य के भीतर या बाहर तात्कालिक/आपात स्थिति में किसी निजी चिकित्सालय में उपचार प्राप्त करने की अनुमन्यता होगी। उपचार की लागत राज्य के भीतर उपचार करने की दशा में सुन्नत गाँधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान और राज्य सें बाहर की दशा में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली की दरों पर प्रतिपूरणीय होगी। प्रतिबन्ध यह है कि:-

(क) उपचारी चिकित्सक द्वारा आपात वश प्रमाणित की जाए।

(ख) रोगी द्वारा अपने कार्यालयाध्यांग को यथाशय्य शीघ्र किए तु उपचार प्रारंभ होने के दिनांक से 30 दिनों के भीतर सूचित कर दिया जाय।

(ग) आपात स्थिति में एजर पब्लिम्स पर होने वाले व्याप की

धनराशि भी प्रतिपूरणीय होगी।

उपचार

12. कार्यालय कार्य से अन्य राज्यों को गये सरकारी सेवक सम्बन्धित राज्य के सरकारी चिकित्सालय में चिकित्सा परिचय और उपचार पानी के इकाई होंगे और उस पर उपगत हुआ वास्तविक व्यय पूर्णतया प्रतिपूरणीय होगा:

प्रतीबन्ध यह है कि चिकित्सा महाविद्यालयों, संस्थानों या निजी चिकित्सालयों में वाराये गये उपचार पर उपगत व्यय की प्रतिपूर्ति आखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली की दरों पर होगी।

13. (क) जाटिया और गांधीर वीमानियों के उपचार के लिए, जिनके लिए सरकारी चिकित्सालय या संवर्भित करने वाली संस्थाओं में चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं है, संवर्भित करने वाली संस्था के आचार्य या विभागाध्यक्ष से अन्यून श्रेणी के उपचारी चिकित्सक द्वारा उपचार और चिकित्सा परिचय के लिए रोगी को ऐसे निजी चिकित्सालय या संस्था को जिस राज्य अधिकार केन्द्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हो संवर्भित किया जा सकता है:

प्रतीबन्ध यह है कि यदि इस प्रकार संवर्भित किसी रोगी को तात्कालिक/आपात रिहायि के कारण संवर्भित से जिन्हे किसी अन्य चिकित्सालय में उपचार कराना पड़ता है तो नियम-11(ग) लागू नहीं होगा।

- (ख) ऐसे निजी चिकित्सालय या संस्था में उपचार पर व्यय की प्रतिपूर्ति वास्तविक व्यय या राज्य के भौतिक उपचार के लिए संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ की दरों या राज्य के बाहर हुए उपचार के लिए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली की दरों तक, जो भी कम हो, सीमित होगी।

- (ग) ऐसे उपचार या जौध जिनके लिए संजयगांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ या अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली में सुविधा विद्यमान न हो, पर हुए व्ययों की प्रतिपूर्ति वास्तविक आधार पर की

जायेगी, प्रतिबन्ध यह है कि उपचार देश के भीतर कराया जाया है।

गवर्नर गोप्ता भारतीय चिकित्सा
कानूनी द्वारा उपचार

14. सरकारी चिकित्सालय के बाहर होण्योपेणी, यूनानी या आयुर्वेद पद्धति या 'किसी भाष्य' विहित भारतीय चिकित्सा पद्धति द्वारा उपचार की प्रतिपूति उस रूप में की जायेगी जैसी सरकार द्वारा विहित की जाय।

शास्त्र-धारा सरकारी सेवकों के लिए चिकित्सा अधिकार

अधिकारी अधिकार

15. (क) उपचार के लिए प्रतिपूति के दबै को स्वीकृत करने वाला सभी प्रार्थकारी, प्रार्थकारी धनराशि के प्रधान्तर प्रतिशत तक खात्र रखीकृत करने के लिए सधाम होगा।
- (ख) अधिकार के लिए आवेदन परिशिष्ट-“घ” में दिये गये विहित प्रारूप पर कार्यालयाध्यक्ष की प्रस्तुत किया जायेगा और उसके साथ उपचारी चिकित्सक द्वारा निर्गत तथा संस्था के प्रमुख/प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षक/सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त चिकित्सालय के विभागाध्यक्ष द्वारा प्रतिहस्ताधारित प्रार्थकलन संलग्न किया जायेगा।
- (ग) कार्यालयाध्यक्ष यह सुनिश्चित करने के लिए अध्यक्षक उपाय करेगा कि स्वीकृती प्रार्थकारी द्वारा यथाशीघ्र अधिकार रखीकृत कर दिया जाय।
- (घ) कामचारी समायोजन/प्रतिपूति द्वाया इसके उपभोग किये जाने के लक्षात् पश्चात् निकम्तु उपचार समाप्त हो जाने के सीन गाह अपश्यात् प्रस्तुत करेगा।
- (ङ.) निसी भी स्थिति में, बूसरा अधिकार तब तक स्वीकृत नहीं किया जायगा। जबतक कि पूर्ववर्ती अधिकार समायोजित न करे लिया गया हो।
- (घ) प्रत्येक स्वीकृत प्रार्थकारी परिशिष्ट “घ” में यथासिहित प्रारूप उत्तीर्णी में एक रजिस्टर रखयायेगा।

- (छ) आहरण एवं वितारण अधिकारी अग्रिम हेतु विल(बीजक) पर प्रमाणक देगा कि स्वीकृत अग्रिम की ऐसे रजिस्टर में प्रविष्ट कर ली गयी है।
- (ज) यदि अग्रिम के संग्राहोंजन के लिए चार महीनों के भीतर दावा नहीं प्रस्तुत किया जाता है तो अग्रिम की सम्पूर्ण उपराशि लाभार्थी को वेतन से मासिक किश्तों में काट ली जायेगी जो सकल वेतन के आधे से अधिक नहीं होगी।
- (झ) यदि विकित्सा अग्रिम स्वीकृत हो जाने के पश्चात् उपचार नहीं प्राप्त होता है तो ऐसे अग्रिम की वापसी तीन महीनों में को जानी होगी और यदि ऐसे अग्रिम की वापसी तीन माह की अवधि के भीतर नहीं भी जाती है तो इष्टात्मक व्याज भी आरपित किया जायेगा जिसकी गणना विकित्सा अग्रिम वी स्वीकृति के देनांक से की जायेगी।

भाग-पौँच प्रतिपूर्ति

तीनों की ओतर दावा

16. लाभार्थी द्वारा स्वीकृत प्राधिकारी को, यथाशक्य शीघ्र विंतु उपचार की समाप्ति के पश्चात् तीन माह से अपश्चात् परिशिष्ट "ग" में हिये गये विहित प्रासूप में प्रतिपूर्ति दावा प्रस्तुत किया जायेगा।

बीजक के साथ संदर्भ-पत्र, उपचार परामर्श पत्रक और उपचारी विकित्सक द्वारा विधिवत् सत्यापित किये गये वाउचर और परिशिष्ट "इ" में (ब्रह्मरंग, उपचार) और परिशिष्ट "च" (अंतरंग उपचार) में जानवारी प्रमाण-पत्र मूल रूप में प्रस्तुत किया जायेगा। विशेष परिस्थितियों में दावे को पुष्ट करने के लिए अन्य मूल वस्तावेज भी सलग्म किये जा सकते हैं। अपूर्ण दावों पर धिचार नहीं किया जायेगा।

प्रतिवर्ध पूर्ह है कि किसी पेशन भोगी वा प्रतिपूर्ति दावा उस जिले के कार्यालयाध्यक्ष वो प्रस्तुत किया जायेगा जहाँ से वह पेशन आहरित द्वारा रक्खा है। जहाँ ऐसा कोई कार्यालय न हो

वहाँ सम्बन्धित जिले का जिला मणिस्ट्रेट हरा प्रयोजनार्थ
कार्यालयाध्यक्ष और विभागाध्यक्ष भी होंगा।

प्राधिकारी 17. (क) स्वीकर्ता अधिकारी या पैशनभी के मामले ने कार्यालयाध्यक्ष द्वावा प्रस्तुत किये जाने के दिनांक से बरा दिनों के भीतर तकनीकी परीक्षण के लिए समय प्राधिकारी की जैगा। सम्बन्धित प्राधिकारी, राम्यक तकनीकी परीक्षण करने के पश्चात् वास्तविक प्रतिपूणीय धनराशि इंगित करते हुए उरा पाने को बन्ध दिनों के भीतर, यथोर्थ्वात्, स्वीकर्ता प्राधिकारी या कार्यालयाध्यक्ष को वापस भरं देगा।

(ख) जब तक कि खतिपय आपाहितायाँ न उठायी गयी हों और संसूचित न दी गयी हो, स्वीकर्ता प्राधिकारी द्वारा तकनीकी परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने के दिनांक से 01 माह के भीतर प्रपिपूर्ति आदेश जारी किया जायेगा और आहरण एवं वितरण अधिकारी अगले 15 दिनों के भीतर उसका वास्तविक भुगतान द्विनिश्चित करेगा। पैशन भी के मामले में, यदि कार्यालयाध्यक्ष स्वीकर्ता प्राधिकारी न हो तो, वह तकनीकी परीक्षण रिपोर्ट के साथ प्रतिपूर्ति दावे को सात दिनों के भीतर स्वीकर्ता प्राधिकारी को अग्रसारित कर देगा जो भुगतान के लिए उपर्युक्त समय-सारिणी का अनुसरण करेगा।

लिए अनिवार्य ✓ 18. स्वीकर्ता प्राधिकारी द्वारा प्रतिपूर्ति की अनुमति तभी दी जायेगी जबकि परिशिष्ट "ग" में दिये गये विहित प्राखण पर निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ दावा प्रस्तुत किया जाए:

(क) उपचारी चिकित्सक द्वारा विधिवत् हस्ताक्षरित और चिकित्सालय के प्रधारी अधीक्षक, चाहे जिस भी नाम से जाना जाय, द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित अनियार्थता प्रमाण-पत्र।

(ख) उपचारी चिकित्सक द्वारा विधिवत् सत्यापित सभी बिलों, रावण पत्र, ग्रेडिंग्स एवं और बाउचरों की पूल प्रतियाँ।

(ग) सभाम प्राधिकारी द्वारा तकनीकी परीक्षण की रिपोर्ट।

(घ) विशेष परिस्थितियों में दाखे को सिख करने के लिए कोई अन्य स्वत्ता जैसे भी मूल रूप में संलग्न किये जा सकते हैं।

(ङ) आपूर्ण सांखों पर विचार महीं किया जायेगा।

मोक्ष प्राप्ति के लिए सभाम 19. तकनीकी परीक्षण के लिए समाग्र ग्राहिकारी निम्नवत् होगी:-

ग्राहिकारी

दाखे की धनराशि	सांखय ग्राहिकारी
(एक) ₹40000/- तक	उपचारी या संबभक्ता सरकारी चिकित्सालय/ अधिकारीय, युवासी और छोटापैसी सरकारी चिकित्सालय का प्रभारी चिकित्साधिकारी/ उपचारी।
(दो) ₹40001/- से अधिक	उपचारी या संबभक्ता सरकारी चिकित्सालय का चिकित्सा अधीक्षक/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/मुख्य चिकित्सा अधिकारी/जिला हीमोपैथी चिकित्साधिकारी या बैतीय आयुर्वेदिक एवं धूनानी अधिकारी।
(तीन) निजी चिकित्सालयों में विशिष्ट उपचार हेतु	संबभक्ता संस्था के आचार्य या विभागाध्यक्ष से अन्यून श्रेणी के उपचारी चिकित्सक द्वारा जैसा नियम 13(क) गे उपबोधित है।

(छ) सभाम ग्राहिकारी दाखे की विधि मान्यता/अनिवार्यता और अनुमन्यता का तकनीकी परीक्षण करेगा और अतिपूर्त हेतु अनुमन्य धनराशि शब्दों भीर अक्षों सीरों में संसुत करेगा।

स्वीकर्ता ग्राहिकारी

20. उपचार हेतु प्रतिपूर्ति वाला स्वीकृत करने के लिए सभाम ग्राहिकारी निम्नवत् होगी:-

(क) सरकारी सेवकों के लिए:-

पावे की धनराशि	स्वीकर्ता ग्राहिकारी
₹100000/- तक	कार्यालयाध्यक्ष
₹100000/- से अधिक-	विभागाध्यक्ष
₹250000/- तक	

₹250000/- से अधिक - ₹500000/- तक	सरकार का प्रशासनीय विभाग
₹500000/- से अधिक	चिकित्सा एवं रसारथ विभाग की संस्थुति के बाद और वित्त विभाग की पूर्व स्वीकृति से सरकार का प्रशासनीय विभाग।

(ख) सेषानवत्ता संप्रकारी संदर्भों के लिए:-

वार्षि. की अधिकारी	स्वीकृता प्राधिकारी
₹100000/- से अधिक - ₹100000/- तक	संस्थापन तकनीकी परीक्षण अधिकारी की की संस्थुति के पश्चात् पेशन आहरित करने वाले जनपद के कार्यालयाध्यक्ष
₹100000/- से अधिक - ₹500000/- तक	संस्थापन तकनीकी परीक्षण अधिकारी की की संस्थुति के पश्चात् पेशन आहरित करने वाले जनपद के कार्यालयाध्यक्ष के माध्यम से निलंबित किया जाएगा।
₹500000/- से अधिक	संस्थापन तकनीकी परीक्षण अधिकारी की की संस्थुति के पश्चात् पेशन आहरित करने वाले जनपद के कार्यालयाध्यक्ष द्वारा यथामाध्यम प्रशासकीय विभाग के समझ प्रस्तुत करने पर प्रशासकीय विभाग के माध्यम से चिकित्सा एवं रसारथ विभाग की संस्थुति एवं वित्त विभाग की पूर्व स्वीकृति के पश्चात् प्रशासकीय विभाग।

व्यवस्था की विभागार “शीर्ष”

21. प्रतिपूर्ति की धनेशाशि उसी “शीर्ष” से आहरित की जायेगी जिससे सामान्यतया वैतन, भत्ते और पेशन आदि आहरित किये जाते हैं।

प्राग-छा
प्राधिकारी

प्राग-छा
प्राधिकारी

22. (क) यदि कोई प्राधिकार चिकित्सा परिचारक किसी रोगी को उच्चातर/विशेष उपचार के लिए, जिसके लिए निलंबन/राज्य में सुविधा उपलब्ध नहीं है, किसी चिकित्सालय की संवाधित करता है तो कार्यालयाध्यक्ष द्वारा

प्राधिकृत चिकित्सा परिचारक की विभाग विभिन्न लिंग पर ऐसा उपचार करने के लिए यात्रा की अनुमति दी जा सकती है।

- (ब) बीमारी की गंभीरता पर विभार बताते हुए यदि प्राधिकृत चिकित्सा परिचारक लिखित में यह संस्तुति करता है कि रोगी को लिखी परिचारक द्वारा अनुमति किया जाता है, तो कांवलिंगिक्यात यारा यात्रा सहित लिखी परिचारक के लिए अनुमति दी जा सकती है जो रामगंधर रोगी का सम्बन्धी होगा।
- (ग) रोगी और परिचारक यदि कोई हो, अपनी रारकारी यात्रा के समयमें कोई रोगी तक अपने पिलास से उपचार के स्थान तक शिकताम रेल यात्रा से जाने और बापस आने की देती यात्रा है तो यात्रा भत्ता पांच का हफ्तेवार होगा, किसी व्यायाम द्वारा यात्रा भरने पर कोई दैनिक भत्ता अनुमत्य नहीं होगा भले ही लागार्डी उसके लिए हफ्तवार हो या था।
- (घ) जटिल बीमारी की दृष्टि में प्राधिकृत चिकित्सा परिचारक की लिखित संस्तुति पर सरकार वायुयान द्वारा यात्रा की अनुमति दे सकती है।

- समय-सीमा
23. सामन्यतया दाढ़ा तीन माह के शीतर प्रस्तुत कर दिया जाना चाहिए अस्थायी विभागीय सचिव का अनुमोदन अनिवार्य होगा जो मामले के गुणकोन के अधार पर दावे की प्रतिपूर्ति का विनिश्चय करेगा।

- गतिविधि सेवा के सदस्य
24. यह नियमावली अद्वितीय सेवा के सदस्यों पर उन मामलों में लागू होगी जहाँ अद्वितीय भारतीय सेवा(चिकित्सा परिचार्या) नियमावली, 1954 के ग्रावथान इस नियमावली से निम्नतर हैं।

प्राप्ति सेवा

25. यदि कोई रारकारी सेवक वाह्य सेवा/प्रतिनियुक्ति पर सेवारत हो तो उसे इस नियमावली के अधीन अनुमन्य से निम्नतर चिकित्सा सुविधा महीं प्राप्त होगी और चिकित्सा परिचार्या तथा

उष्ठार पर हुआ व्यय नाहूँ नियोक्ता द्वारा वहन किया जायेगा
और पैतृक धिक्षण द्वारा नहीं किया जायेगा।

नियम और अपवाह

26. समय-समय पर यथासंभवित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (चिकित्सा परिचयी) नियमावली, 1946 और इस संबंध में निर्गत विवेण गये सभी सरकारी आदेश निरसित हो जायेंगे। तथापि, प्रतिपूर्ति के लिए हफकारी उभसे काम नहीं होगी जो इस नियमावली के प्रारम्भ के पूर्व अनुमत्य थी।

विवेण का नियमकरण

27. यदि उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (चिकित्सा परिचयी) नियमावली, 2011 के उपर्याप्ति के प्रबंधन में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो राज्य सरकार गोपाट में प्रकाशित आदेश द्वारा ऐसे उपर्याप्त कर सकती है जो इस नियमावली से असंगत न हो और कठिनाई हुए करने के लिए आवश्यक और समीचीन प्रतीत हों।

नियमकरण का उपर्याप्तीकरण

28. (क) यदि इस नियमावली के नियमकरण के संबंध में कोई शंका उत्पन्न होती है तो उसे सरकार को निर्विष्ट किया जायेगा, जिसका उस पर निर्णय अन्तिम होगा।

(ख) जहाँ राज्य सरकार का समाधान हो जाए कि चिकित्सा परिचयी की शर्तों को विनियमित करने वाले किसी नियम या उसके अधीन निर्गत आदेश से किसी विशेष मामले में कोई असम्यक कठिनाई उत्पन्न होती है, वहाँ वह, उस मामले में ताकू नियम या आदेश में किसी बात के होते हुए भी उस नियम या आदेश की अपेक्षाओं को उस सीमा तक और ऐसी शर्तों के अधीन रखते हुए आदेश द्वारा वह अधिमुक्त या शिथिल कर सकती है जैसा मामले के स्थायीचित और साम्यपूर्ण रीति से निस्तारण के लिए आवश्यक समझे।

आज्ञा से,

.....
(संघर्ष अधिकारी)
प्रापुष सचिव

लखनऊ विकास प्राधिकरण
लखनऊ।
दिनांक 13 जनवरी, 2010

पत्रांक: 60/उका०का०/०९-१०

आदेश

प्रशासनिक कार्यों में जितन्यथिता के सम्बन्ध में गठित समिति द्वारा प्रतुत संस्तुतियों पर दिनांक 07.01.2010 को सचिव, वित्त नियंत्रक, संयुक्त सचिव, श्रीमती संगीता सिंह, संयुक्त सचिव, श्री एस.के. सिंह एवं प्रोग्रामर एनालिस्ट, श्री राघवेन्द्र मिश्र के साथ विचार-विमर्श के उपरान्त निम्नांकित निर्देश दिये जाते हैं:-

- प्राधिकरण के जो माली पार्कों के अतिरिक्त अन्य स्थानों पर लगे हैं उन्हें बदनित करके प्राधिकरण द्वारा नवायिकसित हरियाली लॉन में पदस्थ किया जाये और सुबह शाम दो पालियों में इनकी उपस्थिति व्यवस्थाधिकारी (प्रशा०) श्री अशोक पाल सिंह द्वारा सुनिश्चित की जाय। प्राधिकरण की योजनाओं के अन्तर्गत स्थान चिन्हित कर, कुछ मालियों को बदनित कर प्राधिकरण की एक चर्चा० विकसित करायी जाये जिससे प्राधिकरण द्वारा अपनी योजनाओं में वृक्षारोपण हेतु बाजार से पौध क्रय करने पर होने वाले व्यय की बचत की जा सके। (कार्यवाही अधिकारी सिंह/श्री जयसिंह/श्री जी०डी० पापडेय/श्री अशोक पाल सिंह, व्यवस्थाधिकारी प्रशा०सन)
- श्री एस.के. सिंह, संयुक्त सचिव द्वारा सभासत पार्कों एवं अन्य स्थानों जहाँ पर सुपरबाईजर, गनमैन एवं डॉमैन सुरक्षा हेतु लगाये गये, बताये गये हैं उन स्थानों पर निरीक्षण कर यह सत्यापन किया जाय कि जिन स्थानों पर जितनी संख्या में कर्मचारी लगाये जाने का उल्लेख किया गया है, वहा वास्तविक रूप में उनने सुरक्षाकर्मी बहाँ पर कार्यरत है।
- उपर्युक्त सत्यापन के मध्य यह भी आकलन किया जाय कि जितने कर्मी बहाँ पर पदस्थ किये गये हैं वहा वे आवश्यकता के अनुरूप सही हैं। वहा उनमें से कुछ कर्मियों को कम किया जा सकता है।
- उपर्युक्त सत्यापन के मध्य यह भी आकलन किया जाय कि वहा कुछ स्थानों पर वाह्य सुरक्षा एजेन्सी से लगाये गये कर्मियों के स्थान पर प्राधिकरण के चौकीदारों/चतुर्थ ओणी कर्मियों को लगाया जा सकता है। चौकीदारों का आकलन करके संयुक्त सचिव, श्री एस.के. सिंह द्वारा उनकी आवश्यकता का विवरण तीन दिन के अन्दर संयुक्त सचिव-अधिष्ठान को उपलब्ध कराया जायेगा और तदनुसार उनकी तैनाती प्रभारी अधिष्ठान द्वारा की जायेगी। (कार्यवाही-श्री एस.के. सिंह, संयुक्त सचिव/श्रीमती संगीता सिंह, संयुक्त सचिव)
- सफाई कर्मियों के सम्बन्ध में श्री राजेन्द्र प्रसाद, सहायक अधिकारी अनुरक्षण समरक ऐसे स्थानों पर जहाँ सफाई कर्मचारी पदस्थ हैं, निरीक्षण कर यह देख लें कि वहा वहाँ पर पदस्थ किये गये सफाई कर्मचारी वास्तविक रूप से वहाँ पर

वर्गीकृत है और क्या उनकी संख्या कार्य के अनुरूप पर्याप्त है अथवा वहाँ से उन्हें कम किये जाने की आवश्यकता है।

3ए. उपर्युक्त स्थलीय सत्यापन के उपरान्त तीन दिन में यह रिपोर्ट भी प्रस्तुत करें कि बाह्य एजेन्सियों के माध्यम से लगाये गये सफाई कर्मियों की क्या उपयोगिता है, क्या जितनी संख्या में वे लगाये गये बताये गये हैं, क्या वास्तविक रूप से वे कार्य कर रहे हैं।

3बी. यह भी निर्देशित किया जाता है कि उक्त सफाई कर्मी जहाँ-जहाँ तैनात हैं, सुबह एवं शाम दो पाली में उनकी उपस्थिति दर्ज करायी जाये। (श्री राजेन्द्र प्रसाद, सहायक अभियन्ता)

4. आंदेशित किया जाता है कि तत्काल प्रभाव से चिकित्सा अवकाश शासनादेश के वित्त नियम संग्रह की धारा-157/।। के अधीन स्वीकृति होने के उपरान्त ही वेतन का भुगतान किया जायेगा।

अधिकारी/कर्मचारी के चिकित्सा अवकाश पर होने अथवा चिकित्सा हेतु चिकित्सालय में भर्ती होने की दशा में अधिकारी/कर्मचारी का वेतन, बिना नियमानुसार चिकित्सा अवकाश स्वीकृत हुए आहरित नहीं किया जायेगा।

विशेष परिस्थितियों को छोड़कर सामान्य परिस्थितियों में नियमानुसार स्वरक्षता प्रमाण-पत्र प्राप्त होने के उपरान्त सक्षम स्तर से चिकित्सा अवकाश स्वीकृत हो जाने के उपरान्त ही वेतन का भुगतान किया जायेगा।

4ए. चिकित्सा प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में निम्नांकित आदेश पारित किये जाते हैं। नियमानुसार प्रतिपूर्ति की स्वीकृति सक्षम स्तर से प्राप्त करने के उपरान्त प्रतिपूर्ति का भुगतान किया जायेगा:-

क्रम सं०	धनांक	सक्षम स्वीकृतकर्ता अधिकारी
1.	₹०—५०००.००	प्राधिकरण के विभागीय चिकित्सक के सत्यापन उपरान्त संयुक्त सचिव अधिष्ठान द्वारा।
2.	₹०—५००१—४००००.०० तक	मुख्य चिकित्सा अधिकारी/मुख्य अधीक्षक से प्रमाणीकरण के उपरान्त सचिव द्वारा।
3.	₹०—४०००१—२०००००.०० तक	मुख्य चिकित्सा अधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक से प्रमाणीकरण के उपरान्त उपाध्यक्ष द्वारा।
4.	₹०—२००००१ से ऊपर	विशेष परिस्थितियों में मुख्य चिकित्सा अधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक द्वारा प्रमाणीकरण के उपरान्त उपाध्यक्ष महोदय की स्वीकृति से कर दिये जायेंगे। परन्तु इसे औपचारिक अनुमोदन हेतु प्राधिकरण बोर्ड की बैठक में प्रस्तुत करना होगा।

३

4बी. यह भी निर्देश दिये जाते हैं कि विशेष परिस्थितियों को छोड़कर चिकित्सा अग्रिम का भुगतान चिकित्सालय के पक्ष में न किया जाय बाह्यिक सम्बन्धित कर्मचारी अधिकारी उसके निकट के रिश्तेदार अर्थात् पत्नी या पुत्र के पक्ष में अग्रिम का भुगतान किया जाय। विशेष परिस्थितियों में चिकित्सालय के पक्ष में भुगतान की स्वीकृति तभी की जायेगी जबकि उपाध्यक्ष स्तर से इस हेतु स्वीकृति प्रदान की गयी हो।

5. धार्मिक एवं अन्य आयोजनों पर होने वाले व्यर्याँ के सम्बन्ध में निम्नांकित आदेश किये जाते हैं:-

5ए. किसी भी पूर्व से सम्पन्न हो रहे धार्मिक आयोजन पर रुपये—50,000/- से अधिक व्यय किये जाने की स्वीकृति नहीं प्रदान की जायेगी।

5बी. यदि आयोजनकर्ता हारा रुपये 50000/- से अधिक धनराशि आयोजन पर व्यय की जाती है तो स्वीकृति धनराशि के अतिरिक्त व्यय की गयी धनराशि का भुगतान प्राधिकरण हारा नहीं किया जायेगा।

5सी. आयोजन सम्पन्न होने के एक माह के अन्दर वित्त नियंत्रक हारा इसके समायोजन के सम्बन्ध में अपनी रिपोर्ट सचिव/उपाध्यक्ष को प्रस्तुत की जायेगी।

6. यात्रा व्यय के सम्बन्ध में निम्न प्रकार आदेशित किया जाता है:-

6ए. विशेष परिस्थितियों जिनमें प्राधिकरण के हित में यात्रा करना अनिवार्य हो, को छोड़कर सामान्यतः एयरलाईन से सीधे टिकट क्रय कर यात्रा की जाये।

6बी. विशेष परिस्थितियों जिनमें प्राधिकरण हित में यात्रा करना अनिवार्य हो, को छोड़कर अनुमन्य श्रेणी से उच्च श्रेणी में यात्रा करने पर उसका भुगतान तभी किया जायेगा जब उपाध्यक्ष स्तर से उसकी स्वीकृति प्रदान की गयी हो।

7. मोबाइल फोन के सम्बन्ध में निर्देशित किया जाता है कि अबर अभियन्ता एवं अनुभाग अधिकारी स्तर तक के समर्त कर्मचारियों को ₹१००००० रुपये में मोबाइल सिम उपलब्ध कराये जाये।

7ए. यह भी निर्देश दिये जाते हैं कि नये मोबाइल हस्ट्रॉमेंट किसी भी दशा में क्रय न किये जाये।

7सी. निर्देश दिये जाते हैं कि मोबाइल पर होने वाले व्यय को एक लाख की सीमा के अन्दर नियंत्रित रखा जाये। (कार्यवाही-व्यवस्थाधिकारी, श्री अशोक पाल सिंह)

8. न्यायालय व्यय के सम्बन्ध में निर्देश दिये जाते हैं कि प्राधिकरण में लम्बित वादों की बड़ी संख्या का निपटारा प्राधिकरण स्तर पर ही किया जाय।

8ए. प्रयास किया जाये कि 50 प्रतिशत तक मुकदमों का निपटारा लोक अदालत लगाकर करा दिया जाये। इस सम्बन्ध में मुख्य विधि परामर्शी शीघ्र कार्यवाही

8बी. यह भी निर्देशित किया जाता है कि प्राधिकरण के पैनल में जो अधिवक्ता वर्तमान में हैं उनकी परफार्मेंस के आधार पर चिन्हित कर लिया जाये और ऐसे अधिवक्ताओं को पैनल से हटाया जाये जिनकी वाद जीतने (Success rate) का प्रतिशत, 50 प्रतिशत से कम हो।

8सी. वाद व्यय रुपये 500/- के स्थान पर रुपये—1000/- दिये जाने के निर्देश दिये जाते हैं। (कार्यवाही-मुख्य विधि परामर्शी)

9. वाहने इधन के सम्बन्ध में निर्देश दिया जाता है कि सरकारी पेट्रोल पम्प चिह्नित कर, अधिकारियों हेतु पेट्रोल की सीमा निर्धारित करने के उपरान्त सचिव, ल०वि०प्रा० तीन दिन के अन्दर प्रस्ताव प्रस्तुत करें। (कार्यवाही—सचिव)
10. साज—सज्जा एवं केन्द्रीय भण्डार गृह के सम्बन्ध में निर्देश दिया जाता है कि प्रभारी स्टोर, कार्यालय के प्रत्येक कक्ष एवं सामग्रियों पर नम्बरिंग अंकित करने की कार्यवाही शीघ्र करायें तथा नम्बरिंग के अनुसार छेड़ स्टाक पंजीकरण में अंकित कराया जाय। (कार्यवाही—श्री एस.के. सिंह, संयुक्त सचिव)

(मुकेश कुमार मेश्राम)

उपाध्यक्ष

प्रतिलिपि:- प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ।

1. सचिव, ल०वि०प्रा०, लखनऊ।
2. मुख्य विधि परामर्शी।
3. वित्त नियंत्रक।
4. समस्त संयुक्त सचिव।
5. मुख्य अधियन्ता।
6. सम्बन्धित अधि० अभि०/सहा० अभि०।
7. समस्त सम्बन्धित अधिकारी।


१२०१।१०
(मुकेश कुमार मेश्राम)
उपाध्यक्ष

लखनऊ विकास प्राधिकरण बोर्ड की १५५वीं बैठक दिनांक
०६ नवम्बर, २०१५ का कार्यवृत्त

उपस्थिति :

01. श्री महेश कुमार गुप्ता

02. श्री सत्येन्द्र सिंह

03. श्री राजशेखर

04. श्री उदय राज सिंह

05. श्री शिवंजनम चौधरी

06. श्री अजय कुमारे मिश्र

07. श्री गोपाल गग

08. श्री नरेन्द्र कुमार चौहान

09. श्री विजय सिंह यादव

10. श्रीमती मुन्नी पाल

11. श्री सुरेन्द्र सिंह 'राजू गांधी'

12. श्री कैसल नवाब

13. श्री सौरभ सिंह 'मोनू'

14. श्री रमेश कपूर 'बाबा'

अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण एवं
आयुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।

उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण।

जिलाधिकारी, लखनऊ।

नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ।

संयुक्त सचिव, प्रतिनिधि-प्रमुख सचिव, आवास
एवं शहरी नियोजन विभाग, उ०प्र० शासन।

मुख्य नगर एवं ग्राम्य नियोजक, उत्तर प्रदेश।

वास्तुविद नियोजक, प्रतिनिधि आवास आयू
उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद।

पार निदेशक, प्रतिनिधि-निदेशक, के
मण्डल।

सदस्य, ल०वि०प्रा०

सदस्य, ल०वि०प्रा०

मा० पार्षद/सदस्य, ल०वि०प्रा०

मा० पार्षद/सदस्य, ल०वि०प्रा०

मा० पार्षद/सदस्य, ल०वि०प्रा०

मा० पार्षद/सदस्य, ल०वि०प्रा०

अन्य उपस्थिति :

15. श्री श्रीश चन्द्र वर्मा

सचिव, ल०वि०प्रा०।

16. श्रीमती सीमा सिंह

अपर सचिव, ल०वि०प्रा०।

17. श्री जे०पी० सिंह

संयुक्त सचिव, ल०वि०प्रा०

18. श्री ए००एन० सिंह

संयुक्त सचिव, ल०वि०प्रा०

19. श्री ओ०पी० मिश्र

मुख्य अभियन्ता, ल०वि०प्रा०।

20. श्री जे०एन० रेड्डी

मुख्य नगर नियोजक, ल०वि०प्रा०

21. श्री हरि कष्ण यादव

मुख्य लेखाधिकारी, ल०वि०प्रा०

समय भू-उपयोग के अनुखंप दिये जाने के निर्णय के सम्बन्ध में।

निर्णय :

प्रस्तुत प्रस्ताव पर विस्तृत विचार-विमर्श हुआ। सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि प्रश्नगत भूखण्ड का अधिग्रहण के समय वर्ष 2010 में जो भी भू-उपयोग रहा हो, तत्समय की प्रचलित दर के अनुसार गणना करके शासनादेश के अनुसार अधिग्रहीत भूखण्ड के बदले 60 प्रतिशत विकसित समतुल्य मूल्य की भूमि, जो कि उसी भू-उपयोग की होगी जो कि अधिग्रहीत भूखण्ड का वर्ष 2010 में भू-उपयोग रहा हो, यथासम्भव निकटस्थ खण्ड में दिये जाने की स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान की गई कि सम्बन्धित द्वारा मा० न्यायालय में योजित वाद वापस ले लिया जायेगा एवं अर्जन से पूर्व प्राधिकरण के स्वत्व के बिना अनार्जित भूमि का विक्रय किये जाने के सम्बन्ध में जांच कर दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये।

विषय संख्या : 15

रिट याचिका संख्या-2889(एम०बी०)/92 में दिनांक 15.12.2008 को मा० उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.12.2008 के अनुपालन में खसरा संख्या-298 ग्राम-ओरंगाबाद खालसा के बड़े हुए रक्खे 2-5-18-0 बीघा भूमि अधवा प्रतिकर की धनराशि दिये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय :

यथाप्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

उजरियांव आवासीय योजना भाग-4 के अन्तर्गत ग्राम-उजरियांव की अर्जित भूमि खसरा संख्या-1599/4 रक्खा 0.076 हेठो भूमि में से 50 प्रतिशत भूमि को समायोजित किये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय :

प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

✓ श्री परदेशी सिंह, कनिष्ठ लिपिक की चिकित्सा पर व्यय धनराशि की प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में।

सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्तुत प्रस्ताव अनुमोदित किया गया। साथ ही रु० ५ लाख तक के चिकित्सा प्रतिपूर्ति की स्वीकृति हेतु उपाध्यक्ष, ल०वि०प्रा० को अधिकृत किया गया एवं इससे ऊपर के प्रकरणों को बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।

विषय संख्या : 17

निर्णय :

स्व० विनय कुमार सिंह, कनिष्ठ लिपिक की चिकित्सा पर व्यय

26

✓

किया गया कि विकासकर्ता को शासन की सभी शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा एवं जो अनार्जित भूमि है, उसे आधिगृहीत करने की कार्यवाही समयबद्ध रूप से 02 वर्ष में पूर्ण करनी होगी।

विषय संख्या : 41

भूखण्ड संख्या-2/86, विजय खण्ड, गोमती नगर एवं 2/19, विपुल खण्ड, गोमती नगर स्थित भवन/भूखण्ड के उपयोग भू-उपयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव में सम्मिलित दोनों प्रकरणों में विषय संख्या-7 के सम्बन्ध में लिये गये निर्णय के अनुरूप कार्यवाही की जाये।

विषय संख्या : 42

नबीबुल्लाह रोड, बासमण्डी व्यवसायियों को सीतापुर रोड तथा रेलवे लाइन के मध्य स्थित भूमि के तलपट मानचित्र के अनुमोदन के सम्बन्ध में।

निर्णय :

प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

उपाध्यक्ष, ल0वि0प्रा0 द्वारा धन्यवाद ज्ञापन के उपरान्त बैठक समाप्त हुई।

(श्रीशं
चन्द्र वर्मा)
सचिव

(सत्येन्द्र सिंह)
उपाध्यक्ष

अनुमोदित

(महेश कुमार गुप्ता)
अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण,
एवं आयुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।

विषय: श्री हरि प्रसाद, प्लम्बर की चिकित्सा पर व्यय धनराशि की प्रतिपूर्ति किये जाने के सम्बन्ध में।

श्री हरि प्रसाद पुत्र स्व० श्री देवी प्रसाद द्वारा स्वयं की कोरोना चिकित्सा पर हुए व्यय ₹०—६,९९,२६२.०० के मूल बाऊचर्स विभाग को प्रस्तुत करते हुए भुगतान कराये जाने का प्रस्ताव प्राधिकरण की बोर्ड बैठक दिनांक १५. १२.२०२१ में प्रस्तुत किया गया था, जिसके सम्बन्ध में प्राधिकरण बोर्ड द्वारा पुर्णपरीक्षण हेतु प्रस्ताव स्थगित किया गया था। लखनऊ विकास प्राधिकरण बोर्ड की १६०वीं बोर्ड बैठक दिनांक २६.१२.२०१६ के विषय संख्या: ११ पर सम्यक विचारोपन्त उ०प्र०सरकारी सेवक (चिकित्सा परिचर्या) नियमावली—२०११ को अंगीकृत किया जा चुका है। ‘पताका—क’

अवगत कराना है कि श्री हरि प्रसाद पुत्र स्व० श्री देवी प्रसाद लखनऊ विकास प्राधिकरण में प्लम्बर के नियमित पद पर कार्यरत है। श्री हरि प्रसाद कोरोना से ग्रस्त हो जाने के कारण इनके द्वारा स्वयं की चिकित्सा पर ₹०—६,९९,२६२.०० व्यय किया गया, जो अप्रैल से जून, २०२१ के मध्य के है। इनके द्वारा उपलब्ध कराये गये चिकित्सा पर व्यय के मूल बाऊचर्स एवं चिकित्सक के पर्चे मुख्य चिकित्साधिकारी, लखनऊ को परीक्षण/प्रतिहस्ताक्षरित हेतु कार्यालय पत्र संख्या—४००/सा०प्र०/२०२१ दिनांक ०८.०७.२०२१ को प्रेषित किया गया, जिसे मुख्य चिकित्साधिकारी, लखनऊ द्वारा अपने कार्यालय पत्र संख्या—मु०चि०अ००/चि०प्र०पूर्ति०/२०२१/१२८६४ दिनांक १७.०७.२०२१ द्वारा ₹०—५,२९,५७५.०० परीक्षण उपरान्त भुगतान किये जाने की संस्तुति की गयी है।

यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि कार्यालय आदेश पत्र संख्या: ६०/उपा०का०/०९—१० दिनांक १३.०१.२०१० के बिन्दु ४४ में दी गयी चिकित्सा प्रतिपूर्ति हेतु व्यवस्था ₹०—२००००१ से ऊपर “विशेष परिस्थितियों में मुख्य चिकित्सा अधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक द्वारा प्रमाणीकरण के उपरान्त उपाध्यक्ष महोदय की स्वीकृति से कर दिये जायेगे, परन्तु इसे औपचारिक अनुमोदन हेतु प्राधिकरण बोर्ड की बैठक में प्रस्तुत करना होगा। ‘पताका—ख’ लखनऊ विकास प्राधिकरण बोर्ड की १५५वीं बैठक दिनांक ०६ नवम्बर, २०१५ के द्वारा विषय संख्या—१७ पर यह निर्णय लिया गया कि ₹० ५ लाख तक के चिकित्सा प्रतिपूर्ति की स्वीकृति हेतु उपाध्यक्ष, ल०वि०प्रा० को अधिकृत किया गया एवं इससे ऊपर के प्रकरणों को बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया। ‘पताका—ग’

अतः श्री हरि प्रसाद पुत्र स्व० श्री देवी प्रसाद, प्लम्बर कोरोना (कोविड—१९) गम्भीर बीमारी से पीड़ित थे, के द्वारा स्वयं की चिकित्सा पर व्यय ₹०—५,२९,५७५.०० (₹०—पाँच लाख उन्तीस हजार पाच सौ पच्छत्तर मात्र) के भुगतान किये जाने हेतु प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष पुनः प्रस्ताव विचारार्थ प्रस्तुत।

श्री हरि प्रसाद
श्री देवी प्रसाद
(अद्या चौधरी)
लखनऊ विकास प्राधिकरण
लखनऊ

लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा की 160वीं बैठक का दिनांक
26 दिसम्बर, 2016 का कार्यवृत्त

उपस्थिति:-

01. श्री सदाकान्त
02. श्री सत्येन्द्र सिंह
03. श्री आरोपी० सिंह
04. श्री उदय राज सिंह
05. श्री शिव जनम चौधरी
06. श्री अजय कुमार मिश्र
07. श्री आरोपी० यादव
08. श्री इस० सोनी
09. श्री विजय सिंह यादव
10. श्री इसहाक गुड्डू
11. श्री रमेश कपूर 'बाबा'
12. श्री सौरभ सिंह 'मोनू'
13. श्री सुरेन्द्र सिंह 'शाजू गांधी'

अन्य उपस्थिति:-

14. श्री अरुण कुमार
15. श्री जे०एन० रेखड़ी

अध्यक्ष, ल०वि०प्रा० एवं प्रमुख सचिव, आवास
एवं शहरी नियोजन विभाग, उ०प्र०।

उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण एवं
जिलाधिकारी, लखनऊ।

आवास आयुक्त, उ०प्र० आवास एवं विकास
परिषद।

नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ।

विशेष सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन।

मुख्य नगर एवं ग्राम्य नियोजक, उत्तर प्रदेश।

श्रेत्रीय पर्यटन अधिकारी,

प्रतिनिधि—महान्तिरेशक, पर्यटन, उ०प्र०।

प्रतिनिधि—अपर आयुक्त उद्योग, लखनऊ
मण्डल, लखनऊ।

सदस्य, ल०वि०प्रा०

सदस्य, ल०वि०प्रा०

मा० पार्षद / सदस्य, ल०वि०प्रा०

मा० पार्षद / सदस्य, ल०वि०प्रा०

मा० पार्षद / सदस्य, ल०वि०प्रा०

सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण

मुख्य नगर नियोजक, ल०वि०प्रा०

विषय संख्या : 11

निर्णय :

विषय संख्या : 12

निर्णय :

विषय संख्या : 13

निर्णय :

विषय संख्या : 14

निर्णय :

विषय संख्या : 15

निर्णय :

उ0प्र0 सरकारी सेवक (चिकित्सा परिचार्या) नियमावली-2011 में उल्लिखित प्राविधानानुसार लखनऊ विकास प्राधिकरण के कार्यरत एवं सेवानिवृत्त कर्मियों को चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति किये जाने के सम्बन्ध में।

सम्यक् विचारोपरान्त उ0प्र0 सरकारी सेवक (चिकित्सा परिचार्या) नियमावली-2011 को अंगीकृत किया गया।

लखनऊ विकास प्राधिकरण के अधिकारियों/कर्मचारियों को वर्तमान समय में मिल रहे चिकित्सा भत्ते की दरों में वृद्धि के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव वापस लिया गया।

उ0प्र0 नगर योजना और विकास (भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क का निर्धारण उद्घाटन एवं संग्रहण) नियमावली-2014 में प्रस्तावित संशोधन को अंगीकरण के सम्बन्ध में।

उ0प्र0 नगर योजना और विकास (भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क का निर्धारण उद्घाटन एवं संग्रहण) नियमावली-2014 में प्रस्तावित संशोधनों को अंगीकृत किया गया।

गोमती नगर विस्तार योजना के सेक्टर-4 तथा सेक्टर-6 के तलापटे मानचित्र में प्रस्तावित आंशिक संशोधन करने के सम्बन्ध में।

सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

खसरा संख्या-1040, 1041, 1044, 1045 एवं 1046 ग्राम-औरंगाबाद जागीर, तहसील-सरोजनी नगर जिला-लखनऊ का भू-उपयोग ग्रीन (पी1) से व्यावसायिक (पेट्रोल पम्प) में परिवर्तन किये जाने के सम्बन्ध में।

सम्यक् विचारोपरान्त खसरा संख्या-1040, 1041, 1044, 1045 एवं 1046 में से 600 वर्गमीटर भूमि/भूखण्ड, ग्राम-औरंगाबाद जागीर, तहसील-सरोजनी नगर, जिला-लखनऊ की भूमि महायोजना-2021 के अन्तर्गत दर्शित ग्रीन (पी) से व्यावसायिक (पेट्रोल पम्प) में नागरिक उड्डयन से अनापत्ति प्राप्त कर परिवर्तन शुल्क लिये जाने की शर्तों के अन्तर्गत प्रस्तुत भू-उपयोग विषयक प्रस्ताव अनुमोदित करते हुए उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा-13 के अन्तर्गत अग्रेतर कार्यपाली हेतु शासन को संदर्भित किये जाने का निर्णय

जाने के संबंध में मा० अध्यक्ष महोदय, लखनऊ विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता में आज दिनांक 26.12.2016 को पूर्वान्ह 11.30 बजे निदेशक मण्डल की बैठक पुनः सम्पन्न हुई। नये उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण, श्री सत्येन्द्र सिंह ने पदभार ग्रहण कर लिया गया है तथा सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण, श्री अरुण कुमार तथा अन्य सदस्यों की उपस्थिति में दिनांक 21.12.2016 की बैठक की बारे में चर्चा हुई और उपरोक्त वस्तुस्थिति की जानकारी सचिव/उपाध्यक्ष द्वारा मा० अध्यक्ष महोदय तथा मा० सदस्यों को दी गयी। सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि दिनांक 21.12.2016 की निदेशक मण्डल की बैठक में एजेंडावार लिये गये निर्णयों की पुष्टि की जाती है, उस पर सभी सदस्य सहमत हैं और कार्यवृत्त की भी पुष्टि की जाती है।

उपाध्यक्ष, ल०वि०प्रा० द्वारा धन्यवाद ज्ञापन के उपरान्त बैठक समाप्त हुई।

(अरुण कुमार)
सचिव

(सत्येन्द्र सिंह)
उपाध्यक्ष

अनुमोदित

(सदाकान्त) 26/12/16
अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण,
एवं प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग,
उ०प्र० शासन, लखनऊ।

कार्यालय: लखनऊ विकास प्राधि।

<p style="margin: 0;">सेवक:</p> <p style="margin: 0;">संयुक्त सचिव—आधिकारी लखनऊ विकास प्राधिकरण प्राधिकरण भवन, विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ पत्रांक:— १९५/सा०प्र०/२०१८ दिनांक:— १५/०५/२०१८</p>	<p style="margin: 0;">सेवा में पिशेष सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन अनुगाम—५, उ०प्र० शासन, लखनऊ</p>
<p style="margin: 0;">नस्थी:</p>	
<p style="margin: 0;">विषय:—</p>	
<p style="margin: 0;">प्राधिकरण सेवा के कार्यकों के लिए उ०प्र० सरकारी सेवक (चिकित्सा परिचर्या) नियमावली 2011 अंगीकृत किए जाने के सम्बन्ध में।</p>	

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक शासकीय पत्र संख्या 3229/आठ-5-10वि०/12 दिनांक 10 नवम्बर, 2015 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा उ०प्र० सरकारी सेवक (चिकित्सा परिचर्या) नियमावली 2011 को अंगीकृत किए जाने की स्थिति में आने वाले व्यय भार को वहन किये जाने के सम्बन्ध में सहमति मौगी गयी थी। उक्त के सम्बन्ध में अवगत करना है कि कार्यालय के पत्रांक 87/सा०प्र०/2017 दिनांक 18.01.2017 द्वारा लखनऊ विकास प्राधिकरण बोर्ड की बैठक दिनांक 26.12.2016 में विषय संख्या 11 पर उ०प्र० सरकारी सेवक (चिकित्सा परिचर्या) नियमावली 2011 को अंगीकृत करने की स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है। पत्र के साथ प्राधिकरण बोर्ड बैठक दिनांक 26.12.2016 का कार्यवतुत्त संलग्न किया गया था।

पुनः सुलभ सन्दर्भ हेतु पत्र की छाया प्रति संलग्नक सहित प्रेषित की जा रही है। लखनऊ विकास प्राधिकरण उ०प्र० सरकारी सेवक (चिकित्सा परिचर्या) नियमावली 2011 को अंगीकृत किए जाने की स्थिति में आने वाले व्यय भार को वहन किये जाने हेतु सक्षम है।

कृपया उपरोक्तानुसार वरतुरिथति से अवगत होने का कष्ट करें।
संलग्नक:— यशोपरि।

भवदीय,

 १७.५.१८
 (डा० महेन्द्र कुमार मिश्र)
 संयुक्त सचिव



उत्तर प्रदेश सरकार
चिकित्सा विभाग-६
संख्या २१२१५/५/८०१०/०१/०१/०१
तारीख : दिनांक २० अक्टूबर, २०११

अधिकारी
प्रकौर्ण

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक सारा प्रदत्त शिक्षित का प्रयोग करके और इस विधि पर विद्यमान समस्त नियमों और आदेशों का अधिकारण करके राज्यपाल नियमित नियमावली बनाते हैं।

उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक(चिकित्सा परिचारी) नियमावली, 2011

भाग-एक
सामान्य

रायित नाम और ग्राम्य

1. (1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक(चिकित्सा परिचारी) नियमावली, 2011 की जाएगी।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

प्रयोज्यता

2. यह नियमावली नियमित पर लापू होगी:-

(क) सभी सरकारी सेवक, जबकि वे कार्य पर हैं, या आवास पर हैं या निलाभन के अधीन हैं और उनके परिवार।

(ख) सेवानिवृत्त सरकारी सेवक और उनके परिवार और मृत सरकारी सेवकों के मांगले में उनके परिवार के ऐसे सदस्यों जो परिवारिक पेशन के लिए पात्र हों।

परिमाण

3. जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली में:-

(क) "प्राधिकृत चिकित्सा परिचारक" का तार्फ विस्तीर्ण सरकारी चिकित्सालय के ऐसे विकिता अधिकारियों या विशेषज्ञों से या संदर्भकर्ता संस्थाओं के ऐसे प्रधानताओं, उपाचार्यों, आचार्यों या अन्य विशेषज्ञों से है जो विस्तीर्ण लाभार्थी को चिकित्सा परिचारी और उपचार उपलब्ध कराने के लिए सरकार के सामान्य या विशेष आदेश द्वारा प्रतिनियुक्त हो,

- (ख) "भाग्यर्थी" का तात्पर्य सरकारी सेवक और उनके परिवार, सेवनिवृत्त रास्कारी सेवक और उनके परिवार और गृह सरकारी सेवकों के गांगले में उनके परिवार के ऐसी रास्तों से है जो पारिवारिक पैशान को लिए पात्र हैं,
- (ग) "परिषष्ठ" का तात्पर्य यथाविहित कृत्यों के निवहन हेतु सरकार द्वारा गिराया, पड़ा और राज्य स्तर पर गठित चिकित्सा परिषद से है,
- (घ) "मिशनरी" का तात्पर्य मिशनरी शक्ति, (चिकित्सा परिचय), चिकित्सा स्वास्थ्य सेवा मिशनशालय उत्तर प्रदेश से है,
- (ङ) "महाभिदेशक" का तात्पर्य महाभिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उत्तर प्रदेश से है,
- (च) "परिवार का तात्पर्य"-
- (एक) सेवा की संरक्षण का, यथास्थिति, पति या पत्नी, और
- (दो) भातानपिला, बच्चे, सीलौड़ी बच्चे, अविद्याहित/तलाकशुवा/परिव्यक्त युवा, अविद्याहित/तलाकशुवा/परिव्यक्त बहनें, अवयस्क शाई, सौतेली माता,
- (छ) "सरकार का तात्पर्य" उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार से है,
- (ज) "राज्यपाल" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से है,
- (झ) "सरकारी चिकित्सालय" का तात्पर्य या सौ राज्य सरकार द्वारा किन्नर सरकार द्वारा घोषिये जा रहे, या किसी चिकित्सा महाविद्यालय से सहबच्छ चिकित्सालय से है,
- (झ) "सरकारी सेवक" का तात्पर्य फाइनेन्शियल हैण्ड बुक में यथापरिचायित ऐसी पूर्णकालिक सरकारी सेवकों, जिसमें अधिल भारतीय सेवा के सदरय भी हैं, से है जिनका वेतन राष्ट्र के राजस्व से धहन किया जाता है, किन्तु इसमें उत्तराधिकारी कर्मचारी, पौसारी/रायितागत कर्मकार ग्रामीणिक गजबूरी पर सर्गे कर्मकार राजिलित भी हैं,

- (ट) “चिकित्सालय” का तात्पर्य ऐलोधेथिक या हीमोगीणी चिकित्सालय या भारतीय चिकित्सा पद्धति की छिरपैसरी या स्वास्थ्य जांच और चिकित्सीय उन्नयन हेतु अधीगशाला एवं केन्द्र हैं;
- (ठ) “चिकित्सा परिवर्ग” का तात्पर्य रोग नियन्त्रण और उपचार के प्रयोजनार्थ ऐसे चिकित्सीय प्राप्ति और परीक्षण एवं अव्यवंहण की विधियाँ से हैं जो उपचारी चिकित्सक द्वारा आवश्यक समझी जाएँ;
- (ड) “महाविद्यालयालय” का तात्पर्य, सरकार के प्रशासकीय संस्थान या आगीति किसी चिकित्सा पद्धति के चिकित्सा महाविद्यालय से है;
- (ढ) “सरकारी सरकारी सेवक” का तात्पर्य किसी सरकारी सेवक से है जो सेवा से निवृत्त हो गया हो और सरकार से पेशन आहरित कर रहा हो। तथापि, इसमें वे सरकारी सेवक सम्मिलित नहीं हैं जो राज्य सरकार की सेवा छोड़ने के पश्चात् किसी स्वशासी संस्था/उपकम/निगम आदि में आमेलित हो गये हों;
- (ण) “संदर्भित करने वाली संस्था” का तात्पर्य सभी राजकीय चिकित्सालय, महाविद्यालय, छत्रपति शाहजी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय(ली०एस०एम०प०य०), लखनऊ, संजय गांधी ज्ञानकोला आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान(एस०जी०प०जी०आ०इ०एम०एस०), लखनऊ, डॉ राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ, ग्रामीण आयुर्विज्ञान एवं अगुसंधान संस्थान, रैफई, इटावा बैर्टीद्यूट ऑफ गेडियल, साईंस, वाराणसी (बमारस हिम्मू विश्वविद्यालय), जवाहर, लाल नैहल चिकित्सा महाविद्यालय, (अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय), अलीगढ़ और सरकार द्वारा हस रूप में आधिसूचित किसी अन्य संस्था से है,
- (त) “राज्य” का तात्पर्य उत्तर प्रदेश राज्य से है,
- (थ) “उपचारी चिकित्सक” का तात्पर्य आयुर्विज्ञान की किसी पद्धति के यथाविधित अहसायुक्त चिकित्सक से है, जो लाभार्थी का धारतव में उपचार करता है,

- (v) "उपचार" का तात्पर सभी उपयोग लक्ष्यमेवल एवं उपयोग पश्चात् स्थान छिपानेवत्, चिकित्साय एवं शाल्य सुधिष्ठितीयों के उपयोग और परीणाम की विधियों और निवास के प्रयोगार्थ अन्वेषण से है और इसमें अंग प्रत्यारोपण, औषधियाँ, सोरा, वैकरीण, अन्य धेराधूटिक सामग्रियाँ भी जापूर्ति, वैकित्स जीवन रक्षक प्रक्रियाएँ या चिकित्सालय में भी ही और उन्हें भी सम्पादित है।

उपचार

चिकित्सालयों और चिकित्सा महाविद्यालयों/संज्ञय गौधी ज्ञात्कोत्तर आयुर्विज्ञान विद्यालय/उपचार शाहजहां गढ़वाल चिकित्सा विश्वविद्यालय में उपचार

सम्बन्धित सेवाओं की
हक्कारी

4. समस्त लाभार्थी किसी सरकारी चिकित्सालय या चिकित्सा परिचार के हक्कार होंगे। सामान्यतया यह सुविधा लाभार्थी के निवास या तैनाती के स्थान पर उपलब्ध कराई जाएगी। चिकित्सा परिचार और उपचार के लिए पंजीकरण फीस और अन्य विवित फीसें सरकार द्वारा पूर्णतया प्रतिपूरित की जायेगी। उपचार समझौते में, यदि परिस्थितियों की अपेक्षा हो तो, एनुलैन्स भी निःशुल्क उपलब्ध कराई जायेगी।

संरक्षण संप्रीति न होना

5. किसी सरकारी चिकित्सालय या चिकित्सा महाविद्यालय में चिकित्सा परिचार और उपचार के लिए प्राधिकृत चिकित्सा परिचारक से किसी संरक्षण की आवश्यकता न होगी।

स्वास्थ्य पत्र के माध्यम से
पहचान

6. (क) किसी लाभार्थी को निःशुल्क चिकित्सा उपचार तभी उपलब्ध होगा जब उसके द्वारा परिशिष्ट-के लिए विधे गये ग्राह्य पर कार्यालयाधीक्ष के हस्ताक्षर एवं मुहर से निर्गत एवं संचाकित स्वास्थ्य-पत्र के माध्यम से अपनी पहचान का प्रमाण प्रस्तुत किया जायेगा। इस पत्र पर लगे फोटो पर कार्यालय की मुहर इस प्रकार लगायी जायेगी कि फोटो और पब दोनों पर मुहर आशिक स्पष्ट से लगी हो।

परन्तु, किसी पैशांशोंगी व्यवित के लिए उसका पद नाम, शीमांत्री का स्थान, पूरा वेतन और वेतनमान, उसकी

सेवानिवृत्ति/मूल्य से पूर्व उसकी अंतिम तैनाती के अनुसार ही, किन्तु स्वास्थ्य कार्ड उसके द्वारा पेशन आहरित किये जाने के स्थान पर स्थित उसके सेवा के विभाग के कार्यालयाध्यक्ष द्वारा निर्गत किया जायेगा।

(ख) स्वास्थ्य पर्चे में अपेक्षित किसी विवरण का न होना उसे अविधिमान्य बना देगा। तथापि, यदि परिवार के किन्हीं सदस्यों के बीच में कोई विवरण छूटा हो तो केवल वही सदस्य अपने होंगे और वह पन्न शेष लाभार्थियों के लिए विधिमान्य होंगा।

7. (क) किसी सरकारी चिकित्सालय मा चिकित्सा महाविद्यालय में अंतरंग उपचार के मामले में सभी लाभार्थियों को निष्पालिखित वास सुविधा निःशुल्क उपलब्ध कराइ जायेगी:-

क्रमांक	मूल वेतन + ग्रैंड वेतन	वार्ड जिनके लिये लाभार्थी हक्कदार होगा
1.	₹19000/- या अधिक	निजी या विशेष वार्ड
2.	₹13000/- से अधिक और ₹19000/- से कम	अशुल्क वार्ड
3.	₹13000/- या कम	सामान्य वार्ड

परन्तु किसी पेशनभोगी द्वारा आहरित अंतिम मूल वेतन को हक्कदारी के अधिकारण के लिए मूल वेतन माना जायेगा। तथापि कोई पेशनभोगी ऐसी सेवाओं से अनिमत्तर सेवाओं के लिए हक्कदार होगा जो कि वह अपनी सेवानिवृत्ति से ठीक पूर्व पाता रहा है:

परन्तु अग्रतर यह भी कि किसी लाभार्थी के अनुरोध पर उसकी वास्तविक हक्कदारी से बेहतर वास सुविधाएँ उपलब्ध कराये जाने की दशा में उसको अतिरिक्त व्यय स्वयं वहन करना होगा।

(ख) चिकित्सा अवधि में रोगी को आहर शुल्क अनुमत्य होगा किन्तु यह साम्भार्थित सरकारी चिकित्सालय में तत्समय प्रयोज्य शुल्क से अधिक नहीं होगा।

अन्य सौतों से औषधियों आसि
की आपूर्ति

8. किसी लाभोर्थी के उपचार के लिए औषधियाँ, यथा रोटा, धैथसीन, रंगत, लाल्हा औरायूटिक साधग्रियों वही आपूर्ति या चिकित्साप्रयोग अन्वेषण थे। सोनोग्राफी, कार्बूटराहण्ड एवं सरल टोमोग्राफी हैलिंग, एन्डोस्कोपी, ऐमिग्रोग्राफी, रेडियोलोजिकल, प्रैथोलोजिकल और बैबटीरीयोलोजिकल जाँच या कोई अन्य जाँच, जो आवश्यक समझी जाय, अन्य सरकारी या निजी सौतों से उपलब्ध कराई जायेगी, यदि उपचारी चिकित्सक द्वारा लिखित में यह प्राप्तिप्राप्ति करते हुए निम्न ऐसी औषधियाँ या सुविधाएँ सरकारी चिकित्सालय या चिकित्सा महाविद्यालय में उपलब्ध नहीं हैं, ऐसा अवधारित और यिहित किया जाय। किसी भी उपलब्ध रौप्यालय की मामले में, जिसे एक दिन में एक से अधिक बार डिप्पलोनी यिहित किया गया हो, डायग्नोसिस किट(ग्रिसी यंत्र) की लागत, औषिकृत चिकित्सा परिचारक की सलाह पर अनुमत्य होगी।

प्रतिबन्ध यह है कि प्राधिकृत चिकित्सा परिचारक या उपचारी चिकित्सक द्वारा ऐसी खर्चीती बदाइयाँ, जिनके लिए कम लागत की किस्तु समान धैरायूटिक महत्व की औषधियाँ उपलब्ध हों या ऐसी बदाइयाँ जो खाद्य वस्तुओं, टानिक, प्रसारण के रूप में प्रयुक्त हों या एंटीसेप्टिक या निजी रक्त बैंक से रक्त के लिए सामान्य रूप से परामर्शित नहीं किया जायेगा।

कुनिमा लिंग

9. (क) उपचारी चिकित्सक की सत्तुति पर और चिकित्सालय के चिकित्सा अधिकार के अनुमान से, चाहे जिस भी पदनाम से वह जाता जाय, निच्छालियित कृत्रिम अंग और साथित्र अनुमत्य किये जा सकते हैं—
1. आर्थोपेडिक ग्रोस्थीसिस हिप
 2. प्रोस्टीसिस फार नी प्लाइट
 3. सरयाहकल कालर्स
 4. कार्डियाक पेस मैकर
 5. कार्डियाक वार्ट
 6. अमाण्डफाशियल चौकलो बावत
 7. हियरिंग एड/कॉक्टलायर इम्प्लान्ट
 8. हार्ट्राइम्स्यूलर लैन्स रीहाय्स्लान्ट

9. शेरापूर्णिका कार्यक्रम लोन्स
 10. कम्प्लीट आर्टिफिशियल डेन्वर (सम्पूर्ण कृतिम वंतावली)
 11. स्पेक्ट्रेकलस (चरणी) (तीन वर्षों में एक बार और अनधिक)
 12. निःशब्दत के उपर्योग के लिए पृथिक अंग वीं शामिल करें।
- एप सॉष्टिन
13. सरकार द्वारा भासुरीहित घोषित अन्य शास्त्रित्र।

(ख) उपर्युक्त कृतिगांधी और साधित्रों की आपूर्ति विशिष्टियों या निर्माण, भाग इत्यादि वृत्तियां बारते हुए उपचारी चिकित्सक की लिखित "दस्तावेज" पर की जायेगी।

10. कोई लाभार्थी शुभात्मा करने पर, संजय गाँधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लाखनऊ, और छन्दोपाठी शासुरी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ में बिना संवर्ध के उपचार प्राप्त कर सकता है। चिकित्सा परिचर्या या उपचार पर किया गया व्यय विहित रीति में वावे के ग्रस्तुतीकरण पर पूर्णतया प्रतिपूरणीय होगा।

भाग-तीत

आत्मा पर आपातकालीन स्थिति में उपचार और विशिष्ट उपचार

11. किसी लाभार्थी को राज्य वीं भीतर या बाहर तात्कालिक/आपात स्थिति में किसी निर्जीविकृत्यालय में उपचार प्राप्त करने की अनुमन्यता होगी। उपचार की लागत राज्य के भीतर उपचार कराने की दशा में सुजिय गाँधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान और राज्य से बाहर की दशा में अधिल भारतीय भासुरीहित अस्पताल, नई विल्लों की बरों पर, प्रतिपूरणीय होगी। प्रतिबन्ध यह है कि:-

(क) उपचारी विकृत्यालय द्वारा आपात दशा प्रमाणित की जाए।

(ख) रोगी द्वारा अपने कार्यालयाध्या को यथाशय्य शीघ्र किन्तु उपचार प्रारंभ होने के दिनों से 30 दिनों के भीतर सूचित कर दिया जाय।

(ग) आपात स्थिति में एवं एवं एवं एवं पर होने वाले व्यय की

॥ पर उपचार

12. कार्यालय कार्य से अन्य राज्यों को गये सरकारी सेवक सम्बन्धित राज्य के सरकारी चिकित्सालय में चिकित्सा परिचयों और उपचार पाठी के हक्कार होंगे और उस पर उपगत हुआ वास्तविक व्यय पूर्णतया प्रतिपूरणीय होगा:

प्रतिवर्णन यह है कि चिकित्सा महाविद्यालयों, संस्थानों या निजी चिकित्सालयों में कराये गये उपचार पर उपगत व्यय की प्रतिपूर्ति आखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली की दरों पर होगी।

13. (क) जटिल और गम्भीर रोगों के उपचार के लिए, जिनके लिए सरकारी चिकित्सालय या संबंधित करने वाली संस्थाओं में चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं है, संबंधित करने वाली संस्था के आवार्य या विभागाध्यक्ष से अन्यून श्रेणी के उपचारी चिकित्सक द्वारा उपचार और चिकित्सा परिचयों के लिए रोगी को ऐसे निजी चिकित्सालय या संस्था को जिसे राज्य अथवा केन्द्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हो संबंधित किया जा सकता है:

प्रतिवर्णन यह है कि यदि इस प्रकार संबंधित किसी रोगी को तात्कालिक/आपात रियति के कारण संबंधित से जिन किसी आचार्य चिकित्सालय में उपचार कराना पड़ता है तो नियम-11(ग) लागू नहीं होगा।

- (ख) ऐसे निजी चिकित्सालय या संस्था में उपचार पर व्यय की प्रतिपूर्ति वास्तविक व्यय था राज्य के भीतर उपचार के लिए, संजयगांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ की दरी या राज्य के बाहर हुए उपचार के लिए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली की दरों तक, जो भी कम हो, सीमित होगी।

- (ग) ऐसे उपचार था जो जिनके लिए संजयगांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ या आखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली में सुविधा विद्यमान न हो, पर हुए व्ययों की प्रतिपूर्ति वास्तविक आधार पर की

जायेगी, प्रतिबन्ध यह है कि उपचार देश के भीतर कराया जाया हो।

प्रधानमंत्री भारत उपचार

14. सरकारी चिकित्सालय के बाहर होम्योपैथी, यूनानी या आयुर्वेद पञ्चतंत्र या किसी अन्य विहित भारतीय चिकित्सा पञ्चतंत्र द्वारा उपचार की प्रतिपूर्ति उस रूप में की जायेगी जैसी सरकार द्वारा विहित की जाय।

गांग-चार सरकारी सेवकों के लिए चिकित्सा आग्रह

15. (अ) उपचार या लाला प्रतिपूर्ति की जरूरत को स्वीकृत करने वाला सभी गांग-चारी प्राथिकारी/प्राथिकारी/व्यनराशी के पैदाहतर प्रतिशत तक आग्रह रखना चाहत करने के लिए सधार्म होगा।
- (ब) आग्रह के लिए आवेदन परिशिष्ट-“ख” में दिये गये विहित प्रारूप पर कार्यालयाध्यक्ष की प्रस्तुत किया जायेगा और उसके साथ उपचारी चिकित्सक द्वारा निर्गत ज्ञान संस्था के प्राप्ति/पुरुष विकास अधीक्षक/अधीक्षक/सरकार द्वारा मान्यता भ्राता चिकित्सालय के विभागाध्यक्ष द्वारा प्रतिरक्षासंरित प्रावेकलन संलग्न किया जायेगा।
- (ग) “कामालयाध्यक्ष यह सुनिश्चित करने के लिए अल्पशयक उपाय कारना कि स्वीकृती प्राथिकारी द्वारा यथाधीधि आग्रह रखना चाहत कर दिया जाय।
- (घ) कामचारी समायोजन/प्रातिपूर्ति दावा इसके उपभोग किये जाने के साक्षत् परिवार/किसी उपचार समाप्त हो जाने के सौन माह अपश्यात् प्रस्तुत करेगा।
- (ड) किसी भी स्थिति में बुझा आग्रह तब तक स्वीकृत नहीं किया जायेगा जबकि किसी भी विवरण कि पूर्ववर्ती आग्रह समायोजित न कर दिया गया हो।
- (घ) प्रत्येक स्थीकर्ण प्राथिकारी परिशिष्ट “ख” में यथाविहित प्राप्ति उत्तीर्ण में एक रजिस्टर रखवायेगा।

(छ) आहरण एवं वितरण अधिकारी अग्रिम हेतु बिल(बीजक) पर प्रमाणक देना कि स्वीकृत अग्रिम की ऐसे रजिस्टर में प्रविष्ट कर ली गयी है।

(ज) यदि अग्रिम के समायोजन के लिए चार महीनों के भीतर दावा नहीं प्रस्तुत किया जाता है तो अग्रिम की सम्पूर्ण धनराशि लाभार्थी के वेतन से मासिक किंश्तों में कट ली जायेगी जो सकल वेतन के आधे से अधिक नहीं होगी।

(झ) यदि चिकित्सा अग्रिम स्वीकृत हो जाने के पश्चात् उपचार नहीं प्रारम्भ होता है तो ऐसे अग्रिम की वापसी तीन महीनों में को जानी होगी और यदि ऐसे अग्रिम की वापसी तीन माह के अवधि के भीतर वही वापसी जाती है तो दण्डात्मक ब्याज भी आरोपित किया जायेगा जिसकी गणना चिकित्सा अग्रिम वी स्वीकृति के दिनांक से की जायेगी।

भाग-पैच प्रतिपूर्ति

16. लाभार्थी द्वारा स्वीकृता प्राधिकारी को, यथाशक्य शीघ्र किंतु उपचार की समाप्ति के पश्चात् तीन माह से अपश्चात् परिशिष्ट "ग" में दिये गये विहित प्रारूप में प्रतिपूर्ति दावा प्रस्तुत किया जायेगा।

बीजक के साथ संदर्भ-पत्र, उपचार परामर्श पत्रक और उपचारी चिकित्सक द्वारा विधिवत् सत्यापित किये गये वाऊचर और परिशिष्ट "ड" में (ब्रह्मिंग उपचार) और परिशिष्ट "च" (अंतरंग उपचार) में अनिवार्यता प्रमाण-पत्र मूल रूप में प्रस्तुत किया जायेगा। विशेष परिशिष्टातीयों में दावों को पुष्ट करने के लिए अन्य मूल दस्तावेज भी सलग्न किये जा सकते हैं। अपूर्ण दावों पर विचार नहीं किया जायेगा।

प्रतिष्ठथ यह है कि किसी पेशन भोगी का प्रतिपूर्ति साता उस जिले के कार्यालयाध्यक्ष को प्रस्तुत किया जायेगा जहाँ से वह पेशन आहरित क्षार रक्षा है। जहाँ ऐसा कोई कार्यालय न हो

वहाँ सम्बन्धित जिले का जिला मणिस्ट्रेट इरा प्रयोजनार्थी
कार्यालयाध्यक्ष और विद्यालयाध्यक्ष भी होगा।

- प्राधिकारी** 17. (क) स्वीकर्ता अधिकारी या प्रेशनगोरी के गामते ने कार्यालयाध्यक्ष द्वारा प्रस्तुत किये जाने के विवाह से परा दिनों के भीतर तकनीकी परीक्षण के लिए सकार प्राधिकारी की भेजेगा। सम्बन्धित प्राधिकारी, राष्ट्रीय तकनीकी परीक्षण करने के पश्चात् वास्तविक प्रतिपूर्तीय धनराशि इंगित करते हुए उरा द्वावे को पञ्चह दिनों के भीतर, राष्ट्रीयिति, स्वीकर्ता प्राधिकारी या कार्यालयाध्यक्ष को वापस भर देगा।

- (ख) जब तक कि कत्तिपय आपत्तियाँ न हठाई गयी हों और संसुचित न की गयी हो, स्वीकर्ता प्राधिकारी द्वारा तकनीकी परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने के विवाह से 01 माह के भीतर प्राप्तिपूर्ति आदेश जारी किया जायेगा और आहरण एवं वितरण अधिकारी अगले 15 दिनों के भीतर उसका वास्तविक भुगतान सुनिश्चित करेगा। प्रेशन गोरी के मामले में, यदि कार्यालयाध्यक्ष स्वीकर्ता प्राधिकारी न हो तो, वह तकनीकी परीक्षण रिपोर्ट के साथ प्रतिपूर्ति द्वावे को सात दिनों के भीतर स्वीकर्ता प्राधिकारी को अग्रसरित कर देगा जो भुगतान के लिए उपर्युक्त समय-सारिणी का अनुसरण करेगा।

- क्षेत्र अनिवार्य विवरण** ✓ 18. स्वीकर्ता प्राधिकारी द्वारा प्रतिपूर्ति की अनुमति तभी दी जायेगी जबकि परिशिष्ट "ग" में दिये गये विहित प्रारूप पर निम्नलिखित वस्तोवेजों के साथ दावा प्रस्तुत किया जाए:

- (क) उपचारी विकित्तक द्वारा विधिवत् हस्ताक्षरित और चिकित्तालय के प्रभारी अधीक्षक, याहे जिस भी नाम से जाना जाय, द्वारा प्रतिहरताक्षरित अनिवार्यता प्रमाण-पत्र।
- (ख) उपचारी विकित्तक द्वारा विधिवत् सत्यापित सभी विरो, संवर्ग पत्र, ग्रेडिंग्स पत्र, और बाऊरों की गूल प्रतियाँ।
- (ग) सधम प्राधिकारी द्वारा तकनीकी परीक्षण की रिपोर्ट।

(घ) विशेष परिस्थितियों में दावे को सिख करने के लिए कोई अन्य दस्तावेज भी मूल रूप में संलग्न किये जा सकते हैं।

(ङ) अपूर्ण दावों पर विचार महीं किया जायेगा।

की परीक्षण के लिए सभाम 19. तकनीयी परीक्षण के लिए राष्ट्रग्राम प्राधिकारी निम्नवत् होंगे:-

प्राधिकारी

दावे की धनराशि	राष्ट्रग्राम प्राधिकारी
(एक) ₹40000/- तक	उपचारी या संबंधिता सरकारी चिकित्सालय/ अधीक्षक, यूनानी और होमोपैथी सरकारी चिकित्सालय का प्रशारी चिकित्साधिकारी/ डायरेक्टर।
(दो) ₹40001/- से अधिक	उपचारी या राजभक्ता सरकारी चिकित्सालय का चिकित्सा अधीक्षक/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/मुख्य चिकित्सा अधिकारी/जिला होमोपैथी चिकित्साधिकारी या क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी।
(तीन) निजी चिकित्सालयों में विशिष्ट उपचार हेतु	संबंधिता संस्था के आचार्य या विभागाध्यक्ष से अन्यून श्रेणी के उपचारी चिकित्सक द्वारा जैसा नियम 13(क) गे उपबंधित है।

(छ) सभाम ग्रामिकारी दावे की विधि, मान्यता/अनिवार्यता और अनुमन्यता का तकनीकी परीक्षण करेगा और प्रतिपूर्ति हेतु अनुमन्य धनराशि शब्दों और उनको बोनों में संसुन्न करेगा।

स्वीकर्ता प्राधिकारी

20. उपचार हेतु प्रतिपूर्ति दावा स्वीकृत करने के लिए सभाम ग्रामिकारी निम्नवत् होंगे:-

(क) सरकारी सेवकों के लिए:-

दावे की धनराशि	स्वीकर्ता प्राधिकारी
₹100000/- तक	कार्यालयाध्यक्ष
₹100000/- से अधिक-	विभागाध्यक्ष
₹250000/- तक	

₹250000/- से अधिक	सरकार का प्रशासकीय विभाग
₹500000/- से अधिक	चिकित्सा एवं रसायन विभाग की संस्थानीय सेवाएँ जीर्ण वित्त विभाग की पूर्व स्वीकृति से सरकार का प्रशासकीय विभाग।

(ख) सेवानीत्युत्तम सरकारी सेवकों के लिए:-

बाई शीर्षक	स्वीकृता प्राधिकारी
₹100000/- तक	सरकारी तकनीकी परीक्षण अधिकारी की संस्थानीय सेवाएँ जीर्ण वित्त विभाग की पूर्व स्वीकृति के पश्चात् पेशन आहरित करने वाले जनपद के कार्यालयाध्यक्ष
₹100000/- से अधिक	सरकारी तकनीकी परीक्षण अधिकारी की संस्थानीय सेवाएँ जीर्ण वित्त विभाग के पश्चात् पेशन आहरित करने वाले जनपद के कार्यालयाध्यक्ष के माध्यम से जिलाधिकारी।
₹500000/- से अधिक	सरकारी तकनीकी परीक्षण अधिकारी की संस्थानीय सेवाएँ जीर्ण वित्त विभाग के पश्चात् पेशन आहरित करने वाले जनपद के कार्यालयाध्यक्ष द्वारा यथामाध्यम प्रशासकीय विभाग के समक्ष प्रस्तुत करने पर प्रशासकीय विभाग के माध्यम से चिकित्सा एवं स्वारथ विभाग की संस्थानीय सेवाएँ जीर्ण वित्त विभाग की पूर्व स्वीकृति के पश्चात् प्रशासकीय विभाग।

बद्ध का छोड़गार "शीर्ष"

21. प्रतिपूर्ति की "धनराशि उसी "धीर्घ" से आहरित की जायेगी जिससे सामान्यतया वेतन, भत्ते और पेशन आदि आहरित किये जाते हैं।

गाग-छ।
शीर्ष

माना जाऊ ताहचर

22. (क) यदि कोई प्राधिकृत चिकित्सा परिचारक किसी रोगी को उच्चतर विधिवाच उपचार के लिए, जिसके लिए जिला राज्य में सुविधा उपलब्ध नहीं है, किसी चिकित्सालय की संवार्गत करता है तो कार्यालयाध्यक्ष द्वारा

प्राधिकृत चिकित्सा परिचारक की निश्चिह्न लिखित उत्तर पर ऐसा अंदार करने के लिए यात्रा की अनुमति दी जा सकती है।

- (ब) बीमारी की गंभीरता पर विचार बतते हुए यदि प्राधिकृत चिकित्सा परिचारक लिखित में यह संस्कृति करता है कि रोगी को चिकित्सा परिचारक द्वारा अनुमति किया जाना है, तो कायदानियत द्वारा यात्रा रात्रि किसी परिचारक के लिए अनुमति दी जा सकती है जो रामान्तर रोगी का सम्बोधी होगा।
- (ग) रोगी और परिचारक यदि कोई हो, अपनी रारकारी यात्रा के समयसीली रूपी रूपी तक अपनी विवास से उपचार के रूपाने तक निकलता रहता भागी से जाने और वापस आने की ऐसी यात्रा है तु यात्रा गत्ता पाने का हक्कार होगा, किन्तु यात्रुयान द्वारा यात्रा करने पर कोई शैक्षिक शत्ता अनुमत्य नहीं होगा भले ही लापार्थी उसके लिए हक्कार है या था।
- (घ) जटिल बीमारी की दशा में प्राधिकृत चिकित्सा परिचारक की लिखित संस्कृति पर सरकार वायुयान द्वारा यात्रा की अनुमति दे सकती है।

- सुमन-सीमा
23. सामन्यतया दाया तीन माह के भीतर प्रस्तुत कर दिया जाना चाहिए अवैध विभागीय सचिव का अनुमोदन अनिवार्य होगा जो मामले के गुणवत्तीप्र के अधीन पर दावे की प्रतिपूर्ति का विभिन्नतय करेगा।

- भारतीय सेवा के सदस्य 24. यह नियमावली अधिक भारतीय सेवा के सदस्यों पर उन मामलों में लागू होगी जहाँ अधिक भारतीय सेवा(चिकित्सा परिचार्या) नियमावली, 1954 के ग्रावथान इस नियमावली से निम्नतर है।

- भारतीय सेवा
25. यदि कोई रारकारी सेवक वाह्य सेवा/प्रतिनियुक्ति पर सेवारत हो तो उसे इस नियमावली के अधीन अनुमत्य से निम्नतर चिकित्सा सूचिया महीं प्राप्त होगी और चिकित्सा परिचार्या तथा

उपचार पर दुश्मा व्यय नाहूँ नियोक्ता द्वारा वहन किया जायेगा और ऐतके विभाग द्वारा नहीं किया जायेगा।

निरसन और आपवाप

विवरण का निरकरण

निरसन और आपवाप करण

26. सामय-समय पर यथासंभौद्धित उत्तर प्रदेश सरकारी रोबक (चिकित्सा परिचारी) नियमावली, 1946 और इस रबिथ में निर्णत किये गये सभी सरकारी आदेश निरसित हो जायेंगे। तथापि, प्रतिपूर्ति के लिए हफ्तारी उनसे कम नहीं होगी जो इस नियमावली के प्रारम्भ के पूर्व अनुमत्य थी।
27. यदि उत्तर प्रदेश सरकारी रोबक (चिकित्सा परिचारी) नियमावली, 2011 के उपर्याप्ति के प्रबंधन में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो राज्य सरकार गणराज्य में प्रकाशित आदेश द्वारा ऐसे उपबन्ध कर सकती है जो इस नियमावली से असंगत न हों और कठिनाई द्वारा करों के लिए आवश्यक और समीचीन प्रतीत हों।
28. (क) यदि इस नियमावली के निर्वचन के संबंध में कोई शंका उत्पन्न होती है तो उसे सरकार को निर्विष्ट किया जायेगा, जिसका उस पर निर्णय अन्तिम होगा।
 (ख) जहाँ राज्य सरकार का समाधान हो जाए कि चिकित्सा परिचारी की शर्तों को विनियमित करने वाले किसी नियम या उसके अधीन निर्णत आदेश से किसी विशेष मामले में कोई सामाजिक कठिनाई उत्पन्न होती है, वहाँ वह, उस मामले में तागू नियम या आदेश में किसी बात के होते हुए भी उस नियम या आदेश की अपेक्षाओं को उस सीमा तक और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए आदेश द्वारा वह अभिमुक्त या शिथिल कर सकती है जैसा मामले के स्थायीचित और साम्यपूर्ण रीति से निस्तारण के लिए आवश्यक समझे।

आज्ञा से,

(राम)
 (संजय अग्रवाल)
 प्रगुण सचिव

लखनऊ विवास्त्र प्राधिकरण
लखनऊ।

दिनांक 13 जनवरी, 2010

पत्रांक. 60/उच्चोक्त/०९-१०

आदेश

प्रशासनिक कार्यों में गितव्ययोग्यता के सम्बन्ध में गठित समिति द्वारा प्रतुत संस्तुतियों पर दिनांक 07.01.2010 को सचिव, वित्त नियंत्रक, संयुक्त सचिव, श्रीमती संगीता सिंह, संयुक्त सचिव, श्री एस.के. सिंह एवं प्रोग्रामर एनालिस्ट, श्री राघवेन्द्र भिश के साथ विचार-विमर्श के उपरान्त निम्नांकित निर्देश दिये जाते हैं:-

- प्राधिकरण के जो माली पार्कों के अतिरिक्त अन्य स्थानों पर लगे हैं उन्हें घटनित करके प्राधिकरण द्वारा नविकसित हरियाली लॉन में पदस्थ किया जाये और सुबह शाम दो पालियों में इनकी उपस्थिति व्यवस्थाधिकारी (प्रशासा) श्री अशोक पाल सिंह द्वारा सुनिश्चित की जाय। प्राधिकरण की योजनाओं के अन्तर्गत स्थान घटनित कर, कुछ मालियों को घटनित कर प्राधिकरण की एक नई विकसित व्यवस्थाधिकारी जाये जिससे प्राधिकरण द्वारा अपनी योजनाओं में वृक्षारोपण हेतु बाजार से पौध क्रय करने पर होने वाले व्यय की बचत की जा सके। (कार्यवाही अधिकारी अभियन्ता, श्री आरएन सिंह/ श्री जयसिंह/ श्री जीडीओ प्राप्तेय/ श्री अशोक पाल सिंह, व्यवस्थाधिकारी प्रशासन)
- श्री एस.के. सिंह, संयुक्त सचिव द्वारा समस्त पार्कों एवं अन्य स्थानों जहाँ पर सुपरवाईजर, गनमैन एवं डंडामैन सुरक्षा हेतु लगाये गये, बताये गये हैं उन स्थानों पर निरीक्षण कर यह सत्यापन किया जाय कि जिन स्थानों पर जितनी संख्या में कर्मचारी लगाये जाने का उल्लेख किया गया है, क्या वास्तविक रूप में उन्हें सुरक्षाकर्ता वहाँ पर कार्यरत है।
- उपर्युक्त सत्यापन के मध्य यह भी आंकलन किया जाय कि जितने कर्त्ता वहाँ पर पदस्थ किये गये हैं क्या वे आवश्यकता के अनुरूप सही हैं। क्या उनमें से कुछ कर्मियों वो कम किया जा सकता है।
- उपर्युक्त सत्यापन के मध्य यह भी आंकलन किया जाय कि क्या कुछ स्थानों पर बाह्य सुरक्षा एजेन्सी से लगाये गये कर्मियों के स्थान पर प्राधिकरण के चौकीदारों/ चतुर्थ श्रेणी कर्मियों को लगाया जा सकता है। चौकीदारों का आंकलन करके संयुक्त सचिव, श्री एस.के. सिंह द्वारा उनकी आवश्यकता का विवरण तीन दिन के अन्दर संयुक्त सचिव-अधिकारी द्वारा कराया जायेगा और तदनुसार उनकी तैनाती प्रभारी अधिकारी द्वारा की जायेगी। (कार्यवाही-श्री एस.के. सिंह, संयुक्त सचिव/ श्रीमती संगीता सिंह, संयुक्त सचिव)
- सफाई कर्मियों के सम्बन्ध में श्री राजेन्द्र प्रसाद, सहायक अभियन्ता अनुरक्षण समस्त ऐसे स्थानों पर जहाँ सफाई कर्मचारी पदस्थ हैं, निरीक्षण कर यह देख लें कि क्या वहाँ पर पदस्थ किये गये सफाई कर्मचारी वास्तविक रूप से वहाँ पर

कार्यरत है और क्या उनकी संख्या कार्य के अनुरूप पर्याप्त है अथवा वहाँ से उन्हें कम किये जाने की आवश्यकता है।

उपर्युक्त स्थलीय सत्यापन के उपरान्त तीन दिन में यह रिपोर्ट भी प्रस्तुत करें कि वाह्य एजेन्सियों के माध्यम से लगाये गये सफाई कर्मियों की क्या उपयोगिता है, क्या जितनी संख्या में वे लगाये गये बताये गये हैं, क्या वास्तविक रूप से वे कार्य कर रहे हैं।

उबी. यह भी निर्देशित किया जाता है कि उक्त सफाई कर्मी जहाँ-जहाँ तैनात हैं, सुबह एवं शाम दो पाली में उनकी उपस्थिति दर्ज करायी जाये। (श्री राजेन्द्र प्रसाद, सहायक अभियन्ता)

4. आंदेशित किया जाता है कि तत्काल प्रभाव से चिकित्सा अवकाश शासनादेश के वित्त नियम संग्रह की धारा-157/।। के अधीन स्वीकृति होने के उपरान्त ही वेतन का भुगतान किया जायेगा।

अधिकारी/कर्मचारी के चिकित्सा अवकाश पर होने अथवा चिकित्सा हेतु चिकित्सालय में भर्ती होने की दशा में अधिकारी/कर्मचारी का वेतन, बिना नियमानुसार चिकित्सा अवकाश स्वीकृत हुए आहरित नहीं किया जायेगा।

विशेष परिस्थितियों को छोड़कर सामान्य परिस्थितियों में नियमानुसार स्वस्थता प्रमाण-पत्र प्राप्त होने के उपरान्त सक्षम रूप से चिकित्सा अवकाश स्वीकृत हो जाने के उपरान्त ही वेतन का भुगतान किया जायेगा।

4. चिकित्सा प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में निम्नांकित आदेश पारित किये जाते हैं। नियमानुसार प्रतिपूर्ति की स्वीकृति सक्षम रूप से प्राप्त करने के उपरान्त प्रतिपूर्ति का भुगतान किया जायेगा:-

क्रम सं०	धनौंक	सक्षम स्वीकृतकर्ता अधिकारी
1.	₹०-५०००.००	प्राधिकरण के विभागीय चिकित्सक के सत्यापन उपरान्त संयुक्त सचिव अधिष्ठान द्वारा।
2.	₹०-५००१-४००००.०० तक	मुख्य चिकित्सा अधिकारी/मुख्य अधीक्षक से प्रमाणीकरण के उपरान्त सचिव द्वारा।
3.	₹०-४०००१-२०००००.०० तक	मुख्य चिकित्सा अधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक से प्रमाणीकरण के उपरान्त उपाध्यक्ष द्वारा।
4.	₹०-२००००१ से ऊपर	विशेष परिस्थितियों में मुख्य चिकित्सा अधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक द्वारा प्रमाणीकरण के उपरान्त उपाध्यक्ष महोदय की स्वीकृति से कर दिये जायेंगे। परन्तु इसे औपचारिक अनुगोदन हेतु प्राधिकरण बोर्ड की बैठक में प्रस्तुत करना होगा।

(८)

(८)

वर्ती यह भी निर्देश दिये जाते हैं कि विशेष परिस्थितियों को छोड़कर चिकित्सा। अप्रिम का मुगातान चिकित्सालय के पक्ष में न किया जाय बल्कि सम्बन्धित कर्मचारी अथवा उसके निकट के रिश्तेदार अर्थात् पत्नी या पुत्र के पक्ष में अप्रिम का मुगातान किया जाय। विशेष परिस्थितियों में चिकित्सालय के पक्ष में मुगातान की स्वीकृति हमी की जायेगी जबकि उपाध्यक्ष स्तर से इस हेतु स्वीकृति प्रदान की गयी हो।

5. धार्मिक एवं अन्य आयोजनों पर होने वाले व्ययों के सम्बन्ध में निम्नांकित आदेश किये जाते हैं:-

5ए. किसी भी पूर्व से सम्बन्ध हो रहे धार्मिक आयोजन पर रूपये—50,000/- से अधिक व्यय किये जाने की स्वीकृति नहीं प्रदान की जायेगी।

5बी. यदि आयोजनकर्ता द्वारा रूपये 50000/- से अधिक धनराशि आयोजन पर व्यय की जाती है तो स्वीकृति धनराशि के अतिरिक्त व्यय की गयी धनराशि का मुगातान प्राधिकरण हासा नहीं किया जायेगा।

5सी. आयोजन सम्पन्न होने के एक भाह के अन्दर वित्त नियंत्रक द्वारा इसके समायोजन के सम्बन्ध में अपनी रिपोर्ट सचिव/उपाध्यक्ष को प्रस्तुत की जायेगी।

6. यात्रा व्यय के सम्बन्ध में निम्न प्रकार आदेशित किया जाता है:-

6ए. विशेष परिस्थितियों जिनमें प्राधिकरण के हित में यात्रा करना अनिवार्य हो, को छोड़कर सामान्यतः प्रयारलाईन से रीधे टिकट क्रय कर यात्रा की जाये।

6बी. विशेष परिस्थितियों जिनमें प्राधिकरण हित में यात्रा करना अनिवार्य हो, को छोड़कर अनुमन्य श्रेणी से उच्च श्रेणी में यात्रा करने पर उसका मुगातान तभी किया जायेगा जब उपाध्यक्ष स्तर से उसकी स्वीकृति प्रदान की गयी हो।

7. मोबाईल फोन के सम्बन्ध में निर्देशित किया जाता है कि अबर अभियन्ता एवं अनुभाग अधिकारी रुपर तक के समस्त कर्मचारियों को ₹०५००००० मोबाईल सिम उपलब्ध कराये जाये।

7ए. यह भी निर्देश दिये जाते हैं कि नये मोबाईल इन्स्ट्रूमेंट किसी भी दशा में क्रय न किये जाये।

7सी. निर्देश दिये जाते हैं कि मोबाईल पर होने वाले व्यय को एक लाख की सीमा के अन्दर नियंत्रित रखा जाये। (कार्यवाही—व्यवस्थाधिकारी, श्री अशोक पाल सिंह)

8. न्यायालय व्यय के सम्बन्ध में निर्देश दिये जाते हैं कि प्राधिकरण में लम्बित वादों की बड़ी संख्या का निपटारा प्राधिकरण स्तर पर ही किया जाय।

8ए. प्रयास किया जाये कि 50 प्रतिशत तक मुकदमों का निपटारा लोक अदालत लगाकर करा दिया जाये। इस सम्बन्ध में मुख्य विधि परामर्शी शीघ्र कार्यवाही करायें।

8बी. यह भी निर्देशित किया जाता है कि प्राधिकरण के पैनल में जो अधिवक्ता वर्तमान में हैं उन्हें उनकी परफार्मेंस के आधार पर चिन्हित कर लिया जाये और ऐसे अधिवक्ताओं को पैनल से हटाया जाये जिनकी वाद जीती (Success rate) का प्रतिशत 50 प्रतिशत से कम हो।

8सी. वाद व्यय रूपये 500/- के स्थान पर रूपये—1000/- दिये जाने के निर्देश दिये जाते हैं। (कार्यवाही—मुख्य विधि परामर्शी)

9. वाहन ड्राइवर के सम्बन्ध में निर्देश दिया जाता है कि सरकारी पेट्रोल पम्प चिन्हित कर, अधिकारियों हेतु पेट्रोल की सीमा निर्धारित करने के उपरान्त राज्य ल०वि०प्रा० तीन दिन के अन्दर प्रस्ताव प्रस्तुत करें। (कार्यवाही—सचिव)
10. राज—सज्जा एवं केन्द्रीय भण्डार गृह के सम्बन्ध में निर्देश दिया जाता है कि प्रभारी रुटर, कार्यालय के प्रत्येक कक्ष एवं सामग्रियों पर नव्वरिंग अंकित कराने की कार्यवाही शीघ्र करायें तथा नव्वरिंग के अनुसार छेड़ रुटर पंजिका में अंकित कराया जाय। (कार्यवाही—श्री एस.के. सिंह, संयुक्त राज्य)

(मुकेश कुमार मेशाम्)

उपाध्यक्ष

प्रतिलिपि—प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ।

1. सचिव, ल०वि०प्रा०, लखनऊ।
2. मुख्य विधि परामर्शी।
3. वित्त नियंत्रक।
4. समरत संयुक्त सचिव।
5. मुख्य अधिकारी।
6. सम्बन्धित अधि० आभि० / सहा० आभि०।
7. समरत सम्बन्धित अधिकारी।


३।२०।।१०
(मुकेश कुमार मेशाम्)

उपाध्यक्ष

लखनऊ विकास प्राधिकरण बोर्ड की १५५वीं बैठक दिनांक
०६ नवम्बर, २०१५ का कार्यवृत्त

उपस्थिति :

01. श्री महेश कुमार गुप्ता
02. श्री सत्येन्द्र सिंह
03. श्री राजशेखर
04. श्री उदय राज सिंह
05. श्री शिवजनम चौधरी
06. श्री अजय कुमार मिश्र
07. श्री गोपाल गार्ग
08. श्री नरेन्द्र कुमार चौहान
09. श्री विजय सिंह यादव
10. श्रीमती मुन्नी पाल
11. श्री सुरेन्द्र सिंह 'राजू गांधी'
12. श्री फैसल नवाब
13. श्री सौरभ सिंह 'मोनू'
14. श्री रमेश कपूर 'बाबा'

अन्य उपस्थिति :

15. श्री श्रीश चन्द्र वर्मा
16. श्रीमती सीमा सिंह
17. श्री जे०पी० सिंह
18. श्री एत०एन० सिंह
19. श्री ओ०पी० मिश्र
20. श्री जे०एन० रेड्डी
21. श्री हरि कष्ण यादव

अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण एवं
आयुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।
उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण।
जिलाधिकारी, लखनऊ।
नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ।
संयुक्त सचिव, प्रतिनिधि-प्रमुख सचिव, आवास
एवं शहरी नियोजन विभाग, उ०प्र० शासन
मुख्य नगर एवं ग्राम्य नियोजक, उत्तर प्रदेश।
वास्तुविद नियोजक, प्रतिनिधि आवास अभ्युक्त,
उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद।
अपर निदेशक, प्रतिनिधि-निदेशक, के
मण्डल मण्डल।
सदस्य, ल०वि०प्रा०
सदस्य, ल०वि०प्रा०
मा० पार्षद/सदस्य, ल०वि०प्रा०
मा० पार्षद/सदस्य, ल०वि०प्रा०
मा० पार्षद/सदस्य, ल०वि०प्रा०
मा० पार्षद/सदस्य, ल०वि०प्रा०

सचिव, ल०वि०प्रा०।
अपर सचिव, ल०वि०प्रा०।
संयुक्त सचिव, ल०वि०प्रा०
संयुक्त सचिव, ल०वि०प्रा०
मुख्य अभियन्ता, ल०वि०प्रा०।
मुख्य नगर नियोजक, ल०वि०प्रा०
मुख्य लेखाधिकारी, ल०वि०प्रा०

समय भू-उपयोग के अनुसूप दिये जाने के निर्णय के सम्बन्ध में।

निर्णय :

प्रस्तुत प्रस्ताव पर विस्तृत विवार-विमर्श हुआ। सम्पूर्ण विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि प्रश्नगत भूखण्ड का अधिग्रहण के समय वर्ष 2010 में जो भी भू-उपयोग रहा हो, तत्समय की प्रचलित दर के अनुसार गणना करके शासनादेश के अनुसार अधिग्रहीत भूखण्ड के बदले 60 प्रतिशत विकसित समतुल्य मूल्य की भूमि, जो कि उसी भू-उपयोग की होगी जो कि अधिग्रहीत भूखण्ड का वर्ष 2010 में भू-उपयोग रहा हो, यथासम्भव निकटस्थ खण्ड में दिये जाने की स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान की गई कि सम्बन्धित द्वारा मा० न्यायालय में योजित वाद वापस ले लिया जायेगा एवं अर्जन से पूर्व प्राधिकरण के स्वत्व के बिना अनार्जित भूमि का विक्रय किये जाने के सम्बन्ध में जांच कर दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये।

विषय संख्या : 15

रिट योचिका संख्या-2889(एम०बी०)/१२ में दिनांक 15.12.2008 को मा० उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.12.2008 के अनुपालन में खसरा संख्या-298 ग्राम-जौरंगाबाद खालसा के बड़े हुए रक्बे 2-5-18-० बीघा भूमि अथवा प्रतिकर की धनराशि दिये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय :

यथाप्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

विषय संख्या : 16

उजरियांव आवासीय योजना भाग-4 के अन्तर्गत ग्राम-उजरियांव की अर्जित भूमि खसरा संख्या-1599/४ रक्बा 0.076 हेठा भूमि में से 50 प्रतिशत भूमि को समायोजित किये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय :

प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

✓ श्री परदेशी सिंह, कनिष्ठ लिपिक की चिकित्सा पर व्यय धनराशि की प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में।

सम्पूर्ण विचारोपरान्त प्रस्तुत प्रस्ताव अनुमोदित किया गया। साथ ही रु० 5 लाख तक के चिकित्सा प्रतिपूर्ति की स्वीकृति हेतु उपाध्यक्ष, ल०वि०प्रा० को अधिकृत किया गया एवं इससे ऊपर के प्रकरणों को बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।

विषय संख्या : 18

स्व० विनय कुमार सिंह, कनिष्ठ लिपिक की चिकित्सा पर व्यय

14

✓

दिया गया कि विकासकर्ता को शासन की सभी शक्ति का अनुमति सुनिश्चित करना होगा एवं जो अनार्जित भूमि है, उसे अधिपूँजीन करने की कार्यवाही समयबद्ध रूप से 02 वर्ष में पूर्ण करना होगा।

विषय संख्या : 41

भूखण्ड संख्या-2/86, विजय खण्ड, गोमती नगर एवं 2/19, विपुल खण्ड, गोमती नगर स्थित भवन/भूखण्ड के उपर्योग भू-उपयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव में सम्मिलित दोनों प्रकरणों में विषय संख्या-7 के सम्बन्ध में लिये गये निर्णय के अनुसृप कार्यवाही की जाये।

नवीबुल्लाह रोड, बासमण्डी व्यवसायियों को सीतापुर रोड तथा रेलवे लाइन के मध्य स्थित भूमि के तलपट मानचित्र के अनुमोदन के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

उपाध्यक्ष, ल0वि0प्रा0 द्वारा धन्यवाद ज्ञापन के उपरान्त बैठक समाप्त हुई।

(श्रीशं कन्द्र वर्मा)

सचिव

(सत्येन्द्र सिंह)

उपाध्यक्ष

अनुमोदित

(महेश कुमार गुप्ता)

अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण,
एवं आयुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।

विषय—मा० राष्ट्रीय हरित अभिकरण, (NGT) नई दिल्ली में विचाराधीन ओ०ए० संख्या ११६/२०१४ एंव ६७३/२०१८ से आच्छादित नमामि गंगे योजना में DPR Pollution Abatement of River Gomti, Lucknow (Phase-III), विचरण हेतु लखनऊ नगर में नये विकसित नालों के डायर्वर्जन हेतु SPS के लिए भूमि उपलब्ध कराने के संबंध में।

आख्या—

मा० राष्ट्रीय हरित अभिकरण, (NGT) नई दिल्ली में विचाराधीन ओ०ए० संख्या ११६/२०१४ एंव ६७३/२०१८ से आच्छादित नमामि गंगे योजना में DPR Pollution Abatement of River Gomti, Lucknow (Phase-III), विचरण हेतु लखनऊ नगर में नये विकसित नालों के डायर्वर्जन हेतु SPS के लिए भूमि उपलब्ध कराने हेतु परियोजना प्रबन्धक, निर्माण इकाई उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) लखनऊ द्वारा उनकी योजना अनुसार लखनऊ महायोजना—२०३१ में चिन्हित हरित पट्टी की भूमि उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गयी है। वर्तमान में प्रभावी लखनऊ महायोजना—२०३१ में हरित पट्टी में एस.टी.पी. का निर्माण निषिद्ध है। प्रश्नगत स्थल में उक्त के निर्माण हेतु महायोजना/जोनिंग रेगुलेशन में अनुमन्यता का प्रस्ताव मुख्य नगर एंवं ग्राम नियोजक, नगर एंवं ग्राम नियोजन विभाग उ०प्र० को सन्दर्भित किये जाने का प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया जाना है।

प्रस्ताव— उपर्युक्त के परिप्रेक्ष्य में मा० राष्ट्रीय हरित अभिकरण, (NGT) नई दिल्ली में विचाराधीन ओ०ए० संख्या ११६/२०१४ एंव ६७३/२०१८ से आच्छादित नमामि गंगे योजना में DPR Pollution Abatement of River Gomti, Lucknow (Phase-III), विचरण हेतु लखनऊ में उक्त के निर्माण हेतु महायोजना/जोनिंग रेगुलेशन में अनुमन्यता का प्रस्ताव मुख्य नगर एंवं ग्राम नियोजक, नगर एंवं ग्राम नियोजन विभाग उ०प्र० को सन्दर्भित किये जाने का प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।



कार्यालय परियोजना प्रबन्धक, निर्माण इकाई,
उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), लखनऊ
तृतीय जलकल परिसर, कठौताशील, विकल्प खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ
Email Id- pm_nir_upjn@yahoo.in

पत्रांक 153 / डब्लू-23 / 36 दिनांक:- 8/4/22
 सेवा में,

उपाध्यक्ष,
 लखनऊ विकास प्राधिकरण,
 लखनऊ।

विषय:- मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT), नई दिल्ली में विचाराधीन ओ०ए० संख्या 116/2014 एवं 673/2018 से आच्छादित नमामि गंगे योजना में DPR Pollution Abatement of River Gomti, Lucknow (Phase-III), विश्वन हेतु लखनऊ नगर में नये विकसित नालों के डायवर्जन हेतु SPS के लिये भूमि उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भित पत्र	कार्यालय परियोजना प्रबन्धक, अस्थाई गोमती प्रदूषण नियंत्रण इकाई, उ०प्र० जल निगम, लखनऊ	कार्यालय भवाप्रबन्धक, गोमती प्रदूषण नियंत्रण इकाई, उ०प्र० जल निगम, लखनऊ	कार्यालय मुख्य अभियन्ता(ल०क्ष०), उ०प्र० जल निगम, लखनऊ
	2851 / कार्य-9/64 दिनांक 23.08.2018, 1440 / कार्य-11/07 दिनांक 08.05.2019, 4749 / कार्य-11/11 दिनांक 18.11.2019, 912 / कार्य-11/05 दिनांक 03.06.2020 1796 / कार्य-11/18 दिनांक 25.08.2020 एवं 2443 / कार्य-11/24 दिनांक 09.11.2020	1880 / डब्लू-6/27 दिनांक 06.08.2020 एवं 1156 / डब्लू-6/14 दिनांक 22.05.2021	913 / कार्य-38/90 दिनांक 26.06.2020, 1086 / कार्य-45/127 दिनांक 23.07.2020 एवं 828/मु अभि.(ल.क्ष.) कार्य-38/22 दिनांक 03.06.2021

- सन्दर्भ-** 1. कार्यालय पत्रांक 932/डब्लू-23/39 दिनांक 10.12.2021 (संलग्नक-1)
 2 कार्यालय मु०अभि० लखनऊ विकास प्राधिकरण पत्रांक 313/ई०-1/सी०/22 दिनांक 29.01.2022 (संलग्नक-2)
 3 कार्यालय पत्रांक 119/डब्लू-23/30 दिनांक 22.03.2022 (संलग्नक-3)

महोदय,

उपर्युक्त विषयक सन्दर्भित पत्रों एवं कार्यालय पत्रांक 932/डब्लू-23/39 दिनांक 10.12.2021 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसके द्वारा गोमती नगर विस्तार नाला एवं सहारा सिटी नाला के I&D एवं SPS निर्माण कार्य हेतु भूमि उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया था। जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

1. गोमती नगर विस्तार नाला

उक्त नाले के लिये सरस्वती अपार्टमेन्ट के पीछे एवं राफती अपार्टमेन्ट के सामने (गुगल मैप संलग्न) भूमि का निरीक्षण किया गया जोकि आवश्यक भूमि 1500 (30 m x 50 m) वर्ग मी० मी० पर उपलब्ध है।

2. सहारा सिटी नाला


उक्त नाले के लिये जनेश्वर मिश्रा पार्क के गेट नं०-06 के कोने में (जनेश्वर मिश्रा पार्क की वातण्डी से बाहर) एवं पलाई ओवर के मध्य (गुगल मैप संलग्न) उपलब्ध भूमि 551 (14.5 m x 38 m) वर्ग मी० है। उक्त के कम में कार्यालय मु०अभि० लखनऊ विकास प्राधिकरण के पत्रांक 313/ई०-1/सी०/22 दिनांक 29.01.2022 के पत्र द्वारा अवगत कराया गया है कि “भूमि चिन्हीकरण के पश्चात् भूमि के मू-उपयोग एवं भूमि उपलब्ध कराये जाने हेतु पत्रावली नियोजन अनुमान को प्रेरित की गयी, जहां से ज्ञात हुआ है कि चिन्हित भूमि का मू-उपयोग मास्टर प्लान ग्रीन है, जिस पर एस०पी०एस० का निर्माण किया जाना अनुमन्य नहीं है। मू-उपयोग के परिवर्तन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। मू-उपयोग परिवर्तन उपरान्त सन्दर्भित भूमि एस०पी०एस० हेतु उपलब्ध कराये जाने हेतु सूचित किया जायेगा।” अधोहस्ताकारी द्वारा आपसे एवं मुख्य अभियन्ता महोदय से व्यक्तिगत सम्पर्क कर उक्त SPS कार्य हेतु प्रस्तावित भूमि कि मू-उपयोग के परिवर्तन की कार्यवाही त्वरित गति से करने हेतु अनुरोध किया गया है। वर्तमान में विधानसभा-2022 का चुनाव भी सम्पन्न हो गया है।

अवगत कराना है कि आपका महायोजना मास्टर प्लान 2031 को GIS बेस पर बनने की कार्यवाही अनुत्त योजना में प्रचलन में है। अनुरोध है कि उक्त महायोजना-2031 में ऊपर में सन्दर्भित भूमि को जनहित में गोमती नगर विस्तार नाला एवं सहारा सिटी नाला के I&D एवं SPS कार्य हेतु चिन्हांकित कर लिया जाये। ताकि गोमती नदी में गिरकर प्रदूषित करने वाले गोमती नगर विस्तार नाला एवं सहारा सिटी नाला के I&D एवं SPS का निर्माण कार्य पूर्ण कर भरवारा में प्रस्तावित STP 2 प्र० शोधन के उपरान्त गोमती नदी में प्रवाहित होने वाले उक्त नालों से होने वाले जल प्रदूषण को रोका जा सके।

नमामि गंगे की गाइड लाइन के अनुसार प्रत्याहित कार्यों हेतु भूमि उपलब्ध होने पर ही प्राक्कलन के स्वीकृति की कार्यवाही की जानी है।

* आपसे पुनः अनुरोध करना है कि उपरोक्तानुसार निःशुल्क भूमि उपलब्ध कराने का कष्ट करें, जिससे प्राक्कलन विचार की कार्यवाही पूर्ण कर उक्ता DPR को रवीकृति एवं धनावंटन हेतु नमामि गंगे भारत सरकार को समय भेजा जाना सम्भव हो सके। यहां यह भी अद्यत वर्णना है कि उक्त प्रकरण मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NCT), नई दिल्ली में विचाराधीन ३००५ संख्या 116/2014 एवं 673/2018 से आच्छादित है, जिस पर आपके विशेष ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है।

संलग्नका— उपरोक्तानुसार।




भवदीय
(अजीत कुमार सिंह)
परियोजना प्रबन्धक

पृ०सं० एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेपित।

1. सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ।
2. मुख्य नगर नियोजन, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ।
3. मुख्य अभियन्ता, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ।
4. अधीक्षण अभियन्ता, तृतीय मण्डल, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), लखनऊ।
5. अधिशासी अभियन्ता, जोन-१, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ।
6. अधिशासी अभियन्ता, ब्रियोदश खण्ड (वि०/याँ०), उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), प्रशिक्षण केन्द्र, तृतीय तल, 2 लाल बहादुर शास्त्री मार्ग, लखनऊ।
7. इ० सुरेन्द्र सिंह परमार, परियोजना अभियन्ता एवं श्री विंएन० गोयल/श्री विनय कुमार नायक, सहायक परियोजना अभियन्ता को इस आशय से कि व्यक्तिगत सम्पर्क स्थापित पर वांछित भूमि प्राप्त करने हेतु आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।



परियोजना प्रबन्धक

प्रस्ताव: कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर में प्रभावित आवंटियों को माह अप्रैल 2021 से मई 2021 तक के समय अवधि को शून्य मानकर गणना किये जाने के सम्बन्ध में।

विषय वस्तु: माह अप्रैल 2021 से मई 2021 तक कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर का प्रकोप होने के कारण जनसामान्य को अपने कार्यों में काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ा एवं बड़ी जनसंख्या कोविड महामारी से ग्रसित भी रही। साथ ही कोविड-19 महामारी के कारण लोगों के जान-माल की हानि भी हुई। कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के कारण देश एवं प्रदेश में जनसामान्य के कार्य भी प्रतिकूल रूप से प्रभावित रहे एवं विभिन्न सरकारी, अर्धसरकारी कार्यालय, बैंक इत्यादित पूरी जनशक्ति के साथ कार्य नहीं कर पा रहे थे।

अतः कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर में जनसामान्य के समक्ष उत्पन्न कठिनाईयों को दृष्टिगत रखते हुए ऐसे सभी प्रकरण जिनमें कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के कारण धनराशि जमा करने विलम्ब किया गया है, उन प्रकरणों में माह अप्रैल 2021 से मई 2021 तक के समय अवधि को शून्य मानते हुए गणना किये जाने हेतु प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

०६/५/२०२२
(राम शंकर)
विशेष कार्याधिकारी

०६/५/२०२२
(दीपक सिंह)
वित्त नियंत्रक

०६/५/२०२२
(ज्ञानेन्द्र वर्मा)
अपर सचिव